राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6] नवम् विधान सभा के षष्ठम् सत्र का छत्तीसवां दिवस [संख्या : 23

सोमवार,

30 मार्च, 1992

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

आवासन मण्डल द्वारा प्राथमिकता के आधार पर मकान आवंटन

662. श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनूं) : क्या आवासन मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किन-किन लोगों के लिए मकान कितने-कितने प्रतिशत किस-किस श्रेणी में आरक्षित व आवंटित किये जाते हैं ?

(2) विधायकों, पत्रकारों व अभिभाषकों के लिए मानसरोवर, सांगानेर में किस-किस श्रेणी के कितने मकान आरक्षित किये गये हैं ?

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा पंजीकृत आवेदकों को प्राथमिकता के आधार पर मकान आरक्षित/आवंटित किये जाने का प्रतिशत निम्नानुसार है :—

श्रेणी	प्रतिशत
1. वैतनिक वर्ग के आवेदकों के लिए	40%
2. अवैतनिक वर्ग के आवेदकों के लिये	36%
3. मण्डल कर्मचारियों के लिए	3%
4. अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों के लिए	14%
5. भूतपूर्व सैनिकों, जी. आर. ई.एफ. के भूतपूर्व सदस्यों एवं सैनिकों की विधवाओं के लिए	2%
6. सांसदों/विधायकों/अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए	2.5%

(श्री भंवरलाल शर्मा)

7. स्वतन्त्रता सैनानी	1%
8 विकलांग आवेदकों के लिये	1.5%

(2) विधायकों/पत्रकारों के लिये मण्डल की मानसरोवर, सांगानेर योजना में श्रेणी विशेष के अन्तर्गत मकानों का आरक्षण उनके लिए निर्धारित 2.5% कोटा के अंतर्गत किया जाता है। प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत निर्मित होने वाले आवासों की संख्या के आधार पर ही निर्धारित कोटे में विधायकों पत्रकारों को आरक्षण पत्र जारी किये जाते हैं। अभिभाषकों के लिये अलग से कोटा निर्धारित नहीं है। उन्हें सामान्य आवेदकों के समान ही वरीयतानुसार आवासन आरक्षित/आवंटित किये जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजाद।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि विधायकों, पत्रकारों, अभिभाषकों के लिये मानसरोवर, सांगानेर में किस-किस श्रेणी में, कितने मकान आरक्षित किये गये? प्रतिशत तो पहले वाले में था कि कितना प्रतिशत में करते हैं। मेरे दूसरे खण्ड में मैंने यह पूछा था कि कितने मकान आरक्षित किये? What is the number of reserved houses for MLAs and journalists?

उसका जवाब आपने स्पष्ट नहीं दिया है। कृपया इसको स्पष्ट करें और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि विधायकों को किस वर्ष के आवेदकों तक आपने मकान आवंटित कर दिये और कितने आवेदन-पत्र विधायकों और पत्रकारों के आपके पास पेण्डिग हैं। आपने एक बार पहले कहा था कि पत्रकारों अब तक मकान दिये जा चुके थे जबकि मेरी जानकारी यह है कि 1984 के आवेदकों के बाद भी 15-20 ऐसे पत्रकार हैं जिनको आपने मकान आवंटित नहीं किये हैं। यदि यह सही है तो कब तक दे दिये जायेंगे, कृपया बतायें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य, ये आरक्षित नहीं होते, आवंटित होते हैं जितने मकान बनते हैं। मैंने पहले निवेदन किया कि हम इनको कोटे के हिसाब से निर्धारित करते हैं जो प्रश्न मैंने बताया....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : कितने मकान मानसरोवर और सांगानेर में बने उसमें कितने एम. एल. एज्. के लिए रिजर्व हैं?

श्री भंवरलाल शर्मा : आप व्यवस्था समझ लीजिये। यदि 100 मकान बनते हैं तो 2.5 पर्सेण्ट एम.एल एज्. और पत्रकारों को मिलते हैं। आरक्षण अलग चीज है, आरक्षण नहीं करते हम। यह तो जो मकान बनते हैं उनमें आवंटित करते हैं। अब उस हिसाब से 1982 एवं इसके पश्चात जयपुर में विभिन्न आय वर्ग में 26025 आवास आवंटित किये हैं इसमें 2.5 पर्सेण्ट कोटा के हिसाब से कुल 650 मकान बनते हैं। इस अवधि में 423 मकान एम.एल.ए./ एम. पीज्. व 237 मकान पत्रकारों को

(श्री भंवरलाल शर्मा)

आवंटित किये जा चुके हैं। इस प्रकार 650 मकानों के स्थान पर 660 मकान आवंटित किये गये हैं, यानि कोटे से भी अधिक किये गये हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : आपके आने के बाद आपने कितने किये, यह पूछा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह नहीं पूछा है।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप जबसे मंत्री पद पर हैं तब से आपने जो मकान बनाये हैं उसमें कितने पर्सेण्ट को दे दिया और कितने को नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष : यह नहीं पूछा गया, वो तो सारा एक ही है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अभी तो मैं ही पूछ रहा हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं आपसे निवेदन करता हूं मानसरोवर में अभी भी कुछ मकान निर्माणाधीन हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : कुछ कितने ?

श्री भंवरलाल शर्मा : उनकी संख्या करीब 65–70 है। आप जिस मकसद से प्रश्न पूछना चाहते हैं उसका मैं सीधा उत्तर दे देता हूं। (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : आप बात छिपाते हैं क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा : क्योंकि कई माननीय सदस्य जब यदा-कदा मिलते हैं तो उनकी एक चिन्ता है कि हमको भी हाऊसिंग बोर्ड से मकान मिल जाय और जो कोटा फिक्स है वह तो यही है. लेकिन मैं सोच रहा हूं जैसे पिछले वर्ष में एक विशेष योजना चलाकर एम. एल. एज्. को या अन्य वर्गों को कुछ मकान दिये गये हैं। मैं यह विचार और प्रयत्न कर रहा हूं कि कोई ऐसी जमीन मिल जाय जहां यह सब व्यवस्था हो सके और एक जगह मकान बनाकर एम. एल. एज्. को दिया जा सके। उसके लिये मैं प्रयत्न कर रहा हूं और मुझे विश्वास तो यही है कि जल्दी इसमें कोई समाधान हो जायेगा। (व्यवधान) मेरी बात सुन लीजिये। जो वर्तमान विधायक हैं उनमें से करीब 50 से 55 को तो आवंटित है। कुछ मकान जल्दी ही हमारे पास इस साल के अन्त तक और निर्मित हो सकेंगे फिर थोड़ा सा बचता है उसमें मेरा ऐसा विश्वास है कि प्रत्येक विधायक तो मकान नहीं लेंगे और मिलेंगे भी नहीं। उसका कारण यह है कि खुद का मकान है या और कई बातें हो सकती हैं। इसलिये कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं बचेगी। आप थोड़ा धैर्य रखें और मुझे कोशिश करने दें तो मैं आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सम्पत सिंह जी।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा सेकण्ड सप्लीमेंटरी है।

श्री उपाध्यक्ष : पहले उत्तर आ रहा है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : फिर आप दूसरे को पुकार रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं समझता हूं वर्ष के अन्त तक आपके लिये कुछ कर पायेंगे । (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आपने पहली बात यह कही कि कोई रिजर्वेशन नहीं होता । आपने यह भी कहा है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा पंजीकृत आवेदकों को प्राथमिकता के आधार पर मकान आरक्षित और आवंटित किये जाते हैं । यह कोटा रिजर्वेशन ही तो है ।

दूसरा, मैं यह कह रहा था जब 52 मकान आपके पास मानसरोवर योजना के अन्दर विधायकों के लिये बने हुए सुरक्षित हैं तो आप क्यों नहीं उनके लिये रजिस्ट्रेशन शुरू करते ? इसके लिये साल के अन्त तक समय लेने की क्या बात है ? यह तो टालने वाली बात है । जब 52 मकान उपलब्ध हैं तो आप क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन शुरू करते ? जो बाकी बचेंगे उनके लिए काम होता रहेगा । आप तो लाटरी से देते हैं । इसमें यह तो है नहीं कि एक को मिल गया और दूसरे को नहीं मिला । जितने मकान उपलब्ध हैं वे लाटरी से उनको मिल जायेंगे । बाकी बचेंगे उनके लिये दूसरा हो जायेगा ।

दूसरा, मैं जो 15·20 पत्रकार बचे हुए हैं, 1984 में जिन्होंने आपके पास रजिस्ट्रेशन कराया था उनको कब तक मकान दे दिये जायेंगे, यह भी स्पष्ट करें ।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सदस्य मैंने कहा कि जो कोटा था उस कोटे के हिसाब से 650 मकान मिलते थे और 660 हम आलरेडी दे चुके हैं ।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : जो भी योजनाएं होती हैं उनमें 2.5 प्रतिशत रिजर्वेशन होता है । मकान निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है । यह तो है नहीं कि हाउसिंग बोर्ड ने एक बार बना दिया और फिर गये 5 साल । यह तो निरन्तर चल रही है । कहीं कल्पतरू योजना चल रही है, कहीं सांगानेर में चल रही है, कहीं अग्रवाल फार्म में चल रही है । तो और योजनाओं में भी तो 2.5 प्रतिशत होगा ।

श्री भंवरलाल शर्मा : वैसे मैं आपसे सहमत हूं जो मकान हमारे पास आज की तारीख में उपलब्ध हैं उनमें यदि आरक्षण करके एम. एल. एज्. को इतनी संख्या में दे दिये जाय और बाकी लोगों को जब बन जाय तब दे दिये जाय । तो इस पर विचार कर लेंगे और यह संभव हुआ तो मुझे इसमें आपत्ति नहीं होगी ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सम्पत सिंह जी ।

श्री सम्पत सिंह (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के जो मूल निवासी हैं और सेना में जिन्होंने महावीर चक्र, परम-वीर चक्र और वीर चक्र जैसे पदक लिये क्या उन सब को जे. डी. ए. से या हाउसिंग बोर्ड से मकान दे दिये गये ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय परसादीलाल जी ।

श्री भंवरलाल शर्मा : इनका उत्तर दे दूं श्रीमन् । भूतपूर्व सैनिकों में मेरी सूचना के आधार पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको मकान नहीं मिला हो और यदि ऐसा कोई है तो आप मुझे सूची दे दें कि जिनका अधिकार है और उनको फिर भी नहीं मिल रहा है तो मैं समझता हूं कि उसको हम जल्दी से जल्दी देंगे ।

श्री सम्पत सिंह : मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चन यह किया है कि तीन स्पेसिफिक केटेगरी के लोग हैं सेना में राजस्थान के मूल निवासी, महावीर चक्र, परमवीर चक्र और वीर चक्र, जब उनको ही आपने निहाल नहीं किया, भूतपूर्व सैनिकों के नाम पर फिर वही घिस्सेबाजी, अब कौन आपको दरख्वास्त दे रहा है, अब तक उनको जमीन नहीं दी या मकान नहीं दिया, वह क्यों नहीं दिया, मैं तो यह पूछ रहा हूं । अब नाम दे दें, अब दरख्वास्त कर दें, क्या मतलब हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : देने की सहमति व्यक्त कर रहे हैं, आपके पास लिस्ट हो तो वह और मांग रहे हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, मैंने यह नहीं कहा है ।

श्री सम्पत सिंह : Why those gallantry awarded persons are not being given houses. It is contempt on their part.

श्री भंवरलाल शर्मा : सम्पत सिंहजी, आप सुनिये । मैंने यह निवेदन किया है, जो आरक्षण....

श्री सम्पत सिंह : पहले तो वहां जान गंवायें और आपको दरख्वास्त दें और पेट दिखाते फिर छह-छह महीने, साल-साल भर, आपको अब दरख्वास्त दे दें....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप जवाब सुनिये ।

श्री सम्पत सिंह : This is not a reply. मैंने तो यह पूछा कि आपने क्यों नहीं दिया उनको, जो स्पेसिफिक केटेगरी के इनाम लेने वाले हैं, जो देश की खातिर मरे....

श्री उपाध्यक्ष : इसका उत्तर तो सुनिये आप ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं दे रहा हूं उत्तर । मैंने यह निवेदन किया कि जो आरक्षण है वह भूतपूर्व सैनिकों के लिये है....

श्री सम्पत सिंह : भूतपूर्व सैनिक तो विशेष श्रेणी में आते हैं जिन्होंने इनाम लिये हैं, जो मर गये हैं या जो जिन्दा हैं उनको आपने अब तक नहीं दिया और अब आपकी + + + करें तब उनको आप मकान बख्शीश करेंगे ।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह बातें आप मेरी तरफ से मत कहिये, मैंने यह नहीं कहा है । मैंने आपसे यह निवेदन किया है कि मेरी जानकारी के आधार पर भूतपूर्व

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

सैनिकों या उनकी विधवाओं का हमारे पास कोई भी पेण्डिग मैटर नहीं है जिसको मकान नहीं दिया गया हो। मैं तो यह निवेदन कर रहा हूं आपको, अगर वह अप्लाई ही नहीं करेंगे....

श्री सम्पत सिंह : मैं कह रहा हूं कि है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कर रहा हूं कि अब तक उनको क्यों नहीं दिया गया और ऐसे लोग हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह कह रहे हैं दिये नहीं, मैं कह रहा हूं कि सब को दे दिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सम्पत सिंह जी, इस प्रश्न के माध्यम से इन्फोर्मेशन जानी जा सकती है, कोई डिबेट तो हो नहीं सकती।

श्री सम्पत सिंह : मैं क्यों बताऊं, जब इतना इन्फास्ट्रक्चर इनके पास है, वह बतायें कि अब तक क्यों नहीं दिये।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, उत्तर तो दे ही दिया गया है।

श्री सम्पत सिंह : Why should I supply the information? It is his duty.

श्री भंवरलाल शर्मा : मकान आवंटन की एक प्रक्रिया है। अगर कोई व्यक्ति यह मांग ही नहीं करता है या उसको कोई.... (व्यवधान)

श्री सम्पत सिंह : मंत्री नहीं, प्रधान मंत्री घर जाते हैं उनके और मंत्री तो उनके घर जाते हैं जिनके घर नहीं जाना चाहिये, या तो यह सीधे आपको निवेदन करें, उनको कितनी बार ताड़ना मिल चुकी सदन में और फिर यह नहीं मान रहे हैं, आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। क्या यह कोई प्रिविलेज क्लास है, क्या हम नहीं रहे हैं उनमें, क्या आगे नहीं रहेंगे।

श्री राजेन्द्रसिंह राठोड़ : आपके साथी रहे हैं।

श्री सम्पत सिंह : हमारे साथी रहे हैं इसलिये कुछ सीखना चाहिये था और क्या हम आगे नहीं रहेंगे? यह क्या मतलब है? Still he is laughing.

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आपने सिखाया ही यह है।

श्री उपाध्यक्ष : देखिये, आप आसन से बात करिये।

श्री सम्पत सिंह : मेरे प्रश्न की गम्भीरता को खत्म नहीं किया जाय मैं आपका और मुख्य मंत्री जी का संरक्षण चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय परसादीलाल जी।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने आपसे निवेदन किया है, आवासन मण्डल में मकान देने की एक प्रक्रिया है। उसमें जो आदमी इच्छुक है मकान लेने का, यह तो मिनिमम है, वह दरख्वास्त तो देगा या नहीं, आवेदन ही नहीं करेगा, अब अगर आवेदन नहीं

(श्री भंवरलाल शर्मा)

करेगा तो हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उसकी इच्छा हम जान लें कि यह व्यक्ति मकान लेना चाहता है और हमको देना चाहिये। उस प्रक्रिया में तो आना ही पड़ेगा उसको।

श्री सम्पत सिंह : मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि उन्होंने आवेदन किया है। अब आपने आवेदन मांगे, उन्होंने आवेदन किया है और फिर वह छोड़ दिये गये हैं इसलिये + + + नहीं कर सकते।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्पेसिफिक नाम तो बता नहीं रहे हैं, जनरल क्वेश्चन पूछ रहे हैं।

श्री सम्पत सिंह : मैं नाम बता दूंगा तो क्या मंत्री महोदय इस्तीफा दे देंगे या मैं दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : काहे का इस्तीफा दे देंगे।

श्री सम्पत सिंह : इतने गैलेन्टरी अवार्ड, नौनिहाल वीर चक्र, लिये हैं, महावीर चक्र लिये हैं, उनसे आप क्या चाहते हैं कि + + + करें।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं-नहीं, अप्लीकेशन तो देनी पड़ती है।

श्री सम्पत सिंह : अप्लीकेशन दे रखी है और फिर छोड़ दिये गये हैं....

श्री उपाध्यक्ष : वह बतायें आप।

श्री सम्पत सिंह : मैं पांच साल से सवाल कर रहा हूं और पुलिस में भी ऐसे हैं जो डाकुओं की गोली से मर गये हैं, उन तक को तो दिया नहीं आपने, मैं गम्भीरता से पूछ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराजिये। मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। हाउस भी गम्भीरता से ही ले रहा है आपके सवाल को।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि गम्भीरता से उत्तर मिल रहा है। आप अनावश्यक रूप से उत्तेजित हो रहे हैं। मैंने निवेदन किया है कि जो व्यवस्था है वह यह है। उसमें जो भूतपूर्व सैनिक हैं या उनकी विधवाएं हैं उनको हम मकान देते हैं और मैंने स्पष्ट कहा है कि यह जो भी लोग हैं उन सब को मिल गये हैं मेरी सूचना के हिसाब से, फिर भी यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी दरख्वास्त लगी है और रह गया है और वह उसका अधिकारी है तो बता दें मुझे, मैं दिला दूंगा उसको। उसमें कहां आपत्ति है।

श्री सम्पत सिंह : ऐसा तो हम भी बहुत कहते हैं कि बता दें, हम दे देंगे। तो अब स्पेसिफिक बातें कहें मंत्रीजी।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं-नहीं, उत्तर तो यही होगा। माननीय परसादीलाल जी।

श्री भंवरलाल शर्मा : या मैं पता कर लूंगा, वह रह गया होगा तो।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वर्तमान में जो विधायक है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, क्या आप उनका कोई दिन या कोई समय निश्चित करके रजिस्ट्रेशन एक साथ करवायेंगे। यदि करवायेंगे तो कब और जो वर्तमान विधान सभा के सदस्य हैं जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं, मकान नहीं मिले हैं उनको आप कब तक मकान दे देंगे। रजिस्ट्रेशन कब करवायेंगे और मकान आप कब तक देने का विचार रखते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक बात है। एक सवाल और पूछ रहे हैं माननीय जुबेर खां जी।

श्री भंवरलाल शर्मा : पहले इनका दे दूं श्रीमन्।

श्री उपाध्यक्ष : लास्ट है, एक ही साथ दे देना।

श्री जुबेर खां (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से यह निवेदन है कि जैसे आप हाउसिंग बोर्ड में मकान देते हैं और हाउसिंग बोर्ड में पूरे मकान नहीं होते हैं तो क्या जे डी. ए. में इस तरह के ट्रांसफर हो सकते हैं कि विधायक अगर लेना चाहें तो जे डी. ए. में उनको प्लाट दे दिये जायं आरक्षण के हिसाब से।

श्री भंवरलाल शर्मा : जी. ए. डी. की तो मुझे व्यवस्था मालूम नहीं है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं जे. डी. ए. कहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, जे. डी. ए.। जे डी. ए. में कोई मकान नहीं बनाते हम।

श्री जुबेर खां : मकान नहीं, प्लाट अगर कोई लेना चाहे तो।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अब आपने जो प्रश्न किया है, मैं जल्दी से जल्दी उसकी कोशिश करूंगा।

श्री परसादीलाल मीणा : कब तक करवायेंगे मंत्री महोदय, यह तो कह दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : शीघ्रातिशीघ्र।

श्री परसादीलाल मीणा : शीघ्रातिशीघ्र का कोई अन्त नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, सी. एम. साहब बोल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जहां तक विधायकों को हाउसिंग बोर्ड का भवन आवंटित करने का प्रश्न है, इस विधान सभा में जितने सदस्य आये हैं, उन सदस्यों को भी आवंटन किया जाय, नम्बर एक। भविष्य में विधान सभा के जो सदस्य आते हैं उनको भी आवंटन किया जाय, इस सम्बन्ध में जो कुछ भी व्यवस्था है सरकार उस पर पुनर्विचार करेगी। अभी इस प्रकार का प्रावधान नहीं है कि विधायक आ जाय, उनको मकान का आवंटन किया जाय। हम इसके बारे में सदन में विचार कर लें, कोटा में जो उन्हें मिलता है उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है लेकिन सारे विधायक

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

उससे कवर हो जायेंगे, इस प्रकार की स्थिति नहीं है। मैं समझता हूं कि सरकार इस पर विचार करेगी और आपसे भी अपने विचार जानना चाहेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री चम्पालाल बांठिया।

श्री केदारनाथ शर्मा (श्रीगंगानगर) : जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी हैं उनके लिए आपने केवल एक प्रतिशत रखा है। अच्छा तो यह होता कि उसकी अलग कॉलोनी होती और उसके नाम से ही कॉलोनी होती तो आपका ज्यादा अच्छा असर उस पर पड़ता।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, एक भी स्वतन्त्रता सेनानी नहीं बचा है जिसको आवास उपलब्ध नहीं हो रहा हो और अप्लाई किया हो। एक भी बचा हुआ नहीं है, सब को मिल चुका है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके कहने का मतलब हैं, उन सब को एक जगह करो।

श्री केदारनाथ शर्मा : कॉलोनी।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह तो सबको आवंटन हो चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब इस पर हो गया। माननीय श्री चम्पालाल बांठिया।

डा. चन्द्रभान : सुनिये। मैं यह कहना चाहूंगा कि जो लोग प्रीमियम लेकर····
(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जयपुर का सवाल है। नहीं-नहीं, जब आवे तब हाथ खड़े करो, ऐसे अलाऊ नहीं किया जा सकता।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : उपाध्यक्षजी, मैं यह जानना चाहूंगा कि····

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्षजी, जब आप अलाउ करें तो इधर भी कीजिए।

श्री राजेन्द्र गहलोत : जयपुर के अलावा जोधपुर-उदयपुर में भी यदि कोई विधायक या पत्रकार मकान चाहेंगे तो उनका आरक्षण किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डॉक्टर साहब।

डा. चन्द्रभान : मैं तो मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि जो इसका उद्देश्य है वही डिफिट हो रहा है क्योंकि मेरी जानकारी में भी और आपकी जानकारी से भी है, मैं कोई माननीय सदस्य और पूर्व सदस्य की नहीं कह रहा हूं, जिन लोगो को यह सुविधा मिल रही है उनमें से बहुत सारे लोग कब्जा ही नहीं लेते हैं और प्रिमियम लेकर बेच देते हैं, आजकल तीन-तीन लाख का प्रिमियम चल रहा है। क्या आपकी जानकारी में ऐसा कोई मामले आये हैं? नहीं आये हैं तो मैं आपको सूची दे सकता हूं। ऐसे लोगों के खिलाफ आप कोई कार्यवाही करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : ठीक बात है। माननीय मंत्रीजी।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : सनाढ्य साहब, प्लीज। अलाऊ नहीं किया जा सकता। आप बिराजिए। मैं अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : एक जयपुर का ही प्रश्न है श्रीमन्। राज्य कर्मचारियों से सम्बन्धित है। यह कि एक प्रतिशत जो लोग थे और यह एच. आई. जी.-टू में दिये थे और उन्होंने रुपये जमा करा दिये। उसके बाद उनकी तनख्वाह बढ़ गई तो एच. आई. जी.-वन में चले गये वह, उनको भी आज तक नहीं हुआ है, क्या उनको भी यह आवंटन किया जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : हां, बिराजिए। माननीय मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा : जोधपुर में आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, यह व्यवस्था राजस्थान में सब जगह लागू हैं,। आरक्षण की जो व्यवस्था है वह हाउसिंग बोर्ड की जहां-जहां स्कीम है सबमें लागू है।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह नहीं, इन्होंने पूछा है कि आप जयपुर में शुरू करते हैं तो आप यह ठीक समझते हैं कि जयपुर के साथ-साथ अगर सब जिलों में, जहां-जहां हाउसिंग बोर्ड की आपकी स्कीम चल रही है, वहां अगर एक साथ शुरू करते हैं तो जो माननीय सदस्य जिस जिले में हैं, अगर वह जिले में लेना चाहे तो पहले वह वापस ले ले और कोई नहीं चाहे कि मैं जयपुर में ही लूंगा तो वह जयपुर में ही साथ में ले लें। साथ में यह व्यवस्था होनी चाहिए ताकि माननीय सदस्यों को लेने के अन्दर सहूलियत हो।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह सुझाव काफी उपयुक्त है। ठीक लगता है मुझे. विचार करेंगे।

डा. चन्द्रभान : हमारे सवाल का जवाब दिया ही नहीं आपने।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए आप। उत्तर आ चुका है। चम्पालाल जी बांठिया।

डा. चन्द्रभान : मैंने नीतिगत सवाल किया था, जवाब ही नहीं दिया। मैंने नीतिगत सवाल किया है इसका जवाब चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सारी बातों के, नीतिगत सवालों के उत्तर नहीं दिये जाते हैं। बिराजिए आप।

डा. चन्द्रभान : आपने अलाउ क्यों किया सप्लीमेंट्री के लिए, आपको अलाउ नहीं करना चाहिए था। जवाब तो देना चाहिए इनको।

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिए। आपको सवाल पुछवा दिया, उत्तर देने के लिए.... माननीय श्री चम्पालाल बांठिया।

प्रश्न संख्या 663 (अनुपस्थितः कृपया आगे देखें)

माननीय श्री अर्जुनदास मदान।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 16 मार्च, 1992)

आयुर्वेदिक औषधालयों में रिक्त पद

392. श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री अर्जुनदास मदान)

(1) राज्य में कुल कितने आयुर्वेदिक औषधालय गत वर्ष खोले गये ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) औषधालय में गत वर्ष कार्य पर अनुपस्थित रहने के विशेषकर देहात क्षेत्रों में कितने मामले सामने आये और उन पर क्या कार्यवाही की गई।

(3) प्रदेश के औषधालयों में वैद्यों/कम्पाउण्डर्स और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों आदि के कितने पद रिक्त हैं ? उन्हें भरने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(4) राज्य में उपनिदेशकों, जिला आयुर्वेद अधिकारियों और उप जिला आयुर्वेद अधिकारियों के कितने स्थान रिक्त हैं तथा उन्हें अभी तक क्यों नहीं भरा गया है

आयुर्वेद मंत्री (श्रीमती विद्या पाठक) : (1) वर्ष 90-91 में 20 आयुर्वेदिक औषधालय खोले गये थे। सूची परिशिष्ट–1 सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) 102 मामले प्रकाश में आये जिन में से 88 देहाती क्षेत्रों के थे। उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही का ही विवरण परिशिष्ट-2 सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) वैद्यों के 35 नर्स / कम्पाउण्डर्स के 32 एवं परिचारक के 287 पद अब रिक्त हैं। वैद्यों और कम्पाउन्डरों के पद भरे जाने हेतु आवेदन पत्र शीघ्र ही आमन्त्रित किये जा रहे हैं एवं परिचारक के पदों को भरने हेतु सम्भागीय आयुक्तों को निवेदन किया गया है।

(4) उप निदेशक के 6 पद एवं जिला आयुर्वेद अधिकारी के 3 पद वर्तमान में रिक्त हैं। उप निदेशक के पद भरने पर उच्च न्यायालय द्वारा रिट संख्या 3150/91 दिनांक 24-10-91 में स्थगन आदेश दे दिया है।

जिला आयुर्वेद अधिकारी के पद के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा रही है।

उप जिला आयुर्वेद अधिकारी का कोई पद सृजित नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट—1 देखें)

श्री अर्जुनदास मदान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जब 102 केसेज विचाराधीन हैं उनमें से अभी तक केवल 15 लोगों के विपरीत ही कार्यवाही की गयी है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि 102 में से 15 लोगों के विपरीत ही कार्यवाही की गयी है ? बाकी आप देखेंगे कि केवल मात्र यही दर्शाया गया है कि प्रारम्भिक जांच के लिए दिये हैं, स्पष्टीकरण के नोटिसेस दिये गये हैं, चेतावनी दी गयी है, लघु दण्ड के अन्तर्गत हैं जबकि केवल मात्र लम्बित केस 15 को छोड़कर सारे लम्बित हैं और इसमें से कई केसेस ऐसे भी हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन कर दूं कि जैसे वैद्य हैं खुबीलाल जी यह जनवरी 90 से लेकर आज तक एक्सकाण्ड कर रहे हैं उनके विरूद्ध किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की गयी ? यह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं जनवरी 90 से

(श्री अर्जुनदास मदान)

लेकर आज देखिये 21 साल की अवधि बीत चुकी है किन्तु इन माननीय महोदय के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मैं दूसरा केस भी आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं घनश्याम बघूरिया हैं, इनके साथ एक शकुन्तला नाम की नर्स और शांति देवी नाम की चपरासन है यह 5 महीने तक 6 महीने तक निरन्तर एक्सकाण्ड करते चले गए और कार्यालय ने इनको निर्देश दिया कि आप वापिस आइये, ड्यूटी पर फिर भी नहीं आये। उसके उपरान्त तत्पश्चात् यह कार्यवाही की गयी कि न्यायालय की शरण ली गयी और न्यायालय ने भी मना कर दिया। वहां से न्यायालय ने यह कहा कि इनको उपस्थित मानकर इनको वेतन दिया जाये, लोगों ने नहीं माना। निर्णय हुआ कि इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए किन्तु उसके उपरान्त भी डायरेक्टर महोदय के निर्देशों के अनुसार 5 महीने तक अनुपस्थित रहने वाले आदमी की भी हाजिरी मानकर के तीनों लोगों की 40 या 50 हजार रुपये का राज्य को सरकार चूना लगाया गया याने नुकसान दिया गया उसका उत्तरदायित्व में पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदया बताने का कष्ट करें कि ऐसे-ऐसे लोग जो 21 साल से एक्सकाण्ड कर रहे हैं ऐसे लोग जो 5-6 महीने तक नहीं आते न्यायालय के निर्णय के उपरान्त भी और दोषी ठहरने के बावजूद भी वह वेतन पा लेते हैं क्या उनके खिलाफ कार्यवाही करने का विचार है विभाग का ?

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो नाम अलग-अलग बताये हैं और आपने यह भी फरमाया है कि न्यायालय के आदेशों के बावजूद भी और 21 साल तक अनुपस्थित रहने के बावजूद भी, विभाग ने कार्यवाही अभी तक लम्बित रखी है। इन दोनों केसेस को देखकर इसकी रेस्पान्सबिलिटी न केवल इन लोगों की बल्कि जिन्होंने इसमें सुपरवाइजरी निगलीजेन्स की है उनके ऊपर भी की जायेगी।

श्री रामनारायण वर्मा : जो आयुर्वेदिक औषधालय के पद रिक्त चले आ रहे हैं और जहां तीन-तीन और चार-चार साल से पद रिक्त हैं क्या अब पद भरते समय जहां ज्यादा समय से रिक्त हैं क्या उनको प्राथमिकता देंगे और नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे ? क्योंकि इन्टीरियर के गांवों में औषधालयों में आयुर्वेद चिकित्सक के पद भरने में कोताई बरती जाती है। यह प्रूव्ड है सब जगह आप मालूम कर सकते हैं।

श्री रामसिंह बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि प्रदेश में आयुर्वेदिक औषधालयों के अन्दर पहले तो वैद्य हैं ही नहीं और जो हैं वह वैद्य और उप-वैद्य दोनों भी मेडिकल का इलाज करते हैं याने सूई और इन्जेक्शन का इलाज करते हैं। समस्त जिलों के अन्दर। क्या आप इसके महत्व को जो पुराने जमाने में था उसको वापिस कायम करना चाहते हैं या इसकी उपयोगिता कम रही है गांवों के अन्दर ? एक तो आपने बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए खोले हैं तो हमें आपत्ति नहीं है वरना इसका एक रत्तीभर भी ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर और पूरे प्रदेश में कोई इसका

(श्री रामसिंह विश्नोई)

महत्व नहीं है। एसे कोई भी नाड़ी वैद्य नहीं हैं जो पुराने जमाने में इलाज करते थे। इसमें इलाज धीरे-धीरे होता था लेकिन इसका पूरा महत्व ही खतम कर दिया इसलिए आप इसकी उपयोगिता समझते हैं या नहीं ? अगर उपयोगिता नहीं है तो फिर ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर इनको रखने का क्या औचित्य है ? क्यों राज्य पर यह खर्चा किया जा रहा है ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत पूछना चाहता हूं क्या यह सही है कि राजस्थान के आयुर्वेदिक औषधालयों को जिला परिषदों के अधिनस्थ दे रखा है ? यदि हां, तो यह कब से और क्या यह सही है कि वेतन का भुगतान आदि जिला परिषदें 6–6 महीने तक नहीं करती हैं तो क्या सरकार करती है या विभाग करता है–इसको स्पष्ट करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 6-6 महीने तक वैद्यों को तनख्वाह नहीं मिलती है और वैद्यों को न तो जिला परिषदें मान रही है और न विभाग मान रहा है- सरकार इसका स्पष्टीकरण करें।

श्री अर्जुनदास मदान : उपाध्यक्ष महोदय, मैने जैसा निवेदन किया मेरे पास तालिका है लम्बी-चौड़ी भी तो केवलमात्र देगची के दो चावल बताये ये मंत्री महोदया को किन्तु आप यदि जानना चाहते हैं तो मैं नाम भी दे सकता हूं जैसे शंकरलाल नागौर में है, मदनलाल जी जयपुर में हैं, वैद्य सुमन हैं, वैद्य रमेश भट्ट हैं जो कि निदेशक महोदय के सगे भाई हैं—ऐसी कई तालिका हैं जो निरन्तर साल भर से एक्सकाण्ड कर रहे हैं। दो-दो साल तक एक्सकाण्ड करने वाले-व्यक्तियों के विरुद्ध भी विभाग यदि कार्यवाही नहीं करेगा तो अनुशासन कहां तक जीवित कर सकेगा यह परिकल्पना में आप पर ही छोडता हूं।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित (सुमेरपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड (1) में मंत्री महोदय ने बताया कि 20 औषधालय गत वर्ष नए खोले गए। मैं पूछना चाहता हूं कि इन नये खोले गए 20 औषधालयों मे से कितने औषधालयों में वैद्य, कम्पाउण्डर्स और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति कर काम करवाना शुरू करवा दिया गया है तथा कितने औषधालयों में अभी तक वैद्य या कम्पाउन्डर या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति किया जाना शेष है ? अगर है तो उनकी नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी और इन औषधालयों में कितनों के उपयोगी भवन हैं और कितनों के नहीं हैं ?

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पूछा कि पद भरने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में औषधालयों में जहां लम्बे समय से वैद्य नहीं है उनको प्राथमिकता दी जायेगी या नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं पहले भी सदन में कह चुकी हूं कि कुछ पद नियुक्तियों की वजह से नये खाली हैं बाकी कुछ व्यवस्थाओं में भी गड़बड़ी रही है। हमारी जनवरी, 92 तक इन सब पदों को भर दिया जायेगा। आपने यह कहा कि कई स्थानों पर वैद्य नहीं हैं और वैद्य हैं पर वह मेडिकल का इलाज करते हैं पर माननीय उपाध्यक्ष महो-

(१५)

(श्रीमती विद्या पाठक)

दय यह तो एक जानी हुई बात है कि आजकल जैसे एलोपैथी कम्पनीज भी कई आयुर्वेदिक दवाइयां बनाती हैं पर यह इसका कोई जस्टीफिकेशन नहीं है कि वैद्य लोग एलोपैथी की दवाई करें। उसके लिए सख्त हिदायत है कि एलोपैथी की न होकर वैदिक की ही दवाई इस्तेमाल की जाये। इस तरह का यदि कोई केस पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। आपने यह भी फरमाया है कि जिला परिषदों के अधीन होने के नाते 6-6 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती है तो तनख्वाह नहीं मिलना बहुत गम्भीर बात है और जिला परिषदों के अन्तर्गत तो वह औषधालय हैं नहीं मगर इनको तनख्वाह किस वजह से नहीं मिल रही है यह केस टू केस डिफर करता है और इसको दिखाना पड़ेगा। आप कोई स्पेसिफिक केस देंगे तो उसके लिए विशेष तौर से देख लेंगे। वैद्य जो लम्बे समय से गायब रहते हैं या भवन नहीं हैं तो वह तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय भवन तो बनाने की सरकार की नीति नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण लोग ही भवन उपलब्ध करवाते हैं तब औषधालय खोले जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री अर्जुनदास मदान।

श्री रामसिंह विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जवाब ही नहीं दिया। आप इस पद्धति को लागू करना चाहते हैं क्या ?

श्रीमती विद्या पाठक : इस पद्धति को हम बढ़ाना चाहते हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : बढ़ाना चाहते हैं बातों से करना चाहते हैं या कार्य रूप में भी परिणत करना चाहते हैं ?

श्रीमती विद्या पाठक : आप लोगों के सब के सहयोग से बढ़ाना चाहते हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप गोलमाल जवाब दे रहे हैं। आपके पास जानकारी नहीं है। यह पद्धति ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर फलीभूत हो और इसका जो महत्व था हमने इसको गवा दिया है। आप वापिस किस प्रकार इसको उजागर करेंगे ? क्या आप की स्कीम है ?

श्री उपाध्यक्ष : बहुत बड़ा डिबेट का सवाल है माननीय रामसिंह जी,

श्री रामसिंह विश्नोई : इसमें सरकार को कितना खर्च करना पड़ता है। एक वैद्य है कम से कम 10–20 हजार रुपया महीने का खर्च होता है और सैकड़ों हजारों आपने संस्था खड़ी कर रखी हैं और इलाज करते नहीं हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जब आयुर्वेद विभाग है और आयुर्वेद पद्धति को प्राथमिकता दी ही जानी चाहिए और यह हमारी शान बननी चाहिए व्यवस्थाओं में और टैक्नीकली भी यह चैलन्ज है वैद्यों के लिए भी और इस साइन्स से जुड़े हुए लोगों के लिए भी और इस व्यवस्था को देखने वाले लोगों के लिए भी कि वह इस की व्यवस्था को सुचारू रूप से सुनियोजित रूप से इसकी व्यवस्था करें। एक कमेटी बनाई है जिसमें नान-गवर्नमेंटल

(श्रीमती विद्या पाठक)

जो एक्सपर्ट्स होंगे आयुर्वेद से जुड़े हुए उनको इसमें रखकर औषधि निर्माण वितरण में कैसे सुधार किया जा सकता है····यह कार्यवाही हम बहुत जल्दी करने जा रहे हैं। इस कमी का सरकार को अहसास है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री अर्जुन दास मदान।

श्री अर्जुनदास मदान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय····

श्री उपाध्यक्ष : सवाल पूछिये न आप।

श्री अर्जुनदास मदान : जो विवरण दिया है उसके बावजूद····

श्री उपाध्यक्ष : इसमें और चल रहे हो क्या आप ?

श्री अर्जुनदास मदान : नहीं श्रीमान्, मैं तीसरे खण्ड में प्रश्न कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो सारा स्पष्ट विवरण दिया हुआ है। कितने सस्पेण्ड हुए हैं ? कितनों की जांच चल रही है, कितनों को 16 सी. सी. ए. का नोटिस दिया हुआ है ?

श्री अर्जुनदास मदान : माननीय मेरा निवेदन सुन लीजिएगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपने कुछ स्पेसिफिक नाम लिये, उनके बारे में कह भी दिया····

श्री अर्जुनदास मदान : मैं तीसरे के बारे में एक छोटा-सा····(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : तारांकित प्रश्न आ जाते हैं और माननीय सदस्यों के आते ही नहीं हैं····

श्री उपाध्यक्ष : यह तो लाटरी का प्रश्न है।

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं, यह अच्छी बात नहीं है। आप इसकी जांच करवायें। जिस प्रकार एक-एक माननीय सदस्य····(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विश्नोई साहब, यह लाटरी का सवाल है। अलग-अलग विभाग का सवाल है।

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं, अलग-अलग प्रश्न क्या है ? आप यह बताइये, एक माननीय सदस्य के एक दिन में ही 2 प्रश्न आ जाते हैं····

श्री उपाध्यक्ष : तो लाटरी से निकलते हैं, क्या करें।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह अच्छी बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, मदान साहब, बोलिये।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप जांच करें कौन अधिकारी है जो इसमें दोषी है ? उनके खिलाफ कार्यवाही करें बाकायदा।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें मैं समझता हूं लाटरी में तो कोई दोष नहीं होना चाहिए। अलग-अलग विभाग हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : दो अलग-अलग हैं तो....(व्यवधान)....एक माननीय सदस्य का एक दिन में एक ही प्रश्न आता है। यह पुरानी व्यवस्था है।

श्री अर्जुनदास मदान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहते हुए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यह लूणी से आने वाले माननीय सदस्य का कम से कम मैं अपने स्तर पर स्पष्टीकरण दूंगा....

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं, आपका विरोध नहीं है।

श्री अर्जुनदास मदान : मेरा विरोध नहीं है। मेरा यह जो प्रश्न है....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एक प्रश्न तो स्थगित प्रश्न....(व्यवधान).... जहां लग जायेगा स्थगित थोड़े ही है।

श्री उपाध्यक्ष : पहला सवाल स्थगित था।

श्री अर्जुनदास मदान : दो-दो प्रश्न इसलिए आये हैं कि यह मेरा स्थगित प्रश्न है, जो अभी कर रहा हूं...

श्री उपाध्यक्ष : पहला स्थगित सवाल था अब....

श्री अर्जुनदास मदान : आप मेरा निवेदन सुन लीजिएगा मान्यवर, यह स्थगित प्रश्न ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, आप क्या कह रहे हैं ?

श्री अर्जुनदास मदान : मैं एक छोटा-सा निवेदन यह कर रहा हूं कि जो स्थान रिक्त बताये गये थे, माननीय, इसमें कई ऐसे भी स्थान होंगे जहां वैद होगा, कम्पाउण्डर होगा, परिचारक होंगे, मान लीजिएगा किसी कम्पाउण्डर की स्थान रिक्त हैं....

श्री उपाध्यक्ष : यह क्या सवाल है ?

श्री अर्जुनदास मदान : और डाक्टर चला गया, या वैद्य छुट्टी पर चला जाय तो क्या चपरासी दवाई देता है ? और अगर चपरासी की जगह खाली है तो क्या झाड़ू लगाने का काम या पानी भरने का काम कम्पाउण्डर करता है ?

श्री उपाध्यक्ष : It is not relevant. आपने जो जानकारियां पूछी, झाड़ू वाले पर, कभी वैद्य पर, कभी कम्पाउण्डर पर आ गये। यह कोई सवाल है क्या ?---(व्यवधान).... नेक्स्ट। माननीय अर्जुनदास जी। नेक्स्ट।....(व्यवधान)...

राज्य के संग्रहालय एवं पुरातात्विक स्थल

664. **श्री अर्जुनदास मदान** (लाडपुरा) : क्या पुरातत्व एवं संग्रहालय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कुल कितने संग्रहालय एवं पुरातात्विक स्थल हैं ?

(2) इनमें से कितने संग्रहालयों पर सशस्त्र सुरक्षा प्रहरी हैं ?

(3) क्या विभाग के सभी पुरातात्विक स्थलों पर चौकीदारी की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) जिन संग्रहालयों पर सशस्त्र सुरक्षा प्रहरियों की व्यवस्था नहीं हैं, तो क्या

(श्री अर्जुनदास मदान)

सरकार इस दिशा में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) संग्रहालयों में मूर्ति की चोरी की घटनायें वर्ष 1991-92 में कहां-कहां हुई और क्या कार्यवाही की गई ?

कला एवं संस्कृति मंत्री (सुश्री पुष्पा जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, (1) राज्य सरकार के अधीन 18 संग्रहालय, 2 कला दीर्घाएं तथा 222 स्मारक एवं 44 पुरातात्विक स्थल हैं।

(2) तीन संग्रहालयों में।

(3) जी नहीं।

राज्य सरकार के सीमित वित्तीय साधनों के कारण अभी तक 80 स्मारकों/स्थलों पर ही चौकीदारों की व्यवस्था हो पाई हैं।

(4) जी हां।

उपलब्ध साधनों के आधार पर शनैः शनैः यह व्यवस्था करना सम्भव होगा, उदाहरण के लिये कोटा संग्रहालय में 1992-93 में सुरक्षा प्रहरी तैनात करने का प्रस्ताव है।

(5) गत पांच वर्षों में संग्रहालयों से कोई मूर्ति की चोरी नहीं हुई हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अर्जुनदास मदान।

श्री अर्जुनदास मदान : माननीय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि दिन प्रति दिन अखबारों में, दूसरे माध्यमों से भी हमको यह सूचना मिलती है कि फलां संग्रहालय में चोरी हो गयी, वहां से कोई वस्तु चुरा ली गयी। क्या इस पर कोई राज्य सरकार निश्चित रूप से विचार रखती है कि निरन्तर बढ़ने वाली चोरियों पर नियंत्रण पाने के लिए केवल 18 में से 3 संग्रहालयों में प्रहरी रखे जायेंगे बाकी स्थानों पर चौकीदारों की व्यवस्था होगी ? अभी जयपुर में भी चोरी हुई और भी स्थानों पर चोरी हो जाती है तो क्या यह सुविधा पर्याप्त है ? क्या निरन्तर होने वाली चोरियों को ध्यान में रखते हुए....

श्री उपाध्यक्ष : आप स्पेसिफिक सवाल पूछ लीजिए। यहां तो प्रश्न काल में सवाल पूछे जाते हैं।

श्री अर्जुनदास मदान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल मात्र आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि 3 पर चौकीदार हैं तो 15 पर क्यों नहीं ? सबसे पहला तो मेरा प्रश्न यह है।

श्री कालीचरण सराफ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि ...

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, कालीचरण जी। पहले प्रेमसिंह जी दहिया।

श्री प्रेमसिंह दहिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में पुरातात्विक महत्व की जो सामग्री

(श्री प्रेमसिंह दहिया)

खुदाई में निकलती है वह संग्रहालय तक लाने की सरकार क्या व्यवस्था करती है ? हमारा भीनमाल बहुत पुराना नगर है। इसमें सूर्य मंदिर हजार साल पुराना है, वहां पर खण्डित है। यह ऐतिहासिक व पुरातात्विक महत्व का है उसके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कालीचरणजी, पहले प्लीज उत्तर आने दीजिए।

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक साथ उत्तर नहीं दे पाऊंगी। प्लीज एक-एक पूछें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कालीचरणजी, पहले उत्तर आने दीजिए।

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि सभी संग्रहालयों पर सुरक्षा प्रहरी होने चाहिए लेकिन राज्य सरकार के सीमित संसाधनों को देखते हुए इसमें 3 में इसलिए सुरक्षा प्रहरी हैं क्योंकि यहां हथियार, पेंटिंग्स, बहुत बेश-कीमती चीजें हैं अतः इसमें 3 में सुरक्षा प्रहरी हैं। यद्यपि राज्य सरकार इस चिन्तन में है कि भविष्य में हम अपने संसाधनों को और थोड़ा-सा जुटा कर दूसरे संग्रहालयों में भी सुरक्षा प्रहरी रख सकें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कालीचरण जी।

श्री कालीचरण सराफ : मेरा प्रश्न यह है कि जयपुर के अल्बर्ट हाल में जो अभी चोरी हुई और वह बरामद भी हो गयी; तो क्या यह चोरी क्यों हुई, इसके कारणों की कोई जांच की जा रही है ? और इस प्रकार की घटना भविष्य में नहीं हो, इसके लिए क्या कदम सरकार ने उठाये हैं जिससे इस घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में न हो ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना हूं कि शेष जिलों में जहां संग्रहालय नहीं हैं, राज्य सरकार कब तक संग्रहालय उन जिलों में खोल देगी तथा हमारे प्रदेश से बहुत-से पेंटिंग्स, मूर्तियां आदि चोरी-छिपे राजस्थान से नहीं बल्कि देश से बाहर जा रही हैं उस पर रोक लगाने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजाद।

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या कर रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : एक सवाल और है। जनरल सवाल पूछ रहे हैं कोई इस प्रकार नहीं है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने उक्त प्रश्न के खण्ड संख्या 5 में यह उत्तर दिया कि संग्रहालयों से मूर्तियों की चोरी नहीं हुई, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या मूर्तियों के अलावा अन्य वस्तुओं की चोरियां हुई ? और इसमें से कितनी

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

चोरियां बरामद कर ली गयी ? और जो चोरी गया सामान बरामद हुआ उसका जो ओरीजनल शेष था, जो उसका मूल स्वरूप था, जिसके लिए वह संग्रहालय में रखी गयी थी उसको भी नष्ट किया गया था, चाहे वह जयपुर के अलबर्ट हाल का हो, क्या आप उसको वापस वैसा ही करवा कर के रखना चाहेंगी ? और दूसरे जिलों में भी कई पुरानी ऐसी पुरातात्विक महत्व की चीजें उपलब्ध हैं इसके लिए आपकी क्या योजना है ? कैसे उनको प्रोत्साहित कर के आप संग्रहालय में स्थापित करेंगी ?

श्री उपाध्यक्ष : डा. जितेन्द्र सिंह ।

श्री कालीचरण सराफ : प्रश्न का जवाब तो आने दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष : आ रहा है, अभी एक साथ ही आ रहा है ।

श्री जितेन्द्र सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया के जानकारी में लाना चाहूंगा कि जैसलमेर जिले में ओला ग्राम के एक चन्दन सिंह नाम के चौकीदार विभाग में नियुक्त किये थे वहां के ऐतिहासिक स्थलों की चौकीदारी करने के लिए । उनको करीब 7 वर्ष तक तो वेतन ही नहीं दिया गया क्योंकि उनको मृत घोषित कर दिया गया जब कि वे हृष्ट-पुष्ट, बलिष्ठ और घूमते-फिरते व्यक्ति थे । पिछले वर्ष मैंने उनको लाकर निदेशक महोदय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित किया तो उनको वेतन की स्वीकृति मिली और उनको मात्र 30 रुपए माहवार वेतन दिया जा रहा है । क्या आज के परिप्रेक्ष्य में यह न्यायोचित है ? क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि पार्ट टाइम चौकीदार को भी केवल 30 रुपए, एक रुपया रोज देना उचित है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह मामला संग्रहालय में रखने काबिल है ।

सुश्री पुष्पा जैन : जैसलमेर से आने आने वाले माननीय सदस्य ने जो तथ्य सदन में दिये हैं निश्चित रूप से बहुत गम्भीर हैं । इस सदन को इस बात में कहना चाहती हूं कि इस मामले की मैं निश्चित रुप से जांच कराऊंगी जिसमें लोगों की वजह से एक जिन्दा व्यक्ति को मृत घोषित किया गया और उसकी तनख्वाह रोकी गयी । उनके खिलाफ निश्चित रुप से कार्यवाही की जायेगी और इस पहलू को भी देखा जायेगा ।

दूसरे माननीय सदस्यों ने कुछ प्रश्न किये हैं, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ तो आज के प्रश्न से सम्बन्धित हैं लेकिन कुछ क्योंकि सम्बन्धित नहीं है लिहाजा मैं पूर्णतः तो उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाऊंगी, मैं यही कहना चाहती हूं कि इसमें एक लम्बे समय से कुछ अजीब-सी परापरायें, कुछ अजीब-से नियम चले आ रहे हैं । मैं स्वयं भी कई चीजों को देखकर बड़ी स्तब्ध हूं । मैं अभी उदयपुर में गयी थी । कुछ स्थान मैंने देखे जो बिल्कुल खण्डहर हैं लेकिन

(सुश्री पुष्पा जैन)

ऐतिहासिक महत्व के कारण उन पर चौकीदार रखा हुआ है। कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहां चौकीदार की आवश्यकता है लेकिन सीमित संसाधनों के कारण वहां चौकीदार नहीं है, इन सारी चीजों को मैं निश्चित रूप से देख रही हूं। हमारा यह प्रयास होना चाहिए, हमें व्यावहारिक होना चाहिए कि जहां ऐसे स्थान हैं जो निजी लोगों के हाथों में हैं, जैसे नायला दुर्ग, यह ओबेराय के हाथ में है लेकिन वहां चौकीदार रखा हुआ है। तो यह सारी विसंगतियां हैं, इन विसंगतियों से अपन को निकलना पड़ेगा। मैं इतना ही शायदा करना चाहती हूं और इस सदन से यह मार्ग दर्शन भी चाहती हूं, अनुमति भी चाहती हूं कि अगर आप कहें तो इन चीजों को वापस से देखा जाय और जो उचित और सही और व्यावहारिक हो उसी पर कार्यवाही की जाय ताकि सरकार का पैसा भी बच सके और सही स्थानों की सुरक्षा भी हो सके और सही लोगों को उसका सही पारिश्रमिक भी मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मदान साहब, क्या पूछ रहे हैं आप और ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : अगर नियमों में अव्यवहारिकता आपने समझी है तो आप संशोधन लेकर आयें।

श्री उपाध्यक्ष : हां तो वह कह रही हैं, कुछ मामले ठीक करेंगे। वह तो खुद ही कह रही हैं व्यवस्था को सुधारेंगे।

श्री कालीचरण सराफ : मैंने जो प्रश्न पूछा कि अलबर्ट हाल में पुनः कोई चोरी नहीं हो इसके लिये क्या व्यवस्था है, प्रश्न का जवाब नहीं दिया।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : हमारे सवाल का जवाब नहीं आया है, जो अन्य स्थानों पर चोरी हुई है ...

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार का सवाल नहीं पूछा गया है, माननीय सदस्य।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं नहीं, चोरी का पूछा गया है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो स्पेसिफिक सवाल है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : पांचवां खण्ड देखिये आप, चोरी का सवाल पूछा गया है।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड देख लिया मैंने।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : प्रश्न का खण्ड पांच, तो मैं यही तो पूछ रहा हूं कि मूर्तियों के अलावा और चीजों की चोरी हुई है, वह तो बताओ आप।

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, अलबर्ट हाल में जो चोरी हुई थी उसको राज्य सरकार ने बहुत गम्भीरता से लिया है और यही कारण है कि उस चोरी को बरामद भी किया जा सका। मैं निश्चित रूप से सदन में इस बात को कह सकने में समर्थ हूं कि अलबर्ट हाल के साथ-साथ सभी संग्रहालय, जहां राज्य सरकार के बेशकीमती सामान रखे हुए हैं, के बारे में राज्य सरकार ने किया है और हमने इस सम्बन्ध में गृह विभाग से भी वार्तालाप

(सुश्री पुष्पा जैन)

किया है। उनकी सुरक्षा के लिये हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि कोई कमी ना रहे। फिर भी अगर माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में और भी सुझाव देना चाहेंगे तो हमें उसे स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट, माननीय श्री नन्द किशोर शर्मा।

श्री अर्जुनदास मदान : मान्यवर, आपने मेरा नाम पुकारा, एक बहुत संक्षिप्त प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या रह गया आपका ?

श्री अर्जुनदास मदान : मेरे मूल प्रश्न के खण्ड चार में माननीय मंत्री महोदया ने यह बताया कि 92-93 में कोटा के अन्दर सुरक्षा प्रहरी की नियुक्ति कर दी जायगी। मैं माननीय मंत्री महोदया से यह जानकारी लेना चाहूंगा कि कर दी जायगी तो कब तक कर दी जायगी ?

श्री उपाध्यक्ष : कोटा वाला पूछ रहे हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : 92-93 एक वर्ष होता है, मैं इसको बहुत जल्दी ही कर दूंगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री नन्दकिशोर जी शर्मा।

खानपुर (झालावाड़) क्षेत्र के आयुर्वेदिक औषधालय

665. **श्री नन्दकिशोर शर्मा** (छबड़ा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर में कितने आयुर्वेदिक औषधालय हैं और कितने नये औषधालय हैं जो इस वर्ष खोले गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र छबड़ा के मोतीपुरा चौकी एवं दीलोद में भी नये आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाने प्रस्तावित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आयुर्वेद मंत्री (श्रीमती विद्या पाठक) :

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर, जिला झालावाड़ में वर्तमान में 14 आयुर्वेद औषधालय संचालित हैं। चालू वित्तीय वर्ष 1991-92 में आर्थिक संकोच के कारण यहां कोई नवीन औषधालय खोला जाना सम्भव नहीं हो पाया।

(2) जी नहीं। बजट के सीमित संसाधन के संदर्भ में आगामी वर्ष में खोला जाना सम्भव नहीं हो सकेगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : 14 में खोल दिए और कितनों में खोलोगे आप ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शर्माजी, पूछिये।

श्री नन्दकिशोर शर्मा : मेरा पूछना है, नये औषधालय खोलने का क्या मापदंड है ? हमारे यहां सबसे कम औषधालय हैं। चार ही औषधालय हैं पंचायत समिति में। दो तीन साल से जो मांग कर रहे हैं तो फिर अब तक क्यों नहीं खोले गये ? दूसरी बात है, तीन औषधालय पचपाड़ा, बटवादा पाल झंझली करीब नौ माह से पूर्णतया बंद हैं, कोई भी नहीं है। उनकी

(श्री नन्दकिशोर शर्मा)

शिकायत भी बार-बार की गयी है लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। न वहां कोई लगाया। यह कब तक हो जायेगा ?

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तीन औषधालय बंद क्यों हुए, क्या बात थी, यह तो मुझे मालूम करना पड़ेगा। अगर किसी व्यवस्था की वजह से बंद हैं तो वह बहुत जल्दी आरम्भ कर दिये जायेंगे। आपने कुछ औषधालय खोलने की मांग के विषय में कहा है, तो मैं पहले कह चुकी हूं कि आर्थिक संकोच के कारण अभी सम्भव नहीं होगा। मापदंड तो, उपाध्यक्ष महोदय, अगर गांव में आर्थिक प्रोविजन होता है, बजट प्रोविजन होता है उस आधार पर जहां कम औषधालय होते जाते हैं उनमें प्राथमिकता दी जाती है, ट्राइबल एरिया को प्राथमिकता दी जाती है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या जानना चाह रहे हैं आप ?

श्री नन्दकिशोर शर्मा : मैं बता रहा हूं, जो बंद हैं उनकी शिकायत है, यानि वह जाते ही नहीं हैं वहां।

श्री उपाध्यक्ष : उसका नाम तो बताओ, किसकी शिकायत है।

श्री नन्द किशोर शर्मा : पचपाड़ा औषधालय के तीनों नहीं जाते। वैध भी नहीं जाता है, उप वैध भी नहीं जाता है और वह एक चपरासी रहता है, वह भी अकेला रहता है।

श्री उपाध्यक्ष : पचपाड़ा ?

श्री नन्दकिशोर शर्मा : पचपाड़ा। बटवादा पाल की पहले भी लिखित में दी पर नौ माह से कोई नहीं है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक बात है। माननीय मंत्रीजी।

श्री नन्द किशोर शर्मा : एक झंझनी का ट्रांसफर हो गया, उसके बाद वहां कोई लगाया नहीं।

श्रीमती विद्या पाठक : इसकी व्यवस्था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत जल्दी ही कर दी जायगी। अगले तीन माह के भीतर इनके तीनों औषधालयों में पूरा स्टाफ पहुंच जायगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, जहां नहीं जाते, जहां का प्रश्न नहीं पूछते वहां क्या करेंगे आप ? यहां तो कर देंगे आप प्रदेश के अन्दर जहां खाली जगह है, प्रश्न हम नहीं पूछ पाते हैं उसके लिये भी आप थोड़ा कहेंगे क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : स्पेसिफिक ध्यान में तो लाना पड़ेगा, माननीय सदस्य।

श्रीमती विद्या पाठक : व्यवस्था करेंगे जरूर।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामस्वरूप मीणा।

टोडाभीम क्षेत्र के विद्यालयों में अध्यापकों के स्वीकृत एवं रिक्त पद

666. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या शिक्षा मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में छात्र व छात्राओं के उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं ? किस-किस विधालय में कितने पदों पर अध्यापक कार्यरत हैं और कितने-कितने पद रिक्त हैं ? श्रेणी सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

(3) क्या सरकार कन्या शाला टोडाभीम को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

शिक्षा मंत्री : (1) टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में उच्च प्राथमिक एवं सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों के स्वीकृत पद निम्नानुसार है:–

सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय व्याख्याता 46, वरिष्ठ अध्यापक 36, अध्यापक 23.

उच्च प्राथमिक विद्यालय व्याख्याता कोई नहीं, वरिष्ठ अध्यापक 45, अध्यापक 270 अध्यापकों कार्यरत एवं रिक्त पदों की श्रेणीवार सूची सदन की मेजपर रख दी गयी है।

(2) जी हां। प्रथम वेतन श्रृंखला के पद तदर्थ रूप से की स्वीकृति एवं लोक सेवा आयोग से चयनित की सूची उपलब्ध होने पर भरे जा सकेंगे। शेष पद भरने की प्रक्रिया जारी है।

(3) वर्ष 1991-92 के लिये क्रमोन्नित के लक्ष्य पूरे हो चुके हैं। 92-93 के लिये क्रमोन्नत किये जाने की प्रक्रिया मई-जून में शुरू की जायगी, उस समय इस पर विचार किया जा सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरे मंत्री महोदय से रिक्त हैं, वर्ष वाइज जानकारी दी जाय, साहब, सदन को ?

दूसरा मेरा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, लोक सेवा आयोग से चयनित की सूची प्राप्त होगी, यह सूची कब से प्राप्त नहीं हुई है ? तीसरा प्रश्न है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा, शेष पद भरने की प्रक्रिया क्या है ? आपने उत्तर दिया है, प्रक्रिया जारी है तो वह क्या प्रक्रिया जारी है, माननीय मंत्री महोदय यह बतायें।

चौथा मेरा प्रश्न है, माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी मेरा निवेदन है प्रश्न के जरिये, हमारी इस शाला को क्रमोन्नत करने के लिये हमारा एक डेपूटेशन माननीय मुख्य मंत्रीजी से मिला था, मंत्री महोदय तो हमको कुछ आज तक आश्वासन भी नहीं दे सके + + + किसी प्रकार का,

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

माननीय मुख्य मंत्रीजी से हमारा एक डेपुटेशन सैक्रेटेरिएट में जाकर मिला था, हमने कागज पेश किये थे, श्रापने/एक मशीन के पास हमको भेजा था कि इस मशीन पर जाकर तुम्हारे यह कागज रख दो, तुम्हारा नम्बर श्रा जायगा तो तुम्हारा निश्चित रूप से क्रमोन्नत कर दिया जायगा, वह मशीन कौनसी है, मुख्य मंत्री महोदय श्रौर हमारा नम्बर क्यों नहीं श्राया, मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना बता देऊं, माननीय सदस्य सदन में बोल रहे हैं, मैंने कभी भी श्रापको यह नहीं कहा कि कागज मशीन में रख देश्रो।

श्री रामस्वरूप मीणा : कोई कम्प्यूटर होगा या क्या मशीन थी, श्रापने बतायी थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : न कम्प्यूटर का नाम लिया, न किसी मशीन का नाम लिया कम से कम यहां जिम्मेदारी से तो बात करें।

श्री रामस्वरूप मीणा : स्कूल तो, साहब, खोल दिया जाय मेरे यहां।

श्री उपाध्यक्ष : तो यों कोई इस प्रकार होता है। गलत बात कह रहे हैं। माननीय मंत्रीजी।

श्री हरिकुमार श्रौदिच्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने चार प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न है कि यह पद कब से रिक्त हैं। मैं इसमें निवेदन करना चाहूंगा, इनके विधान सभा क्षेत्र में कुछ 420 पद हैं जिसमें 17 पद रिक्त हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : स्पष्ट बोलो, साहब।

श्री हरिकुमार श्रौदिच्य : चार, दो, जीरो। यह इन्होंने जो रिक्त पद की चाही है, जो मेरे पास उपलब्ध है, तिथि पूछी है श्रापने, नागलपाड़ी का एक पद 10/90 से, एक 11/90 से श्रौर एक 2/91 से है। चार पद जो गुढ़ाचन्द्रजी के हैं, यह पिछले चार छह महीने से खाली हुए हैं। दूसरे जो श्रलग पद हैं श्रापके थर्ड ग्रेड के, इस बारे में तीन पद हैं, यह भी पिछले चार-छह महीने के हैं। उसमें भी मुश्किल से डेढ़ प्रतिशत पद श्रब रिक्त रहे हैं बाकी सब भर दिये गये हैं दूसरा सवाल श्रापका है, लोक सेवा श्रायोग से। जो ज्यादा पद रिक्त हैं व्याख्याताश्रों के, इस बारे में 407 पद भरने के लिये 23-4-91 को लोक सेवा श्रायोग को लिखा है। उन्होंने 25-8-91 को एप्लीकेशन इन्वाइट करली हैं। श्रब हम हर महीने उनको पत्र लिखते हैं कि जल्दी से जल्दी इन पदों को भरें। उनकी सूची हमारे पास श्रायेगी, श्राने के बाद 15 दिन के श्रन्दर श्रन्दर इनके पदों को भर देंगे। श्राज से दो दिन पहले भी श्रौर स्थानों की मांग श्रायी थी, पी. एस. सी. को भी लिखा है कि इन पदों के बारे में शीघ्र हमको केंडीडेट उपलब्ध कराये। तीसरी बात श्रापने कही, शेष भरने की प्रक्रिया क्या है। वह प्रक्रिया तो श्रापसे

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

अर्ज कर दी। चौथी, क्रमोन्नत के बारे में आपने बात कही। क्रमोन्नत के बारे में जहां तक प्रश्न है, इस स्कूल के बारे में मेरे से कभी जिक्र आया नहीं। फिर भी मैं आपसे यह कहता हूं कि जो नार्म्स हमने तय कर रखे हैं....

श्री रामसिंह विश्नोई : इन्होंने मुख्य मंत्रीजी से शिकायत की, आपको कहना चाहिये था डायरेक्ट।

श्री हरिकुमार औदिच्य : नहीं, वह तो आपसे कह देते।

श्री रामसिंह विश्नोई : आपसे कहना चाहिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : कन्या शाला टोडाभीम के बारे में बता दीजिये।

श्री हरिकुमार औदिच्य : उसी के बारे में अर्ज कर रहा हूं, इस बार कब खोलेंगे। मैंने वहां के डेटाज मंगा लिये हैं और उसको मैं इस वर्ष में जो हमारी प्रक्रिया है उसको देखकर पूरी कोशिश करूंगा कि इस वर्ष चालू करें।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसकी घोषणा कर दो, साहब, यह तो जब आपने देख लिया, कागज, डेटाज आपके पास आ गये, सारे उपलब्ध हो गये आपके पास रिकार्ड और उसके बाद भी आपने आज तक नहीं किया। 12 साल से मेरे यहां पड़े हुए हैं पद।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल गये ना, बैठिये आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : 12 साल से मेरे पद रिक्त पड़े हुए हैं अध्यापकों के, उनको कब तक भरा जायगा?

श्री उपाध्यक्ष : अमीन खां जी क्या पूछ रहे हैं आप। वह कह दिया, जल्दी भर दिया जायेगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : 12 साल से जो पड़े हुए हैं। अभी आपने बताया खाली पड़े हुए हैं। यह सूची रखी है, 82 की साल से रिक्त पड़े हुए हैं और उनको आज तक क्यों नहीं भरा गया।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये। उन सबके पास उत्तर है यह।

श्री रामस्वरूप मीणा : तो उनको कब तक भरा जायेगा, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : हां विराजिये आप।

श्री हरिकुमार औदिच्य : ज्यों ही पब्लिक सर्विस कमीशन से हमारे पास सूची आयेगी, हम 15 दिन के अन्दर पोस्टिंग कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : अमीन खां जी।

श्री अमीन खां (शिव) : उपाध्यक्ष महोदय, कई ऐसी सैकेण्डरी स्कूलें हैं, जिसमें तीन-तीन साल से हैड मास्टरों के पद अभी तक रिक्त है। ऐसे सैकेण्डरी स्कूलों के कम से कम हैड मास्टरों जैसी महत्वपूर्ण जगह को सरकार कब तक भरने का पक्का इरादा रखती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामनारायण वर्मा।

श्री रामनारायण वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि यह एक सैद्धान्तिक मामला है। टोडाभीम में अभी मास्टरों के पद बताये और जितने रिक्त हैं, यह सारी स्थिति जैसी कि आप बता रहे हो, यह बहुत सैद्धान्तिक मामला चल रहा है। टोडाभीम में ऐसे कितने अध्यापक थे, जिनके आपने पद तो रिक्त नहीं बता रखे लेकिन दूसरे विद्यालयों में अटैच कर रखे हैं, डेपूटेशन पर कर रखा है और वहां छात्र अध्यापकों की कमी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे कितने अध्यापक थे, जो अपनी तनख्वाह तो एक स्कूल से उठाते हैं और दूसरे में उनका डेपूटेशन कर रखा है, आप उसकी सूची बताइये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बिरधाराम जी।

श्री रामनारायण वर्मा : और स्पष्ट बताइये कि ऐसे कितने अध्यापक हैं।

श्री बिरधाराम चौधरी (मकराना) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है....

श्री उपाध्यक्ष : आप सवाल पूछिये फटाफट, दो मिनट रहे हैं खाली। यह स्पेसिफिक टोडाभीम का है।

श्री बिरधाराम चौधरी : नहीं स्पेसिफिक नहीं है, यह नीतिगत है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं जनरल अलाऊ नहीं करूंगा। अमीन खां जी वाला सवाल था, दैट वाज वैरी करेक्ट।

श्री बिरधाराम चौधरी : आज मार्च का एंड हो रहा है और जो जून जुलाई के अन्दर शिक्षा सत्र चलता है और आज कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर हैड मास्टर नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप भूमिका बांध रहे हो।

श्री बिरधाराम चौधरी : मैं विशेष तौर से दो स्कूलों की बात करूंगा। एक तो मेरे मकाराना का स्कूल है और दूसरा परबतसर गर्ल्स सकेण्डरी स्कूल है, वहां पर प्रधानाध्यापक का पद रिक्त है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्रीचन्द जी कृपलानी।

श्री बिरधाराम चौधरी : और मैंने यह क्वेश्चन भी रखा है कि उनको कब तक भर दिया जायेगा।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेडा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, राजस्थान में ऐसे कितने उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, जो पिछले 5-6 साल से चल रहे हैं लेकिन एक भी पद स्वीकृत नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : यह टोडाभीम से संबंधित था, It is irrelevant

श्री श्रीचन्द कृपलानी : एक भी पद स्वीकृत नहीं है वहां पर।

श्री उपाध्यक्ष : तो उसका उत्तर नहीं दिया जा सकता।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : ऐसे कितने विद्यालय हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्री जी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : आप मेरी बात तो सुनिये। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। वहां स्कूल चल रहे हैं सात साल से....

श्री उपाध्यक्ष : चल रहे होंगे लेकिन इसमें नहीं आता है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : एक भी पद स्वीकृत नहीं है, स्कूल कैसे चल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वह सवाल इसमें कवर नहीं होता।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : कैसे कवर नहीं होता इसमें।

श्री उपाध्यक्ष : हां नहीं होता। प्लीज विराजिये। माननीय शिक्षा मंत्रीजी। यह इसमें कवर नहीं होता है।

श्री हरिकुमार औदिच्य : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्वेरी चल रही है....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हरिकुमार औदिच्य : हमारे पास 234 हैड मास्टरों की सूची आ चुकी है, पब्लिक सर्विस कमीशन से और उनको भर्ती करने की प्रक्रिया, पोस्टिंग करने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। शीघ्र ही उनको पूरा कर देंगे, अब हमारे सामने उनकी कोई प्राब्लम रही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मी नारायण दवे।

राजस्थान पथ परिवहन निगम की बीकानेर से उदयपुर डीलक्स बस सेवा

667. **श्री लक्ष्मीनारायण दवे** (सोजत) एवं **श्रीमोहम्मद माहिर आजाद** (झुंझुनूं) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–(1) बीकानेर से उदयपुर वाया नागौर मेड़ता, बर, सोजत सिटी, सोजत रोड़, फूलाद, देवगढ़ होकर द्रुतगामी व सुपर डीलक्स बसें राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ करने से करीबन 200 किलोमीटर की दूरी कम पड़ती है जिसके कारण यात्रियों को समय व पैसों का फायदा होता है ?

(2) क्या सरकार के जन प्रतिनिधियों ने उक्त मार्ग से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें संचालित करने हेतु निवेदन किया था ? क्या सरकार उक्त मार्ग पर बसें संचालित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

यातायात मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (1) जी नहीं, प्रस्तावित मार्ग केवल 32 किलोमीटर कम है और 60 किलोमीटर से अधिक भाग अराष्ट्रीयकृत है। बीकानेर से उदयपुर वाया नागौर, मेड़ता सिटी अजमेर-ब्यावर, भीम, देवगढ़ एक सीधी द्रुतगामी बस सेवा भी संचालित है।

(2) जी हां। उपरोक्त कारणों से प्रस्तावित मार्ग पर बस संचालन का विचार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीनारायण दवे ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि समय एवं दूरी की कमी को दृष्टिगत रखते हुए एवं जनता की मांग को देखते हुए क्या राज्य सरकार उक्त चतुर्थ अध्याय मार्ग को राष्ट्रीयकृत राजमार्ग में सम्मिलित करने का विचार रखती है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने उत्तर में आपसे कहा कि एक तो बीकानेर से उदयपुर वाया नागौर मेड़ता, जैतारण, बर, सोजतसिटी, सोजत रोड, फूलाद, देवगढ़ मार्ग, सोजत से देवगढ़ तक का मार्ग 60 किलोमीटर का मार्ग है, जो वर्तमान में अराष्ट्रीयकृत नहीं है और नहीं होने की वजह से उसमें निजी परमिट वाहनों को चलाने की स्वीकृति दी हुई है। कुल इसकी जो लम्बाई है, 32 किलोमीटर का ही अंतर आता है। इस रूट के अन्दर कसेई रोडवेज बस चलाने का इस वक्त कोई विचार नहीं है ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने खंड एक में जो उत्तर दिया कि जो बीकानेर से उदयपुर वाया नागौर होकर द्रुतगामी बस का 32 किलोमीटर का जो उन्होंने अंतर बताया है, इसके बारे में आप स्वयं भी भलीभांति परिचित हैं। कम से कम इसमें 150-200 किलोमीटर की दूरी है। जो उत्तर उन्होंने दिया है, वह गलत है । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी आप स्वयं जांच करायें और यह जो प्राइवेट रूट है, जो आपने 32 किलोमीटर का बताया और 60 किलोमीटर जो बताया है, इसकी जगह आपके यहां पर जो ब्यावर से भीलवाड़ा और ब्यावर से बड़ाखान, यहां पर भी प्राइवेट बस रूट है। यहां पर आपके राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें चलती हैं और जो बीकानेर से उदयपुर यह रूट सबसे उपयुक्त है । उदयपुर पर्यटन स्थल भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपसे निवेदन है कि प्राइवेट बस चलें, उसके स्थान पर सुपर डीलक्स या द्रुतगामी बसें, एक या दो प्रारम्भ कराने का कष्ट करें ।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है और आपने कहा इसकी जो डिसटेंस है, वह 32 किलोमीटर से ज्यादा है। करीब 150-200 किलोमीटर के करीब आपने बताया, इस संबंध में इसकी पुनः जांच करवा लूंगा और जो तथ्य आपने कहे, उनको देखकर दुबारा सर्वे कराने के बाद बस चलाना संभव हुआ तो निश्चित रूप से चलायी जायेंगी ।

श्री उपाध्यक्ष : अल्प सूचना का प्रश्न, माननीय श्री फूलचन्द जी ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं प्लीज यह एक रूट का मामला है। प्लीज। माननीय मंत्रीजी ने आश्वासन दे दिया ।

अल्प सूचना प्रश्न

पुलिस थाना, नीमकाथाना में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट

17. **श्री फूलचन्द गुर्जर** (नीम का थाना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–(1) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई. आर.) नम्बर 41/92 पुलिस थाना नीम का थाना की प्रति मय विवरण सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) उक्त एफ. आई. आर. में अब तक क्या क्या कार्यवाही हुई ? जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखें।

गृह मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (1) अभियोग संख्या 41/92 दिनांक 24-2-92 धारा 380 भारतीय दंड संहिता थाना नीम का थाना की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त अभियोग अन्वेषण से मामला अघटित पाया जाने पर अंतिम प्रतिवेदन (अदम बूक झूंठ में) दिनांक 2-3-92 को लगाया जाकर अंवेषण समाप्त कर दिया गया है। अंतिम प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री फूलचन्द गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत गंभीर और दोनों तस्करों का मामला है। एक चूरू का रहने वाला और एक नवलगढ़ का रहने वाला है। कलकत्ता में तस्करी करते हैं और चूरू वाले के और उनकी आपसी अनबन के कारण से चूरू वाले ने नीम का थाना के थानाप्रभारी से सांठगांठ करके एक होटल में बैठकर सारी कार्यवाही की है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि होटल में कौन-कौन ठहरे और होटल की रिपोर्ट में जब चोरी की बात आयी है तो होटल वालों ने क्या बयान दिये और जब चोरी हुई है तो उन्होंने चोरी की रिपोर्ट थाने में नहीं करा- इस्तगासा कराने का क्या कारण था और इस्तगासा कराने के बावजूद नवलगढ़ में रमेशचंद को जब लेकर गये तो उसके क्या बयान लिये और उस पर क्या एफ. आर. लगायी। सत्यता यह है कि यह इतना गोलमाल मामला था कि 246 तोले से ज्यादा सोने के बिस्कुट थे और उन्होंने केवल मात्र अपनी अटैची के सामान का गोलमाल लिखा है कि अटैची में तीस हजार सात सौ रुपये थे और उसमें जवाहरात, नगीने और हीरे, यह लिखा गया है, तो यह इतना गंभीर मामला था। एक ही दिन में एफ. आर. लगाकर इस सारी कार्यवाही को थाना प्रभारी ने कर दिया और सारा सोना थानाप्रभारी ने अपने पास ले लिया है। यह मामला इतना गोपनीय रखा गया कि जब सीकर के संवाददाता को यह मालूम पड़ा तो राजस्थान पत्रिका में यह मार्च में आया। तब.... यह मामला खुला है इसलिये इतना गम्भीर मामला है, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि एफ. आर. की नकल की प्रति पढ कर सुनायें और उसके साथ-साथ नवलगढ़ से रमेश चन्द को कब लाया गया और जिस दिन लाया गया है उसी दिन एफ. आर. लगाकर पेश कर दी है ? इसलिये

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

बड़ा गम्भीर मामला है। ऐसे दो तस्कर से इतना बड़ा सोना....

श्री उपाध्यक्ष : आपने कह दिया है, रिपीटिशन हो रहा है। माननीय गृह मंत्री जी।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानकारी दी है, मैं उसी सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि दिनांक 24-2-1992 को श्री बजरंग लाल सोनी, निवास वार्ड नम्बर 10 चूरू ने एक इस्तगासा न्यायालय, ए. सी. जे. एम. नीमका थाना अन्तर्गत धारा 156(3) जाप्ता फौजदारी इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वह नगीने व हीरा-जवाहरात का व्यापार करता था। उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद में इस धारा के अन्तर्गत इसकी तफ्तीश की गई और तफ्तीश के दौरान नवलगढ़ से एक जैसा आप बता रहे हैं, यहां पर रात्रि को तीन जनें होटल में कमरा नम्बर-120 में सोये थे और प्रातः करीब 7 बजे सुबह उठने पर पाया कि रमेश कमरे में नहीं था। इस पर श्री लालचन्द से मालूमात की तो उसने अनभिज्ञता जाहिर की। कमरे में अटैची नहीं मिली, नहीं मिलने पर सन्देह हुआ कि रमेश ही उसको लेकर गया है। गांव नीमकाथाना में उसकी तलाश की, नवलगढ़ में उसके निवास स्थान पर उसको ढूंढा गया वह नहीं मिला। फिर उसको सब जगह ढूंढा गया, एक जगह वह मिल गया और उस अटैची में सामान लाना स्वीकार किया और वापस देने का आश्वासन दिया परन्तु 13-2-1992 को सामान देने से इन्कार कर दिया। इस्तगासा नीमकाथाना, न्यायालय द्वारा प्रेषित अभियाग संख्या-41 में जो मैंने उल्लेख किया है वह दर्ज की गयी, धारा 380 दण्ड संहिता के अन्तर्गत और उसके बाद उन्होंने सारी अग्रिम कार्यवाही की और इन्वेस्टीगेशन किया। इन्वेस्टीगेशन करने के पश्चात् इस बात को अप्रमाणित पाये जाने पर अभियोग में 2-3-92 को अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, यह अभी एफ. आर. जहां तक मेरी जानकारी है कि कोर्ट में स्वीकार नहीं है और यह मुझे जानकारी है कि उसकी तफ्तीश डीवाई. एस. पी. वहां के सर्किल आफिसर वापस कर रहे हैं और जो आपने बताया कि गम्भीर मामला है, तस्करी के सम्बन्ध में आपने जो कुछ बताया। तो मैं आपको यह आश्वस्त कर सकता हूं कि वहां पर थानेदार ने जो कुछ कार्यवाही की उसकी वापस जांच करवा कर अगर आप चाहते हो तो उसको हटा कर दूसरे से जांच करवायी जायेगी ताकि जो भी उसमें सही तथ्य हों वह सही के सही निकल पाये और दोषी को सजा मिल सके।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक प्रश्न और करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने सारा आश्वासन दे दिया है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : मेरा तो सिर्फ एक ही सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

बाड़मेर जिले का जट पट्टी घरेलू उद्योग

663. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बकरी एवं ऊंट के बाल से बने जट पट्टी का एक घरेलू एवं लघु उद्योग है ? क्या पश्चिमी राजस्थान विशेषकर बाड़मेर जिले का यह प्रमुख उद्योग रहा है ? क्या यह विदेशी मुद्रा कमाने वाला उद्योग रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि अब इस उद्योग पर आधारित लोग इसलिए बेकार हो गये हैं कि इस उद्योग से निर्मित पट्टी के बजाय अब केवल बाल ही निर्यात होते हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(3) क्या सरकार इन बालों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब ? नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार इन बालों के प्रदेश से बाहर जाने पर बिक्री कर लगाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। बकरी एवं ऊंट के बाल से जट पट्टी बनाने से सम्बन्धित कुटीर उद्योग राजस्थान के पश्चिमी जिले बाड़मेर के जसोल क्षेत्र में ग्रामीण कुटीर उद्योग के रूप में है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस उद्योग से लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की प्रति वर्ष आय होती है।

(2) यह पूर्णतः सही नहीं है कि इस उद्योग से निर्मित जट पट्टी के बजाय अब केवल बाल ही निर्यात होते हैं।

(3) बकरी व ऊंटों के बालों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाना राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

(4) बकरी के बाल दिनांक 27-6-90 से बिक्री कर से मुक्त है जबकि ऊंट के बाल राज्य में 10% से कर योग्य है तथा इसकी अन्तर्राज्यीय बिक्री करने पर "सी" फार्म पर 4% एवं बिना "सी" फार्म के 10% से कर उद्ग्रहणीय है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

भवानीमंडी व झालावाड़ की नगरपालिकाओं को अनुदान

1065. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले में सन् 1990 से अब तक किन-किन नगरपालिकाओं में कितना-कितना अनुदान दिया गया ?

(2) क्या यह सही है कि भवानीमण्डी नगरपालिका को अनुदान राशि नहीं दी गई ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? क्या सरकार इस वर्ष में भवानी मंडी नगरपालिका को अनुदान राशि देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले में सन् 1990 से अब तक जिस-जिस नगरपालिका को अनुदान दिया गया है, उसका विवरण संलग्न है।

(2) जी नहीं। सामान्य अनुदान की राशि दी गई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें)

नगर परिषद् जयपुर द्वारा गृह कर की वसूली

1066. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) एवं

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीमकाथाना) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर परिषद् के क्षेत्र में कुल कितने भवन हैं?

(2) इनमें से कितने भवनों के गृह कर का निर्धारण परिषद् ने अब तक किया है?

(3) क्या इन सभी गृह स्वामियों को प्रति वर्ष गृह कर जमा कराने के नोटिस दिये जाते हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नगर परिषद्, जयपुर के क्षेत्र में कुल पक्के/खाम 2,44,353 भवन हैं।

(2) 81,319 भवनों का गृह कर निर्धारण किया जा चुका है।

(3) जी नहीं। भवन स्वामियों को प्रति वर्ष गृह कर जमा कराने हेतु नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए बिल वितरण किये जाते हैं।

अतारांकित प्रश्न संख्या 1067

(स्थगित)

नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा बेची गई नजूल भूमि

1068. श्रीमती सुमित्रासिंह (पिलानी): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1981 से आज तक नगर सुधार न्यास, जोधपुर, ही जोधपुर नगर के परकोटे के बाहर नजूल भूमि विक्रय करने हेतु अधिकृत था? यदि हां, तो सम्बन्धित राज्यादेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1981 से आज तक जोधपुर नगर के परकोटे के बाहर नगर परिषद्, जोधपुर ने कितनी नजूल भूमि कहां, किसको और कितने मूल्य पर विक्रय की? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) यदि उक्त विक्रय अवैधानिक है तो राज्य सरकार इन सभी को निरस्त घोषित कर सम्बन्धित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कब तक, क्या कार्यवाही करेगी?

उत्तर

(1) जी हां। राज्यादेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) वैधानिकता की जांच करवा कर शीघ्र कार्यवाही की जा सकेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बीकानेर के भवन की स्वीकृति

1069. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) एजूकेशनल रिसर्च एसोसियेशन, बीकानेर को जिलाधीश द्वारा आवंटित भूमि पर महिलाओं के लिए शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय बनाने हेतु संस्था ने नगर विकास न्यास को नक्शे पास किये जाने हेतु आवेदन कब दिया था? क्या न्यास द्वारा उक्त महाविद्यालय के नक्शे स्वीकृत कर दिये गये? यदि नहीं, तो अनावश्यक देरी के लिए कौन जिम्मेदार है?

(2) क्या सरकार दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(3) क्या विभाग सार्वजनिक संस्थाओं के नक्शे एक वर्ष से ऊपर की अवधि में भी स्वीकृति न करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(4) यदि हां, तो उक्त मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई? की गई कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या विभाग नेशनल बिल्डिंग कोड के अन्तर्गत नक्शे स्वीकृत करने की कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब, तक?

उत्तर

(1) एजूकेशनल रिसर्च एसोसियेशन बीकानेर ने न्यास कार्यालय में नक्शे पास किये जाने हेतु दिनांक 3-5-90 को आवेदन किया था संस्थान द्वारा प्रस्तुत मानचित्र जिला कलक्टर, बीकानेर द्वारा संस्था को आवंटित भूमि के अनुसार नहीं था। संस्थान को खसरा नं. 124 में ही 48 बीघा भूमि आवंटित की गई थी। परन्तु संस्थान द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में खसरा नं. 124 के अलावा कुछ भाग खसरा नं. 120 व कुछ भाग खसरा नं. 121 (जो कि मौके पर कब्रिस्तान है) को भी शामिल कर भवन निर्माण की अनुमति चाही थी।

अतः उक्त मानचित्र के अनुसार भवन निर्माण की अनुमति दिया जाना संभव नहीं था। तकनीकी त्रुटि होने के नाते देरी का प्रश्न ही नहीं उठता न ही किसी की जिम्मेदारी बनती है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(5) नगर विकास न्यास, बीकानेर नेशनल बिल्डिंग कोड के अन्तर्गत ही बने बिल्डिंग बाई लांज के अनुसार नक्शे स्वीकृत करने की कार्यवाही करती है।

बयाना (भरतपुर) तहसील के अन्तर्गत सड़कों का पुनर्निर्माण

1070. श्री रामप्रसाद (बैर) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले की बयाना क्षेत्र की नगरपालिका बैर, बयाना, मुसावर में अधिकांश सड़कें टूटी हुई हैं ? यदि हां, तो उनकी मरम्मत किन कारणों से नहीं की गई ?

(2) उक्त तीनों नगरपालिकाओं हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1990-91 में कितनी-कितनी आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी गई एवं वर्ष 1992-93 में कितनी-कितनी आर्थिक सहायता दिलाने का इरादा है ?

उत्तर

(1) यह सही है। नगरपालिका बैर, बयाना व मुसावर की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के कारण इन टूटी-फूटी सड़कों की मरम्मत नहीं हो सकी है।

(2) इन नगरपालिकाओं में 90-91 में दी गई आर्थिक सहायता का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। वर्ष 1992-93 के सम्बन्ध में अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

मैला ढोने की प्रथा से मुक्ति

1071 श्री जीतमल जैन (अलवर) एवं **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिर पर मैला ढोने एवं अन्य अस्वच्छ एवं अमानवीय कार्य करने में राज्य में कितने व्यक्ति लगे हुए हैं ?

(2) इस अमानवीय कार्य से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

उत्तर

(1) सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में एक मोटे अनुमान के अनुसार लगभग 30 हजार व्यक्ति इस कार्य में लगे हुए थे।

(2) इस अमानवीय कार्य से मुक्ति दिलाते के लिए केन्द्र सरकार से प्रति वर्ष 45 प्रतिशत अनुदान एवं राज्य सरकार के 25 प्रतिशत अनुदान का हिस्सा चयनित नगरपालिका को आवंटित कर सूखे शौचालयों को फ्लश शौचालयों में परिवर्तन का कार्यक्रम केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से चला रखा है। इस कार्य के लिए केन्द्र सरकार से 57 नगरों का चयन हो चुका है जिनमें से वर्तमान में 46 में कार्य

(स्वायत्त शासन मंत्री)

चल रहा है। शेष नगरों के चयन की प्रक्रिया जारी है। वित्तीय वर्ष 1991-92 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 13 नगरपालिकाओं को हुडको से ऋण भी स्वीकृत कराया और आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस कुप्रथा को पूर्णतया समाप्त करने का लक्ष्य है। इसके लिए केन्द्र सरकार राज्य सरकार के सहयोग से एक कानून भी बनाने जा रही है, जिसके लिए राज्य सरकार ने अपनी सहमति दे दी है।

नगरपालिका फतेहपुर (सीकर) में नियुक्तियां

1072. **श्री भंवरलाल शर्मा** (सुजानगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका अध्यक्ष, फतेहपुर शेखावाटी जिला-सीकर द्वारा विभाग द्वारा नियुक्तियों पर रोक लगाने के उपरान्त भी विभिन्न पदों पर वर्ष 1991-92 में नियुक्तियां की गई हैं?

(2) क्या यह सही है कि रामगढ़ शेखावाटी जिला-सीकर के नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा नगरपालिका पैटर्न स्टाफ के अनुसार वर्ष 1991-92 में नियुक्तियां की गई हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि अध्यक्ष नगरपालिका रामगढ़ शेखावाटी के विरुद्ध उक्त प्रकरण में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

(4) विभागीय रोक के उपरांत अध्यक्ष, नगरपालिका फतेहपुर द्वारा की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं किये जाने के क्या कारण है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वर्ष 1991-92 में अध्यक्ष, नगरपालिका रामगढ़ द्वारा कोई नियुक्ति नहीं की गई है।

(3) प्रश्न के खण्ड 2 के उत्तर के पश्चात् यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(4) अध्यक्ष, नगरपालिका फतेहपुर द्वारा की गई नियुक्तियों को विभाग द्वारा अस्वीकृत कर नव-नियुक्त कर्मचारियों को कार्य मुक्त करने के आदेश दिये गये हैं।

नगरपालिका, सागवाड़ा को आवंटित राशि

1073. **श्रीमती कमला भील** (सागवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1990-91 में नगरपालिका, सागवाड़ा को सरकार ने कितनी अनुमानित धनराशि दी? दी गई धनराशि को किन-किन मदों पर खर्च किया गया? खर्च की गई कुल धनराशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार दी गई धनराशि से विकास सम्बन्धी कार्यों की लागत का मूल्यांकन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 1990–91 में नगरपालिका, सागवाड़ा को जो धनराशि सरकार द्वारा दी गई एवं जो धनराशि जिस-जिस मदों पर खर्च की गई है उसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जिस कार्य हेतु धनराशि उपलब्ध कराई गई है, उसी पर व्यय की गई है फिर भी यदि कोई शिकायत हो तो जांच करवाई जा सकती है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

नगरपालिका, सागवाड़ा में अनियमितताएं

1074. श्रीमती कमला भील (सागवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका सागवाड़ा में अधिकारी एवं अध्यक्ष ने कई प्रकार की अनियमिततायें की हैं एवं भ्रष्टाचार फैलाया है ? क्या सरकार उसकी जांच करने का विचार रखती है ? हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि हरिजन तथा आदिवासी वार्ड्स में नालियों तथा सड़कों की व्यवस्था नहीं की गई ?

(3) सवर्णों के कितने मोहल्लों तथा वार्डों में ये सुविधाएं दी गई हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इस प्रकार का कोई प्रकरण विभाग के सम्मुख नहीं है।

(2) जी नहीं। संलग्न सूची के अनुसार कार्य कराया गया है।

(3) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें)

नैनवां में अतिरिक्त हैण्डपम्प की स्वीकृति

1075. श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या विभाग द्वारा नैनवां तहसील की पेयजल समस्या को ध्यान में रखते हुए मुख्य अभियन्ता के पत्र क्रमांक 2568–72 दिनांक 16-3-1991 के जरिये एक अतिरिक्त हैण्डपम्प लगाये जाने की स्वीकृति जारी की थी तथा अतिरिक्त मुख्य अभियंता क्षेत्र अजमेर को पत्र लिखकर आवंटित हैण्डपम्प की स्थापना की प्रगति की सूचना भी चाही है ? यदि हां, तो उक्त हैण्डपम्प की स्थापना कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

जी, हां। उल्लेखित हैण्ड पम्प की स्थापना शीघ्रातिशीघ्र की जा रही है।

बनास योजना से पेयजल आपूर्ति

1076. श्री सांवरलाल (भिनाय) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बनास योजना से अजमेर, ब्यावर एवं किशनगढ़ को पेयजल दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त शहरों के अलावा अन्य स्थानों पर भी इस योजना से पेयजल दिया जा रहा है ? यदि हां, तो किस-किस स्थान पर पेयजल दिया जा रहा हैं ?

(2) क्या यह योजना जहां से गुजर रही है, उनके आसपास के गांवों का पेयजल दूषित है ? यदि हां, तो उन गांवों में इससे पेयजल क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

उत्तर

(1) बनास योजना से अजमेर व ब्यावर शहरों को पेयजल दिया जा रहा है। संदर्भित पाइप लाइन से आपूर्ति किये जाने वाले अन्य स्थानों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) बनास योजना की पाइप लाइन टोंक व अजमेर जिले की जिन तहसीलों से गुजर रही है उनमें कई ग्रामों में उपलब्ध भूजल निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं है। पाइप लाइन में इन ग्रामों की पेयजल मांग का प्रावधान सम्मिलित नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–9 देखें)

अलवर शहर में पेयजल आपूर्ति

1077. श्री जीतमल जैन (अलवर) एवं श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति पानी उपलब्ध कराने का सरकारी मानदण्ड क्या है ?

(2) क्या अलवर शहर में मान दण्ड के अनुसार पानी उपलब्ध कराया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार मानदण्डों के अनुसार पानी उपलब्ध कराने की कोई योजना बना रही है। विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा पेयजल योजनाओं हेतु मात्रा सम्बन्धी निर्धारित मानदण्ड परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) अलवर शहर की 1991 की 2,11,162 जन संख्या की वर्तमान न्यूनतम पेयजल मांग 316.74 लाख लीटर प्रतिदिन के विरुद्ध 163.55 लाख लीटर मात्रा की प्रतिदिन आपूर्ति की जा रही है। कमी की पूर्ति हेतु पुनर्गठन योजना की स्वीकृति जारी कर दी गई है, जिसका क्रियान्वयन धन उपलब्धतानुसार किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–10 देखें)

सिवाना में पेयजल व्यवस्था

1078. श्री हुकमाराम मेघवाल (सिवाना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1989–90 व 1990–91 में तहसील सिवाना के किस-किस ग्राम में कितने नल कनेक्शन, हैण्डपम्प एवं पाइप लाइन्स डाली गयीं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कितने गांवों को लाभान्वित किया गया ?

(3) क्या सिवाना के सभी नये राजस्व ग्रामों को पीने के पानी की समुचित व्यवस्था प्रदान कर दी गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वांछित विवरण परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" के कालम संख्या 6 में उपलब्ध है।

(3) क्षेत्र में स्थित कुल 10 नये राजस्व ग्रामों में से 3 ग्रामों में पेयजल व्यवस्था कर दी गई है। शेष 7 ग्रामों में पेयजल व्यवस्था धन उपलब्धतानुसार की जानी प्रस्तावित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–11 देखें)

बागीदौरा में नलकूप योजना

1079. श्री सोमा (बागीदौरा) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नल कूप योजना बागीदौरा क्षेत्र में कितने गांवों में चालू है ?

(2) किन-किन गांवों में वर्ष 1991-92 में नये नलकूप लगाने का प्रस्ताव था तथा किन-किन गांवों में नलकूप लगायें गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सन्दर्भित क्षेत्र में एक ग्राम में पनघट. 3 ग्रामों में पाइप्ड तथा 4 ग्रामों में क्षेत्रीय ग्रामीण पेयजल योजनाएं नलकूप स्रोतों से क्रियान्वित की गई है। इनमें से पंचायत के अधीन एक ग्राम की पनघट योजना बन्द है एवं शेष कार्यरत हैं।

(2) बागीदौरा क्षेत्र के किसी ग्राम में वर्ष 1991-92 में विद्युतिकृत नलकूप बनाये जाने का प्रस्ताव नहीं है। ग्राम कुशलकोट की पनघट योजना बन्द है, जो पंचायत के अधीन होने के कारण कार्य पंचायत द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम अकरवासी में जी. एल. आर. टैंक का निर्माण

1080. श्री शिवजीराम (जहाजपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) ग्राम अमरवासी जिला भीलवाड़ा में जी. एल. आर. टैंक कब बनाया गया एवं

(श्री शिवजीराम)

इससे कितने दिनों तक पेयजल सप्लाई किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि इस टैंक के घटिया निर्माण के कारण एक दिन भी पेयजल सप्लाई नहीं किया गया ? यदि हां, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) क्षेत्रीय जल योजना बिहाड़ा गंधेर में कौन-कौन से गांव शामिल किये गये हैं एवं इनमें अब तक कितना कार्य हो गया है एवं शेष कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ?

(4) क्या यह सही है कि इस योजना में बिहाड़ा ग्राम पंचायत के ग्राम हथौड़िया, जीरा एवं अकेपुरा एवं इन गांवों के मजरों को शामिल नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? अब इन गांवों को इस योजना में कब तक शामिल किया जायेगा ?

उत्तर

(1) सन्दर्भित जलाशय का निर्माण कार्य अक्टूबर, 1983 में पूर्ण किया गया था एवं इसे अभी तक उपयोग में नहीं लिया गया है।

(2) जलाशय के निर्माण की गुणवत्ता, स्तर इत्यादि की अभी तक जांच नहीं की गई है परन्तु सम्भवतः जलाशय के एक ओर झुके होने के सन्देह में इसे उपयोग में नहीं लिया गया है। मामले में उत्तरदायित्व निर्धारित करने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) वांछित विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। शेष कार्य पूर्ण स्रोत विकसित होने पर किये जाने प्रस्तावित हैं।

(4) जी हां। क्योंकि सन्दर्भित ग्राम व मजरे हैण्डपम्पों से पूर्व में ही लाभान्वित हैं। वर्तमान में उपरोक्त ग्रामों व मजरों को इस योजना से जोड़ा जाना प्रस्तावित नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–12 देखें)

मकराना की ढाणियों में पेयजल व्यवस्था

1081. श्री बिरधा राम चौधरी (मकराना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या मकराना पंचायत समिति क्षेत्र में ढाणियों को पेयजल उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो किस स्कीम के तहत ढाणियों को पानी दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या ढाणियों में पानी उपलब्ध कराने के लिए कोई सर्वे किया गया है ? यदि हां, तो किस-किस ढाणी का ? सर्वे रिपोर्ट व सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सन्दर्भित पंचायत समिति की इन्दोखा की ढाणी हेतु त्वरित ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। शेष ढाणियों हेतु धन उपलब्धता के अनुसार योजनाएं स्वीकृत कर क्रियान्वित की जानी प्रस्तावित हैं।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) राज्य के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था की स्थिति ज्ञात करने हेतु सर्वेक्षण किया जा रहा है जिसमें ढाणियां भी सम्मिलित हैं। सर्वेक्षण का कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है।

भीनमाल में डीफ्लोराइडेशन प्लांट

1082. श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीनमाल विधान सभा क्षेत्र में किन-किन स्कीम्स में पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है ?

(2) उनमें किन-किन स्कीम्स में डीफ्लोराइडेशन प्लांट लगाने का प्रावधान किया गया है तथा कब तक उक्त प्लांट लगा दिये जावेंगे ?

(3) क्या यह सही है कि जूंजानी स्कीम में ठेकेदार को उक्त प्लांट बनाने का ठेका आवंटित किया गया था ? यदि हां, तो कब ? उक्त प्लांट न लगने के क्या कारण रहे ? अब कब तक उक्त प्लांट लगा दिया जायेगा ?

(4) भीनमाल, अरबन स्कीम के पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा कितनी है ? पिछले 10 वर्षों में प्रतिवर्ष कितनी-कितनी मात्रा रही है ? क्या भीनमाल अरबन स्कीम में डीफ्लोराइडेशन प्लांट लगाने का विभाग का इरादा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) क्या यह सही है कि भीनमाल अरबन स्कीम में सागी नदी के सावीदर गांव के पास पानी का संभरन होता है ? यदि हां, तो बारिश के मौसम में गन्दे पानी का संभरन करने पर क्या उसको फिल्टर करना आवश्यक है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो क्या भीनमाल अरबन स्कीम में फिल्टर हाउस बनाने का कोई प्रावधान है ?

उत्तर

(1) सन्दर्भित वांछित विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) उपरोक्त में से ग्राम जूंजानी में डीफ्लोरिडेशन संयत्र लगाये जाने का कार्य प्रगति में है जिसे वर्ष 1992-93 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

(3) जी हां। उपरोक्त डिफ्लोरिडेशन संयन्त्र लगाये जाने का आदेश वर्ष 1989 में दिया गया था तथा इसे लगाने में संबंधित फर्म द्वारा देरी की गई है। संयंत्र को वर्ष 1992-93 तक लगाये जाने का लक्ष्य है।

(4) भीनमाल शहरी योजना में पिछले 10 वर्षों में वितरित जल में फ्लोराइड की मात्रा का विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है। वर्तमान में फ्लोराइड की मात्रा लगभग निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप होने के कारण डीफ्लोरिडेशन संयंत्र लगाये जाने का प्रस्ताव नहीं है।

(5) वर्षा ऋतु में सागी नदी का पानी गैलरी से छन कर प्राप्त होता है। अतः पानी को फिल्टर करना आवश्यक नहीं है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

भीनमाल में फिल्टर सन्यन्त्र लगाने का वर्तमान में प्रस्ताव नहीं है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट-13 देखें)

बेगूं एवं भैंसरोड़गढ़ के खराब हैण्ड पम्पस्

1083. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बेगूं विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति बेगूं एवं भैंसरोडगढ़ के किस-किस गांव में किस मेजर खराबी के कितने-कितने हैण्ड पम्पस् खराब पड़े हैं ?

(2) क्या यह सही है कि अधिकांश हैण्डपम्प इसलिए खराब पड़े हैं कि उनके पाइप खराब हो गये हैं और विभाग द्वारा जो पाइप उपलब्ध कराये गये हैं वे खराब के मुकाबले बहुत ही कम हैं ? यदि हां, तो सरकार कब तक पाइप उपलब्ध करा पेयजल सुविधा सुलभ करा सकेगी ?

उत्तर

(1) सूचना परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में प्रगतिरत अठारहवें हैण्डपम्प मरम्मत अभियान में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार अभी तक 74 हैण्डपम्प जी. आई. पाईप बदले जाने की आवश्यकता के कारण बन्द हैं, जिनमें 23 को ठीक कर चालू कर दिया गया है तथा शेष को पाईपों की उपलब्धता के अनुसार ठीक कराया जा रहा है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

जोधपुर शहर का पाबुपुरा गांव

1084. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर की नगर परिषद् सीमा में ग्राम पाबुपुरा आया हुआ है ? यदि हां, तो यह ग्राम कब बसा तथा इसका नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज क्यों नहीं किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस ग्राम की कितनी आबादी है तथा इस ग्राम में जनहित में राजकीय-क्या क्या सुविधायें उपलब्ध हैं ? सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि भू. पू. जोधपुर नरेश ने इस ग्राम के निवासियों को उनके आवासीय मकानों के पट्टे जारी किये थे ? यदि हां, तो इन पट्टों को नगरसुधार न्यास मान्यता क्यों नहीं देता है ? कारणों सहित सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार इस ग्राम के निवासियों की आबादी भूमि के पट्टों के बारे में आवश्यक निर्णय लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) हां, यह सही है कि जोधपुर शहर की नगर परिषद् सीमा में राजस्व रेकार्ड के अनुसार मौजा जोधपुर में पाबुपुरा बस्ती स्थित है। यह बस्ती राजकीय भूमि ख. सं. 632 रकबा 1037·11 बीघा बारानी चारम भूमि में से 17 बीघा भूमि पर स्थित है लेकिन राजस्व अभिलेख में अभी भी यह खसरा व उसका भाग आबादी में दर्ज नहीं है।

(2 एवं 3) इस बस्ती की निर्वाचन नामावली वर्ष 1992 अनुसार भाग सं. 181 व 182 विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में कुल 895 मतदाता इस पाबुपुरा बस्ती में आते हैं तथा इस बस्ती की अनुमानित आबादी 2500 के लगभग है जहां पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, हैण्डपम्प, सार्वजनिक पेयजल सुविधा, विद्युत एवं पक्का सड़क मार्ग आया हुआ है। यह मार्ग डिफेन्स रक्षा प्रयोगशाला के पास से गुजरता है। इस बस्ती में निजी व्यक्तियों को टेलीफोन की सुविधा भी दी हुई है। हां, यह सही है कि भूतपूर्व महाराजा ने दिनांक 28-4-72 को बिना क्षेत्र अधिकार एवं शक्तियों के अनियमित तौर पर इस बस्ती में बसने वाले व्यक्तियों को अधिकार पत्र जारी किये। इस अधिकार पत्रों को मान्यता वर्तमान नियमों में दिया जाना सम्भव नहीं है।

(4) प्रार्थना पत्र आने पर नियमानुसार विचार किया जायेगा।

हैड कॉंस्टेबल की सम्पत्ति की जांच

1085. श्री शम्भुदयाल बड़गुजर (केकड़ी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि श्री शिवजीराम मीणा, विधायक ने महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर को रजि. पत्र 1264 दिनांक 3-11-1989 को लिखकर श्री माधोसिंह, हैड कांस्टेबल (1291) की सम्पत्ति की जांच कराने एवं कार्यवाही कराने हेतु लिखा था ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार इस पत्र पर कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि श्री शिवजी राम मीणा, विधायक द्वारा परिवाद माधो सिंह, हैड कानि. नं. 1291 थाना सागांनेर, जिला जयपुर के विरुद्ध उसकी सम्पत्ति की जांच हेतु प्राप्त हुआ था। इस प्रकरण में जांच दिनांक 6-2-92 को पुलिस अधीक्षक, जयपुर शहर के माध्यम से कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट अभी अपेक्षित है।

(2) जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

बांसवाड़ा जिले में दर्ज अपराधिक मामले

1086. श्री बहादुर सिंह (दानपुर) एवं **श्री फतेह सिंह** (कुशलगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) बांसवाड़ा जिले में राजनैतिक दलों के किन-किन नेताओं के कितने कितने

(श्री बहादुर सिंह)

अपराधिक मामले वर्ष 1991 में दर्ज हुए ? पुलिस द्वारा कौन-कौन से मामलों में चालान इस्तगासे न्यायालय में प्रस्तुत किये गये एवं कितने विचाराधीन हैं तथा कितने फैसले किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) बांसवाड़ा जिले में वर्ष 1990-91 में चोरी की कितनी वारदातें हुई ? पुलिस ने कितने चोरों को पकड़ा व माल बरामद किया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) बांसवाड़ा जिले में वर्ष 1990-91 में बलात्कार के कितने मामले किन-किन के विरुद्ध दर्ज हुए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जिला बांसवाड़ा में वर्ष 1991 में किसी भी राजनैतिक दल के नेता के विरुद्ध कोई अपराधिक अभियोग पंजीबद्ध नहीं हुआ।

(2) वर्ष 1990-91 में जिला बांसवाड़ा में चोरियों के 886 अभियोग पंजीबद्ध हुए जिसमें 583 मुलजिमान को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध चालान पेश किये गये। उक्त प्रकरणों में कुल 26,04,078/–रुपये का माल चोरी गया जिसमें कुल 20,51,303/–रुपये का माल बरामद किया गया। सूची संलग्न है।

(3) जिला बांसवाड़ा में वर्ष 1990–91 में बलात्कार के कुल 94 अभियोग पंजीबद्ध हुए। सूचना संलग्न परिशिष्ट "क" पर अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम करमीसर (बीकानेर) में दर्ज एफ. आई. आर. 28/1992

1087. श्री दिलसुख राय चौधरी (फतेहपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 10 फरवरी, 1992 की रात्रि 9:00 बजे ग्राम करमीसर, तहसील बीकानेर के कानाराम व रामचन्द्र पर गोपीराम विश्नोई आदि 40 व्यक्तियों ने मिलकर कातिलाना हमला किया था जिसकी थाना पुलिस, नया शहर, जस्सूसर गेट में एफ. आई आर 28/1992 दर्ज करवायी गयी थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि पुलिस प्रशासन ने मुल्जिमों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है ? यदि की गई है तो कितने मुल्जिमों को गिरफ्तार किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त मुल्जिमों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, । गोपीराम बिश्नोई आदि 40 व्यक्तियों द्वारा मिलकर कातिलाना हमला करने की एफ. आई. आर. दिनांक 10-2-92 को अपराध संख्या 28/92 दर्ज की गई थी।

(गृह मंत्री)

(2) जी नहीं। अभियोग पंजीबद्ध कर स्थानीय पुलिस ने तुरन्त घटनास्थल पर पहुंच कर कार्यवाही की एवं नामजद तीन अभियुक्तों की तलाश की व गिरफ्तारी के हर सम्भव प्रयास किये। उनके मकान, रिश्तेदारों के मकान, रुकने व शरण लेने के सम्भावित स्थानों पर दबिश दी गई, किन्तु अभियुक्त गिरफ्तारी से बचने के लिए भूमिगत हो गये हैं। वृताधिकारी नगर, बीकानेर व थाना अधिकारी नया शहर द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के हरसम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। एक पुलिस दल का गठन भी किया जा चुका है जो अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है। नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी होकर ही अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही होना सम्भव है।

ग्राम धनोणियों की ढाणी (बाड़मेर) में भू-अतिक्रमण

1088 श्री अमीन खां (शिव) एवं **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर के थाना शिव में ग्राम धनोणियों की ढाणी पटवार मण्डल डैन्डू में खसरा नम्बर 758 रकबा 81 बीघा 13 बिस्वा के खातेदार अल्प संख्यक श्री मेहरी पुत्र समदा वलीया पुत्र मेहता खरीद पुत्र फरीद की खातेदारी है ?

(2) क्या यह सही है कि मेहरी वगैरहा की खातेदारी की जमीन में असामाजिक तत्वों ने जबरन कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो क्यों व पुलिस थाना में रिपोर्ट कब दर्ज हुई व उस पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। थाना शिव ग्राम धनोणियों की ढाणी में खसरा नं. 758 रकबा 81 बीघा 13 बिस्वा के खातेदार मेहरी पुत्र समदन, कानिया पुत्र मेहता एवं खेरद्दीन पुत्र फरीद की शामलाती है।

(2) जी नहीं। रकबा खसरा नं. 758 में मेहरी व कानियाने अपने हिस्से की जमीन खेतसिंह पुत्र वलवंत सिंह, रुघसिंह पुत्र नगसिंह निवासी डैण्डू को एक वर्ष पूर्व बेच दी थी जिसकी रकम प्राप्त कर रजिस्ट्री भी करवा दी गई है। खैरद्दीन पुत्र फरीद के हिस्से की जमीन नहीं बेची गई, ना ही उस पर किसी न जबरदस्ती कब्जा किया। खैरद्दीन के भाई सायर पुत्र फरीद खां ने दिनांक 1-3-92 को एक रिपोर्ट माननीय श्री अमीन खां, विधायक के माध्यम से जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर को प्रस्तुत की थी, जिस पर थाना शिव पर दिनांक 2-3-92 को मुकदमा संख्या 6/92 दिनांक 2-3-92 अन्तर्गत धारा 447 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीबद्ध किया जाकर अंवेषण किया गया। दौराने अनुसंधान मुस्तगीस सायर ने अन्वेषणकर्ता को एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसने पहले की रिपोर्ट भूल से कर दी थी। उस पर अब कोई कार्यवाही नहीं करवाना चाहता है।

देवनारायण छात्रावास, मोती डूंगरी रोड़, जयपुर में हत्या प्रकरण

1089. श्री सम्पत सिंह (नगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मोती डूंगरी जयपुर, देवनारायण छात्रावास के छात्र विक्रम सिंह की हत्या प्रकरण में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) मोतीडूंगरी जयपुर, देवनारायण छात्रावास के छात्र विक्रम सिंह की हत्या प्रकरण में पुलिस थाना मोतीडूंगरी जयपुर पर अभियोग संख्या 70 दिनांक 31-3-91 धारा 147, 148, 149, 302, 336 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। अनुसंधान सेमुलजिमान विजय हाडा, दलीप माथुर, धमेन्द्र उर्फ देवेन्द्र, महेन्द्रसिंह, अनिल शर्मा, राजेन्द्रसिंह उर्फ नरेन्द्रसिंह के विरुद्ध दिनांक 28-6-91 को व मुलजिमान सोमेन्द्र रणजीत सिंह व अजयसिंह के विरुद्ध 16-1-92 को चालान न्यायालय में पेश किये जा चुके हैं। राम सिंह व राजवीर सिंह अनुसंधान दौरान उपलब्ध, नहीं होने के कारण इसके विरुद्ध धारा 82, 83 जाप्ता फौजदारी सम्पत्तिकुर्क करने की कार्यवाही की जारही है तथा शेष अभियुक्तों के बारे में प्रकरण का अनुसंधान 173 (8) जाप्ता फौजदारी में जारी है।

(2) जी नहीं।

अजमेर जिले के पुलिस थानों तथा चौकियों पर कार्यरत स्टाफ

1090. श्री श्रीकिशन सोनगरा (अजमेर पूर्व) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर जिले में कुल कितने पुलिस थाने व चौकियां हैं ? उन पर कितने कर्मचारी व अधिकारी लगे हुये हैं ?

(2) क्या वर्तमान में अजमेर शहर में नियुक्त स्टाफ शहर के क्षेत्रफल व जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार स्टाफ बढ़ाने का विचार रखती है ?

(3) विगत तीन वर्ष में अजमेर जिले में कितनी हत्यायें, आत्म हत्यायें, एक्सीडेंट्स चोरियां एवं डकैतियां हुई। इनमें कितने अपराधी पकड़े गये तथा कितनी चोरियों, डकैतियों का माल बरामद हुआ ?

(4) कितने प्रकरण जांच में हैं कितनों का चालान प्रस्तुत कर दिया गया है, उनमें से कितनों को सजा हुई ? उक्त तीन वर्षों के वर्षवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर जिले में कुल 29 पुलिस थाने एवं उनके अधीन कुल 34 पुलिस चौकियां हैं। इन थानों व चौकियों पर 3 पुलिस निरीक्षक, 32 उप निरीक्षक पुलिस, 56 सहायक उप निरीक्षक, 45 हैंड कानिस्टेबल एवं 672 कानिस्टेबल कार्यरत हैं।

(2) जन संख्या वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस मुख्यालय से अजमेर जिले के पुलिस थाना मदनगंज, किशनगंज, सिविल लाइन गंज व अलवर गेट के लिए एक-एक निरीक्षक पुलिस का पद वित्तीय वर्ष 1992-93 में सृजित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो विचाराधीन है। इसके

(गृह मंत्री)

अलावा अन्य कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) सूचना परिशिष्ट "अ" पर अंकित है।

(4) सूचना संलग्न परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

नावां (नागौर) में बिजली चोरी के मामले

1091. श्री हरीश चन्द्र (नावां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नावां जिला नागौर पुलिस थाने में विद्युत् चोरी पकड़ने वाले उड़नदस्ते द्वारा बिजली चोरी का अपराध संख्या 107/87 दर्ज हुआ? यदि हां, तो उक्त सी. आर. 107/87 में पुलिस थाना नावां द्वारा क्या नतीजा दिया गया? उक्त प्रकरण का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पुलिस थाना, नावां (जिला नागौर) में बिजली चोरी का मुकदमा सी. आर. 113/89 दिनांक 11-12-89 दर्ज कराया गया था? यदि हां, तो उक्त अपराध में पुलिस ने क्या रिपोर्ट दी? यदि नहीं दी तो उसका क्या कारण रहा है तथा मामले की जांच में कोई हेराफेरी किया जाना सही है? यदि हां, तो जांच अधिकारी के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। थाना नावां पर अपराध संख्या 107/87 दर्ज हुआ जिसमें बाद अन्वेषण अन्तिम प्रतिवेदन (अदम वकुआ) में दी गई। विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" पर अंकित है।

(2) यह सही है कि अपराध संख्या 113/89 धारा 39 आई. ई. एक्ट के तहत थाना नावां पर दर्ज हुआ था। उक्त अपराध का अन्वेषण पूर्ण कर पुलिस द्वारा अंतिम प्रतिवेदन अदम वकुआ में दिनांक 31-12-89 को दिया जा चुका है। नतीजा विवरण परिशिष्ट "ब" पर अंकित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

पुलिस थाना सांचौर (जालौर) में गबन का मामला

1092. श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचौर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जिला जालौर के पुलिस थाना सांचौर में श्री भीखाराम विश्नोई के खिलाफ सी. आर. नं. 36, 64, 73 के जरिये मुकदमा गबन व फरजी मस्ट्रोल के बाबत दर्ज किया गया था? यदि हां, तो क्या इस मुकदमा में दोषी पाने के कारण आई. जी. पी., सी. आई. डी. क्राइम जयपुर में चालान पेश करने के आदेश दिये थे। यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह सही है कि मुलजिमान के खिलाफ वारन्ट भी मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, सांचौर द्वारा सी. आई. डी. ने ले लिये थे?

(श्री लक्ष्मीचन्द मेहता)

यदि हां, तो कब और वारण्ट बिना तामील वापिस पेश कर दिये ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि मार्च, 1990 में उक्त मुकदमा में दो माह में नतीजा देने का आश्वासन सदन में दिया गया था ? यदि हां, तो अब तक चालान पेश नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त मुकदमों में जांच अधिकारी ने चार्जसीट भी तैयार कर दी थी तो अभी तक चालान पेश न करने के क्या कारण हैं ? क्या यह भी सही है कि श्री भीखाराम को राज्य सरकार द्वारा सस्पैंड किया गया है ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(1) जी हां । अभियोग संख्या 36/88 व 73/88 में चालान के तथा अभियोग संख्या 64/88 थाना सांचौर में अंतिम रिपोर्ट अदम वकुआ गलत फहमी वाका में दिये जाने के आदेश दिये गये ।

(2) जी हां । अभियोग संख्या 36/88 में 23 मुल्जिमान के विरुद्ध दिनांक 8-5-91 को मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट सांचौर से गिरफ्तारी वारण्ट प्राप्त किये गये थे । मुल्जिमान के नहीं मिलने के कारण वारण्ट अदम तामिल वारण्ट की अवधि दिनांक 13-5-91 तक ही होने के कारण तारीख पेशी दिनांक 13-5-81 को न्यायालय को लौटाये गये थे ।

(3) जी हां । अभियोग संख्या 36/88 व 73/88 में अभियुक्त पक्ष द्वारा बार-बार परिवाद प्रस्तुत करने के कारण पत्रावलियों की लोटा फेरी के कारण नतीजा पेश नहीं हो सका । अब शीघ्र ही नतीजा पेश किया जावेगा । अभियोग संख्या 64/88 में नतीजा तफ्तीश अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है ।

(4) जी हां । अभियोग संख्या 36/88 में चार्जसीट तैयार कर दी गई । बिन्दु नम्बर 3 में वर्णित कारणों से ही न्यायालय में चालान पेश नहीं हो पाया है ।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के आदेश क्रमांक 3/एजे (3) जांच/ जालौर/88/2046 दि. 10-6-91 द्वारा श्री भीखाराम, सरपंच ग्राम पंचायत, पुर पंचायत समिति सांचौर को निलम्बित किया गया है ।

तीर्थस्थल सरा महादेव (डग) में यातायात व्यवस्था

1093. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डग विधान सभा क्षेत्र में सरा महादेव एक ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है ? क्या वहां पूर्व में आते-जाते दो बसें उस तीर्थ स्थल तक होकर जाती थीं जो वर्तमान में बन्द है ?

(2) क्या राज्य सरकार तीर्थ स्थल के यात्रियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए शीघ्र बसें संचालित करने का विचार

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं, केवल महाशिवरात्री मेले के अवसर पर ही वाहनें मन्दिर स्थल तक जाती थी, जो वर्तमान में भी महा शिवरात्री मेले के अवसर पर मन्दिर तक संचालित की जाती है।

(2) साधारण दिनों में प्रतिदिन तीन चार यात्री ही महादेवजी जाते-आते हैं। झालावाड़-डग-चौमेहला मार्ग पर स्थित क्यासरा स्टैण्ड से महादेवजी का मन्दिर मुख्य मार्ग से हटकर 3 कि.मी. अन्दर की ओर स्थित है। इससे साधारण दिनों में मन्दिर तक वाहन संचालन अनार्थिक रहता है। साथ ही वाहनों को मन्दिर तक जाने/आने से सीधे यात्रियों पर अधिक किराये का भार पड़ने व संचालन समय अधिक लगने से भी असन्तोष उत्पन्न होने की आशंका है।

एन.के. पब्लिक स्कूल, मुरलीपुरा, जयपुर की मेटाडोर दुर्घटना

1094. श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) एवं **श्री राजपाल सिंह शेखावत** (बनीपार्क) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 7 अगस्त, 1990 को एन. के. पब्लिक स्कूल, मुरलीपुरा, जयपुर की मेटाडोर दादजी का फाटक पर रेल से टकराई और 10 बच्चे मारे गये ?

(2) क्या इस रेल्वे क्रोसिंग पर फाटक लगाने के लिए एक वर्ष पूर्व रेल्वे ने निर्णय लिया था ? यदि हां, तो एक वर्ष तक फाटक न लगाने की गलती होने के बाद भी विभाग ने रेल्वे के विरुद्ध अदालती कार्यवाही क्यों नहीं की ?

(3) मोटर व्हीकल एक्ट के अन्तर्गत विभाग ने मेटाडोर मालिक के खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

(4) क्या इस मेटाडोर का दुर्घटना के समय बीमा किया हुआ था ? यदि नहीं, तो मालिक के विरुद्ध मुआवजा देने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) इस दुर्घटना में 9 बच्चे एवं मेटाडोर का एक चालक मारा गया था।

(2) फाटक लगाने का दायित्व भारत सरकार (रेल्वे) का था। रेल्वे को फाटक लगाने हेतु लिखा गया था। रेल्वे के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु राज्य सरकार सक्षम नहीं है। अब यह फाटक लगा दिया गया है।

(3) दुर्घटना में वाहन चालक की मृत्यु हो जाने के कारण वाहन स्वामी के खिलाफ नियमित अभियोग भारतीय दण्ड संहिता में पंजीबद्ध किया गया था। वाहन स्वामी का उत्तर दायित्व वाहन सम्बन्धी दस्तावेजात का था। तफतीश में वाहन का बीमा किया हुआ नहीं पाया गया। अतः मालिक श्री

(यातायात मंत्री)

रामकरण चौधरी का मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 146/196 में चालान (इस्तगासा) ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट न्यायालय (नम्बर 10) जयपुर में दिनांक 31-3-91 को पेश किया गया था, जिस पर न्यायालय द्वारा वाहन स्वामी पर 80/- रु. जुर्माना का किया था।

(4) दुर्घटनाग्रस्त मेटाडोर का बीमा दुर्घटना के समय किया हुआ नहीं था। मालिक के विरुद्ध मुआवजा दिलवाने के लिए दुर्घटना से पीड़ित पार्टी द्वारा ही न्यायालय में मुआवजा दिलवाने सम्बन्धी याचिका दायर की जाती है जिला कलक्टर जयपुर ने मुख्य मंत्री अकाल एवं बाढ़ सहायता कोष से प्रत्येक मृतक के आश्रित को 10-10 हजार रुपये एवं प्रत्येक घायल को 2-2 हजार रुपये की सहायता उपलब्ध करवायी थी।

अधिक योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को अग्रिम वेतन वृद्धि

1095. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अपने वेतन नियमों में किसी पद पर निर्धारित योग्यता से अधिक योग्यता रखने वाले व्यक्ति को अग्रिम वेतन वृद्धि या उच्च प्रारम्भिक वेतन दिये जाने का प्रावधान किया हुआ है ? यदि हां, तो कब से ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पुस्तकालयाध्यक्षों को अपने पद एवं वेतनमान से उच्च अर्हता रखने पर अग्रिम वेतन वृद्धि अथवा उच्च प्रारम्भिक वेतन की वेतनमान नियमों में व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो किन कारणों से नहीं है ?

उत्तर

(1) जी हां। निर्धारित योग्यता से इस प्रकार की योग्यता अधिक होने पर जिसकी कार्य संपादन में उपादेयता समझी जाती है तो अधिक योग्यता धारक व्यक्ति को अग्रिम वेतन वृद्धि या उच्च प्रारम्भिक वेतन दिये जाने के प्रावधान कुछ दशकों से लागू है। इनमें समय-समय पर संशोधन किये जाते रहे हैं। वर्तमान में प्रभावशील प्रावधानों की अनुसूची संलग्न है। यह 1-9-88 से प्रभावशील हैं।

(2) जी नहीं। कार्य संपादन में इसकी उपादेयता नहीं समझे जाने के कारण ऐसा है।

(अनुसूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

विद्यालयों में नैतिक शिक्षा

1096 श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष सभी राजकीय स्कूलों में नैतिक शिक्षा प्रारम्भ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ? यदि हां, तो किन-किन कक्षाओं के लिये क्या-क्या पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया ?

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

(2) क्या यह सही है कि सभी जगह यह पाठ्यक्रम शुरू नहीं किया जा सका है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। कक्षा 1–2 के लिये नैतिक शिक्षा भाग–1 तथा कक्षा–3 के लिए नैतिक शिक्षा–2 निर्धारित कियागया।

1. कक्षा 4 एवं 5 के लिए छात्र डायरी निर्धारित की गई।

2. कक्षा 6 से 8 का पाठ्यक्रम विशिष्ट समिति द्वारा तैयार किया जा रहा है।

3. कक्षा 9 व 10 के लिए पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा तैयार किया जा रहा है।

(2) जी नहीं।

राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, मालाखेड़ा (अलवर) की प्रधानाध्यापिका की प्रतिनियुक्ति

1097. श्री जीतमल जैन (अलवर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, मालाखेड़ा (अलवर) की प्रधानाध्यापिका माह जुलाई से दिसम्बर, 1991 तक अलवर शहर में प्रतिनियुक्ति पर रही एवं इस काल में यात्रा भत्ता के रूप में राशि प्राप्त की है ? पूर्ण विवरण प्रतिनियुक्ति काल एवं यात्रा भत्ता की राशि सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) किस अधिकारी द्वारा उक्त प्रधानाध्यापिका के प्रतिनियुक्ति के आदेश जारी किये गये ?

(3) क्या यह सही है कि प्रतिनियुक्ति के आदेश जारी करने वाले अधिकारी सक्षम अधिकारी नहीं थे ? यदि हां, तो इस अनियमित कार्यवाही के लिये कौन अधिकारी दोषी है ?

(4) क्या सरकार दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। जुलाई, 1991 से दिसम्बर, 1991 तक की अवधि में सम्बन्धित प्रधानाध्यापिका द्वारा प्रतिनियुक्ति पर रहने की अवधि एवं अब तक प्राप्त यात्रा भत्ता की राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) निम्नांकित अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित प्रधानाध्यापिका की प्रतिनियुक्ति के आदेश किये गये :—

प्रतिनियुक्ति अवधि	आदेश करने वाला अधिकारी
1	2
1. 20-8-91 से 22-8-91	ज़ि शि.अ. (छात्रा) अलवर
2. 27-8-91 से 1-9-91	व.उ.जि.अ. (छात्रा) अलवर

(शिक्षा मंत्री)

1	2
3. 4-9-91 से 11-9-91	जि.शि.अ. (छात्रा) अलवर
4. 29-9-91 से 22-9-91	,, ,,
5. 24-9-91 से 22-10-91	संयुक्त निदेशक, (महिला) जयपुर

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। जांच कराई जाकर कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

मृत कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति

1098. श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आबकारी विभाग में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को राज्य सेवा में लेने के कितने मामले, किस-किस संवर्ग के कब-कब से लम्बित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार की नीति के अनुसार मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रित को तत्काल प्रभाव से राज्य सेवा में लेने का प्रावधान है ? यदि हां, तो आबकारी विभाग में एक साथ इतने मामले लम्बित होने का क्या कारण है ? इसके लिये कौन दोषी है ?

(3) क्या विभाग उपरोक्त आवेदकों को राज्य सेवा में लेने की कार्यवाही कर रहा है ? यदि हां, तो किस स्तर पर एवं उसके क्या परिणाम रहे हैं तथा सभी आश्रित आवेदकों को कब तक राज्य सेवा में लिया जावेगा ? विलम्ब के लिये कौन जिम्मेदार है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को राज्य सेवा में लेने के 7 मामले आबकारी विभाग में पेंडिंग है। जिनमें से 5 मामले वर्ष 1992 के हैं। इनकी सूची परिशिष्ट-1 पर है।

(2) राज्य सरकार द्वारा राज्य सेवा में रहते हुए राज्य कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके आश्रित को राज्य सेवा में नियुक्ति देने का प्रावधान राजस्थान राज्य सेवा काल के दौरान मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती नियम 1975 में किया गया है। इन नियमों के नियम 4 के अनुसार हर वर्ष में रिक्त पदों के 20 प्रतिशत पद इस श्रेणी के आवेदकों के लिए निर्धारित है। वर्ष 1991-92 के दौरान उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार कनिष्ठ लिपिक के 2 पद एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 3 पदों पर मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रितों को नियुक्ति दी जा चुकी है। विभाग में नियमानुसार इस हेतु पद उपलब्ध न होने के कारण विचाराधीन आवेदन-पत्रों को अग्रिम कार्यवाही हेतु कार्मिक विभाग को प्रेषित किये जा चुके हैं।

(आबकारी मंत्री)

(3) जी हां। मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों के विचाराधीन आवेदनों पर विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। आबकारी विभाग के मृतक राज्य कर्मचारियों के कोटे में पद रिक्त न होने से शेष आवेदन पत्रों को कार्मिक विभाग को पत्र सं. प. 11 (10) वित्त/आब/92 दिनांक 7-3-92 द्वारा प्रेषित कर दिया गया है ताकि जिन भी अन्य विभागों में रिक्तियां हों वहीं इन्हें नियुक्त किया जा सके।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

राज्य में जिला केन्द्रों पर सूचना केन्द्र

1099. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : क्या जनसम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में ऐसे कितने जिला केन्द्र हैं, जहां सूचना केन्द्र स्वीकृत नहीं हैं ?

(2) राजस्थान में ऐसे कितने जिला केन्द्र हैं जहां सूचना केन्द्र कार्यरत हैं किन्तु उनका अपना भवन नहीं है ?

(3) गत दो वित्तीय वर्षों में कहां-कहां सूचना केन्द्र स्वीकृत किये गये तथा कहां-कहां भवन बनाये गये ?

(4) आगामी वित्तीय वर्ष में कहां-कहां सूचना केन्द्र स्वीकृत किये जायेंगे तथा भवन बनवाये जायेंगे ?

(5) राज्य सरकार जालौर में सूचना केन्द्र कब तक स्वीकृत करने का विचार रखती है ?

(6) राज्य सरकार सिरोही में सूचना केन्द्र का भवन कब तक बनवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) नौ जिलों में सूचना केन्द्र स्वीकृत नहीं है।

(2) ग्यारह जिलों में स्थापित सूचना केन्द्रों के अपने भवन नहीं है।

(3) गत दो वर्षों में निम्न स्थानों पर सूचना केन्द्र खोले गये :

वर्ष 1989-90	शून्य
वर्ष 1990-91	चित्तौड़गढ़

इस अवधि में सूचना केन्द्र, श्रीगंगानगर एवं बांसवाड़ा के नये भवन निर्माणाधीन थे।

(4) आगामी वित्तीय वर्ष में झुन्झुनू तथा डूंगरपुर में सूचना केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है। बाड़मेर में सूचना केन्द्र के नये भवन के निर्माण का कार्य प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

(5) आठवीं पंचवर्षीय योजना में जहां सूचना केन्द्र नहीं है उन सभी जिला मुख्यालयों पर सूचना केन्द्र स्थापित करने की योजना है। परन्तु यह बजट आवंटन की स्थिति पर निर्भर करता है।

(जनसम्पर्क मंत्री)

(6) सिरोही में सूचना केन्द्र के भवन का निर्माण बजट आवंटन पर निर्भर करता है।

रेलमगरा व राजसमन्द में वैद्यों के रिक्त पद

1100. श्री शांतिलाल (राजसमन्द) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रेलमगरा एवं राजसमंद तहसीलों में कहां-कहां एवं कब-कब से वैद्यों के पद रिक्त हैं ?

(2) सरकार का रिक्त पदों की पूर्ति कब तक करने का विचार है ?

उत्तर

(1) जिला राजसमन्द की रेलमगरा तहसील के राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय काबरा में 27-11-1991 से तथा राजसमंद तहसील के राजकीय आयुर्वेद औषधालय, सांगठ में दिनांक 1 अक्टूबर, 1989 से आयुर्वेद चिकित्सक का पद रिक्त हैं।

(2) माह जून 1992 तक भर दिया जायेगा।

चूरू जिले के आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक औषधालय

1101. श्री भंवरलाल (सुजानगढ़) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला चूरू में कुल कितने आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक औषधालय हैं ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति सुजानगढ़, जिला चूरू में जो औषधालय हैं उसके स्टाफ में कौन-कौन कार्यरत हैं तथा कौन-कौन से पद हैं ? क्या सभी पदों पर पदस्थापन किया हुआ है ?

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सुजानगढ़ के इन औषधालयों में सन् 1991-92 में बहुत कम मात्रा में औषधियों का वितरण किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) चूरू जिले में 126 आयुर्वेदिक एवम् 5 होम्योपैथिक औषधालय/चिकित्सालय स्वीकृत हैं। पंचायत समितिवार सूची परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) पंचायत समिति सुजानगढ़, जिला चूरू के औषधालयों में वैद्य 21, होम्योपैथिक चिकित्सक 3, नर्स/कम्पाउण्डर-22 एवम् परिचारक 23 हैं। पदवार स्वीकृत पदों तथा इन पर कार्यरत स्टाफ का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। दो होम्योपैथिक चिकित्सक एवं एक परिचारक के अतिरिक्त सभी पदों पर पदस्थापन किया हुआ है।

(3) जी नहीं। वितरित औषधियों का औषधालय-वार विवरण परिशिष्ट 'ख" में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, उदयपुर में विवेचकों के रिक्त पद

1102. श्री गुलाबसिंह (सुमेरपुर) : **श्री प्रभुराम गरासिया** (पिण्डवाड़ा) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर में विवेचकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने पद रिक्त हैं ?

(2) यह पद कब से रिक्त हैं तथा इतने लम्बे समय तक रिक्त रहने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या इन पदों को भरने हेतु लोक सेवा आयोग को लिखा जा चुका है ? यदि हां, तो ये पद कब तक भर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) 13 पद स्वीकृत हैं। जिसमें से 5 पद तदर्थ आधार पर भरे गये हैं। 8 पद रिक्त हैं।

(2) 8 पद दिनांक 28-4-89 से रिक्त हैं। सेवा नियमों में योग्यता सम्बन्धी संशोधन विचाराधीन होने के कारण रिक्त हैं।

(3) नियमों में संशोधन के पश्चात लोक सेवा आयोग को पद भरने हेतु लिखा जावेगा।

रेवदर विधान सभा क्षेत्र के शिक्षा केन्द्र

1103. श्री टीकमचन्द कान्त (रेवदर) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) रेवदर विधान सभा क्षेत्र में पूर्व में संचालित कितने शिक्षा केन्द्र बन्द किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सभी स्थानों पर प्राथमिक शालायें खोल दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) रेवदर विधान सभा क्षेत्र में 15 शिक्षा केन्द्र बन्द किये गये। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। इनमें से चार प्राथमिक शालायें खोली गई हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

बाड़मेर व जैसलमेर में प्रसार अधिकारियों के रिक्त पद

1104. श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला बाड़मेर व जैसलमेर, पंचायत समितियों में प्रसार अधिकारी के कुल कितने पद सृजित हैं ? उनमें से प्रतिनियुक्ति हेतु कितने पद निश्चित हैं ? क्या उक्त पदों में से पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो रिक्त पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती है ?

उत्तर

जिला बाड़मेर व जैसलमेर की पंचायत समितियों में विभिन्न श्रेणियों के कुल 84 प्रसार अधिकारियों के पद स्वीकृत हैं।

(पंचायत राज राज्य मंत्री)

सभी पद प्रतिनियुक्ति हेतु निश्चित हैं। प्रसार अधिकारियों के उपरोक्त पदों में से 44 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों को शीघ्र ही भरा जायेगा।

अटरू में विकास अधिकारी का रिक्त पद

1105. श्री मदन दिलावर (अटरू): क्या पंचायत राजराज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) अटरू में पिछले तीन वर्षों में कितने समय विकास अधिकारी का पद रिक्त रहा है?

(2) क्या इससे पंचायत समिति क्षेत्र के विकास में बाधा उत्पन्न नहीं हो रही?

(3) अटरू पंचायत समिति के विकास अधिकारी के रिक्त पद सहित अन्य पदों को भी कब तक भर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) पंचायत समिति अटरू में पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित अवधि में विकास अधिकारी का पद रिक्त रहा:–

1. माह अक्टूबर 1989 से जून 1990 तक

2. माह जुलाई 1990 से जनवरी 1991 तक।

3. माह सितम्बर 1991 से दिनांक 23-2-1992 तक।

(2) जी नहीं। उपरोक्त अवधि में अन्य अधिकारी द्वारा विकास अधिकारी पद का कार्य सम्पादित किया गया, जिससे विकास कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई है।

(3) विकास अधिकारी का पद भर दिया गया है तथा अन्य रिक्त पदों को भी शीघ्र ही भरने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

पंचायत समिति छबड़ा को दी गई ट्रेकर जीप

1106. श्री नन्द किशोर शर्मा (छबड़ा): क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या गत वर्ष छबड़ा पंचायत समिति को ट्रेकर जीप दी गई थी जो कच्चे रास्तों के लायक नहीं है? यदि हां, तो उसके खरीद की स्वीकृति क्यों दी गई?

(2) उसे कब तक बदला जावेगा ताकि छबड़ा पंचायत समिति का कार्य ठीक चल सके?

(3) क्या यह सही है कि उसकी मरम्मत भी मंहगी है? उसके पुर्जे अभी बाजार में नहीं मिलते? क्या वह चौड़ी है और चार गियर नहीं हैं?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) पंचायत समिति छबड़ा को नई जीप आवंटित की जा चुकी है।

(पंचायत राज राज्य मंत्री)

(3) जी नहीं। टेम्पो टैक्स में चार गियर नहीं है परन्तु पिछले पहिये में लाकिंग सिस्टम हैं, जिसके अनुसार 65 हार्स पावर की पूरी शक्ति एक ही पहिये में उपलब्ध हो सकती हैं।

अजीतपुरा (जयपुर) में डोलोमाइट खनन की लीज

1107. श्री फूलचन्द गूर्जर (नीम-का थाना): क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि अजीतपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर में एक व्यक्ति ने डोलोमाइट खनिज की लीज प्राप्त कर ली? यदि हां तो कब, कितने समय के लिए और कितने क्षेत्र की लीज दी गई?

(2) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में उक्त खनिज उपलब्ध ही नहीं है? क्या इस लीज क्षेत्र में अधिकारियों ने लाइम-स्टोन व मार्बल जैसे अप्रधान खनिज भी शामिल कर दिये हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार इस अवैध लीज को निरस्त कर उस क्षेत्र का खनन कार्य जनहित में राजस्थान राज्य विकास निगम को देने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, उक्त पट्टा प्रथम नवीनीकरण के अन्तर्गत 21-8-82 से 20 वर्ष के लिये 59.56 हैक्टर क्षेत्र का स्वीकृत हैं।

(2) जी नहीं। इस लीज क्षेत्र में पट्टाधारी स्वयं को खनिज लाइमस्टोन व मारबल के 3 पट्टे अप्रधान खनिज रियायत नियम के अन्तर्गत स्वीकार किये गये जिनका विवरण निम्न प्रकार से है।

पट्टेधारी का नाम	खनिज व क्षेत्र	अवधि
1. श्री मोहनलाल अग्रवाल	लाइमस्टोन 300 × 300 मी.	26-283 से 10 वर्ष
2. श्री मोहनलाल अग्रवाल	मारबल 225 × 100 मी.	21-2-83 से 10 वर्ष
3. श्री मोहनलाल अग्रवाल	मारबल 10,000 वर्गमीटर	17-7-84 से 10 वर्ष

(3) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा खननपट्टे का आवंटन नियमों के अन्तर्गत किया गया है।

तहसील बागीडोरा (बांसवाड़ा) में मार्बल खदान हेतु प्राप्त आवेदन-पत्र

1108. **श्री सोमा** (बागीडोरा) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम जलदा पटवार हलका बोड़ीगामा तहसील बागीडौरा, जिला बांसवाड़ा क्षेत्र में मार्बल्स खदान के लिए आवेदन पत्र सहायक खनिज अभिन्ता के कार्यालय में प्रस्तुत किये है ? यदि हां, तो कुल कितने आवेदन पत्र ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में आदिवासियों की अपनी कृषि भूमि है और अपनी कृषि भूमि में खनन कार्य करने का प्रावधान है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम में दिनांक 8-2-92 को कुछ पूंजीपतियों ने वहां पर जाकर आदिवासियों को डराया धमकाया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि खनिज अभिन्यता कार्यालय के कुछ कर्मचारी एवं अधिकारी आदिवासियों को डराते-धमकाते है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हाँ। उक्त क्षेत्र में मार्बल्स खदान के लिये सहायक खनिज अभियन्ता बांसवाड़ा कार्यालय में अब तक 19 आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं। सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) विभाग में प्राप्त आवेदन पत्र जो विचाराधीन है, उनकी मौके की जाँच जारी है। सही स्थिति का पता मौके की जाँच के बाद ही मालूम हो पायेगा। केवल 2 मामलों में मौके पर आदिवासियों को क़ब्जे की भूमि होना ज्ञात हुआ। किसी भी आदिवासी ने अपनी कृषि भूमि के के आधार पर खनन पट्टा प्राप्त करने हेतु कोई आवेदन पत्र-प्रस्तुत नहीं किया। आदिवासी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में खनन पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने पर उस पर विचार कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(3) जी नहीं। विभाग को ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(4) जी नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 19 देखें)

भीलवाड़ा में सैण्ड स्टोन माइन्स का आवण्टन

1109. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) भीलवाड़ा जिले में सैण्डस्टोन व खरंजों के पत्थरों आदि की माईन्स लाटरी व शिथिलता बरतते हुये सन् 1985 से लेकर आज तक माइन्स आवंटित किन-किन को की गई ?

(2) जिनको आवण्टित हुई उन्होंने आंशिक रकम जमा भी करादी और एग्रीमेंट आज न हुए उनके क्या कारण रहे ? क्या नियमन की कार्यवाही जारी है ? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत नियमन कराने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में बिजौलिया क्षेत्र में सैण्डस्टोन के क्वारी लाईसेंस सन् 1985 से 1151 व्यक्तियों को लाटरी पद्धति से स्वीकृत किये गये है जिनका क्षेत्र-वार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। सन् 1985 से, भीलवाड़ा जिले में, नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए जिन-जिन व्यक्तियों को सैण्डस्टोर के क्वारी लाईसेंस स्वीकृत किये गये है उनकी सूचना परिशिष्ठ "ब" पर संलग्न हैं। खरन्जों के पत्थरों के लिए पृथक से क्वारी लाईसेंस नहीं दिये हैं।

(2) जिन लोगों को खाने आवंटित हुई हैं और जिन्होंने आवश्यक राशि नियमानुसार जमा करादी हैं, उन्हें नियमानुसार क्वारी लाईसेंस जारी किये जाते हैं। ऐसे मामलों में एग्रीमेंट नही होता इन परिस्थितियों में नियमन का कोई मामला नहीं बनता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम करड़ा (जालौर) में लीज की स्वीकृति

1110. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही हैं कि खनिज फ्लोस्पार के निकट ग्राम करड़ा, जिला जालौर में जहां राज्य खनिज विकास निगम को लीज स्वीकृत है के पास राज्य सरकार कुछ निजी व्यक्तियों को लीज स्वीकृत करने जब रही है?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त क्षेत्र निजी क्षेत्र को देने के विरूद्ध राज्य खनिज विकास निगम मजदूर संघ द्वारा भारी प्रदर्शन किए गये हैं और राज्य सरकार के विभिन्न अधिकारियों को उक्त क्षेत्र को निजी क्षेत्र में नहीं देने के लिए ज्ञापन दिए हैं?

(3) क्या यह सही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी ऐसा नहीं करने का निर्देश दिया गया था?

(4) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र खनिज विकास निगम द्वारा भी आवण्टन हेतु आवेदित किए गये हैं परन्तु राज्य सरकार द्वारा कोई निर्णय अब तक नहीं लिया गया है? क्या इससे निजी क्षेत्रों द्वारा खनिज के अनधिकृत निर्गम की संभावना बनेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम के पक्ष में खनिज फ्लोस्पार के लिये निकट ग्राम करड़ा जिला जालौर में, स्वीकृत खनन पट्टे के पास किसी निजी व्यक्ति को खनन पट्टा प्राप्त करने हेतु कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हाँ। उक्त क्षेत्र के पास निजी क्षेत्र में नियमानुसार पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र स्वीकार किये जाने पर राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम के मजदूर संघ द्वारा प्रदर्शन किया गया एवं विभाग को ज्ञापन दिया गया।

(खनिज राज्य मंत्री)

(3) माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये खान विभाग द्वारा दिनांक 1-2-1991 को क्षेत्र के सीमांकन की कार्यवाही को स्थगित करने के आदेश दिये गये।

(4) जी हां। उक्त क्षेत्र में राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम द्वारा खनन पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जो विचाराधीन है। इससे निजी क्षेत्रों द्वारा अनाधिकृत निर्गमन की कोई सम्भावना नहीं बनती। फिर भी यदि कोई अनाधिकृत निर्गमन का मामला सामने आया तो उसके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

डी. जे. कोर्ट, भीलवाड़ा के विस्तार हेतु भूमि

1111. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :–क्या विधि एवं न्याय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि डी. जे. कोर्ट, भीलवाड़ा के एक्सटेन्शन हेतु सिंचाई विभाग भूमि देने को तैयार है? यदि हां, तो इस विषयक कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई? इस प्रकरण का निपटारा अब कब तक कर दिया जायेगा?

उत्तर

जी नहीं।

आर. जे. एस. परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति

1112. श्री कन्हैयालाल (बस्सी) :– क्या विधि एवं न्याय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1991 में आर. जे. एस. के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी? यदि हां, तो कब? इस परीक्षा में कितने परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए?

(2) क्या उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई है? यदि हां, तो कब-कब? अभ्यर्थियों के नाम एवं पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। 28 मार्च, 1991 को। इस परीक्षा में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के उपरान्त अन्तिम रूप से 50 आशार्थी उत्तीर्ण हुए।

(2) जी हां दिनांक 21-1-92 तथा 1-2-92 को अभ्यार्थियों के नाम व पत्तों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भीलवाड़ा के पोषाहार केन्द्र

1113. श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) :–क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भीलवाड़ा जिले में कुल कितने पोषाहार केन्द्र चल रहे हैं? इन केन्द्रों पर पिछले तीन वर्षों में पोषाहार हेतु कौन-कौन सी सामग्री, किन-किन से खरीद कर कितनी-कितनी मात्रा में वितरित की गई?

(श्री बंशीलाल पटवा)

(2) क्या सरकार को वितरण में अनियमितताओं की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? कितनी शिकायतें विचाराधीन हैं कब से हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में 8 बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत 812 आंगनबाडी केन्द्र संचालित हैं। पिछले तीन वर्षों में पोषाहार हेतु जो सामग्री केन्द्रों पर वितरण हेतु जिन-जिन से क्रय की गई उसकी सूची सदन के पटल पर रख दी है।

(2) परियोजनाओं में वर्ष 1988-89 में मै शंकर प्रोविजन स्टोर–भीलवाड़ा से गुड़ क्रय किया गया था। इस गुड़ के किस्म घटिया होने की शिकायत निम्न परियोजनाओं से प्राप्त हुई :–

1. कोटडी 2. सहाडा 3. जहाजपुर इस फर्म के विरूद्ध कोतवाली भीलवाड़ा में एफ. आई. आर दर्ज कराई गई। अब मामला न्यायालय में विचाराधीन है। फर्म की अमानता राशि रोक दी गई। संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी निश्चित कर कार्यवाही की जा रही है।

मार्च, 1991 में श्री सुरेश जोशी, परिवहन ठेकेदार द्वारा परियोजना मांडलगढ़ के आंगनबाडी केन्द्र थदोड़ा, कासिया, मकरेडी, भूती एवं सदारामजी का खेड़ा में कम पोषाहार सप्लाई की शिकायत प्राप्त हुई तथा कुछ केन्द्रों पर गन्तव्य स्थान तक पोषाहार सप्लाई न करने की शिकायतें प्राप्त हुई है। जिसकी जांच कर ठेकेदार से 1942.88 रुपये की वसूली की गई।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(बुधवार, दिनांक 11 मार्च, 1992)

करौली–हिण्डौन क्षेत्रों में डकैतियों के प्रकरण

455. **श्री गोविन्द सहाय** (गंगापुर)– क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) करौली एवं हिण्डौन क्षेत्रों में वर्ष 1985 से अब तक कितनी डकैतियां पड़ी ? डकैतियों के दौरान डकैतों ने कितने व्यक्तियों को मारा, पुलिस द्वारा कितने डकैत पकड़े गये, कितने मारे गये, डकैतियों का कितना माल बरामद हुआ, अदालत में कितने डकैतों का चालान हुआ, कितने डकैतों को सजा हुई ?

(2) क्या यह सही है कि 13-2-1992 को गोपाल सुनार व गणपत धोबी डकैतों को करोली थाना के इलाके में ए. एस. पी. करौली ने मारने का दावा किया ? क्या वहां पर ए. एस. पी., भोपालसिंह चूंडावत भी थे ?

(3) क्या यह सही है कि करौली की आम जनता ने एक लिखित ज्ञापन पुलिस के अफसरों को इस बाबत तेश किया कि डकैत गोपाल सुनार व गणपत धोबी के साथ पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ दिखाई और इस

(श्री गोविन्द सहाय)

ज्ञापन पर पुलिस अधीक्षक, सवाई माधोपुर के.के. शर्मा ने जांच की तो पाया कि पुलिस मुठभेड़ फर्जी दिखाई गई है ?

(4) क्या यह सही है कि के.के. शर्मा ने यह जांच रिपोर्ट डी. जे. पी. क्राइम एण्ड विजीलेन्स पुलिस मुख्यालय को सम्भलाई ? यदि हां, तो उस पर अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) करौली व हिण्डोन क्षेत्रों में वर्ष 1985 से अब तक फरवर, 92 तक 23 डकैतियां पडी। डकैतियों के दौरान डकैतों द्वारा कोई व्यक्ति नही मार गया, पुलिस द्वारा 70 डकैत पकड़ गये तथा 23 डकैत मारे गये इन डकैतियों में 4 लाख, 18 हजार 900/–रुपये का माल बरामद किया गया। वर्ष 1985 में फरबरी, 92 तक 70 डकैतों के विरूद्ध चालान अदालत किये गये, अभी तक किसी भी डकैत को अदालत से सजा नहीं हुई है सभी 23 अपराध जो चालान किये गये न्यायालयों में विचाराधीन है।

(2) प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या: 64/90 के अनुसार दिनांक 13-2-90 को थाना करोली के ग्राम चूरियाकी में डकैत गोपाल सुनार व गणपत धोबी के साथ हुई पुलिस मुठभेड़ दल में अपर पुलिस अधीक्षक भी थे, पुलिस दल द्वारा इन डकैतों को मार गिराया गया था।

(3) जी हां। ग्राम जनता करौली द्वारा गुमनाम परिवाद इन आरोपो का प्राप्त हुआ था, परन्तु तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, सवाई माधोपुर द्वारा (श्री के. के. शर्मा) जाँच किये जाने के तथ्य रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं है।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता है।

याचिका का उपस्थापन

जयपुर शहर से खालें पकाने व रंगने के कारखाने को हटाने विषयक

श्री उपाध्यक्ष : याचिका का उपस्थापन। श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर शहर के चार दरवाजे बाहर मण्डी खटीकान के बीच में मृत पशुओं की खालें पकाने व रंगने के कारखाने को वहां से हटवाये जाने विषयक छह व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करती हूं।

समिति का प्रतिवेदन
जनलेखा समिति,
1991-92 का 62वां, 63वां, 64वां, 65वां, व 66वां प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। माननीय श्री हीरालाल देवपुरा।

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं जन लेखा समिति 1991-92 के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं।

(1) समिति का 62वां प्रतिवेदन
(2) समिति का 63वां प्रतिवेदन
(3) समिति का 64वां प्रतिवेदन

(श्री हीरालाल देवपुरा)

(4) समिति का 65वां प्रतिवेदन

(5) समिति का 66वां प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 28 को दिल्ली में कुछ उच्च स्तरीय मीटिंग हुई।

श्री उपाध्यक्ष : क्या कह रहे हैं आप ?

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

सरहिन्द फीडर से क्लोजर यमुना के पानी में राजस्थान का अंश

श्री यदुनाथसिंह : मैं उपाध्यक्ष महोदय, यमुना पानी के संबंध में जो कुछ निर्णय हुये हैं उनके संबंध में अपने विचार रखना चाहता हूं और सरकार से मैं एक वक्तव्य की मांग भी करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, परसों यमुना वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में, शेयरिंग के संबंध में कोई उच्च स्तरीय बैठक हुई

श्री उपाध्यक्ष : यह अब क्योंकि विनियोग विधेयक पर बहस होने पर राजस्थान का जो

श्री यदुनाथसिंह : यह मुद्दा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह जीवनमरण का प्रश्न है। उपाध्यक्ष महोदय, कल के समाचार पत्रों में 74 करोड़ घन मीटर पानी के संकेत मिले कि राजस्थान को उपलब्ध होगा और जो कुछ प्रयास सरकार ने किये खास तौर से मुख्य मंत्रीजी ने, मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूं, धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि राजस्थान में यमुना का पानी आये उसके लिये मेरे सपने साकार होते मुझे नजर आ रहे हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जो रिपोर्टें पढी उनसे मुझे शंकाएं भी हुई हैं। मैंने कल जो सुना है, केन्द्रीय संसाधन मंत्रालय में उनसे बातचीत भी की (व्यवधान) जी मेरे कोई सूत्र नहीं है। पानी के मामले में क्योंकि आप बात करते हो, उत्तर प्रदेश की सरकार में भी मेरे सूत्र हैं, हरियाणा में भी है और पंजाब में भी है। मेरी रुचि है, मैं उनकी सब जानकारी रखता हूं। मेरे सामने ही सपने साकार हो रहे हैं। सन् 1980 से मैं इस मामले को उठाता रहा हूं और मुझे गर्व है और खुशी है, मुझे आगे बढ़ने की उम्मीद लग रही है। उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन मुझे इसमें खतरे नजर आ रहे हैं। पंजाब से पेकेज डील होना है, पंजाब को पेकेज डील के कारण केन्द्रीय सरकार दबाव दे रही है और इस तरह का विचार कर रही है, हरियाणा को यमुना वाटर से कम्पनसेट कर दिया जाय, रावी व्यास का पानी पंजाब को दे दिया जाय और परसों जो मीटिंग हुयी है, माननीय मुख्य मंत्रीजी जब 12 तारीख को काल अटेन्शन मोशन का मेरा उत्तर दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम पेकेज डील करवायेंगे और पेकेज डील होगी लेकिन उसके बाद डील के जो सिद्धान्त हैं जो आपने कहा था उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। आपने रेणुका बांध की, चैनल की मन्जूरी दे आये क्योंकि दिल्ली में चुनाव होना है। दिल्ली की सरकार इण्टरेस्ट ले रही है कि पूरी दिल्ली में पानी मिले और उनकी बात करीब-करीब तय हो गयी है

श्री उपाध्यक्ष : माननीय यदुनाथसिंह जी थोड़ा सीमित करें।

श्री यदुनाथ सिंह : हथनीकुण्ड की बात तय हो गयी। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान का जहां तक सवाल है, पानी देने में उत्तर प्रदेश अड़चन डालता है, हरियाणा उसमें अड़चन डाल रहा है, उसमें सारी अड़चनें डाली गयीं और सी. डब्ल्यू. सी. आपके बेसिन के सिद्धान्त प्रतिपादित करके चूरू और झुंझनूं जिले को इस पानी से महरूम रखना चाहते हैं पानी से सिर्फ जयपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर को ही लाभ होगा बाकी जो दो जिले हैं और अगर बेसिन आउट साइड सिद्धान्त की बात आ गयी तो इससे इन क्षेत्रों के लिये हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या हो जायेगी। इसलिये मैं चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी एक वक्तव्य दें यहां पर कि क्या स्थिति है। साथ ही एक बहुत बड़ी चिन्ता हमारे सरहिन्द फीडर के क्लोजर की लग रही है। उस क्लोजर के बारे में आप प्रधान मंत्रीजी से मिले। तो प्रधानमंत्री जी का रूख है और कब तक सरहिन्द क्लोजर होगा ताकि हम अपने कार्य को पूरा कर सकें और उस क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल सके। मैं चाहता हूं सरकार से कि इस सदन को भी कान्फीडेंस में लेना चाहिये और राज्य की जनता को भी कान्फीडेंस में लेना चाहिये और हमारे सब का सहयोग भी आपको लेना चाहिये और सहयोग देने के लिये तैयार भी हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दो प्रश्न इस सदन के उपस्थित किये हैं। जहां तक हरहिन्द फीडर का क्लोजर कब से दिया जाय, इस चर्चा का सम्बन्ध है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि अभी पांच सदस्य भारत के प्रधान मंत्री से मिले थे। देवपुरा जी, देवपुराजी प्रोफेसर केदार थे, हेतरामजी बेनवाल थे और मैं भी था और हीरालाल इन्दौरा भी थे। प्रधान मंत्री को सारी बात हमने स्पष्ट रूप से रखी है और मुझे खुशी है कि प्रधान मंत्री ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि क्लोजर जल्दी से जल्दी दिया जाना चाहिये। इसके बाद मेरी माननीय मुख्य मंत्रीजी से चर्चा हुई। सरदार बेअंतसिंहजी से

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मुख्य मंत्री या प्रधान मंत्री।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुख्य मंत्री पंजाब के।

श्री रामसिंह विश्नोई : हमने सोचा राजस्थान में तो आप ही मुख्य मंत्री हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इस मुख्य मंत्री से मिलने की बात नहीं कह रहा हूं। पंजाब के मुख्य मंत्री से मिलने की बात कह रहा हूं इच्छा तो मेरी यह थी कि हमारा पूरा डेलीगेशन ही मुख्य मंत्री महोदय से मिले। लेकिन सम्भवतः उन्हें समय नहीं मिला या फिर किसी कारण से वह पंजाब हाउस में नहीं मिले। मैंने जल संसाधन मंत्री को कहकर उनके साथ और श्री बेअंतसिंह के साथ दोनों से बातचीत की और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि जल्द से जल्द क्लोजर देना चाहिए। मुझे तो आश्वासन दिया कि आज दिल्ली में जाऊंगी और दिल्ली में मैंने व्यवस्था कर दी उनसे दिल्ली मिलने की। मैं विश्वास करता हूं कि इस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

बातचीत के आधार पर क्लोजर का प्रश्न हमारे हित में जिस प्रकार हम चाहते हैं उस प्रकार मामला निपट जायेगा।

जहां तक जमुना वाटर का प्रश्न है। माननीय सदस्य जानते हैं कि 20-25 वर्षा से यह मामला भारत सरकार के बीच में और राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश हरियाणा इन सबके बीच में विचाराधीन चल रहा है। मैंने तीन या चार बैठकों में इस सम्बन्ध में भाग लिया है। मैं ऐसा समझता हूं। कि इसमें मोटे रूप से दो तीन बातें हैं जिनके बारे में अभी तक विवाद तय नहीं हुआ। पहला प्रश्न यह है कि जितना भी यमुना का जल है या इम्पाउण्डेड वाटर जितना भी है। उसमें किस राज्य का कितना हिस्सा है। एक बात। दूसरा उस हिस्से में कमिटेड यूज का प्रश्न भी विवादास्पद बना हुआ है। हमारा यह कहना है कि कमिटेड यूज केवल उन्हीं प्रोजेक्ट का माना जायेगा जो सब तरह से सेन्शन और एप्रूवड है, और एप्रूव्ड और सेन्शन्ड जितना भी और उनमें जो पानीका उपयोग होता है वह कमिटेड यूज है। उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। उस कमिटेडयूज के बाद जितना पानी बचता है तो देश की वाटर पर जो राष्ट्रीय नीति है। उसके आधार पर पीने के पानी है उस आवश्यकता की जिस राज्य की जितनी आवश्यकता की पूर्ति पीने के पानी के लिए की जाय और फिर तीसरा बचा हुआ हिस्सा है उसका इरिगेशन के पाइंट ऑफ व्यू से बंटवारा किया जाय। यह तीन प्रश्न कई दिनों से विचाराधीन चल रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कई प्रकार के आंकड़े तैयार करते हैं। उसके बाद समिति के सामने रखा जाता है। हमने पानी के लिए हमारी रिक्वायरमेण्ट 118 करोड़ घन मीटर बतानी और इस के अनुसार मांग की थी। उसको सी. डब्ल्यू. सी. ने कई आधार बनाकर 44 करोड़ घन मीटर का हिसाब लगाया। इस मीटिंग में उस पर चर्चा हुई कि इसका आधार क्या है? किस आधार पर 44 करोड़ घनमीटर बताया गया है। किस आधार पर हम ने 118 करोड़ घन मीटर बताया। उसको किस आधार पर कम किया गया। चर्चा के बाद यह नतीजा निकला कि राजस्थान को 74 करोड़ घनमीटर मिल जाय 44 से बढ़ाकर। मैंने इस बात को अब तक इसलिए स्वीकार नहीं किया कि अभी यह तय हो जाय कि एप्रूव्ड सेन्शण्ड कितनी योजना है और सेन्शण्ड मानकर यदि व्यवस्था की जाती है तो पानी हम जितनी मात्रा में चाहते हैं वह नहीं मिलेगा। इस प्रश्न के ऊपर अब तक कोई निर्णय नहीं हो पाया। यह हथनी कुण्ड और बिसाऊ इन बांधों पर यह सही है कि दिल्ली को या हम को पानी देने के लिए जो इस प्रकार से हैड वर्क्स बने हुए हैं, जो डेम्स बने हुए हैं उनकी जीर्णशीर्ण हालत है। उनकी रिपेयर होगी तब ही हमें पानी मिल पायेगा जितना पानी इम्पाउण्ड करते हैं उसमें हमारा हिस्सा होगा लेकिन उनकी हालत खराब है। इन योजनाओं के लिए विदेशी प्राप्त की जा चुकी है इसलिए भारत सरकार को इस बात की जल्दी है कि यह निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू हो जाय परन्तु हम ने शर्त लगायी है कि एक बार पानी के बंटवारे के बारे में पूरा निर्णय कर लिया जाय। उसके बाद इनके निर्माण की

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अनुमति प्राप्त करें और इन के निर्माण कार्य को चालू करवा दिया जाय। आखिर में मैंने यह भी कहा कि पिछले 20 वर्षों से हम सब प्रकार के प्रयत्न कर चुके हैं उसके बाद भी इस का निपटारा नहीं होता है तो इसमें कई समस्यायें हो जायेंगी। अनएप्रूव्ड स्कीम्स को शामिल किया तो हम ने कावेरी विवाद को देखा है जो नये सिरे लोगों के सामने आया। इसके सम्बन्ध में प्रश्न सबसे मोटा यही है कि कई राज्यों ने अनएप्रूव्ड स्कीम्स बनाकर इन स्कीम्स के अ. पानी इम्पाउण्ड करने की कोशिश की, वहां इर्रिगेशन की कोशिश की। एक राज्य ने दूसरे राज्य का विरोध किया। मैंने इस मीटिंग में यह भी कहा था कि मैं इसको सिद्धान्त: स्वीकार नहीं कर सकता हूं और सिद्धान्त: इसलिए नहीं कर सकता हूं कि चम्बल के केचमेण्ट एरिया में मध्यप्रदेश ने कुछ एन्क्रोचमेण्ट किया है। चाहे ड्रिंकिंग वाटर के नाम से किया हो, या इर्रिगेशन के नाम से किया, चाहे छोटा-छोटा कुछ किया लेकिन एक प्रकार का एन्क्रोचमेण्ट है और वह अन सेन्शन्ड है। यह अन्सेन्सन्ड की बात मैं यहां सिद्धान्त: स्वीकार कर लेता हूं तो इसका परिणाम हम को और भी भुगतना पड़ेगा। इसी प्रकार रावी व्यास के साथ कुछ एप्रूव्ड स्कीम्स जुड़ी हुई हैं बिजली उत्पादन की। एक बार हम सिद्धान्त: स्वीकार करते हैं तो इसका परिणाम ज्यादा खराब होगा राजस्थान को वह परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए सिद्धान्त: मैं इसके विरूद्ध हूं। लेकिन पानी का पूरा बंटवारा कर दिया जाता है बंटने के बाद हथनी कुण्ड, किसाऊ डेम और रेणुका डेम इन सबको रिपेयर करने का या नया बनाने का काम किया जाता है तो ले लिया जाय। इस सब बात के लिए इसी महीने की 26 तारीख को फिर मीटिंग रखी है। 26 तारीख की मीटिंग में यह फाइनल हो जायेगा। यदि पानी का बंटवारा न्याय संगत तरीके से हुआ तो हम स्वीकार करेंगे यदि न्याय संगत तरीके से नहीं होगा तो विकल्प में यह है कि इण्टर स्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट के अन्तर्गत ट्रिब्यूनल का गठन करके इस मामले को उसमें रेफर कर दिया जाय। मैं इस सम्बन्ध में यही जानकारी आपको दे सकता हूं। मैं समझता हूं यह पर्याप्त होगा।

श्री नत्थीसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात पूछना चाहता हूं।

श्री यदुनाथ सिंह : एक सेकण्ड माननीय सदस्य। मैं इतना ही आश्वासन आपसे चाहता हूं कि यह हरियाणा और दिल्ली की वजह से इसमें तेजी आयी है। हमारे प्रयास का उतना योगदान नहीं है। उनको जल्दी है दिल्ली को खुश करना है, हरियाणा को खुश करना है, पंजाब को पंकेज डील करनी है। इसलिए यह आश्वासन चाहता हूं कि रेणुका डेम और हथनी डेम दोनों जो हैं एक हरियाणा और दिल्ली के लिए और हिमाचल प्रदेश में रेणुका बांध बनेगा चेनल बनेगी। उसमें उनकी ही खाली स्वीकृति न हो जाय। हमारे पानी के बंटवारे का सवाल भी उस मीटिंग में साफ-साफ तय हो यह नहीं कि हम को खाली आश्वासन दे दिया जाय और हम से समझौते पर दस्तखत करा लिये जायं। और उस पर हम सहमति दे दें और हमारे

66

(श्री यदुनाथ सिंह)

पानी के बंटवारे का मामला फिर आगे के लिए लटका रह जाय। पैकेज डील होनी चाहिए। पैकेज डील होगी इस बात का आश्वासन चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से एक ही बात चाहता हूं। यह बहुत अच्छी बात है कि आप कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है और इसमें कुछ प्रगति भी हुई है लेकिन राजस्थान के जो अखबार निकले हैं आज उनमें तो ऐसा बताया है कि ऐसा फैसला हो गया है करीब- करीब 74 करोड़ घनमीटर पानी हम को पीने के लिए मिल जायेगा। लेकिन आज मैंने वहां के यू. पी. के मिनिस्टर ओम प्रकाश गुप्ता का बयान यू. पी. से निकलने वाले अखबारों में पढ़ा है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान जो हिस्सा चाहता है पीने के पानी के लिए उसमें लोग चाहते है कि आधा हिस्सा यू. पी. दे। हमारा आधा हिस्सा काट दिया जाय। हम यह कटाना मंजूर नहीं करेंगे। 44 से आगे नहीं बढ़ना चाहिए और बढ़ता है तो हरियाणा और दूसरे प्रदेशों का सबका कटना चाहिए अकेले यू. पी. का नहीं कटेगा और तब तक फैसला नहीं होगा। मैं मुख्यमंत्रीजी से जानना चाहता हूं वैसे आपका यू. पी. में ज्यादा असर होना चाहिए। हरियाणा की वजह से क्या यह बात सही है कि यू. पी. हमारा हिस्सा जो हिस्सा हम ने मांगा है उसको नहीं देना चाहता है। हरियाणा और दूसरे स्टेट नहीं मानेंगे तब तक हमारा हिस्सा नहीं मिलेगा। आज जितना अखबारों में बताया गया है राजस्थान पत्रिका और नवभारत टाइम्स आदि उसमें बहुत साफ है। पर यह अभी विवादास्पद है। 26 को तय कर लें। पर इस पर विचार करने की कृपा करें।

श्री सम्पत सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी वैसे तो आप बधाई के पात्र हैं। सारा राजस्थान आपको इस बात के लिए बधाई देता है। बहुत बड़ी आइस ब्रेक की है। यमुना वाटर में हमें कोई हिस्सा नहीं मिल रहा था इतने दिनों से यह अटका हुआ था। यह बात शुरू हुई और हमारा हिस्सा बढ़े। मुख्यमंत्रीजी ने अभी-अभी जो सदन में अपने अपने वक्तव्य के माध्यम से फरमाया कि नेसेसिटी के सिद्धान्त पर और बेसिन के सिद्धान्त पर अभी बहुत कुछ तय होना है। हमारा यह हक बनता है वह बेसिन के सिद्धांत पर ज्यादा बनता है और उसके लिए नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी चिन्ता व्यक्त की है। चाहे सारे राजस्थान की पूरी विधान सभा को या जन आन्दोलन के माध्यम से इसको उत्तर-प्रदेश से, पंजाब से दिल्ली से। क्योंकि दिल्ली की जनसंख्या जिस द्रुत गति से बढ़ रही है वह रोज-रोज पानी चाहेंगे और हमें एक बूंद नहीं देंगे। इसलिए इसमें और हमें एक बूंद नहीं देंगे। इसलिए इसमें राजनैतिक असर डालकर और दूसरा बेसिन के सिद्धांत को मनवाने की बात करें, की जाय। यह मुख्यमंत्री महोदय ध्यान रखें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जहां तक नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

रेनुका बांध और हथनी बांध के बारे में बात की, उसका भी एक विवाद था और विवाद था कि इसका कण्ट्रोल किस के पास हो। पहले यह कहा गया कि ओवर आल कण्ट्रोल तो भारत सरकार का होगा लेकिन वर्किंग कण्ट्रोल इसका हरियाणा सरकार के पास होगा। हमने इसका विरोध किया और विरोध करने के बाद नतीजा यह मिला और हमने एक मांग की कि इसकी एक अथारिटी बननी चाहिये। भारत सरकार ने इसको स्वीकार कर लिया कि यमुना वाटर की एक अथारिटी बनेगी और उस अथारिटी के अन्दर सारे राज्य बराबर प्रतिनिधित्व कर सकेंगे। मैं समझता हूं एक बहुत बढ़िया अचीवमेंट और बहुत बढ़िया उपलब्धि है कि पहली बार भारत सरकार ने यह स्वीकार किया कि यमुना प्राधिकरण या यमुना अथारिटी कोई भी किस प्रकार से उसका नामकरण किया जाये लेकिन इस प्रकार की स्थिति बनेगी और इसके कारण आप या भैया सब शंकित रहते हैं कि इन डैम्स में कितना पानी इम्पाउंड किया जायेगा, रैगुलेट कितना हो सकेगा, कितना पानी हमको मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, इसका सारा रैगुलेशन का वर्क इस अथोरिटी के अन्तर्गत होगा इस लिए ज्यादा चिन्ता करने की बात नहीं है। जहां तक माननीय सदस्य ने कहा कि इसमें बेसिन की थ्योरी एप्लाई की जा रही है, यह बात सही है। आखिर आपको कोई मापदण्ड तय करना पड़ेगा कि पानी का बंटवारा किस आधार पर किया जाये। बेसिन के आधार पर किया जाये बेसिन के आधार को भी मैं ऐसा समझता हूं कि अप्रत्यक्ष रूप में उन्होंने स्वीकार किया है और वह स्वीकार इस हालत में किया है कि जब 44 करोड़ घन मीटर से 74 करोड़ घनमीटर के ऊपर पहुंचे हैं तो क्वेश्चन उनके सामने यही था कि बेसिन एरिया के अन्दर अगर आप बेसिन के बेसिस पर पापुलेशन का कैलकुलेशन करेंगे अरबन में और विलेजेज में, रूरल में तो हमारा पानी ज्यादा बढ़ता है, इस आधार को, मैं यह तो नहीं कह सकता कि उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है लेकिन पानी की जो मात्रा बढ़ाई गई है उस मात्रा के बढ़ाने के पीछे का कारण बेसिन एरिया का ही है और अगर एक जगह वह बेसिन एरिया के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं तो भविष्य में भी इस आधार को उनको स्वीकार करना पड़ेगा।

तीसरा, माननीय सदस्य यह पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसका विरोध किया है। यह सही है कि उत्तर प्रदेश ने इस आधार पर विरोध किया था कि यदि हरियाणा जो अनसैंक्शन्ड स्कीम्स का पानी शामिल करके उसको कमिटेड वाटर में शामिल करते हैं तो यू. पी. के भी कुछ ऐसे कार्य हैं जो अनसैंक्शन्ड हैं उनको भी शामिल किया जाये और यदि उनको शामिल नहीं किया जाता है तो हरियाणा को भी शामिल नहीं किया जाये। उसका उत्तर यह मिला कि उत्तर प्रदेश का तो बहुत थोड़ा सा हिस्सा है, हरियाणा का ज्यादा हिस्सा है। अब किस राज्य का कितना हिस्सा कमिटेड वाटर में शामिल किया जाये उसके बारे में 26 तारीख को

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हम विचार कर लेंगे लेकिन उत्तर प्रदेश ने, राजस्थान को 74 करोड़ घन मीटर पानी दिया जाये, इसका विरोध नहीं किया है। उनको यह इम्प्रेशन था कि पानी हमारे से काट कर दिया जा रहा है वह जो केलकुलेशन्स किये हैं बेसिन के आधार पर और पापुलेशन के आधार पर, अरबन और रूरल पापुलेशन की रिक्वायरमेंट के आधार पर, उस आधार पर 74 करोड़ घन मीटर पानी होता है। उसमें किसी राज्य का पानी नहीं ले रहे हैं और न कोई राज्य हम पर कृपा कर रहा है।

श्री यदुनाथ सिंह : 74 करोड़ घन मीटर दिखती है जो 6 मिलियन एकड़ फीट बैठती है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप होशियार हैं, आपने खुद ने कहा था कि 44 करोड़ घन मीटर, तो मैंने भी घन मीटर का उपयोग किया। यदि आप एम. ए. एफ. का करते तो मैं एम. ए. एफ. का यूज कर लेता। आप बोलें घन मीटर, मैं बोलूं ही एम. ए. एफ. तो आप शायद उसमें सहमत नहीं होते। इसलिए मैंने आपके ही भाषण के अन्दर जो आपने सवाल पूछा है उसका जवाब दिया है।

सूचना

स्कूली व्याख्याताओं का प्रदर्शन

डा. चन्द्रभान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन। आज सदन के बाहर राज्य के स्कूली व्याख्याता प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी संख्या एक हजार से ऊपर है और उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षकों का यह इस सत्र में सातवां प्रदर्शन है। उनकी मांगें भी बहुत छोटी हैं। मैं समझ नहीं पाता कि शिक्षा मंत्री जी उनकी मांगों को क्यों पूरी नहीं कर सकते। जैसे अन्य अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को 9 साल, 18 साल और 27 साल के अन्तराल से तीन प्रमोशन मिलते हैं तो स्कूली व्याख्याताओं की यह मांग है कि हमको भी यह प्रमोशन मिलनी चाहिये....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन आ गया...

डा. चन्द्रभान : इन्फार्मेशन दे दूं, शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं जवाब तो दे दें ...

श्री उपाध्यक्ष : पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन का भी जवाब देंगे क्या ?

डा. चन्द्रभान : इसके आगे तो सुनिये आप। उन्होंने चेतावनी दे रखी है वह भी तो सुनिये। एक, 21 साल से उनकी डी. पी. सी. नहीं हो रही है और इन शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो 2 अप्रेल से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो छात्र-छात्राओं के इम्तिहान होने जा रहे हैं उनका वह बहिष्कार करेंगे। इससे बड़ा शंका का माहौल है और छात्रों के भविष्य पर विपरीत असर पड़ सकता है। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी स्पष्ट करें कि जब औरों को प्रमोशन दे रहे हैं 9, 18 और 27 वर्ष का और डी.पी.सी. करवा रहे हैं तो स्कूली व्याख्याताओं के क्यों नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। माननीय श्री बुलाकीदास जी कल्ला।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : वह आ गया पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह नहीं है, दूसरा है। आप मेरा लें, मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आपका क्या नाम लूं, आपका नाम नहीं है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : शनिवार को आप ही आसन पर विराजमान थे और इस सदन में यह चर्चा हुई कि जब सदन चल रहा हो उसके मध्य में कोई भी बैठक जिसमें इस सदन के माननीय सदस्य भी मेम्बर हों, नहीं हो और राजस्थान विश्वविद्यालय की सिण्डीकेट की बैठक के सम्बन्ध में यह चर्चा हुई और आपने आसन से यह निर्देश दिया कि वह बैठक स्थगित करा दी जायेगी और माननीय सचिव महोदय ने राजस्थान विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को फोन करके उक्त बैठक को स्थगित करने के निर्देश आपके माध्यम से दिये। उसके बावजूद भी वह बैठक आयोजित की गई है। निर्देशों की पालना नहीं की गई। उससे जो काम्पलीकेशन्स पैदा हुए मैं उसके सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है....

श्रीमती उजला अरोड़ा : उस मीटिंग की कार्यवाही आप समाप्त करवाइये। उन्होंने कैसे की, अवैध घोषित करिये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आपके कहने के बाद भी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में जो भी निर्णय लिये हैं उन निर्णयों को समाप्त करने का और दुबारा सदन समाप्त होने के बाद बैठक आयोजित की जाये, यह संशोधित निर्देश आप दिलायें।

डा. चन्द्रभान : माननीय शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, दो अप्रेल से इम्तिहान होंगे, यह लोग हड़ताल पर चले जायेंगे....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय डा. साहब, आपने पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन दे दी....... (व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य : दो अप्रेल से इम्तिहान हो रहे हैं, इम्तिहान की सूचना है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पिछली बार शिक्षकों का प्रदर्शन आया था तब माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि हम इस बात पर विचार करेंगे....

श्री उपाध्यक्ष : डा. अरोड़ा जी....

श्रीमती उजला अरोड़ा : पिछली बार शिक्षकों जब प्रदर्शन आया था तो मैंने और सनाढ्य साहब ने सदन के सामने स्थगन प्रस्ताव रखा था तब आपने बताया था कि कार्यवाही करेंगे, मुझे खेद है कि उनको दुबारा आना पड़ा और कार्यवाही नहीं की जा रही है....

श्री शिव किशोर सनाढ्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको जानकारी के लिए....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, माननीय सनाढ्य जी बोल रहे हैं।

श्री शिव किशोर सनाढ्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह व्याख्याताओं का जो संगठन है यह चार टुकड़ों में विभक्त हो गया है यहां पर जो आश्वासन दिया गया है....(व्यवधान) मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। वह जो हड़ताल का नोटिस है या क्या है यह कुछ नहीं है। 30 तारीख को जो सदन में आश्वासन दिया गया था, मैं आपको बता रहा हूं, उसे राज्य सरकार पूरा कर देगी और 9, 18 या 27 की जो बात है....

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष जी, यह क्या मंत्री जी की ओर से जवाब दे रहे हैं क्या ?....(व्यवधान)

श्री शिव किशोर सनाढ्य : मैं आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है और बहुत अच्छी तरह से इम्तिहान होंगे और कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है। यह केवल कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इम्तिहान होंगे....

श्री उपाध्यक्ष : सनाढ्य साहब, बिराजें।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : यह जो 9, 18 और 27 साल वाला है यह सारे राज्य कर्मचारियों के लिए लागू किया है, कोई वंचित नहीं रहने वाले हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : हम चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री जी जवाब दें....

श्री उपाध्यक्ष : आप चाहते हैं कि किसी की सुनी न जाये। डाक्टर साहब, आप बोल चुके हैं। माननीय हेतराम जी।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं हाउस से यह कहना चाहूंगा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी नहीं बोलें हमारी बात पर, तो कोई बात नहीं, सरकार कोई जवाब नहीं दे, कोई एतराज नहीं, पर उसका जवाब कोई माननीय सदस्य इस रूप में दे, यह बड़ा गलत है....

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैंने तो जानकारी दी है और जानकारी देना मेरा अधिकार है....

श्री हेतराम बेनीवाल : अगर वह कोई जवाब दें कि वह संगठन टूटा हुआ है, हमने यह कोई सवाल नहीं उठाया कि संगठन क्या है....

श्री नत्थी सिंह : आप राजनीति लाये हैं। अध्यापकों की समस्या ले कर आये हैं उन समस्याओं का आप जवाब दें ...

श्री उपाध्यक्ष : हेतराम जी, बिराजिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : जो बात आपने कही, मैंने कहा वह बात गलत है वह लोग नहीं हैं जो पहले प्रदर्शन करने आये थे....

श्री हेतराम बेनीवाल : मेरी बात सुन लीजिये। हमने एक सवाल खड़ा किया है वह किस से संगठित हैं, किससे नहीं हैं....

कौन उसके नेता हैं, किस पार्टी से सम्बन्धित हैं, यह नहीं किया। पर एक माननीय सदस्य ने उसको इस तरह से हाउस में रखा कि जैसे उसके चार टुकड़े हो गये, कोई छोटा टुकड़ा है कोई बड़ा

(श्री हेतराम बेनीवाल)

टुकड़ा है। इसका मूल्यांकन नहीं है। अगर सरकार यह समझती है...

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपकी जानकारी में आपने खबर दे दी और उनकी जानकारी में उन्होंने खबर दे दी। मंत्री महोदय खड़े हुए हैं उनको सुनो तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नेता महोदय बोल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह जो पीला पर्चा आप दिखा रहे हैं, मुझे भी 7-8 दिन पहले मिला था, जिसके अन्दर इनकी मांगों का सब उल्लेख है। उस आधार पर मैंने इन प्रतिनिधियों से बातचीत की और बीतचीत करने के बाद कहा कि इन समस्याओं का समाधान करने के लिए तो सरकार विचार करेगी, लेकिन आप परीक्षाओं में शामिल नहीं होकर जो कोअर्स करना चाहते हैं यह सरकार को कोअर्जन नहीं, लाखों विद्यार्थी जो परीक्षा देना चाहते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। मैं ऐसा समझता हूं उन्होंने इस बात को स्वीकार किया....

डा. चन्द्रभान : मांगें नहीं मानेंगे तो....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मांगें नहीं मानेंगे तो, चन्द्रभान जी, मैं पूछना चाहता हूं कि मांगें नहीं मानने की गलती तो सरकार कर रही है आपके हिसाब से और उसका दण्ड विद्यार्थियों को भुगतना पड़ेगा? मैं समझता हूं, ऐसी मांगों को....मेरी सुन लीजिये... ऐसी मांगों का समर्थन करने से पहले थोड़ा गम्भीरता से चिन्तन करना पड़ेगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : मांगों का समर्थन नहीं, हम कह रहे हैं उनसे बात तो की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनो तो सही।

श्री हेतराम बेनीवाल : हमारा एतराज यह है कि हाउस में जो जवाब आया है एक माननीय सदस्य द्वारा, वह गलत है। उसके चार टुकड़े हो गये, इसलिए बात नहीं करें?....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप जवाब सुनना नहीं चाह रहे क्या?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैंने, मेरी जानकारी में जो थी, कह दी।

डा. चन्द्रभान : ये मांगें क्या हैं, मांगें देखी हैं आपने? ये मांगें नियमानुसार हैं। मांगें आप सुनो तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : कोई जवाब नहीं चाहते हैं? आप मना लो फिर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इतना ही निवेदन कर रहा था कि आप किसी मांग को लेकर इतना तो विचार करें तो आखिर कितना रुपया सरकार को इन कामों के ऊपर खर्च करना है। बजट आपके सामने है, अलग-अलग डिमाण्ड आपके सामने रखी गयी हैं। यदि आर्गेनाइज्ड सैक्टर जो चाहेगा वही करना है तो गरीब जनता के लिए कौड़ी नहीं बचेगी। मैं आपको इसलिये

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

निवेदन करना चाहता हूं कि मांगें वाजिब होंगी वे हम स्वीकार करेंगे। मांगें गैर-वाजिब होंगी तो आप भरोसा रख कर चलिये कि दबाव में इस प्रकार की मांगें स्वीकार नहीं की जाएंगी।....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठें, बेनीवाल साहब। आप भी क्या चाह रहे हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जहां तक विद्यार्थियों का प्रश्न है उनके सब लोगों ने मुझे आश्वासन दिया है कि परीक्षाएं बाकायदा चलेंगी, परीक्षाओं में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होगा। फिर भी मैं मिलने को तैयार हूं, और उनकी मांगों के ऊपर जो भी निर्णय ले सकता हूं लेने को तैयार हूं। कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : लक्ष्मीनारायण जी, बैठिये। रामसिंह जी विश्नोई।

डा. चन्द्रभान : मुख्य मंत्रीजी से एक क्लैरिफिकेशन चाहता हूं कि अन्य कर्मचारियों को प्रमोशन दे रहे हैं 9-18-27 वर्ष पर, तो फिर स्कूली व्याख्याताओं को क्यों नहीं? डी. पी. सी. 21 साल में नहीं हुई। क्या इसमें सरकार सुधार नहीं करना चाहती? इन मांगों को गैरवाजिब मानते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है। ये मांगें गैरवाजिब हैं तो मुझे इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामसिंह जी विश्नोई। आप बैठिये। मैंने उनको कहा बोलने के लिए।....आर्डर प्लीज, आपस में बात नहीं करें। क्या कर रहे हो, डाक्टर साहब?

श्री रामसिंह विश्नोई : नेता महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे से जब वे मिले थे तो हमने कहा था कि आपने यह जो हड़ताल की धमकी दी है, हम इसके पक्ष में नहीं हैं लेकिन आप कम से कम नेता होने के नाते, आपका फर्ज भी है, कि अगर वाकई इनकी मांगें वाजिब हैं, लम्बे समय से प्रयास कर रहे हैं तो आप बैठकर शिक्षा मन्त्रीजी से या दो-तीन आदमियों की कमेटी बनाकर, जो भी उचित समझें उनसे बात कर उनको डाइरेक्शन दे दें और उनको विश्वास दे दें कि आपका आने वाले दो-तीन महीने में या जब भी आप ठीक समझें, हम निपटारा कर देंगे। मेरे ख्याल से यह मामला बैठने वाला है। इस तरह से अगर जैसे वे धमकी की बात करते हैं आप भी + + + देंगे तो फिर मामला खराब हो जायेगा, बच्चों की स्थिति खराब हो जायेगी। इसलिये इस तरह की बात आप नहीं करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कोई + + + नहीं दे रहा। वाजिब मांगों पर बात करेंगे।

श्री रामसिंह विश्नोई : आपकी गैर-मौजूदगी में हमने भी कहा है कि आप इस तरह की अगर बात कहेंगे हड़ताल की धमकी की, इसके हम पक्ष में नहीं हैं।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामसिंह विश्नोई)

उनकी यह बात हम कोई सपोर्ट करने वाले नहीं हैं। लेकिन आपका भी फर्ज है कि अगर वाकई व्याख्याताओं का लम्बे समय से मामला विचाराधीन है तो उसके ऊपर आपको सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : निश्चित रूप से इसके ऊपर समय मिलते ही उनको बुलाकर बात करेंगे और आवश्यकता पड़ी कमेटी बनाने की तो कमेटी बनाने में भी कोई संकोच नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से और बाकी के माननीय सदस्यों के माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे परीक्षाओं में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होने दें। यह सवाल मेरा नहीं है, बाकी सारी जनता का है।

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आया हुआ है, उनके प्रतिनिधि मण्डल से बात कर ली जाय।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो कह दिया है पहले आपने।....इस विषय पर चर्चा नहीं होगी।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : इस विषय पर नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या चाहते हो आप ?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : शनिवार को राजस्थान विश्वविद्यालय में सिण्डीकेट की मीटिंग थी....

श्री उपाध्यक्ष : वह बात हो चुकी है पहले।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : आपने निर्देश यहां से दे दिये थे....

श्री उपाध्यक्ष : बात हो चुकी, क्या चाह रहे हो आप ? बात हो गयी है होनी थी जो।

विधायी कार्य, पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक। माननीय श्री चतुर्भुज जी वर्मा।

श्री मनीराम सियाग : उपाध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, बिराजिये पहले।

श्री मनीराम सियाग : पाइण्ट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : क्या पाइण्ट आफ आर्डर।

श्री मनीराम सियाग : मेरा पाइण्ट आफ आर्डर यह है कि मैंने 27-3-92 को स्थगन प्रस्ताव दिया था। कंवरसेन लिफ्ट की पैरेलल माइनर्स बन रही हैं, उनको बंद करने के लिए....

श्री उपाध्यक्ष : वह जल्दी लग जायेगा आपका।

श्री मनीराम सियाग : 100-100 आदमी धरने पर बैठे हैं और बहुत ही भयंकर समस्या बनी हुई है। उसका सरकार की तरफ से जवाब भी आया है। मैं आसन

(श्री मनीराम सियाग)

की तरफ से व्यवस्था चाह रहा हूं, उसका जवाब आया है सदन शाखा में....

श्री उपाध्यक्ष : तो उस पर व्यवस्था दे दी जायेगी। बिराजिये आप।

श्री मनीराम सियाग : 10-15 काश्तकार वहां से आये हुए हैं उनको मंत्री महोदय ने बाहर कहा भी है....

श्री उपाध्यक्ष : तो आप वह स्थगन प्रस्ताव नहीं लगाना चाहते क्या? कह रहे हैं, लग जायेगा। बिराजिये आप।

श्री मनीराम सियाग : स्थिति इतनी तनावपूर्ण है कि वहां खून खराबा हो सकता है। इसलिये मैं आसन से....

श्री उपाध्यक्ष : जल्दी लग जायेगा। माननीय श्री चतुर्भुज जी वर्मा।

श्री रामनारायण वर्मा : एक मिनट, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, आसन से हम न्याय चाहते हैं। पेयजल की गांवों में इतनी भयंकर बीमारी पैदा हो गयी है कि जितने हैण्ड पम्प दो साल में सरकार ने लगाये नहीं उससे दुगने हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं। हमने स्थगन प्रस्ताव दिये हैं, दूसरे प्रस्ताव दिये हैं। वे इस सदन में लग नहीं रहे हैं औ सदन 8 तारीख को समाप्त होने जा रहा है और न कोई हमारी सुनवाई हो रही है। आज की तारीख में आप डकावती गांव में चले जाएं, वहां सारे के सारे हैण्ड पम्प खराब हैं। आप अमोरी में चले जाओ। लिखित जवाब दिया जाता है एक महीना पहले जब सदन स्टार्ट हुआ....

श्री उपाध्यक्ष : पेयजल की डिमाण्ड हुई है, उस पर आप बोल चुके हैं।

श्री रामनारायण वर्मा - वहां परित्यक्त हैंण्ड पम्प इतने ज्यादा हैं और उनमें से एक भी हैण्ड पम्प नहीं लगाया। शहर में पीने के पानी की परवाह की जाती है और गांव वाले प्यासे मरें! आज नैनवां में आप चले जाइये। गांवों में जितने हैण्ड पम्प हैं उनमें से 75 प्रतिशत खराब है। उनके बारे में कोई व्यवस्था नहीं। सरकार को इस बारे में कोई ऐसा सिद्धान्त तय करना चाहिये ताकि हैण्ड पम्प टाइम-टू-टाइम ठीक हों। एम. एल. ए. जाता है। प्रधान नहीं है, प्रमुख नहीं है। एम. एल. ए. से मैम्बर की बात भी कही जाती है और प्रधान-प्रमुख वाली भी। माननीय सदस्य क्या करे? इलाके में जाते हैं तो मेन बीमारी हैण्ड पम्प की सामने आती है कि देखिये, खड़ा है, आपकी सरकार यह कर रही है। सरकार किसकी कर रही है? सरकार तो इस सदन के नेता भैरोंसिह जी चला रहे हैं। लेकिन भैरोंसिह जी सब जगह जाकर हैण्ड पम्प ठीक नहीं कर सकते। सरकार को चाहिए कि इस तरह की कोई व्यवस्था करे। जो हैण्ड पम्प मिस्त्री हैं मुख्य मंत्रीजी से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि चार सौ रुपये उनको दिये जाते हैं। पता नहीं कहां काम करते हैं? उनका कोई पता नहीं चलता। किसी भी तरह ऐसी व्यवस्था हो ताकि गांव को इस बीमारी से छुटकारा हो और लोगों को पीने का पानी मिले।... (व्यवधान) थोड़ा-सा इस बारे में सरकार से कहलवाइये,

(श्री रामनारायण वर्मा)

ऐसे कोई नियम बनाइये। हालत बड़ी खराब है।

श्री रामस्वरूप मीणा : सब क्षेत्रों में यही हालत है। पानी की समस्या भयंकर बनी हुई है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर शहर को आयडा प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 80 प्रतिशत पानी इन्दिरा गांधी कैनाल से और 20 प्रतिशत कुओं से मिलना तय हुआ था। लेकिन विश्व बैंक के इस प्रोजेक्ट के लागू होने के बाद आज स्थिति बिलकुल बदली हुई है। आज लगभग 80 प्रतिशत पानी कुओं से मिल रहा है और 20 प्रतिशत पानी नहर से मिल रहा है। कुओं का जल स्तर नीचे गिरता चला जा रहा है। कुओं का जल स्तर गिरने के कारण और लगातार अकाल और अभाव की स्थिति होने के कारण बीकानेर में पीने के पानी की गम्भीर समस्या इससे भी ज्यादा बढ़ जाती है कि कंवरसेन लिफ्ट, लूणकरणसर....

श्री उपाध्यक्ष : बहुत संक्षेप में कहिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : बिलकुल संक्षेप में ही कह रहा हूं। उस लिफ्ट के साथ समानान्तर नहरें बनायी जा रही हैं। महीनों से पम्प सैट लगाकर पानी बिना बाड़ाबन्दी के निकाला जा रहा है, इससे पीने का पानी बीकानेर शहर में उपलब्ध नहीं हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, बिजली की कमी और नहरें कई जगह टूट जाने के कारण बीकानेर शहर के निचले इलाकों में पानी बहुत कम आता है। इसके कारण लक्ष्मीनाथ जी का एरिया, डाकोती मौहल्ले और कोठारियों के मोहल्ले में पीने के पानी की गम्भीर समस्या बनी हुई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं, क्योंकि जलदाय विभाग मंत्री जी तो अभी सदन में उपस्थित नहीं है। सरकार प्रतिवर्ष 1 से 2 करोड़ रुपये बिजली के बिल पर खर्च करती है। रिजर्वायर की प्रशासनिक स्वीकृति 9 महीने पहले जारी की गई थी लेकिन उसकी तकनीकी स्वीकृति पिछले 9 महीने से नहीं निकल रही है, जिसके कारण से रिजर्वायर की लागत जो 3 करोड़ के लगभग थी वह आज 6 करोड़ से ऊपर हो गई है।

ऐसी स्थिति में क्या राज्य सरकार 2 करोड़ का बिजली का बिल चुकाना पसन्द करेगी अथवा इसके लिए रिजर्वायर बनाकर चाहे नहर 15–20 दिन बन्द रहे और बीकानेर शहर की रिजर्वायर बन जायेगी तो बिछवाल जलाशय में कम से कम 20–21 दिन पानी इकट्ठा रहेगा और शहर की समस्या का स्थाई समाधान होगा। इसके लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाय और तकनीकी स्वीकृति अविलम्ब जारी की जाय।

विधायी कार्य: विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1992

श्री उपाध्यक्ष : पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक। माननीय श्री चतुर्भुज वर्मा।

श्री चतुर्भुज वर्मा (सहकारिता मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान संस्थान रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री चतुर्भुज वर्मा (सहकारिता मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करता हूं।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1992

श्री उपाध्यक्ष : श्री टीकमचन्द कान्त। (व्यवधान) परसों उनका रह गया था, नाम था उनका।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : विपक्ष की ओर से शुरू करवाएं, श्रीमन्।

श्री उपाध्यक्ष : इनका नाम पुकार दिया था मैंने। परसों श्री चन्दनमल जी बैद से शुरू करवाया था।

श्री टीकमचन्द कान्त (रेवदर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परसों तारानगर से और फलोदी से आने वाले माननीय सदस्यों को इस बजट में कुछ क्रान्तिकारी प्रहार नहीं दीखे इसलिए इस तरह की बातें उन्होंने कहीं और नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने तो राम जन्म भूमि, एकता यात्रा और आर. एस. एस. और अन्य चीजों पर चर्चा करना प्रारम्भ कर दिया

श्री यदुनाथ सिंह : श्री ओमप्रकाशजी गुप्ता ने शुरू किया।

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात जो तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही थी वह यह थी कि केन्द्र को राज्य कमजोर कर रहे हैं। अब इनके तात्पर्य से केन्द्र एक अलग चीज है और राज्य अलग चीज है। हम तो अखण्ड भारत और एकता की बात करने वाले लोग हैं, राज्य को अलग इतना नहीं समझते हैं लेकिन इनके मन के अन्दर जो विचार हैं उनके कारण से इस बात को बे-मतलब तूल दिया जा रहा है। यह अपने आपको केन्द्र का भाग ज्यादा समझते है और राज्य का भाग नहीं समझते हैं (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : मैं नहीं बोल रहा हूं आपके मुख्य मंत्रीजी बोल रहे हैं। इन्होंने बजट स्पीच में यह बात कही थी, उसमें मुख्य मंत्रीजी बोले हैं, बजट स्पीच में यह बात कही है। इनकी स्पीच पढ़िए आप।

श्री टीकमचन्द कान्त : केन्द्र अगर हमारे संसाधनों पर, केन्द्र हमारी आय पर, केन्द्र हमारे अपने स्वयं के विकास पर, हमारा राज्य अपनी अलग व्यवस्था रखता है, हमारे राज्य की अलग प्रक्रिया है उसकी

(श्री टीकमचन्द कान्त)

चिन्ता हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा ? अब आप देखिए, अरावली की बात पर।

(12·45 म. प.)

(श्री जीतमल जैन, सभापति, पदासीन)

अरावली पर पेड़ लगाने की बात तो हम उपयुक्त समझते हैं, ठीक मानते हैं लेकिन उसके 5-5 किलोमीटर के एरिया के अन्दर वहां पर खनन कार्य नहीं होगा, उस व्यवस्था में क्या होगा ? हमारी जितनी भी खनिज वन सम्पदा है उसका क्या होगा ? उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल में तो ऐसा लगता है कि इस सारे के सारे कार्य पर सीधा-सीधा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का और अमेरिका का सीधा-सीधा प्रभाव पड़ता है। उसके तहत में यह सारे कार्य चल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विश्व के अन्दर क्लोरो कार्बन पैदा होती है वह पश्चिमी राष्ट्रों ने की है। हमने तो क्लोरो कार्बन की इतनी उत्पत्ति नहीं की। जिसके कारण से ओजोन परत के अन्दर बैंक होल हो गया, खड्डा हो गया। उसके लिए जिम्मेदार भारत नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार है वह पश्चिमी राष्ट्र जिन्होंने आधुनिक तकनीक के आधार पर अपने यहां केमिकल्स के जितने भी उद्योग खड़े किए हैं। उसके मुकाबले हमारे यहां इतनी क्लोरो कार्बन पैदा नहीं होती जितनी कि विश्व के अन्दर और दूसरे देशों द्वारा पैदा की जा रही है। हम नहीं कर रहे हैं तो सारा भार हम पर क्यों डाला जाय ? राज्य अपने स्तर पर यह तय करे कि कहां झाड़ियां लगानी है, कहां वन खड़ा करना है, कहां नहीं। हम पर्यावरण प्रदूषण को भी हटाना चाहते हैं, पर्यावरण को भी ठीक करना चाहते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हर चीज को केन्द्र हम पर थोपना चाहते हैं तो उसका विरोध हो सकता है। बाकी अखण्ड भारत, एकता की बात करने वाले एक राष्ट्र का चिन्तन करने वाले लोग हैं और हम पर आप यह आरोप लगा रहे हैं का हम केन्द्र को कमजोर करने की बात कर रहे हैं। यह सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने की बात हो सकती है, दिल्ली के अन्दर आपका नाम ज्यादा मात्रा में लिया जाय। इस कारण से इस बात की बात कर रहे हैं

श्री चन्दनमल बैद : धन्यवाद।

श्री टीकमचन्द कान्त : केन्द्र को किस रूप में मजबूत करना है ? क्या इन्दिरा गांधी के समय मजबूत किया गया था उस रूप में मजबूत करने की बात है, मौलिक अधिकारों का हनन, प्रतिबद्ध न्याय व्यवस्था, इमरजेन्सी, क्या इस रूप में मजबूत करना चाहते हैं ? केन्द्र को किस रूप में मजबूत करना चाहते हैं ?

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : श्री वी. पी. सिंह और श्री अड़वानी जी की तरह।

श्री टीकमचन्द कान्त : फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही थी कि इसके अन्दर कोई क्रान्तिकारी चीज नहीं है और जिस प्रकार की परिपाटी पहले जैसे चली आ रही थी वैसे ही इस बजट को आपने बना दिया, उसी प्रकार से बनाते चले आ रहे हैं।

(श्री टीकमचन्द कान्त)

सभापति महोदय, 1977 के अन्दर जिस समय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस समय भी माननीय श्री भैरोंसिंहजी शेखावत मुख्य मंत्री थे। उस समय प्रथम चिन्तन "अन्त्योदय" का दिया गया था, क्या यह क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं था? और इस बार किसानों की कर्ज माफी करना, क्या यह क्रान्तिकारी कदम नहीं था, बारानी भूमि का लगान माफ करना, क्या यह क्रान्तिकारी कदम नहीं है? यह सारी की सारी चीजें एक प्रकार से देखने की आवश्यकता है। चश्मा बदलने की आवश्यकता है आप इस रूप में नहीं देखें। क्या 62 प्रतिशत गांवों की तरफ खर्च करने की बात, यह क्रान्तिकारी कदम नहीं है? क्या पुरानी चली आ रही परिपाटी के अन्दर परिवर्तन नहीं किया गया है।

सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल (दिग्विजय सिंह) की साझा सरकार ने अपनी तरफ से अन्य क्रान्तिकारी कदम उठाये हैं। आज हमारा दुर्भाग्य है कि हम इतना प्रचार वहां नहीं कर पाये हैं लेकिन गांव का व्यक्ति स्वयं उठकर कहता है कि इस राज्य के अन्दर जितने कार्य हुए हैं पहले कभी नहीं हुए थे। भ्रष्टाचार की बात मैंने पहले भी कही थी कि जो पोलिटिकल मैन यहां बैठे हुए हैं उनमें भ्रष्टाचार नहीं है। नीचे का भ्रष्टाचार पहले से पनपा हुआ है। उसकी जड़े हैं उनको भी धीरे-धीरे निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मान्यवर, यहां पर जो पोलिटिकल लोग बैठे हैं उनमें भ्रष्टाचार नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं। रामजन्म भूमि, राम की बात, मेरे ख्याल में राष्ट्र और राज्य के बीच की परिभाषा मेरे ख्याल से वह भूल गए हैं। राष्ट्र और राज्य की परिभाषा अलग है। राष्ट्र की परिभाषा के अन्दर उसकी जनसंख्या है, उसका भूगोल है, भूमि है और साथ में उसकी संस्कृति है। बिना संस्कृति के राष्ट्र नहीं बनता। मिलीजुली संस्कृति से बना आज पाकिस्तान टूटकर बंगला देश बन गया। क्योंकि बगला संस्कृति के साथ ज्योंही पाकिस्तान ने छेड़छाड़ की पाकिस्तान से बंगला देश टूटकर अलग हो गया। दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया को राजनीतिक दृष्टि से अलग-अलग करने की जरूर कोशिश की राजनीतिक विचारधाराओं के कारण से कोशिश की गई लेकिन अन्ततोगत्वा एक होने की कोशिश कर रहे हैं। बर्लिन की दीवार टूट गई। किस प्रकार से पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी आपस में मिल गए। इसलिए संस्कृति का विरोध हुआ था। हमारी रामजन्म भूमि की बात संस्कृति पर आधारित है। (व्यवधान)

सभापति महोदय, राम का आधार हमने संस्कृति से लिया, देश की सांस्कृतिक का आधार राम है। उसके लिए कोई प्रयत्न करें, देश की सांस्कृतिक एकता के लिए कोई अगर प्रयत्न किया जाय तो उसके विरुद्ध आप राजनीति की बात करते हैं। यह राजनीति नहीं है राष्ट्रनीति है। यह राजनीति नहीं यह राष्ट्रनीति का एक अंग है (व्यवधान) सभापति महोदय, एक

(श्री टीकमचन्द कान्त)

बात और है, राष्ट्र केबिनेट एक निर्णय लेने जा रही है और एक निर्णय लिया है, हो गया वह और आज शायद उसकी घोषणा हो जाए। मैं तो उनका सिपाही हूं साथ में हूं उसमें कोई बात नहीं। लेकिन तहसील और जिला स्तर पर निर्णय लिए जा रहे हैं। शायद सत्ता का वर्गीकरण हो जाए वह बात अलग है लेकिन जयपुर के हाथ से अगर हमारी सत्ता जाती रही तो उपयोगी नहीं होगी। तहसील और जिलों के अन्दर जिस प्रकार से वहां लोग अपने मनमाने ढंग से निर्णय लें, लोग अपने हितों के लिए निर्णय ले लेंगे। उसके अन्दर हमारी सिर्फ पुकार ही पुकार रह जाएगी। हमारा अपील करने का अधिकार कहीं खो नहीं जाएं। हम यह चाहते हैं कि कुछ मामलों के अन्दर सरकार सीधे जयपुर से निर्णय ले यह आवश्यक है, नहीं तो वहां जन प्रतिनिधियों के बीच में और वहां के जिला अधिकारियों के बीच में एक नया संघर्ष खड़ा हो जाएगा।

सभापति महोदय, इसके बाद जहां तक सचिवों को सारे अधिकार देने की बात है और मंत्रियों को नहीं। अब इस मामले में करना क्या है, अखबार में जिस प्रकार से लिखा है मुझे मालूम नहीं लेकिन मेरे मन में यह आ रहा है कि इससे मंत्री की शक्ति कमजोर होगी। राजनैतिक निर्णय लेकर के जीतकर के हम यहां आते हैं और अगर उस योग्यतानुसार निर्णय नहीं लें और सारे के सारे निर्णय सचिव ही ले तो यह मंत्री को और कमजोर करने का एक तरीका होगा। मंत्री अगर कमजोर होगा तो जनतन्त्र कमजोर होगा और जनतन्त्र कमजोर होगा तो फिर कल तो यह होगा कि लोग सचिव के लिए ही वोट देना शुरू कर देंगे, क्यों हम एक नीति लेकर के आए। यह तो मेरे विचार हैं इसमें बहुत अच्छी बात भी हो सकती है।

जहां तक आर्थिक विकास की बात है, सभापति महोदय, आर्थिक विकास के साथ-साथ हमने सामाजिक विकास की बात नहीं की। उसकी तरफ अगर हमने नहीं सोचा तो हमारा अकेला आर्थिक विकास किसी काम का नहीं। सभापति महोदय, इसके लिए मैं आपको थोड़ा बताऊंगा यहां आज 1990-91 में जो जनसंख्या की गिनती हुई है उसके अन्दर, प्रोवीजनल मैंने पहले भी कहा था अनुसूचित जाति की संख्या 21·71 हो गई है और 12 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। कुल मिलाकर 33 प्रतिशत जनसंख्या इस समुदाय की बनती है, इस कमजोर समुदाय की बनती है जिसके लिए समाजकल्याण लागू होना चाहिए। आज हालत क्या है, सभापति महोदय, 1981-82 का जनजाति आयोग जो था उसने जो रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट के अनुसार गैरअनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को 4100 रुपए, ऋण के रूप में प्रति व्यक्ति हिस्से में आया। उसके मुकाबले अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के एक व्यक्ति के हिस्से 185 रुपए का ऋण आया, इस प्रकार का यह भेदभाव रहा, इस प्रकार का असन्तुलन रहा तो जिस वर्ग के लिए हम बात करते हैं, जिस समाजकल्याण की हम बात करते हैं, जिस समाज को हम उठाना चाहते हैं, वह समाज उठ नहीं पाएगा। कहां 4100 और कहां

(श्री टीकमचन्द कान्त)

185 रुपए। सभापति महोदय, समाज रूपी इस भवन के चार स्तम्भ हैं, एक स्तम्भ भी अगर इस समाज रूपी भवन का कमजोर हो जाएगा तो पूरा का पूरा समाज कमजोर हो जाएगा। आवश्यकता इस बात की है कि इस 33 प्रतिशत समुदाय की तरफ हम एक बार देखें। कार्य इस बारे में हुए हैं, बहुत अच्छे निर्णय इस बारे में लिए हैं जिनकी एक अलग सूची मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिर भी आवश्यकता है। आज अनुसूचित जाति के लिए कार्य खूब हो रहा है, अच्छे निर्णय लिए जा रहे हैं। उनके बच्चों के लिए छात्रावासों के निर्णय लिए जा रहे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए निर्णय लिए जा रहे हैं। उनको आगे बढ़ाने के लिए इन्स्टीट्यूशन खोले जा रहे हैं। लेकिन सभापति महोदय, एक विश्वास बनना चाहिए, एक बेचैनी फिर भी वह महसूस कर रहे हैं। सभापति महोदय, शेखावत साहब, के प्रति एक नया विश्वास जगाएं और उस विश्वास के कारण 1985 के बाद में 1990 में जो वोट अनुसूचित जाति का पड़ा वह हमको प्लस 9 प्रतिशत पड़ा और उस प्लस 9 प्रतिशत के कारण आज हमारे विधायकों की संख्या बढ़ी है, यहां 16 विधायक बैठे हैं अनुसूचित जाति के।

सभापति महोदय, इससे मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक क्रांतिकारी निर्णय लें। उस बैकलाग को भरने का जो निर्णय लिया है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, उसके लिए अनुसूचित जाति और जनजाति का एक-एक व्यक्ति आपको याद करेगा कि आपके समय में तीन महीने के अन्दर बैकलाग भरने का जो निर्णय लिया गया वह एक महान निर्णय लिया गया, वह एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था। आपके समय के अन्दर यह बैकलाग पूरा का पूरा भरा जाएगा।

सभापति महोदय, अब जैसे राजस्थान के अन्दर सामान्य साक्षरता 24·38 और उसके मुकाबले में अनुसूचित जाति का क्या है 14·04 और महिलाओं के अन्दर तो उसकी दर आकर के बैठती है 0·69। अब, सभापति महोदय, इसलिए हमको विशेष तौर से अगर शिक्षा की दृष्टि से क्रान्तिकारी कदम उठाना है तो माननीय मुख्यमंत्री यह घोषणा करें। पहली बात तो अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करना आवश्यक है। एक बार उनके लिए आवश्यक कर लें फिर उसके बाद कर लें मिडिल तक और उसके बाद मैट्रिक तक अनिवार्य करवाएं। एक बार राजस्थान के अन्दर यह क्रान्तिकारी कदम उठाना होगा। अगर शिक्षा नहीं मिली, और यह लोग शिक्षित नहीं हुए तो समाज का यह वर्ग आगे नहीं आएगा और यह वर्ग यदि शिक्षित होकर के आगे नहीं आएगा तो समाज सम्पूर्ण रूप से कमजोर हो जाएगा।

सभापति महोदय, 11 लाख परिवार हैं, 11 लाख परिवारों को समक्ष रखकर के हमको कार्यक्रम बनाना पड़ेगा, 5553 गांव ऐसे हैं जहां तीस प्रतिशत अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग रहते हैं।

(श्री टीकमचन्द कान्त)

5553 गांव हैं। पहले चयन करना पड़ेगा 5553 गांवों का, हां बाल्मिकी योजना के तहत हमने 100 गांवों का पिछली बार चयन किया इस बार 100 गांवों का और चयन किया। उनको पचास हजार रुपए उनके विकास के लिए अलग दे रहे हैं। लेकिन जब इस वर्ग को ध्यान में रखकर करना पड़ेगा तो पहले 5553 गांवों का चयन करना पड़ेगा और उनके लिए योजना लानी पड़ेगी, योजनाएं बनानी पड़ेगी और रोज़गार देने पड़ेंगे वह भी बहुत आवश्यक होगा। आज अगर एक विश्लेषण देखा जाय तो, अब मैं अपने क्षेत्र की तरफ आ रहा हूं। हर क्षेत्र की सबसे बड़ी बात कि आबू के ढलान से पांच हजार एम. सी. एफ. टी. पानी निकलता है। सभापति महोदय, उसमें से सिर्फ 1200 एम. सी. एफ. टी. पानी को हम रोक पाए हैं या उसका उपयोग कर पाए हैं, 3800 एम. सी. एफ. टी. पानी गुजरात में चला जाता है, गुजरात के बांधों में चला जाता है। आज बीस साल से पड़ी है सूखी सेलवाड़ा की योजना, सी. डब्ल्यू सी. के पास में पड़ी हुई है। बारह साल हो गए। उसके बारे में निर्णय नहीं लिया जा रहा है। सभापति महोदय, अगर हम कोशिश करें एक बार, अगर सी. डब्ल्यू. सी. का एक रीजनल आफिस वहां खोल दें तो बार-बार हमको अपनी बातों को लेकर दिल्ली जाने की जो बात होती है कम से कम वह तो नहीं हो। हम यहां तो कुछकर पाएं। मैंसासिह आदिवासियों का बांध 80-90 लाख रुपया हमारा पहले से खर्च हो गया वर्षों पूर्व उसके बाद के अन्दर भी कुछ नहीं हो पा रहा है और पानी फिज़ूल जा रहा है और 38 सौ एम. सी. एफ. टी. पानी, तो सभापति महोदय, कम से कम चार हजार एकड़ भूमि सिंचित की जा सकती है। सभापति महोदय, इसी प्रकार से सड़कों का मामला, चाहे बाकोलिया जी को श्रेय मिले या उनको मिले या गडवी साहब या या बूटासिंह का झगड़ा था, मुझे मालूम नहीं लेकिन 14 नवम्बर पहले घोषित किया गया जिसमें मण्डावर से होकर काण्डला की तरफ जाना था। गुजरात सरकार के और यहां के प्रांतों का अवलोकन किया जाये तो गुजरात ने तय किया था कि काण्डला, बिल्कुल सही बात है कि 35 कि. मी. कम पड़ जायेगा और इस तरह से ले जाना चाहिए था बीच में पुल वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं थी लेकिन वह घोषित किया गया, क्योंकि गडवी साहब का गांव या उनकी एक फैक्टरी थी वह उस रोड पर आती थी। सभापति महोदय, इस पर पुनर्विचार किया जाये....

(1·00 मध्याह्न)

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

14 ए की बात चली। सभापति महोदय, मंत्रीजी ने 14 ए के लिये बात की थी कि मैं इसके अन्दर सर्वे करवा रहा हूं और सर्वे में वापस मण्डावर छूट रहा है, रेवदर छूट रहा है जबकि ट्रैफिक आज सबसे अधिक काण्डला की तरफ और जितना ट्रैफिक है वह सारा का सारा सिरोही, रेवदर, मण्डार रोड पर है और सर्वे हम करवा रहे हैं वापस सिरोही रोड से होकर उदयपुर की

(श्री टीकमचन्द कान्त)

तरफ । इसलिए सभापति महोदय, इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ।

शिक्षा के मामले में मेरे क्षेत्र के रेवदर तहसील के अन्दर एक भी स्कूल माध्यमिक के रूप में क्रमोन्नत नहीं हुआ जबकि जेतावाला गांव में बहुत बढ़िया भवन है, खूब लड़के हैं, रोल में बढ़िया भवन, खूब लड़के हैं आकड़ा, यह तीन जगह ऐसी हैं जो क्रमोन्नत हो जानी चाहिए थीं और मुझे जवाब मिलता है....

श्री परसादीलाल मीणा : क्यों नहीं हुआ ।

श्री टीकमचन्द कान्त : मैं चाहूंगा सभापति महोदय, यह पिछड़े क्षेत्र हैं, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र, ऐसे विधान सभा क्षेत्र हैं जहां अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है उन क्षेत्रों के अन्दर शिक्षा का प्रचार नहीं है । शिक्षा के लिए हमको चान्स नहीं मिले यह उचित नहीं है । सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस ओर ध्यान करके, हमको रेवदर के लिए कुछ न कुछ सुविधा मुहैया करवायी जाये । पानी, सड़क और शिक्षा का ध्यान रखा जाये । इतना ही कह कर मैं विनियोग विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री सभापति : श्री नत्थी सिंह ।

श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : सभापति महोदय, इस सदन में अबकी बार जो बजट पर विचार हो रहा है । इससे तो ऐसा लगता है कि राजनैतिक पार्टियां, सिद्धान्तः गड़बड़ा गई हैं और वह नये परिवेश में, नई मुश्किलों में, नई स्थितियों में सामने आ रहे हैं । यह अच्छी बात है कि माननीय मुख्य मंत्री ने बहस अपने बजट भाषण के जरिये उठाई । हम सब लोग, पार्टियां जिस तरह रजिस्ट्रेशन करवाती हैं, हम लोग शपथ लेते हैं सविधान की । तो तीन बातें हमारे संविधान में अनिवार्य रूप से हैं । लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद । जब हम कोई नीति विषयक दस्तावेज लेकर आते हैं तो निश्चित रूप से हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि उन विषयों पर हमारा दृष्टिकोण क्या है ? मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि सरकारिया कमीशन बना है, केन्द्र सरकार है इसकी कुप्रवृत्तियां बन गई है कि वह आर्थिक शक्तियों को केन्द्रीयकरण करते जा रहे हैं । हमारे प्रांतों की सरकारें हैं, राज्यों की सरकारें हैं वह कमजोर होती चली जा रही हैं और उन्होंने सरकारिया कमीशन को उद्धरण भी दिया है । उसमें तो मैं समझता हूं ।

"There is considerable truth in saying that undue centralisation leads to blood pressure at the Center and anemia at the Provinces. The inevitable result is morbidity and inefficiency. Indeed, centralisation is not to solve but aggravate the problems of the people.

यह सही बात है । मुझे एक बात की खुशी है । माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक बात कही । भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम हमेशा सुनते चले आ रहे हैं इस

(श्री नत्थीसिंह)

बात पर बड़ा जोर था कि यूनिटरी फार्म आफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, देश में एकात्मक शासन प्रणाली होनी चाहिए तभी हमारा देश मजबूत होगा। हमारे देश में में संघीय प्रणाली स्वीकार की गई और संघात्मक संविधान बना। लेकिन मैं मंत्रीजी से इतना निवेदन करना चाहता हूं, बड़ी खुशी है कि स्टेट की पावर, सेन्टर की पावर और स्टेट को ज़्यादा पावर मिले सरकारिया कमीशन की पावर पर विचार हो, मन्जूर हो, उससे आगे भी हम जायें लेकिन लोकतन्त्र कभी मजबूत नहीं हो सकता किसी देश में, किसी प्रदेश में जब तक हम इसको अपनी शासन प्रणाली के साथ जीवन प्रणाली के साथ नहीं जोड़ेंगे। हमारे प्रदेश में क्या हो रहा है? मुख्य मंत्रीजी आपके रहते हुये इस प्रदेश में स्वायत्त शासी संस्थाओं की कब्र खुद गई है। पंचायतें हों, जिला परिषदें हों, पंचायत समितियां हों और नगरपालिकायें हों जिनके चुनाव होने से रह गये आज उनमें चुनाव होंगे नहीं उनका भी सुपरसेशन हुआ है। मुझे खुशी होती आप अपनी इस बात के साथ-साथ यह भी कहते कि हम भारत सरकार को यह कहेंगे, संसद के सदस्यों को यह कहेंगे कि हिन्दुस्तान के संविधान में संशोधन करो जिस तरह सेन्टर लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कांकरेंट लिस्ट है उसी तरह स्वायत्त शासन संस्थाओं के अधिकारों की लिस्ट भी डिफाइन होनी चाहिए। उनके अधिकार भी संवैधानिक अधिकार होने चाहिये, उनके आर्थिक स्रोत भी संवैधानिक होने चाहिए अगर यह कहते तो निश्चित रूप से आपकी बात को ज्यादा बल मिलता। लेकिन वह बात तो नहीं है वह तो हम रोज देख रहे हैं। विकास की जहां तक बात है मैं अर्ज करूंगा कि इसका क्या प्रभाव हुआ है। राजस्थान में लोकतन्त्र कमजोर हुआ है माननीय भैरोंसिंहजी के पहले साल के बजाय दूसरे साल के शासन में। पहले साल में लोकतंत्र कमजोर नहीं हुआ था, किसी तरह से बच गया था।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर): पहले में आप थे।

श्री नत्थी सिंह: हम थे, यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं इस विषय पर कांग्रेस पार्टी के लोगों को एक तरह से लगा कि षड़यन्त्र है, केन्द्र को कमजोर करने की साजिश हो रही है। चार-चार स्टेट्स ज्ञापन दे रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी सरकारिया कमीशन की मांग कर रहे हैं। मुझे पता नहीं उनके विचार कब से बदल गये कि इस देश में लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण हो। उसकी मान्यता स्वराज में क्या हो? ग्राम स्वराज्य क्या हो। हमारी शासन प्रणाली कैसी हो। इसके विषय में गांधीजी ने बहुत विषद विवेचन किया, नेहरूजी भी लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के पक्षपाती थे। आज कोई यह कहे कि केन्द्रीयकरण से ही हमारा देश मजबूत होगा, हमारी केन्द्र सरकार मजबूत होगी यह गलत है। यहां उदाहरण दिया गया देखिये बिना केन्द्रीयकरण के सोवियत अर्थ-व्यवस्था, सोवियत संघ ही खतम हो गया। मैं बड़े अदब के साथ उनसे इत्तफाक नहीं रखते हुये कहूंगा सोवियत संघ के कई और भी कारण हैं लेकिन एक बड़ा कारण यह

(श्री नत्थी सिंह)

है कि अत्यन्त केन्द्रीय व्यवस्था थी, सेंट्रलाइज्ड पावर थी और ज्यों ही उसमें थोड़ी ढील गोर्वाच्योव साहब ने दी, उनके पृष्ठों में था और उन्होंने चलाये और उन्होंने दो चलाये। उसमें क्या हुआ ? स्टेट्स को थोड़ा सा यह हुआ कि हमको पावर किसी तरह से मिलेगी। पूरी तरह से विचार करके नहीं चला, एक ईंट इधर से निकाली, एक ईंट यहां से निकाली और उससे सारा एडिफाइस तहस नहस हो गया। इसलिए हमको साफ तौर पर सोचना पड़ेगा। इस देश में लोकतन्त्र जिन्दा रखना है तो एक ईंट यहां से निकाले, एक झरोखा यहां से नहीं निकाले। मैं आपके मार्फत कहना चाहता हूं निश्चित रूप से नीचे से ऊपर तक लोकतन्त्र सजीव, सप्राण बने। आप तो कह रहे हैं कि स्टेट को एनीमिया हो गया, सेन्टर को ब्लड प्रेशर हो गया लेकिन स्वायत्त शासी संस्थाओं का तो जीवन ही निकल गया। इसलिए हमें नीचे से ऊपर तक सोचना होगा तब लोकतान्त्रिक प्रणाली चलेगी। मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की, मुझे खुशी होती, आप कई बार गांवों में जाते हो, घोषणा करते हो। लोग हमसे पूछते हैं कि मुख्य मंत्रीजी आये थे और कह गये हैं कि सरपंच का चुनाव तो पचों से हो जायेंगे। लोग कहते हैं यह क्या मामला है। जनता को जो पावर है यह ठीक है लेकिन पंचायत समिति और जिला परिषदों के चुनावों में गड़बड़ी नहीं हो इसके लिये कोई व्यवस्था करें। लेकिन सरपंच का चुनाव जनता से नहीं हो, यह भी आप कह आये। यह सदन बैठा है। आप स्वायत्तशासी संस्थाओं को क्या अधिकार देना चाहते हो ? कैसे उन्हें मजबूत करना चाहते हो ? क्यों नहीं आप इस सदन में बिल लाते, पूरी तरह विचार कराते तब हम जाकर समझते निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में आपको दिलचस्पी ही नहीं, चिन्ता भी है।

दूसरी बात कही गई है कि समाजवाद हमारा आधार है। अब समाजवाद कहां है, पता नहीं चलता। आज समाजवाद का नाम ले रहे हैं। समाजवाद जैसे उदारवाद औद्योगिक नीति आई तथा उदारवादी औद्योगिक नीति में बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भी आई, पूंजीवाद के पूरे अधिकार दिये जायं। निजीकरण की बात की जा रही है। जब समाजवाद हमारे संविधान का मूलभूत आधार है लेकिन उसका पालन हम कर पा रहे हैं या नहीं, इस बात को सोचना होगा। मैं मुख्य मंत्रीजी, इस विषय में ज्यादा क्या कहूं, लेकिन हां, इतना जरूर कहूंगा, आपने भी गांधीवादी समाजवाद को तो माना है और बम्बई के अधिवेशन में गांधीवादी समाजवाद को अपनाया था। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, और बात तो छोड़ो, मैं इस बात की प्रतीक्षा में था जिस वक्त सरकार बदली, कांग्रेस की जगह दूसरी सरकार आई, लोगों के दिमाग में यह विचार आया कि अब निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा, एक प्रगतिशील और परिवर्तनशील सरकार बनेगी, ऐसा हुआ भी, जब 1990 में सरकार बनी तो पूरे प्रदेश किसानों में, बेरोजगारों में, बूढ़ों में, गरीबों में इस बात का एहसास और विश्वास हुआ कि बड़े-बड़े पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के कर्जे तो माफ किये जा रहे हैं, पहली दफा पूरे

(श्री नत्थी सिंह)

हिन्दुस्तान में 1400 करोड़ रुपये के और राजस्थान में 300 करोड़ रुपये के ऊपर के कर्जे माफ करने की योजना बनी और उसमें से कुछ हुए, कुछ रह गये। तो मैं कहना चाहता हूं कि एक बड़ा काम था, उसमें कुछ खामी थी, उसमें कुछ मजबूरी थी लेकिन निश्चित रूप से उस दिशा में एक कदम था। समाजवाद का मतलब था कि गिरा हुआ, मेहनती, उपेक्षित वर्ग है, उसकी तरफ भी हमारा ध्यान जाय। ध्यान गया लेकिन उसके बाद हम सोचते थे कि मुख्य मंत्रीजी निश्चित रूप से किसानों के कर्जे माफ करने की शुरूआत तो करी लेकिन और कई लोग रह गये हैं। उन्होंने कहा कि बूढ़ों को पेंशन मिलेगी। वहां जाने कौन सलाह देते हैं कि बूढ़ों की पेंशन को, ठंडे बस्ते में बांध दी, सम्मान सूचक पेंशन देने की बात थी। एक बात, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनी जिसको आपने समर्थन दिया था, केन्द्र में उसकी दूसरी बात थी। हमारी दृष्टि में अभी आप संगठित और असंगठित क्षेत्र की बात कर रहे थे। कई बार ऐसा कहा जाता है कि करोड़ों की तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में बेरोजगार नौजवान घूमते फिरते हैं। जनता दल की सरकार थी, उनका यह वचन था कि हम देश के संविधान में संशोधन करेंगे और काम के अधिकार को मूल अधिकारों में जोड़ेंगे। सभापति महोदय, यह बात सही है कि इस काम के अधिजार को मूल अधिकार में लाने के लिए ड्राफ्ट बिल तैयार हो गया लेकिन तभी पता नहीं, कारण तो कई हैं, लेकिन जब बेरोजगारी मिटाने के लिए कदम उठाने की बात आई तो बी. जे. पी. ने केन्द्र की सरकार को गिरा दिया, जब रोटी और रोजी का प्रबन्ध कर रही थी तब केन्द्र की सरकार को आपने गिरा दिया और कहा कि इस देश में राम मंदिर बन जाना चाहिये। जैसा मैंने कहा तीसरा आधार जो धर्म निरपेक्षता का है। राम मंदिर बने, कौन मना करता है। लेकिन सम्प्रदाय को राजनीति में लाओ, धर्म को राजनीति में लाओ, इस दृष्टिकोण से वह सवाल उठा और उस सरकार को गिराया गया। उस सरकार के गिराने से नतीजा यह हुआ कि इस देश में आमूलचूल परिवर्तन की बात कहने लग गये थे। यह कहा गया था कि हम निश्चित रूप से काम के अधिकार को मूल अधिकारों में जोड़ेंगे और यह बात जब लायी जा रही थी, तब बी. जे. पी. ने राम के नाम पर सरकार को गिराया और निश्चित रूप से इस देश में करोड़ों नौजवानों की आशाओं और आकांक्षाओं पर कुठाराघात किया। आज यहां क्या हो रहा है? आज हमारे मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कि हम बेरोजगारी मिटायेंगे। आपने अपने जवाब में यह भी कहा कि मेरे पास लोग आते हैं, नौकरी मैं दे नहीं सकता लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि उद्योग में चले जाओ, आपके लिए सुविधा दूंगा। मुझे खुशी होती अगर इस बजट में कहीं भी इस तरह की कोई बात होती। 200, 400, 1000, 5000 रुपये से उसकी मदद कर दो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। व्यापक रूप से बेरोजगारी को दूर करने के लिए कुटीर उद्योगों के आधार पर, खेती पर आधारित उद्योगों के आधार पर हर गांव, हर तहसील का,

(श्री नत्थी सिंह)

हर पंचायत समिति का और हर जिले का क्या नक्शा है, इसके लिए क्या योजना है ? कुछ नहीं है। बातों से तो पेट भरा नहीं जा सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो बात संगठित और असंगठित क्षेत्रों के लिए की जा रही थी, जो लोग बेरोजगार नौजवान हमारे दोस्त हैं, उनके लिए इसमें कोई दिशा नहीं है। यह बात ठीक है। अब लोग कलमघिसू नौकर नहीं रखते, सफेदपोश नहीं दे सकते आप लोग, लेकिन बात और है। आप रोज निजीकरण की बात करते हो। निजीकरण की चर्चा हो गई, सैशन हो गया लेकिन आज भी आंकड़ें उठाकर देख लीजिये। आज भी कितना रोजगार है। वह या तो सरकारी नौकरी में मिलेगा या पब्लिक सैक्टर में मिलेगा। जो पायलट उद्योग है, उनमें लिंकेड रोजगार बढ़ाया। जितनी लोग आशा करते हैं, उतना मिला नहीं। जितना उनके हिस्से में होना चाहिये था, वह नहीं मिला। एक प्रतिशत भी रोजगार प्राइवेट उद्योग नहीं दे पाते। वह तो सब जगह लाभ पर आधारित हैं, आटोमेशन चाहिये इसलिए आपका कोई भी ऐसा कार्यक्रम होता काटेज इण्डस्ट्रीज के आधार पर उसमें हर हाथ को काम मिले तो इस बात को हम समझते। इसमें कोई ऐसा नहीं है। जो कुछ छोटा-मोटा काम हम दे देंगे, मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी ने एक मेहनत की थी, एक कदम उठाया था उन्होंने भूमि सेना बनाई, जिसमें लाखों लोगों को रोजगार देने की योजना थी। आपने भी बनाई। भूमि सेना बनाई, साक्षरता सेना बनाई और लोगों को निरक्षरता दूर करने के लिए और हमारी जमीन सम्बन्धी जो तरक्की नहीं हो पा रही थी उसमें काम करने के लिए लोगों को रोजगार देने की बात करिये।

इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमारा दृष्टिकोण क्या है ? हम अपने दृष्टिकोण से क्या देखते हैं। अभी यहां पर अनेक माननीय सदस्यों ने बताया, मैं उनके आंकड़ों को दोहराना नहीं चाहता। आपकी सरकार ने भी ग्रामीण विकास में नियोजन को कम किया है, सिंचाई का प्रतिशत कम किया है और सामाजिक सेवाओं को कम किया है। यह आपने ही नहीं किया यही केन्द्र की सरकार ने भी किया है। तो इस तरह से जब गिरा हुआ, पिछड़ा हुआ है तो क्या मिलेगा ? आज महंगाई की समस्या है, जो अनधिकृत सैक्टर है, सबसे ज्यादा महंगाई से पीड़ित है। इसके लिये तो आप कह देंगे कि केन्द्रीय सरकार के कारण से है। लेकिन केन्द्र सरकार के साथ आपका क्या है ? हम कहते हैं कि एक भी गांव में केरोसीन की दुकान को लाइसेंस नहीं मिलता, जो डीलर है आज उनको केरोसीन मिलता नहीं। आपने कहा हमने विकास के लिए 30 जिले और 30 काम की योजना बनाई। आपने खुद ने माना है कि जो नियोजन किया, उसका 10 प्रतिशत भी खर्च नहीं हुआ। अपना काम अपना गांव की योजना की हालत बहुत खराब है। जवाहर रोजगार योजना के बारे में सरकार कहती है कि खजाने में कोई पैसा नहीं, हमारे साधनों से कोई पैसा नहीं और उसका भी पहले 30 प्रतिशत गांव वाले दे और उसके बाद 30 प्रतिशत पंचायत बढ़ा दें और पंचायत है नहीं, कोई

(श्री नत्थी सिंह)

उसकी तरफ ध्यान देता नहीं। सारे विकास कार्य एक तरह से आपने पीछे ढकेल दिये हैं। कोई इसमें दो राय नहीं। एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, वह यह है कि हमारे इस प्रदेश में यदि तरक्की करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से आपको वे लोग जो असुरक्षित हैं, उनको क्या दिया गया? खेती की तरक्की करना चाहते हैं, तो जब यहां पर बहस हो रही थी, तब मैंने विस्तार से कहा था, आप पहले यहां नहीं थे, अब आपके सामने कहना चाहता हूं कि 26 तारीख को घरने दिये, प्रदर्शन किये, केन्द्रीय सरकार की नीतियों के खिलाफ लेकिन आपके आई. एम. एफ. और विश्व बैंक से किन शर्तों पर कर्जा ले रहे हैं, आप ही तो ले रहे हैं। आपने बजट में प्रावधान भी कर दिया। आप उन शर्तों को साफ क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों उन शर्तों को छिपा रहे हो। किसानों को आप कौनसी सुरक्षा दे रहे हो। आपकी प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को कोई सुरक्षा नहीं है। संसाधन हमारे नहीं हैं, संसाधन में विनियोजन भी आपको करना है। संसाधनों की आज जिनको जरूरत है, उनके ऊपर तो खर्चो नहीं, और आपने तवा, कड़ाही पर कर माफ कर दिया। इससे सब कुछ हो गया। केन्द्रीय सरकार ने एक नीति अपनाई है। वह नीति है कि उन्होंने जनता की नब्ज को पहचानने की कोशिश की है। नब्ज पहचानने का मतलब मध्यम वर्ग के लोग इनसे खिलाफ हो गये, ऊपर के वर्ग के लोग खिलाफ हो गये। इनको सही कर दो। जो बजट लाये, लोग इस बात पर खुश हो गये कि पैट्रोल और रसोई गैस के दाम नहीं बढ़े। इनकम टैक्स की सीमा बढ़ी। मैं कहना चाहता हूं कि पिछड़ा तबका है, किसान है, उससे भी नीचे स्तर के दूसरे लोग हैं जो बिल्कुल गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रहते हैं, उनके लिए न तो वहां कुछ किया गया और न आप मुख्य मंत्रीजी कोई ऐसी योजना लेकर आये जिनसे यह पता चलता कि पिछली बार 1990 में यह शासन बना था तब कम से कम यह आशा बंधी थी, किसानों और गरीबों का कर्जा माफ हुआ, बूढ़ों को पेंशन देने का वायदा पूरा हुआ। बेरोजगारी के लिए संविधान में संशोधन करने का हमारा अधिकार आ रहा है। अब तो आप एकदम यथा स्थितिवादी हो गये हैं। मुझे दुःख होता है जब यहां बैठकर आप कहते थे। जब ये प्रश्न उठाये जाते हैं तो आप कहते थे, अब मुझे ज्ञान हो गया है और आज वो कठिनाइयां आती हैं। कठिनाइयां तो हम यहां बैठ कर थोड़े ही जानते थे लेकिन गतिशीलता तो तभी है जब उन जंजीरों को तोड़कर, उन बाधाओं को तोड़कर निश्चित रूप से एक सही दिशा राजस्थान को मिलती। पानी की कमी नहीं है, इसमें साधन बहुत हैं, खनिज उद्योग हैं, कृषि है, उनके आधार पर ऐसी तरक्की की योजना लाते जिससे रोजगार मिलता, प्रगति होती। हमारे पानी की साधन तो वही के वही हैं। हम आशा कर रहे हैं कोई पाताल तोड़ कुओं की बड़ी स्कीम बनायें जिससे पानी मिल सके। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं इस बजट में दिशा की कमी है, साहस की कमी है, दूरदर्शिता की कमी है इसलिए मैं ऐसे एप्रोप्रिएशन बिल का समर्थन करने में असमर्थ हूं।

श्री सभापति : श्री देवेन्द्र सिंह ।

श्री देवेन्द्र सिंह (बनेड़ा) : माननीय सभापति महोदय, जब यह बजट पेश नहीं किया गया उससे पूर्व इस प्रदेश की जनता को यह आशाएं बंधी थी गत वर्ष यह सरकार आई इसलिए संभवतः इन्होंने विकास के काम कुछ कम किये होंगे, आने वाले वर्ष में और अधिक तेजी से सरकार इस प्रदेश का विकास कर सकेगी। लेकिन दुर्भाग्य है, माननीय सभापति महोदय, कि जो बजट गत वर्ष पेश किया गया और जो बजट इस वर्ष पेश किया गया उसमें सरकार अप्रगतिशील रही है। उसका एक ही प्रमाण मैं आपके सामने देना चाहता हूं।

गत वर्ष आपने 1500 प्राइमरी स्कूल खोले, 200 मिडिल स्कूल खोले, 100 सैकण्डरी स्कूल खोले और कुछ कालेज खोले। इस वर्ष आपने बजट में 1500 के बजाय 1000 प्राइमरी स्कूल कर दिये। 200 मिडिल स्कूल के 100 कर दिये और 80 सैकण्डरी व 25 सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल अपग्रेड करने का बताया। जब पिछले वर्ष हमने आपसे निवेदन किया था कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जो 6000 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चालू किये थे वह आपने एक ही पैन से बन्द कर दिये। ऐसा करके जिन गांवों में शिक्षा का विस्तार करने की कांग्रेस सरकार ने जो योजना बनाई उसको आपने धक्का पहुंचाया है इसलिए कम से कम उन स्कूलों को तो आप वापस खोलिये। आपने गत वर्ष यह कहा था कि हम बहुत गम्भीरता से इस पर विचार करेंगे और इनको खोलने की चेष्टा करेंगे। लेकिन गत वर्ष और अभी के दोनों मिला कर भी यदि हम हिसाब लगायें तो भी आज 3500 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जो गत वर्षों में कांग्रेस सरकार ने खोले और वे आज भी आप नहीं खोल पा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कोई भी सरकार जो विकास काम करना चाहती है और जो बजट पेश करती है तो आम जनता उस बजट के माध्यम से यह आशा करती है कि हमारे प्रदेश की सरकार आने वाले वर्ष में विकास करेगी, तरक्की करेगी लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जिस रोज बजट पेश किया उससे आज दिन तक एक व्यक्ति या एक भी नागरिक ने, मैं यह नहीं कहता आपके सदस्य तो रोज आपकी तारीफ करते हैं, उनको करनी भी चाहिए। क्योंकि हमारे मेवाड़ में एक कहावत है कि "छोरी ठाकर ने ठाकर कहवे तो, छोरी कहती ही ठाकर" लेकिन आम जनता कहे कि ठाकर है तब तो आप ठाकर हैं बाकी ये लोग आपको ठाकर कहें उससे क्या फायदा ? इसलिए आम आदमी में यह भावना पैदा होनी चाहिए कि प्रदेश का जो बजट आया है उससे निश्चित रूप से हमारा विकास होगा, तरक्की होगी और राजस्थान दो कदम आगे बढ़ेगा।

आज भारत सरकार ने जो बजट पेश किया है उसकी सर्वत्र प्रशंसा है। केवल हम ही नहीं करते आपकी पार्टी के लोग भी करते हैं, दूसरे लोग भी करते हैं। देश में एक वातावरण बना है कि इस सरकार के आने के बाद यहां की मुद्रास्फीति की हालत, इकोनोमी की हालत है वह निश्चित रूप से सुधरेगी और देश आगे बढ़ेगा। यही इच्छा और भावना की हम

(श्री देवेन्द्र सिंह)

आपसे उम्मीद करते थे लेकिन दुर्भाग्य है कि इस बजट में विकास के नाम से, छोटे-मोटे काम भले ही कर दो लेकिन आपके नेतृत्व में एकदम प्रदेश का विकास बढ़ जायेगा इसमें ऐसा लगता नहीं है।

सभापति महोदय, सबसे खराब काम तो इस सरकार ने किया है वह प्रजातन्त्र पर कुठाराघात किया है, वह यह है कि पंचायत राज को समाप्त किया है। इस पंचायत राज को समाप्त करके आपने गांवों में बैठे हुए लोग चाहे वे किसी भी दल के हों, मैं तो ऐसा मानता हूं आम तौर पर सरपंच किसी दल का नहीं होता है। सरपंच के दिमाग में एक बात होती है कि सके गांव का विकास हो, मेरे क्षेत्र का विकास हो, मेरे क्षेत्र की तरक्की हो और जो कुछ सरकार ने पैसा दिया है उसका हम सही उपयोग कर सकें। लेकिन पता नहीं आपने क्या सोचकर सारे पंचायती राज को ही खत्म कर दिया और पंचायती राज को खत्म करने के बाद आप रोज भाषण देते हो कि हम जल्दी ही पंचायत राज को चालू करेंगे। राजेन्द्र जैन कमीशन बैठा हुआ है। राजेन्द्र जैन तो जिस प्रकार से काम कर रहा है मैं ऐसा मानता हूं कि एक साल भर में पुनर्गठन का काम पूरा नहीं हो सकेगा। अभी एक जगह मैंने अखबार में पढ़ा, आपने कहा हम ऐसी पंचायतें बना रहे हैं जिसमें पूरी पंचायत समिति में ऐसी पंचायत महिलाओं की होगी जिसमें पटेलन तो राज करेगी और पटेलजी पालणा हिलायेंगे और कल-परसों आपने पीसांगन में कह दिया कि जिसके दो बच्चे हैं वह ही सरपंच का चुनाव लड़ सकते हैं। भले ही आप मेघवालजी या कुंवारों को बनाओ लेकिन चुनाव तो कराओ। आपकी मर्जी आये जिसको कराओ लेकिन चुनाव तो कराओ, यह तो मेहरबानी करो। यह स्थिति आ गई कि कभी तो आप पालणा हिलाते हो, कभी कुंवारों को चुनाव लड़ाते हो लेकिन ऐसा लगता है आपकी इच्छा चुनाव कराने की नहीं है। मैं आपसे बहुत गंभीरता से निवेदन करना चाहता हूं इससे गांवों का बहुत नुकसान हो रहा है। आप कितना ही पैसा गांवों में पहुंचा दो उसका 5 प्रतिशत पैसा भी खर्च नहीं होता और खर्च इसलिए नहीं होता कि जिस सचिव को आपने वहां लगाया है उसकी उस गांव के प्रति कोई पीड़ा नहीं है। हमारे यहां कोई सवाई-माधोपुर का सचिव लगा हुआ है, कोई भरतपुर का लगा हुआ है, कोई बीकानेर का लगा हुआ है। अब उस आदमी को उस गांव की क्या पीड़ा हो सकती है और क्यों वह उस गांव की तरक्की कराये? अगर थोड़ा-बहुत करता भी है तो वह कहता है कि सरपंचों की तो इंक्वायरी चल रही है, पता नहीं कल चुनाव हो जायेंगे, यह इंक्वायरी खुल जायेगी तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जायेगी। मैं अपनी नौकरी खतरे में क्यों डालूं आपका विकास हो या न हो। यह स्थिति आपने पंचायती राज की कर रखी है और यह राजेन्द्र जैन कमीशन या और बनाओ। यह तो वह बात है कि न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। इसलिए आप कृपा करें इन पंचायतों के चुनाव जिस स्थिति में आप करना चाहते हैं वह जल्दी से जल्दी आप करा दो तो मैं समझता हूं इस

(श्री देवेन्द्र सिंह)

राजस्थान की जनता का बहुत बड़ा उपकार होगा।

सभापति महोदय, देश में, प्रदेश में जो अकाल की स्थिति बनी हुई है उस पर सम्भवत: 2 तारीख को बहस होने वाली है, मैं उस पर निवेदन नहीं करना चाहता लेकिन मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रदेश की जनता अकाल से बहुत पीड़ित है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है। मैंने परसों ही भीलवाड़ा में एक मीटिंग की थी। हमने उनसे पूछा कि आप गांवों में कितना गेहूं दे रहे हो। वे कहते हैं हम 3 किलो गेहूं एक व्यक्ति को दे रहे हैं। पहले आप 5 किलो देते थे उसको कम करके आपने 3 किलो कर दिये और 3 किलो भी उन लोगों तक पहुंचता ही नहीं है और जो लोग वास्तव में लेना चाहते हैं उनकी क्रय शक्ति नहीं है। जिनको आप वास्तव में पहुंचाना चाहते हैं उनके पास तो पैसा ही नहीं है वे 3 किलो भी नहीं ले सकते। इसलिए जब तक आप इन गरीब लोगों को रोजगार मुहैया नहीं करायेंगे तब तक वहां की हालत सुधरेगी नहीं। यहां के गरीब लोग, एस. सी., एस.टी. के लोग प्रदेश छोड़कर बाहर मजदूरी के लिए भटक रहे हैं। इस स्थिति को रोका जाना परम आवश्यक है।

सभापति महोदय, हमारे चिकित्सा मंत्रीजी ने बहुत जोरों से यह कहा था कि चिकित्सा विभाग में ऐसा कर दूंगा, एक डाक्टर की जगह खाली नही रहेगी और ऐसी व्यवस्था होगी जैसे रामराज्य हो और सारी व्यवस्थायें सुधारी जायेंगी। मैं एक ही नमूना आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमारी भीलवाड़ा जिले में 4 डॉक्टर ऐसे हैं जो कोर्ट से स्टे लेकर वे वहां नौकरी कर रहे हैं। उनके मुकाबले में 4 और बैठे हुए हैं और मेडिकल मिनिस्टर को उनके कार्यकर्ता ने एक चिट्ठी लिखी। मैं पेश नहीं करना चाहता, उस चिट्ठी में उन्होंने जो कुछ लिखा उसे कोर्ट में पेश करके उन डाक्टरों ने स्टे आर्डर लिया। उसके आधार पर वे आज वहां काम कर रहे हैं। यह आपके मेडिकल मिनिस्टर की हालत है। मैं तो यह समझ नहीं पा रहा हूं आपने डिस्ट्रिक्ट लेवर हैड क्वार्टर पर हॉस्पिटल्स का एक टाइम कर दिया। जनता दुखी, मरीज दु:खी, डाक्टर दु:खी। आखिर किसकी सुविधा के लिए आपने एक टाइम किया? 2 बजे बाद हॉस्पिटल में एक भी डाक्टर उपलब्ध नहीं होता है और यदि मरीज मारा-मारा फिरे, कोई इमरजेंसी का केस भी आ जाय तो 2 बजे से लेकर 9 बजे तक एक भी डाक्टर हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है। आप किसी डॉक्टर को कॉल कीजिए और वह यदि वहां अवेलेबल होगा तो आ जायेगा नहीं तो 2 बजे से 9 बजे तक मरीज भले ही मर जाये तो भी कोई पूछने वाला नहीं है। यह आपके मेडिकल डिपार्टमेंट की कुशलता और हालत है। इक्यूपमेंट हॉस्पिटल में नहीं है, सफाई की हालत खराब है। मैं समझता हूं किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में चले जाय, सवाई मानसिंह अस्पताल में चले जाइये और आप उसकी हालत देख लीजिए आपको मालूम हो जायेगी कि हॉस्पिटल की हालत क्या है। आप चाहे अपने आपकी कितनी ही प्रशंसा

(श्री देवेन्द्र सिंह)

कर लो लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन हास्पिटल्स का दोनों टाइम कीजिए। आप सवाई मानसिंह अस्पताल में एक टाइम रखना चाहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दूर-सुदूर गांवों के लोग आते हैं. वे शाम को तीन-चार बजे वहां पहुंचे तो उनको दूसरे दिन सवेरे नौ बजे मेडिकल एड मिलेगी। यह बहुत गम्भीर मसला है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस पर विचार करें।

बिजली के सम्बन्ध में, माननीय मुख्य मंत्रीजी जब इधर बैठते थे तब भी और आज भी अपने आपको बहुत सजग बताते हैं और यह कहते हैं कि बिजली का जितना विस्तार, जनरेशन हुआ है वह मैंने किया है. बाकी कांग्रेस सरकार ने तो कुछ किया नहीं, उस पर तो मुझे कुछ निवेदन नहीं करना, लेकिन मैं आपके सामने एक नमूना पेश करना चाहता हूं कि आज भी, आपके कहने से ही कह रहा हूं, 3792 गांव इस प्रदेश में ऐसे हैं जहां बिजली तो लग गई परन्तु न एक घर में कनेक्शन लगा और न एक कुएं पर कनेक्शन लगा जबकि आपके विभाग में विद्युतीकृत गांवों के नाम से आज भी बोल रहे हैं। यह स्थिति आपके बिजली विभाग की है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक पालिसी डिसीजन इस पर कीजियेगा कि जिस गांव को आपने विद्युतीकृत घोषित कर दिया, जहां ट्रांसफार्मर लग गया, वहां कम से कम पांच-दस एग्रीकल्चर कनेक्शन लगे और जो लोग घरों में कनेक्शन लेना चाहे, चक्की का लेना चाहे, कोई सीमा तो बांधिये कि उस गांव वालों को यह महसूस हो कि हमारे गांव में बिजली आई है। केवल आपके ट्रांसफार्मर पर लट्टू लग जाने से गांव के लोगों को संतोष नहीं हो सकता। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस ओर ध्यान दें। इस साल आपने केवल 700 गांवों को बिजली देने की बात कही, गत वर्ष आपने 25 हजार कुओं को बिजली देने की बात कही, यह मार्च पूरा होने जा रहा है, मैं समझता हूं कि 25 हजार कुओं को, सभी को बिजली नहीं मिली। आप चाहे फरमा दें, मैं भीलवाड़ा जिले की कल की रिपोर्ट बता सकता हूं कि वहां नहीं बिजली मिली, मैं राजस्थान की नहीं जानता। आपकी बैक लॉग बहुत है। इस साल भी 25 हजार कुओं को बिजली देने के बाद भी बैक लॉग बहुत रहेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि संख्या पर नहीं जाकर किसी साल को आप ब्रेकिंग पाइन्ट बनाइये। किसी गांव में तो 1984 वालों को मिल रहा है, किसी गांव में 1987 वालों को मिल रहा है, किसी गांव में 1980 वालों को मिल रहा है। इसलिए आप एक यह पॉलिसी डिसीजन लीजिए कि सन् 1985 तक, 1984 तक क्लियरेंस हो गया, अब 1990-91, 89 जो भी, जितना आप कर सकते हैं, जिन लोगों ने प्रार्थना-पत्र मार्च, 1985 तक दे दिये हैं उन सबको बिजली दे दी जायेगी। तब तो आप लोगों के साथ जस्टिस करेंगे वरना यह बहुत बड़ा इन्जस्टिस गांवों में हो रहा है।

पुलिस के सम्बन्ध में मैं बहुत अधिक नहीं कहूंगा। मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं। मैंने माननीय गृह मंत्रीजी से एक प्रश्न किया कि हमारा रायला एक

(श्री देवेन्द्र सिंह)

बहुत बड़ा कस्बा है, इण्डस्ट्रियल कस्बा हो गया, आये दिन वहां पर एक्सीडेंट होते हैं, वह तीस किलोमीटर, बनेड़ा थाने से जुड़ा हुआ है। बनेड़ा थाने में जितने केस दर्ज नहीं होते हैं उससे अधिक रायला गांव के मामले थाने में दर्ज होते हैं। वहां के प्रशासन ने आपसे रिक्वेस्ट की है कि वहां पर थाना बनाना बहुत आवश्यक है। मैंने अभी प्रश्न किया था, आपने कह दिया कि वह विचाराधीन नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जब भी आप नये थाने खोलें उस पर बहुत गम्भीरता से विचार करके, उसकी आवश्यकता को समझकर, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को समझ कर, उनकी सिफारिश को ही मान कर खोलें लेकिन रायला थाना खोलने की कृपा करें। सभापति महोदय, नगरपालिका की जो हालत इस बी. जे. पी. की सरकार आने के बाद हुई है, मैं समझता हूं कि ऐसी हालत जब प्रशासक थे लोग, तब भी नहीं थी। मैं मिसाल देना चाहता हूं गुलाबपुरा नगरपालिका की। वहां चुनाव होने के बाद बी. जे. पी. के अध्यक्ष बने और अच्छी तादाद में आपके लोग वहां आ गये। करीब दो साल इस नगरपालिका को बने हो गये, आज तक वहां एक भी स्थाई समिति नहीं बनी, आज तक उसका एक बजट पास नहीं हुआ और यह स्थिति है कि चेयरमैन की मर्जी आये तो कहीं ढाई लाख रुपया खर्च कर देते हैं बिना टेण्डर के, कहीं किसी को कुछ कर देते हैं। ई. ओ नहीं माने तो उसको बदल देते हैं। इन दो सालों में सात ई. ओ. बदल गये। जो आदमी उनसे संतुष्ट नहीं, उनको तत्काल वहां से भेज देते हैं। पता नहीं, स्वायत्त शासन मंत्रीजी उनसे बहुत प्रभावित हैं, वह जब भी आते हैं यहां से ई. ओ. बदल कर ले जाते हैं। इससे और गम्भीर बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। हमारे कांग्रेस शासन में वहां की जो इण्डस्ट्रीज है, जिस नगरपालिका ने टैक्स लगाया, हमने एक प्रतिशत लगाया, उसको उन्होंने पहले 25 पर्सेन्ट किया और आज तीन पैसा कर दिया। ढाई लाख रुपये महीने की आमद नगरपालिका की, उन्होंने एक स्टॉक ऑफ पेन, बिना किसी बोर्ड के डिसीजन के, बिना सदस्यों को पूछे पांच लाख रुपये रिश्वत लेकर तीन पैसा कर दिया। मैंने आपसे निवेदन किया है कि इसकी जांच करायें, मैंने सरकार से निवेदन किया है। मैं समझता हूं कि नगरपालिका की हालत, जो आपकी छोटी नगरपालिकायें हैं, राजस्थान में यदि छोटी नगरपालिकाओं में कोई अच्छी है तो एकमात्र गुलाबपुरा की नगरपालिका है और वह इसलिए है कि वहां इण्डस्ट्रीज लगी हुई है। इण्डस्ट्रीज के माध्यम से नगरपालिका का काम अच्छा होता है। 35–40 लाख रुपये वह डवलपमेंट पर खर्च करती है लेकिन आपके चेयरमैन इस काम में लगे हुए हैं। यह हालत आपकी नगरपालिका की है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस पर गम्भीरता से विचार करें। अन्त में एक बात मैं बहुत गम्भीरतापूर्वक आपसे निवेदन करूंगा क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे विरोधी पक्ष के नेता माननीय जोशीजी आपको कोई चिट्ठी लिखें और उसका जवाब केवल यह आये कि I am getting the matter looked into. मैं समझता हूं कि यह बहुत गम्भीर बात है। जोशीशी

(श्री देवेन्द्र सिंह)

केवल विरोधी पक्ष के नेता नहीं हैं, जोशीजी इस देश में एकमात्र व्यक्ति हैं जिसने सन् 1952 से लेकर आज दिन तक अपने सारे जीवन में इस विधान सभा का प्रतिनिधित्व किया है चाहे इधर बैठ कर, चाहे उधर बैठ कर और केवल विधान सभा का ही प्रतिनिधित्व नहीं किया, जमीन से उठकर एक आदमी आया है जिसने हमेशा गरीब और पीड़ित की सेवा की है और उस गरीब और पीड़ित की सेवा के लिए आपको चिट्ठी लिखी, उनके व्यक्तिगत काम के लिए नहीं लिखी, प्रदेश के हित के लिए लिखी। वह चिट्ठी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर बहुत गम्भीरता से विचार करें।

"My dear Shri Bhairon Singhji, The Government of India has set up a National Scheduled Castes and Scheduled Tribes Financial Development Corporation in the year 1989 with the object of improving the lot of poor Scheduled Castes/Scheduled Tribes persons. One of the conditions for the grant of loan in guarantee to be tendered by the State Government. The Corporation have addressed some communications to the State Governments in the year 1990, reply to these communications has not been sent by the Rajasthan Government uptill now despite serveral reminders. On the otherhand, according to my information, Haryana has drawn Rs. 772 10 lakhs, Punjab has drawn 1191.6 lakhs, U. P. has drawn 494.51 lakhs, Himachal Pradesh has drawn, Delhi has drawn. It, thus appears that if Rajasthan lags behind in replying to the communication of the Corporation, the money which should normally come to us may flow to some other States. I am bringing this matter to your notice so that you may kindly look into this and have the reply of the Government sent to the Corporation so that our State can also draw funds from the Corporation."

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कब लिखी यह ?

श्री देवेन्द्र सिंह : यह चिट्ठी लिखी है 15-11-91 को और आपने 25-11-91 को जवाब दिया। उसमें आपने ऊपर लिख कर अन्त में यह लिखा है कि I am getting the matter looked into. उधर बैठे हुए माननीय सदस्य कहते हैं कि एस. सी., एस. टी. की आपकी सरकार बहुत हिमायती है। आंखें खुलती है आपकी इस चिट्ठी से। कैलाशजी मेघवाल, मेरी तरफ देखिये मत, इस चिट्ठी को पढ़ कर यदि आप जवाब भेज सकें तो भेजो लेकिन कृपा करके यह राजस्थान का पैसा, जो गरीब आदमी के लिए पैसा लाना चाहते

(श्री देवेन्द्र सिंह)

हैं, हम लाना चाहते हैं, आपको आगाह कर रहे हैं और यदि इसका जवाब यही मिले तो मैं समझता हूं कि ऐसा लगता है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप चाहे कितने ही आपको बड़ा समझ लें, आपकी सरकार पर आपका अंकुश नहीं रहा है। आपने किसी भी विभाग को यह चिट्ठी भेजी हो और उस चिट्ठी के बाद यदि आपका विभाग आज तक जवाब नहीं भेज सके और आप जोशीजी को यह रिप्लाई नहीं भेज सके हो कि जो क्वेरीज गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने की है उन क्वेरीज को मैंने फुलफिल कर दिया है, तो मैं समझता हूं कि आज तक उस चिट्ठी का जवाब नहीं गया है। इससे गम्भीर और क्या बात हो सकती है कि आपकी रोज चिट्ठियां लेकर जब हमारी यह हालत है तो दूसरे लोगों की क्या हालत होगी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने राजस्थान चलाया है, तीन दफा मुख्य मंत्री रहा है और आपके समकक्ष व्यक्ति है, जिसकी आप हमेशा इज्जत करते हैं, उस चिट्ठी का यदि यह जवाब जाये तो मैं समझता हूं कि इससे बड़े दुर्भाग्य की बात आपकी सरकार के लिए कोई हो नहीं सकती और यह बताती है कि आपकी सरकार पर कोई पकड़ नहीं है। आप जिसके पास चिट्ठी भेजते हैं वह इसकी इज्जत नहीं करता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा करके आप इस बात को बड़ी गम्भीरता से लें और राजस्थान के गरीब लोगों का नुकसान नहीं हो जाय, इसलिए जितनी जल्दी हो सके, पता नहीं अब तो पैसा लैप्स ही हो गया होगा, आने वाले वर्ष में मिले या न मिले, लेकिन यदि आप इसको तरजीह देकर जल्दी भेज सकें और राजस्थान के एस. सी., एस. टी. के लोगों को आप यदि यह राहत पहुंचा सकें तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा उपकार होगा। एक बात मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं। आप कितनी ही बड़ी योजनाएं सिंचाई की बना लें लेकिन जितनी सिंचाई की योजनाएं उपलब्ध हैं, साधन उपलब्ध हैं उनको सबसे पहले आप ठीक कीजिए। आप राजस्थान में जितने भी तालाब या टैंक्स आपके बने हुए हैं, खास तौर से मीडियम टैंक्स और स्माल टैंक्स जो आपके इर्रीगेशन डिपार्टमेंट के हैं, उन तालाबों का एक भी स्लूज गेट ठीक नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब बरसात आती है काश्तकार मिट्टी भरकर उस स्लूजगेट को बन्द कर देते हैं। बरसात खतम होते ही जब खोलनी पड़ती है तो काश्तकार उसको खोदकर वापस निकाल कर पानी शुरू कर देते हैं उससे हजारों एकड़ जितना पानी आप काश्तकार को उपलब्ध करा सकते हैं हजारों एकड़ पानी वेस्ट होता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसको एक कैम्पेन के तौर पर चलाइये और यह तय कीजिए कि राजस्थान में एक भी तालाब जब तक श्री कैलाश जी मेघवाल, सिंचाई मंत्री हैं पता नहीं कितने दिन रखेंगे वह रहें तब तक यह....

श्री कैलाश मेघवाल : क्यों आपकी बात हो चुकी है क्या ?

श्री देवेन्द्र सिंह : जितने दिन रहते हैं आप, आप यह तय कर लो कि एक भी तालाब राजस्थान में बगैर स्लूज गेट के

(श्री देवेन्द्र सिंह)

नहीं रहेगा और काश्तकार का पानी जो वेस्ट जाता है वह उसके खेत में पहुंचेगा। मैं समझता हूं कि आप हजारों एकड़ पानी जो वेस्ट हो रहा है उसका उसको लाभ मिलेगा और उससे काश्तकार के खेत में पानी जायेगा गरीब के खेत में पानी जायेगा और उसकी फसल बढ़ेगी। तो माननीय सभापति महोदय, मैंने यह कुछ मुद्दे आपके सामने प्रस्तुत किये और मैं उम्मीद करता हूं कि कन्सट्रक्टिव तौर से यह सरकार इन पर विचार करके जब भी मुख्य मंत्री जवाब दें इसके बारे में अवश्य कहें। लेकिन आप यह कहें कि भ्रष्टाचार को समाप्त कर रहे हैं और मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं इससे न तो आम गरीब का पेट भर रहा है और न कोई लेना-देना है। आप और आपके बाद दो-तीन और आ जायेंगे इधर से आ जायेंगे भ्रष्टाचार तो कोई समाप्त न आज हो और न कल हो। वह तो शिष्टाचार हो गया। आज कोई भी विभाग में आप चले जाओ किसी में भी बगैर पैसे कोई काम करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह मैं नहीं कहता कि हमारे टाइम में नहीं था लेकिन हमने यह कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपने तो यह कहा कि मैं नाक से निकाल लूंगा, कभी मुंह से निकाल लूंगा और पता नहीं कहां-कहां से से निकाल लूंगा लेकिन वह तो निकला नहीं....

श्री कैलाश मेघवाल : निकल रहा है।

श्री देवेन्द्र सिंह : कुछ नहीं निकल रहा है। कल अखबार में आया कि राजेन्द्र जैन के ऊपर यह साबित हो गया। यह आडिटर जनरल ने साबित कर दिया....

श्री कैलाश मेघवाल : माथुर साहब ने कहा था।

(1.43 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री देवेन्द्र सिंह : माथुर साहब को फंसाओ हम रोक रहे हैं क्या ? करो तो सही कुछ। आपने यह कहा था कि राजेन्द्र जैन के सम्बन्ध में बेरी साहब को बैठाया वह जांच करेंगे उसका प्रोसीजर बहुत जटिल है कहीं यह नहीं हो जाये, कहीं वह नहीं हो जाये। बेरी साहब ने भी आपको रिपोर्ट दे दी। कल-परसों अखबार में यह भी आ गया और फिर आपको दावे से कहता हूं कि एक भी आई. ए. एस. अधिकारी के खिलाफ आप कोई कार्यवाही तो कर दो। आप भी यहां हैं और हम भी यहां हैं। आप एक के खिलाफ नहीं कर सकते। इतनी स्ट्रांग लाबी है।....

श्री हेतराम बेनीवाल : एक के खिलाफ कर दिया।

श्री देवेन्द्र सिंह : बाईदी वे छूट गया तो क्या हो गया। गलती से साबित हो गया। वह कोई कार्यवाही हुई क्या ? इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो कर सकते हैं वही तो बोलो। 'होजाशी और करदूंलो' तो छोड़ो और बहुत गम्भीरता से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस राजस्थान की जनता को विपक्ष से, किसी से उम्मीद है तो आपसे

(श्री देवेन्द्रसिंह)

उम्मीद है। जब तक आप वहां बैठे हो, पता नहीं कितने दिन रहो लेकिन रहो तब तक तो मुस्तैदी से इस राजस्थान को आगे आगे बढ़ाने की चेष्टा करो। आपका नाम हो जायेगा वरना। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बार-बार आपको अवसर नहीं मिलेगा। सन् 1977 में मिला दो-ढाई साल में आप वापस चले गये। अभी आपने बजट में कहा कि हमने चिमटे और मूसल पर टैक्स कम कर दिया और जब इधर से कहा तो आपने कहा कि कांग्रेस वालों से लड़ने के लिए कम किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस वाले तो लड़ते ही नहीं हैं। लड़ते तो आपके लोग हैं। चिमटा तो पकड़ाओ आपके जोशीजी को जो कहते हैं कि मैं रथयात्रा करूंगा और मूसल पकड़ाओ अटल बिहारी जी को जो कहते हैं कि रथयात्रा गलत है। उनको पकड़ाओ यह चिमटा, मूसल हमारे किस काम के। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह चिमटा, मूसल का काम तो बन्द करो और राजस्थान का विकास तेजी से करो। आपने कुछ योजनाएं बनाई हैं। जैसे आपने तीस गांव और तीस जिले की योजना बनाई। बहुत अच्छी योजना है। आपने अपना गांव अपना काम की योजना बनाई वास्तव में वह बहुत अच्छी योजना है लेकिन यह सब योजनायें ठप्प हो गयी पंचायती राज से। आज "तीस गांव तीस जिले" जैसा माननीय नत्थीसिंहजी कह रहे थे कि इतना ट्रिमन्डस रेस्पान्स था उसका जब आपने कहा कि 30 पर्सेन्ट गांव वाले जमा करायेंगे और 35 और 65 आप देंगे। लोगों ने धड़ाधड़ चैक जमा कराये और आप तो होश ही भूल गये कि इतना पैसा कहां से लायें और आपको यह डिसीजन करना पड़ा कि 35 नहीं 65 पर्सेन्ट वह लोग जमा करायें। यह क्यों डिसीजन करना पड़ा आपको और 65 पर्सेन्ट में भी 35 पर्सेन्ट पंचायतें जमा करायेंगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायतों के पास 35 पर्सेन्ट है कहां? अगर 1 लाख रुपये का काम होता है तो इसका मतलब यह है कि 35 हजार रुपया वह पंचायत जमा कराये। 35 हजार तो पंचायत को पूरे साल पैसा नहीं मिला और फिर आप पंचायतों को छोटा कर रहे हैं। उसके बाद तो किसी पंचायत को मिलेगा 10 हजार और किसी पंचायत को मिलेगा 15 हजार। वह कहां से 35 पर्सेन्ट लायेंगे? इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर पुनर्विचार कीजिए। वास्तव में इससे बहुत बड़ा डवलपमेन्ट हो सकता है इस प्रदेश का, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। इसलिए आप उसको वापस 65 पर्सेन्ट कीजिए। सरकार का तो 35 पर्सेन्ट भी पैसा कम होता है तो मैं समझता हूं कि आपको बहुत बड़ी राहत इससे मिलती। इसलिए इस पर पुनर्विचार कीजिए।

खर्चे की आप कहते हैं कि कम करेंगे। खर्चा क्या कम किया आपने? आपने सर्किट हाउस में दूध बन्द कर दिया, यह खर्चा कम किया आपने। आपने कमाल कर दिया कि सर्किट हाउस में कार्नफ्लेक्स नहीं मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा, मीठा नहीं मिलेगा—यह खर्चे की कटौती हो गयी आपकी। क्या खर्चे की कटौती कर दी आपने?

श्री रामकिशन : दूध तो नहीं मिलेगा लेकिन मुर्गे और अण्डे का क्या हुआ ?

श्री देवेन्द्रसिंह : वह तो सब मिलेगा। वह तो एक्स्ट्रा कास्ट पर मिलता है इसलिए उसकी चिन्ता नहीं है। आप खर्चा वास्तव में कम करना चाहते हैं तो यह जितनी भी आफिसर्स के पास गाड़ियां हैं सबका सैन्ट्रल पूल बनाओ। सैन्ट्रल पूल बना करके आप आवश्यक समझें और हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट आवश्यक समझे तब गैराज से गाड़ी निकल कर जाये। सब्जी लेने जा रही है तो गाड़ी, ब्याह में जा रहे हैं तो गाड़ी, कुत्ता घूम रहा है तो गाड़ी। फिर कैसे खर्चा कम होगा ? आपके एस. टी. डी. का कितना खर्चा है ? आप हिसाब लगाओ तो आपको पता चल जायेगा। इससे आपको करोड़ों रुपयों का लाभ मिल जायेगा। आपको मैं दो मिसाल देता हूं। एस. टी. डी. आप खतम कर दीजिए। मंत्रियों की भी भले बन्द कर दीजिए आप। इनको ऐसा क्या काम है ? इनके पास वायरलैस है। आज फैक्स हो गया है, टेलेक्स भी हो गया है। पचासों तरह के साधन हो गये हैं जिससे इमीडियेट सूचना वापस मंगा सकते हैं। आज हर डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर कनेक्ट हो गया। यह बात सही है कि अपनी बीवी-बच्चों से बात नहीं कर सकते। यह बात सही है कि अपने दोस्तों से बात नहीं कर सकते लेकिन राज्य का काम निश्चित रूप से एस. टी. डी. के बिना रुक जाये ऐसा सम्भव नहीं है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे कुछ क्रांतिकारी कदम उठा कर जो भी आपके विकास के काम बन्द पड़े हैं इस खर्च से सेविंग निकाल कर दो-चार महीने में आप घोषणा करें कि मैं 100 स्कूलें नहीं 6 हजार स्कूलें खोलूंगा, 100 मिडल स्कूल नहीं 300 मिडल स्कूल खोलूंगा और 80 सैकण्डरी स्कूल नहीं 200 सैकण्डरी स्कूल खोलूंगा तब तो समझेंगे कि आप वास्तव में विकास करना चाहते हैं वरना यह तो राज आते-जाते रहते हैं। आप भी आ गये चले जाओगे, फिर आ जाओगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप बहुत गम्भीरता से विचार करके इस प्रदेश को आगे बढ़ायेंगे और अपनी शक्ति लगायेंगे। धन्यवाद।

घोषणा

वित्तीय समितियों के निर्वाचन के कार्यक्रम में आंशिक संशोधन

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि चारों वित्तीय समिति अर्थात् जनलेखा समिति 1992-93, राजकीय उपक्रम समिति 1992-93, प्राक्कलन समिति (क) 1992-93 तथा प्राक्कलन समिति (ख) 1992-93 के निर्वाचन के कार्यक्रम में आंशिक परिवर्तन कर दिया गया है जो इस प्रकार है :

मनोनयन वापस लेना–6 अप्रेल, 1992 मध्याहन 3 बजे तक

मतदान यदि आवश्यक हो तो 7 अप्रेल, 1992 म. पू. 11 बजे से मध्याहन 3 बजे तक

मतपत्रों की गणना–7 अप्रेल, 1992 को मध्याहन 3 बजे से।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक 1992 पर अग्रेतर विचार

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे विचार खास तौर से मेरे निर्वाचन क्षेत्र तहसील नोखा पर प्रकट करना चाहता हूं। तहसील नोखा जो कि काफी बड़ी आबादी वाला इलाका है और आज तक उस एरिया में कालेज की कोई व्यवस्था नहीं है। नोखा निर्वाचन क्षेत्र में करीब 32 हायर सैकेण्डरी स्कूल हैं और 84 मिडिल स्कूल हैं। उसके बाद भी आज तक कोई कालेज की व्यवस्था नहीं की गयी है। मैं आपको लिस्ट दे दूं लेकिन आज तक कोई कालेज की व्यवस्था नहीं की गयी है। सुजानगढ़, फलौदी, बीकानेर और नागौर के बीच का सारा इलाका है। इसलिए मैं चाहूंगा कि नोखा में लड़कियों की सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल की जरूरत है। माननीय मुख्य मंत्री जी को पता है कि नोखा बहुत बड़ा राजस्थान में एक अच्छा कस्बा है लेकिन शिक्षा की दृष्टि से उपाध्यक्ष महोदय, हम बहुत पीछे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस ओर ध्यान दें और सैकण्डरी स्कूलें, जो बड़े गांव हैं सादासर, सादुन, बामडसर, देसलसर, पांचार, कक्कू, थावरिया इत्यादि जहां मैं चाहूंगा कि इस चालू वर्ष में हायर सैकण्डरी स्कूलें खोल दी जायें तो बहुत अच्छा रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सामने राज्य के गृह मंत्री जी बिराजे रहे हैं और बहुत ही अच्छे मौके पर आपने मुझे समय दिया है। खास तौर से गृह मंत्री जी बीकानेर जिले का में थोड़ा सा वर्णन करूंगा। लोग आपको शिकायतें करते हैं कि छुआछूत के बहुत मुकदमें हैं और छुआछूत के मुकदमों पर कोई कन्ट्रोल पुलिस का नहीं है। हमारे जिले में मामला उलटा है। उपाध्यक्ष महोदय, करीब 13 मुकदमें छुआछूत के बिलकुल असत्य दर्ज किये गये हैं। हमने कहा कि जानबूझकर पुलिस वाले मिलकर मेरे इलाके में जाटों की संख्या ज्यादा है और विश्नोइयों की संख्या ज्यादा है और जाटों को घोलियाधन कहते हैं। तो सारे के सारे मुकदमे ऐसे छुआछूत के और गृह मंत्रीजी को पता है बलात्कार के किये, चारों के चारों असत्य। 4 मुकदमों की इन्क्वायरी दुबारा सी. आई डी. से भी करायी, मामले असत्य पाये गये परन्तु पुलिस वाले कहते हैं हम तो चालान करेंगे। अब मामला कितना उल्टा है, जहां बलात्कार नहीं, छुआछूत का प्रश्न नहीं, जानबूझकर बीकानेर जिले में पुलिस परेशान कर रही है। तो मैं चाहूंगा गृह मंत्रीजी, आप इस ओर ध्यान दें। आपने मदद की है जिससे कुछ रुके हैं लेकिन आपके अफसर बड़े घबड़ा रहे हैं। हमारे एस. पी. साहब, डी. आई. जी. साहब तो छुआछूत और बलात्कार का नाम लेने के बाद नजदीक नहीं आने देते कार्यकर्ताओं को और गृह मंत्रीजी, सारे मुकदने सेशन में जाने के बाद राजीनामा हुआ। जिनका + + + मुकदमा लड़कियों से कराया गया उन्होंने कहा हमारे साथ ऐसा हुआ ही नहीं लेकिन खुदा जाने पुलिस में क्या बढ़ गया है। आपको पता है एक. उनको थोड़ा सुधार करो ताकि हम भी

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

थोड़ा इस समय में जी लें। हमारा भाईचारा क्यों खतम कर रहे हैं ? कोई छूआछूत है ही नहीं हमारे। एक साथ जाटों के घर पर खाना खाते हैं, विश्नोई के साथ खाते हैं और मुकदमा करवा देते हैं छूआछूत का कि बाढ़ के हाथ लगा लिया बाढ़ बिटीज गयी। तो इस ओर आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हमारा भाईचारा है वह कायम रहेगा। आपको पता है हमारे लालासर गांव में एक हरिजन लड़की से बलात्कार का + + + मुकदमा बनाया। सैशन में जाकर राजीनामा, पुलिस वाले तो नहीं माने। आपको यह भी पता है कि साधुड़े गांव में एक + + + मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस वालों ने कोई मदद नहीं की आखिर सैशन में केस का राजीनामा हुआ। झाड़ेली गांव में इसी तरह से बलात्कार का + + + मुकदमा कराया पुलिस ने मिलकर उसका भी राजीनामा सैशन में हुआ। तो जब डी. आई. जी. और एस. पी. के यहां लोगों को पेश कर देते हैं राजीनामे के लिए, गांव के मुख्य लोग वहां आ जाते हैं, वहां राजीनामा नहीं होता, वहां भाईचारा नहीं और कोर्ट में, सैशन में जाने के बाद सारे के सारे राजीनामे। तो हमारे तो यहां पर ग्रह मंत्रजी, मामला ही उल्टा है। हो सकता है राजस्थान में आपका कहीं छूआछूत का सच्चा मामला हो, बलात्कार का होगा लेकिन हमारे जिले में जिस तरह के साल भर में मामले हुए हैं, बे-बुनियाद और + + + हैं। कोई छूआछूत का नहीं, न कोई बलात्कार लेकिन पुलिस के पास दूसरा काम नहीं है। पुलिस आपकी बिल्कुल बेली बैठी है और कोई धन्धा नहीं है। अपने आदमी को भेज कर गांव में दो पार्टी देख लेते हैं। एक पार्टी कहती है, आंटा निकालना है तो आइये बलात्कार का मुकदमा करा देते हैं और 5-10 आदमी का नाम जोड़ कर बे-बुनियाद लोगों को पुलिस परेशान कर रही है। इसलिए हमारे जिले की ओर ध्यान दीजिए। आपने मदद की है जिससे हम बचे है, नहीं तो बिना कारण ही लोगों का चालान होता, बे-बुनियाद लोग मारे जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जीवनधारा, लम्बे समय बाद राजस्थान में गरीबी की रेखा के नीचे के लोग, 28 बीघा से कम भूमि वाले कमजोर काश्तकारों को राजस्थान सरकार ने इन दो सालों में इनको जोड़ा है और जोड़ कर के जीवन धारा के जरिए से पश्चिमी राजस्थान के जिलों में कुओं की खुदाई हो रही है, उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से मैं अन्तरआत्मा से कहता हूं कि यह राज्य सरकार बधाई की पात्र है। अगर 40 साल में लम्बे अर्से में जीवनधारा के जरिए से धरती के नीचे के मीठे पानी को ऊपर लाया जाता तो अकाल को हम कमजोर करते हैं। साथ ही अकाल सहायता मंत्रीजी बैठे हैं, मैं उनसे भी चाहूंगा और आशा करता हूं. उम्मीद लगा कर बैठा हूं कि आप भी अकाल सहायता फण्ड से दूसरे फिजूल धन्धों में धनराशि खर्च न करके और जो कुएं अकाल के वक्त में खोद रहे हैं, लम्बे समय की कोई जरूरत

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

नहीं है 15 जुलाई तक आप 30–30 हजार रुपए की सहायता, खास तौर से बीकानेर, चूरू, नागौर और जोधपुर आदि जहां पश्चिमी राजस्थान है, हमारा बाड़मेर, जैसलमेर आदि जहां मीठा पानी है वहां आप किसानों को अकाल सहायता दें। 15 जुलाई तक जो कुएं खोदे, मस्टररोल के आधार पर या और कोई आपका मापदण्ड हो तो आप उन काश्तकारों को अकाल सहायता फण्ड से 30–30 हजार रुपए और देंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान में, पश्चिमी जिलों में हरियाली होगी। अकाल को हम कमजोर करेंगे।

मुख्य मंत्रीजी, आजकल हमारी लड़ाई अकाल से है। मैं चाहूंगा सेशन के बाद आप चूरू, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, इन जिलों में जाइये, आपको बिना कुएं कोई खेत नहीं मिलेगा। मेरा खुद का जो गांव है, जहां मेरी जन्म भूमि है, सवा तीन सौ कुएं मुख्य मंत्रीजी, खुद रहे हैं और 30 फीट पर पानी आता है। गरीब हरिजनों ने कुआं खोदा है, राकेट की तरह 93 में जा रहे हैं। किसी की सलाह नहीं है। न कोई बैंक की तरफ देख रहा है, न पंचायत समिति की तरफ देख रहा है, सिर्फ नजरें श्री भैरोंसिह शेखावत की तरफ है कि वे बैठे हैं, अपने आप हमारा कर्जा जो है, जिस तरह 40 साल तक इन लोगों ने राज किया है। लोगों पर कर्जे बुरी तरह से चढ़ा दिया उसको आपने धोया है, माफ किया है। इसी तरह लोग राकेट की तरह 93 में जा रहे हैं, अकाल के साथ युद्ध कर रहे हैं और जिन कुओं पर सिंचाई हो रही है, मुख्य मंत्रीजी, वहां अकाल से मुक्ति पा ली है। तो मैं चाहूंगा इस तरह से आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा धनराशि, यह फिजूल खर्चे बन्द करो, आप भारत सरकार को भी सलाह दीजिए। वहां नाचघर बना रहे हैं, फाइव स्टार होटल बना रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि एक साल फाइव स्टार होटलों को आप बन्द कीजिए और पश्चिमी राजस्थान के लोगों को कुआ खोदने में धनराशि की मदद कीजिए ताकि हमारा राजस्थान हरा-भरा होगा।

राजस्थान कैनाल पर, मुख्य मंत्रीजी, पूर्व सरकार और आपकी सरकार मिल कर अगर हरा चारा लगाती, फुवारों से धोरों में घास पैदा करते तो हमारा पशुधन नहीं मरता। निश्चित रूप से हमें कामयाबी मिलती और वहां चारे का एक बैंक होता लेकिन पिछली सरकार और अभी की सरकार ने चारे की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। मैं चाहूंगा, हमारे सरदारशहर से आये नहर मंत्रीजी से कि आप एक योजना बनाइये, आपको पता है पशुधन के बारे में चाहे हम विधान सभा में कुछ भी कह दें, हमारा एक भी पशु नहीं मरा लेकिन मुख्य मंत्रीजी, ईमानदारी से कहता हूं कि पशुधन बहुत मुश्किल से 30 प्रतिशत बचा है। बचे हुए हैं जो अच्छी नस्ल की गायें हैं, दुधारु हैं, जो हमारा दूध का पशु है वह बचा है। आप एक योजना बना कर छोड़ दो कि हम हरे चारे का राजस्थान कैनाल पर बैल्ट लगायेंगे। मुख्य मंत्रीजी, धोरा धरती है, फुवारों से लाखों एकड़ जमीन में घास पैदा होगी लेकिन एक छोटी-सी बात है। आपकी भेड़ है। भेड़ राजस्थान में एक ऐसा धन है जिसकी ऊन के

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

बदले आपको अमेरिका आदि दूसरे देश हथियार देते हैं, भेड़ की ऊन के बदले आपको सोना मिलता है और भेड़ के बदले भेड़ के मांस के बदले, ऊन के बदले आपको दूसरे देशों से हथियार, दूसरी चीजें मिलती है। भेड़ के लिए कोई गोचर भूमि नहीं है, कोई चरागाह भूमि नहीं है। भेड़ आपकी सबसे बड़ी सम्पत्ति है, पशुधन राजस्थान का, इनके लिए कोई योजना नहीं, कोई आपका प्लान नहीं, कोई उसके लिए गोचर भूमि नहीं। इसलिए मैं चाहूंगा मुख्य मंत्री जी, कि ऐसी छोटी-छोटी चीजों पर आप ध्यान दें। राजस्थान कैनाल जो,.... (व्यवधान)....भेड़ें काफी बैठी हैं लेकिन बहुत है, मैं संख्या नहीं बता सकता। इस हाउस में जो भैरोंसिहजी शेखावत को छोड़कर गये हैं मंत्री, सभी + + + हैं। अब वे ओलमा लगा रहे हैं कि भैरोंसिहजी शेखावत की सरकार अच्छी नहीं है। अब तो आप हंस रही हैं और मंत्री मण्डल में बैठी थी तब तक भैरोंसिह शेखावत गुलाब के फूल, बहुत बढ़िया थे और अब भैरोंसिहजी शेखावत की सरकार बेकार हो गयी। अभी तारीफ की थी कि श्रीमान्, आपने तो अच्छा माफ किया, पेन्शन नहीं दी। तो भले आदमियों, पेन्शन देने के समय तो आप छोड़ कर दौड़ गये। जब आप छोड़ कर दौड़ गये तो अकेले भैरोंसिहजी शेखावत कहां से कर्जा माफ करेंगे? इसलिए कर्जा माफ करना है तो मिलजुल कर इस राजस्थान को चलाइये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय, सुमित्रासिह जी को और मदनकौरजी को + + + बताया जहां तक तो ठीक है, लेकिन इन्होंने चन्द्रभानजी, नत्थीसिहजी, प्रोफेसर केदार जी को + + + बताया, यह ठीक नहीं ...(व्यवधान)... उनका लिंग ही परिवर्तित कर दिया इन्होंने। बताइये आप....(व्यवधान)....

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : नहीं-नहीं, + + + नहीं हैं, + + + हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक गलती तो की, नोखा से आने वाले माननीय सदस्य ने कि + + + बता दिया कि छोड़ कर जाने वाले सब + + + थे....

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : किस को बताया? मैंने कोई नाम नहीं लिया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने कहा कि सरकार को छोड़कर जाने वाले + + + थे और फिर दूसरी गलती कर दी झुन्झुनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने, इन्होंने कहा कि मदन कौर और श्रीमती सुमित्रा सिंह + + + थीं....(व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : आप तो शेरनी है, शेरनी हो आप तो।

श्री उपाध्यक्ष : यह आपके बारे में ऐसा नहीं सोच रहे हैं (व्यवधान).

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इसलिए सदन की कार्यवाही से इसको निकाल दिया जाय (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : सुमित्राजी, कैसे निकाल दें? आप तो हाऊस में शेरनी हो, आपको + + + कौन कह सकता है?

+ + + माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं कुछ होऊं लेकिन झुन्झुनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने कह दिया कि यह दोनों तो + + + थीं। यह तो कह दिया इन्होंने, इसलिए आप एक्सपन्ज करवा दीजिए। इसको निकलवा दीजिए।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : नहीं, क्यों निकलवाओ। आप तो शेरनी हो, कैसे निकलवाओगे ?

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा हो तो निकाल दीजिए। हां, एक्सपन्ज करा दिया है।

(2·00 म. प.)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : हाउस में जो शेरनी का काम करे और + + + का काम दूसरे करें, यह युद्ध, यह लड़ाई है ही नहीं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आतने तो यह कहा कि यह दोनों तो हो सकती हैं, बाकी का लिंग परिवर्तन कर दिया। आपने तो यह कहा। बाकी का आपने कैसे यह दिया + + + हैं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मुख्य मंत्री जी, आपकी पहले सरकार थी

श्रीमती सुमित्रा सिंह : + + + के ग्राहक बहुत हैं लेकिन ऐसी + + + का कोई ग्राहक नहीं, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने और भी शब्द का प्रयोग कर लिया, आपका यह शब्द भी निकाला जाता है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : कीमती चीज बिकती है, कीमती का ग्राहक होता है लेकिन कुछ ऐसी + + + हैं जिनका कोई लेवाल ही नहीं है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत उपनिवेशन मंत्री महोदय से कुछ ऐसे मुद्दे हैं

श्री हेतराम बेनीवाल : उन + + + का नाम बता दो।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : + + + का नाम है ही नहीं। + + + के नाम नहीं हैं। + + + का कोई धनी नहीं है. + + + का कोई मालिक नहीं है, ऐसी + + + का हम क्या बतायें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उपनिवेशन मंत्री महोदय से कुछ निवेदन करूंगा। पहले भैरोंसिंह शेखावत की ढाई साल सरकार रही। उस सरकार में अन्त्योदयी, गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को राजस्थान कैनाल पर जमीन देने का एक प्रपोजल था। यहां बैठे थे चन्दनमलजी बैंद, वह जब तक मंत्री रहे, मुख्य मंत्रीजी, उसने हमारे राजस्थान कैनाल की जमीन की रखवाली की, किसी की खारिज नहीं होने दी। मेरा अभी हाल ही में एक क्वेश्चन का जवाब आया है, 610 हरिजन की भूमि बिना कारण खारिज की गयी है। आदमी तो ढाई हजार हैं, मुख्य मंत्रीजी, जिनकी भूमि खारिज की है। और वह वही आत्मा है लोगों की, गरीबों की, अन्त्योदयी परिवार के लोग हैं, आपके आदेश से उन गरीबों को वह जमीन मिली। 17 साल पहले यह भूमि अलाट हुई, मुख्य मंत्रीजी, अलाटमेंट होने

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

के बाद उस भूमि की रखवाली को, जब भूमि में राजस्थान नहर का पानी लगने लगा तो इस देश में जो शोषण करने वाले लोग हैं, पहुंच गये पटवारियों के पास और उस भूमि को खारिज करवा कर अलाटमेंट करा लिया खुद ने। आज वह गरीबी की रेखा से नीचे का पुख्ता आवंटी हरिजन मारा-मारा फिर रहा है। मैं होली पर गया, मुख्य मंत्रीजी, उन्होंने कोई गंगारामजी का नाम लिया, ना कोई परसरामजी का नाम लिया आपका नाम लिया कि आप हमारी बात जाकर मुख्य मंत्रीजी को कह दो, हमारी आत्मा उस भैरोंसिंह शेखावत के साथ जुड़ी हुई है, हमारी जमीन दूसरों को आधी अलाट कर दी और आधी पड़ी है आज भी। उन गरीब लोगों की, गरीबी की रेखा से नीचे जले-हुए भूखे लोगों की अगर आप सहायता नहीं करोगे, मदद नहीं करोगे, मुख्य मंत्रीजी, तो वह आपका परिवार है, अन्त्योदयी परिवार है। और, मुख्य मंत्रीजी, मैं एक बात और कह दूं आपको, आपके मंत्रिमंडल में आपके कुछ मंत्रियों को यह भ्रम है कि भैरोंसिंह शेखावत हमारे बी. जे. पी. के हैं, हमारे मुख्य मंत्री हैं। इस भ्रम को आप निकाल दो, मुख्य मंत्रीजी। न उनके हैं, न इनके हैं राजस्थान की सारी जनता की सम्पत्ति है यह भैरोंसिंह शेखावत इसलिये, मुख्य मंत्रीजी, मैं लम्बा भाषण नहीं दूंगा ... (व्यवधान) मुझे मंत्रिमंडल की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत मंत्रिमंडल देखे हैं, माननीय सदस्य। इसलिये कोई जरूरत नहीं है। तो, मुख्य मंत्रीजी, मैं चाहूंगा, इन गरीब लोगों की, जिनकी जमीन खारिज हुई है.... (व्यवधान) आप आराम कीजिये, थोड़े दिन और ठहरिये। मुख्य मंत्रीजी, जिन लोगों की जमीन राजस्थान नहर पर बिना कारण खारिज की है, पुख्ता अलाटी हैं वह लोग, गरीबी की रेखा से नीचे हैं। अलाटमेंट हुआ 17 साल पहले लेकिन आज तक लोगों के पानी लगा नहीं। अब खारिज करके उनको तो वहां से किक मार दिया, लोग रो रहे हैं। इसलिये उन लोगों ने कहा है, हमारी बात कहें, मैं आपको चिट्ठी लिखने वाला था....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : मैं आपकी जानकारी के लिये बता देऊं, यह वही मामला है 5-6 दिन पहले आपने मुझे कहा था। मैंने इस सम्बन्ध में जांच करवा ली है, कागज सब मेरे पास आ गये हैं। समयाभाव के कारण मैं देख नहीं पाया। इतना विश्वास दे सकता हूं कि गरीबों की अनुचित तरीके से जमीन हड़पी गयी है, वह वापस गरीबों को मिलेगी।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : बहुत-बहुत धन्यवाद। तो मैं मेरा भाषण यहीं समाप्त करता हूं। आपने समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री जगन्नाथ जी पहाड़िया।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (कठूमर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काफी अन्तराल के बाद सदन में बोलने का साहस कर रहा हूं। मैं जानता हूं, जिस हालात के अन्दर आज सारा प्रदेश गुजर रहा है वह देश के हालात से अलग नहीं है और इसीलिये

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

मुख्य मंत्रीजी ने वित्त मंत्री के तौर पर जो यहां पर बजट प्रस्तुत किया और जिसके आधार पर आज हम विनियोग विधेयक पर विचार कर रहे हैं वह उनके हिसाब से, तथ्यों के हिसाब से ठीक हो सकता है। हमारे जैसे लोग जो इस राजस्थान को उसी दृष्टि से देखते हैं जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्रीजी देखते हैं या देख सकते हैं, उनके लिये कभी-कभी चिन्ता का विषय हो जाता है और हम सोच में पड़ जाते हैं कि हम किस तरह से बोलें। जब मुख्य मंत्रीजी ने अपना बजट भाषण यहां पर दिया था, मैं हाजिर नहीं था, इस बात के लिये मैं माफी चाहता हूं। मैंने आकर इसको देखा, मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूं कि मुख्य मंत्रीजी वित्त मंत्रीजी की हैसियत से उस समय बजट प्रस्तुत कर रहे थे या उस समय भी विरोधी दल के नेता के हिसाब से बोल रहे थे।

प्रथम पृष्ठ—इस पर भी एक दृष्टि अगर डालें, मुझे क्षमा करें, एक ही मिनट लगेगा, "पिछले दशक में केन्द्रीय सरकार द्वारा अव्यावहारिक आर्थिक नीतियां अपनाने के कारण देश को आज विकट आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।" प्रदेश की चर्चा नहीं है। "इस अवधि में केन्द्र सरकार द्वारा भारी अनुत्पादक व्यय किया गया, विदेशी मुद्रा का अयुक्तिपूर्ण उपयोग किया गया। करोड़ों रुपयों का घाटा बजट में अपूरित रखा गया जिसके फलस्वरूप मुद्रास्फीति बढ़ी। आवर्तक व्यय में हुई वृद्धि के फलस्वरूप पूंजीगत विनियोग में कमी हुई, भारी मात्रा में ऋण लेने से देश की ऋण भुगतान दायिता में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई और बिगड़ते भुगतान संतुलन की स्थिति से उबरने के लिये भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से महंगे ऋण लिये।"

उन्होंने केवल यहां तक अपने आपको सीमित नहीं रखा। वह आगे बढ़े, उन्होंने कहा कि हालत इतनी बिगड़ गयी कि केन्द्र को सोना तक विदेशों में गिरवी रखना पड़ा और उन्होंने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के समक्ष ऋण लेने के लिये जाना पड़ा। रेल भाड़े इत्यादि की भी चर्चा की। आम तौर पर प्रदेश के हालात को देश के हालात से जोड़ना बुरा नहीं है बल्कि अच्छी बात है, लेकिन केवल उन बातों की ओर इंगित करना जो उनके हिसाब से ठीक नहीं बैठती हैं, ऐसा लगता है, बजट भाषण के साथ-साथ उन्होंने राजनीति का पूरा दुरुपयोग किया। उनके जैसे महानुभाव, प्रतिपादित के हिसाब से नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर जहां उनकी गिनती उनकी पार्टी में ही नहीं, सारे देश में होती है, इस बात की आशा की जा सकती है कि जहां केन्द्र सरकार की इन गलतियों की ओर, कमियों की ओर, जिनको वह मानते हैं हम नहीं मानते, वह इंगित करें लेकिन साथ-साथ यह भी आशा हम कर सकते हैं, जिस तरह से उन्होंने हमसे सुझाव मांगे हैं, कई बातों के मामले में केन्द्र सरकार भी उन से आशा कर सकती है कि सुझाव अगर उनके पास कोई हों तो वह भी दें। क्योंकि जिन बातों का जिक्र उन्होंने किया है, मैंने कहा, कहीं प्रत्यक्ष रूप से, कहीं अप्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार से सम्बन्धित हो सकती हैं लेकिन

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

केन्द्र की सरकार कहां पर क्या करे, यह उनको बताना उनका कर्तव्य है मुख्य मंत्री के तौर पर, पार्टी के नेता के तौर पर भी। लेकिन शायद यह भी उनका कर्तव्य है कि जैसे वह हमसे सुझाव मांगते हैं, वह भी थोड़े बहुत सुझाव कांग्रेस की सरकार के सामने रखें। श्रीमन्, मैं उन बातों में, गहराइयों में जाना नहीं चाहता जिनकी वजह से यह सारी की सारी स्थिति पैदा हुई है। पिछले दशक की चर्चा की। उस दशक के अन्दर तो शायद एक साल ऐसा भी आया था जब कांग्रेस का राज केन्द्र के अन्दर नहीं था और उनकी पार्टी के लोग सत्ता के अन्दर चाहे नहीं बैठे हुए थे लेकिन उनकी भागीदारी बाहर से थी। लगभग एक साल के बाद उनके एक साथी, जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहता, हमारे साथी भी रहे हैं, वह भी केन्द्र में बैठे हुए थे। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, यह केन्द्र की कांग्रेस की सरकार की वजह से नहीं हालात बिगड़े विरोध पक्ष की सरकार, जो कांग्रेस के विरोध की थी, के वहां बैठने से और यही तो कारण था कर्जा लेना....

श्री हेतराम बेनीवाल : एक साल में ही बिगड़ गये ?

श्री चन्दनमल बैद : एक में ही बिगड़ गया।

एक माननीय सदस्य : यह चालीस साल में बिगड़े हैं।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : 40 साल से जो हमने सुधारा था राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को ठीक किया था, उस सारी की सारी को एक साल के अन्दर तहस-नहस करके (व्यवधान) उसका आज ही सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि कोई ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से जिन बातों की चर्चा की गई है ऋण का लेना किसी व्यक्ति के लिए शायद कोई नयी बात नहीं हो, लेकिन देखा इस बात को जाता है कि ऋण किस दृष्टि से लिया जा रहा है, किससे लिया जा रहा है और उसके क्या मुद्दे होंगे। आपको मालूम है, भारत सरकार ने ऋण लिया, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने आते ही ऋण चुकाने का काम शुरू किया। कांग्रेस की सरकार ने आते ही सोना जो गिरवी रखा हुआ था, उसको वापस लिया, बल्कि भारत सरकार ने आज इस क्षमता को बढ़ा लिया कि देश के अन्दर आज सोने का बहुत बड़ा भंडार है। मुद्रास्फीति भी बहुत तेज गति से बढ़ रही थी, उसको रोका गया। स्वर्ण के भंडार जो घट रहे थे, उसको बढ़ाया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के क्षेत्र में हमारी फोरेन एक्सचेंज बहुत घटती चली जा रही थी, उससे हम उबर कर आये और जहां एक तरफ तो केवल दो हजार करोड़ रुपये का विदेशी मुद्रा का भंडार रह गया था, जो बहुत अपर्याप्त था, आज हम फख के साथ कह सकते हैं कि सारी देनदारियों के बावजूद लगभग साढ़े तीन हजार करोड़ का विदेशी मुद्रा का भंडार हमारे पास है। केन्द्र सरकार की उपलब्धियां माननीय मुख्य मंत्रीजी नहीं देख सकते, तो मैं उनसे इतनी प्रार्थना चाहूंगा कि अगर मुख्यमंत्री के तौर पर, बी. जे. पी. के नेता के तौर पर न देखना चाहें तो न देखें, लेकिन यहां बैठकर हम भी उनसे बहुत कुछ सीख गये हैं। अब

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

वह बहुत अविश्वास की बात भी कहते हैं, हम भी सुनते रहते हैं। मेरी प्रार्थना है कि कम से कम उस दृष्टि से इस देश की सरकार को जो केन्द्र की सरकार है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, देखें तो शायद ठीक रहेगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरे जैसे व्यक्ति चाहे किसी पार्टी के भी हो, अच्छे काम में आपकी सराहना किये बिना नहीं रहते हैं, लेकिन कोई अच्छा काम हो, हम निश्चित रूप से करेंगे और अगर कोई हमारी दृष्टि में नहीं हो तो मेहरबानी करके आप हमको याद दिला दें। अगर अच्छा कोई काम होगा, तो इस दृष्टि से हम करेंगे। किसी की दृष्टि क्या होती है, किसी की दृष्टि क्या हो सकती है; मुझे तो अपनी दृष्टि से देखना पड़ेगा। अगर मैं समझूंगा अच्छा काम हुआ है तब ही तो आपकी तारीफ करूंगा। मेरी दृष्टि से कोई अच्छा काम अभी तक आपने किया नहीं, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आगे चलकर राजनीति को बजट में न घसीटा करें। मेहरबानी करके जो बातें जिस मुद्दे पर कहीं जानी चाहिए, वही कहें।

मैं इस विनियोग विधेयक को देख रहा था, इसमें बहुत सारी ऐसी रकमें हैं, कहीं घटोतरी हुई है, कहीं बढ़ोतरी हुई है, वह स्वाभाविक है क्योंकि उस समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से, आज के हिसाब से और हमारे साधनों के हिसाब से घटती बढ़ती रहती हैं। कई समस्याओं का समाधान हो जाता है; उनमें हम कम करते हैं। कई समस्याएं बहुत गहरी हो जाती हैं, हम उनके लिए और पैसा बढ़ाते हैं। कई बातें ऐसी हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगा जैसे हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माननीय चन्दनमलजी बैद ने उदाहरण देकर समझाया था, किस तरह से सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में हमारी रकम का अनुपात बहुत घट गया है। मैं समझता हूं उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। यह सब आपके दिये हुए आंकड़े हैं, इसमें मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। यही नहीं ग्रामीण विकास की चर्चा हुई, हमारे कुबेर से आने वाले बुजुर्ग सदस्य ने विवेचना की कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र का अनुपात घट गया। बहुत जोर से, मुख्य मंत्रीजी ने जोर दे-देकर के रकम की ओर ध्यान दिलाया है। निश्चित रूप से रकम बढ़ी है। योजनाओं का अनुपात भी बढ़ा है लेकिन मुझे ऐसा लगता है पिछले साल की योजना के अनुपात में इस साल की बढ़ोतरी का आपका अनुपात शायद कम ही आ रहा है। मेरे ख्याल से पिछले साल का आपका प्रतिशत 22 था, इस साल का अनुपात आपका 20 प्रतिशत रह गया। अगर मेरे आंकड़े गलत हो तो, मैं आपके ही इस एनवल प्लान की कापी से पढ़कर सुनाना चाहूंगा। मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं यह भी कोई खास बात नहीं है। किसी साल किसी क्षेत्र के अन्दर ज्यादा रकम बढ़ानी पड़ती है, किसी साल घटानी पड़ती है। यह परिस्थितियों के हिसाब से करना पड़ता है। लेकिन हर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, जो कुछ कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं किया, यह बात हम हरगिज मानने को तैयार नहीं है। आपने तो बहुत सारी

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

बातें कहीं, आपने तो बिजली के बारे में कौन कौनसी योजनाओं की गिनती गिनाई थी। राज्यपाल महोदय के मुंह से, बहुत सारी योजनाओं की चर्चा करायी। मैं देखता हूं आपकी बजट स्पीच के अन्दर धौलपुर का तो कहीं नाम तक भी नहीं है। मैं खास तौर से धौलपुर का नाम ले रहा हूं। क्योंकि मेरा वास्ता भी धौलपुर से है और आपका वास्ता भी धौलपुर से है। मैं आशा करता था कि चाहे अन्य योजनाएं रह जायें लेकिन जिस क्षेत्र का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, माना कि हमारी जिम्मेपूरे राजस्थान की है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के नीचे कोई जिला, अपने क्षेत्र की समस्याओं की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन जब एक बहुत बड़ी योजना, जिसके बारे में मुख्य मंत्री जी बहुत पहले से कहते चले आ रहे हैं, जब मुख्य मंत्री नहीं थे, उसको उन्होंने जिक्र नहीं किया है जो इस बात का द्योतक है कि ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, जिनका जिक्र इसमें नहीं है। इसलिए हमको विचार करना पड़ेगा कि जो पैसा आप खर्च करने जा रहे हैं, उसके बारे में हम क्या करें। चम्बल लिफ्ट योजना के बारे में बहुत दिन से चर्चा हो रही है, सिंचाई क्षेत्र के अन्दर मेरे ख्याल से बड़ी योजनाएं भी हो सकती हैं। मैं केवल इशारा मात्र कर रहा हूं, उन योजनाओं का जिनका सीधा ताल्लुक मुख्य मंत्रीजी के क्षेत्र से है, मेरे क्षेत्र से भी है, इसलिए मैं आशा करके चलता हूं कि इन बातों को आगे चल कर ध्यान रखेंगे। केवल हर बात में भारत सरकार को दोष देना यह आदत बहुत अच्छी आदत नहीं है क्योंकि बजट में उसके प्रथम पेज पर ही और जैसा मैंने कहा लगता है कि बजट में राजस्थान के आर्थिक पहलू की चर्चा न करके कोई राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं।

दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा उसी पेज पर केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों की चर्चा केवल यहां नहीं थी, बहुत जोर शोर से करते रहते हैं। यह बात सही है कि केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध जब तक मधुर नहीं होंगे, तब तक हम विकास की गति को तेजी के साथ नहीं बढ़ा पायेंगे। इस बात से कोई इन्कार नहीं करता और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, केन्द्र का ही सवाल नहीं है, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता का सवाल है, हम इसी बात को मानकर चलते हैं कि सम्बन्ध बहुत मधुर होने चाहिए, अच्छे होने चाहिएं और इसीलिए तो श्रीमान् समय-समय पर कोई न कोई आयोग किसी न किसी रूप में बैठाया जाता है और हर बार इस बात के डायरेक्शंस दिये जाते हैं सरकार के द्वारा कि हमारे विकास की गति इस तरह से होनी चाहिए जिसमें कोई राज्य पिछड़ा न रह जाये। इसीलिए तो आपको मालूम है केन्द्र ने सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट को विचार के लिए रखा। चर्चा मुख्य मंत्रियों से हुई और जगह भी हुई, और क्या उसमें किस समय माकूल बातें हो सकती है, केन्द्र की सरकार, कांग्रेस की सरकार कभी उससे इन्कार नहीं करेगी। केवल केन्द्र की सरकार को भला बुरा कहना, यह बहुत अच्छी प्रवृत्ति नहीं है।

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

माना भारत एक संघ है, भारत के विधान को हम सभी ने पढ़ा है, इस बात को भूल नहीं जाना चाहिए कि भारत का ढांचा संघीय विधान का है। भारत के विधान का ढांचा संघीय है, लेकिन उसकी आत्मा तो एकात्मक है। The Constituion of India is federal in form and unitary in spirit. यह बात आज नहीं, इसके प्रीवियस डिसक्शन में कह दी गई है, इसलिए हमको भूलना नहीं चाहिए। आज हम केवल राज्यों की बात करेंगे, जिलों के नीचे और क्षेत्रों की बात करेंगे तो हमको याद रखना चाहिए कि अन्दर कई घटनाएं ऐसी घट चुकी हैं, जो हमको इस बात के लिए सतर्क करती हैं कि आगे चलकर एन बातों को न बढ़ायें। राज्यों में राज्य बने, उप-राज्य बने, इस बात पर सारा देश विचार कर सकता है। कई जगह बन गये हैं, कई जगह बनने की प्रक्रियाएं चल रही हैं। बंगाल के अन्दर क्या हुआ, वह हमसे छिपा नहीं है। असम के अन्दर क्या हुआ, वह हमसे छिपा नहीं है। वह क्या कारण थे? हम उस बात को इसलिए आपसे इंगित करना चाहते हैं, असम के अन्दर कई छोटे-छोटे राज्य बन गये, क्योंकि वह पहले इन बातों को उठाया करते थे। हां, पिछड़ेपन की बात उठायें क्षेत्रों के विकास की बात उठायें, केन्द्र से आमदनी कम मिलती है, इस बात को उठायें यह बात सही है लेकिन हम मर्यादा के साथ उठायें कि कहीं हमारा केन्द्र कमजोर न हो जाये। यह बात जब मैं करता हूं तो मुझे यह कहते हुए थोड़ा दुख भी होता है, अफसोस भी होता है कि इन सब कागजों में मुझे यह किताब और मिली जो है संयुक्त प्रतिवेदन, जो कई मुख्यमंत्रियों ने, कई राज्यों की सरकार ने लिखकर केन्द्र को दिया। राज्यों की कौनसी सरकारें हैं? हिमाचल। दूसरी सरकार कहां की है? मध्यप्रदेश। तीसरी सरकार कहां की है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश में उस समय सरकार नहीं थी, इसलिए दे नहीं पाये। मेरी इतनी प्रार्थना है अपने अपने राज्यों के विकास के काम के लिए ज्यादा पैसा लेने के लिए खूब लड़ाई लड़ें और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस मामले में हम आपके साथ हैं। कांग्रेस वाले विकास की गति को कभी कम नहीं करना चाहेंगे, आगे बढ़ाना चाहेंगे चाहे आप वहां पर बैठे हो, चाहे हम वहां पर बैठे हों लेकिन यह जरूर चाहेंगे कि देश के इस ढांचे की सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखें। आज तीन राज्यों में एक संगठन बना कर जैसे केन्द्र को प्रतिवेदन दिया, कल को कुछ और मुद्दे इकट्ठे हो जाय। कहीं ऐसा न हो जाय कि आपस में बहुत तनाब बढ़ जाय। यही कारण है श्रीमान्, पानी के विवाद बढ़ते हैं, बिजली के विवाद बढ़ते हैं, अपराधों के विवाद बढ़ते हैं, यही तो कारण है। इस तरह से यदि हमने शुरू कर दिया तब तो सारे देश को ध्यान में रख करके इन बातों को नहीं चला सकेंगे, तब तक देश तरक्की नहीं करेगा और देश तरक्की नहीं करेगा तो प्रदेश तो देश का एक हिस्सा है। जिस तरह प्रदेश के हिस्से जिले हैं, जिलों के हिस्से खण्ड हैं, जिलों के हिस्से गांव हैं उसी प्रकार से

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

प्रदेश भी देश का एक हिस्सा है। इसलिये प्रदेश बढ़े हमारा, हम जरूर कोशिश करेंगे, उसका साथ देंगे लेकिन आपको याद दिलाना चाहूंगा, कभी एकता की भी कोशिश करनी चाहिये। कर्नाटक के मुख्य मंत्रीजी ने कावेरी विवाद को लेकर कर्नाटक के सभी पूर्व मुख्य मंत्रियों को इकट्ठा कर लिया। पता नहीं कौन सा उन्होंने कौशल दिखाया, सबको इक्ट्ठा करके दिल्ली ले गये। कभी आज तक तो आपने किसी के साथ बैठ कर बात करने की सोची भी हो ऐसा मुझे मालूम नहीं है। कम से कम मेरे साथ कोई बात नहीं हुई। मैं आपको कहता हूं, मेरी औकात में हर सूरत में जानता हूं लेकिन कुछ छोटे मोटे सुझाव भी हमारे हो सकते हैं, इसलिये राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी जो जाय हो सारे राजस्थान के लिये ठीक नहीं लगती हो, मेहरबानी करके आगे चल कर ऐसी बात नहीं करेंगे, यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : हस्तक्षेप करने के लिये क्षमा चाहूंगा। इस विज्ञापन में कोई बात लिखी हुई है जिसका आप विरोध करते हैं? ऐसा बता सकते हैं?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैंने इसमें लिखी हुई बातों को नहीं पढ़ा ऐसी बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विरोध कर रहे हैं।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : किसी बात का विरोध भी नहीं करता हूं। एक आध मामले के अन्दर, मेरे अपने रिजर्वेशन्स हैं जिनके बारे में आपसे अलग से बात कर सकता हूं। आपके विचार हो सकते हैं, मेरे विचार हो सकते हैं लेकिन आम तौर पर हमारी सहमति है इसमें लिखी बातों पर लेकिन हमारा कहने का, निवेदन करने का तरीका यह है कि इस तरह से इकट्ठे होकर एक पार्टी सरकारें केन्द्र की सरकार से कोई बात कहें, वह एक गलत तरीका मैं आशा करता हूं कि आप इस बात का ध्यान रखेंगे। बातों के बारे में मैंने कहा सिवाय एक आध को छोड़ कर जहां मेरे रिजर्वेशन्स हैं, जिनके बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा।

अभी तक हम बहुत तारीफ सुन रहे थे। हमारे विरोधी पक्ष की ओर से जो केन्द्रीय सरकार के बारे में कही है। अब तो कुछ नुक्ते नजरिया बदला है। अब तो आन्दोलन भी होने लगे हैं इसके खिलाफ, केन्द्र के द्वारा नीतियों के खिलाफ, साम्प्रदाय सद्भाव की चर्चा नहीं होगी, आर्थिक उत्थान की चर्चा नहीं होगी, देश कैसे एक रहे इसकी चर्चा नहीं होगी, किस तरह से कांग्रेस की सरकार ने आते ही पंजाब के अन्दर सद्भाव पैदा करके चुनाव करवा दिये इस बात की चर्चा नहीं होगी, इसी तरह से काश्मीर के अन्दर कांग्रेस की सरकार की कोशिश हो रही है कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो जाय इस बात की चर्चा नहीं होगी। अब ध्यान खींचा जा रहा है धार्मिक मुद्दों से हट कर, प्रान्तीय मुद्दों से हट कर अब आर्थिक

(श्री जगन्नाथ पहड़िया)

दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। हमें इस बात की खुशी है, हम अपने आपको मुबारकबाद देते हैं कि इस हालात के अन्दर भी हमने बी. जे. पी. सरकार को, बी. जे पी. पार्टी को लाकर खड़ा कर दिया कि अब कम से कम आर्थिक मुद्दों की तरफ आपका ध्यान तो गया। बढ़ती हुई महंगाई के बारे में चर्चा करें, थोक मूल्य सूचकांक की चर्चा करें, हमारे देश की आमदनी का विकास हो हम इसी को तो चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि धर्म के मामलों को छोड़ें। धर्म अपना अपना, सब में सब की आस्था हो सकती है। किसी की आपमें हो सकती है किसी की मुझमें हो सकती है, दूसरे की तीसरे में हो सकती है। धर्म अपने हिसाब से चले, धर्म में विश्वास हो, हमें इस बात का कोई एतराज नहीं है लेकिन धर्म को राजनीति में घुसेड़ें हर जगह, केवल वोट की राजनीति करें, धर्म की राजनीति करें, इस बात को इस देश ने बहुत दिन तक बर्दाश्त कर लिया है। कभी गाय माता आती है कभी हिन्दी आ जाती है, कभी राम आ जाते फिर कृष्ण आयेगा, कौन-कौन आ जायेगा, कुछ पता नहीं है। मैं कहता हूं कि सभी आने चाहिये, हमारे तो सभी पूज्नीय है, मैं सब में एक रूपता देखता हूं। केवल इतनी प्रार्थना है, हमारी भी इच्छा है कि धर्म से हट कर आप थोड़ा आर्थिक दृष्टिकोण पर आये। खूब आन्दोलन चलाये, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है और जो बातें अच्छी हो उसके बारे में हम बिल्कुल आपके पक्ष में चल सकते हैं। अगर आप परिवार नियोजन का काम चलाये हम आपका साथ देंगे, आप साम्प्रदायिक सद्भाव आन्दोलन चलाये हम आपका साथ देंगे ग्रामीण उत्थान की बात करेंगे हम आपका साथ देंगे, गरीबी उन्मूलन की बात करेंगे हम आपका साथ देंगे बेरोजगारी मिटाने की बात करेंगे हम आपका साथ देंगे लेकिन माफ कीजिये जिस तरह साम्प्रदायिकता इस राज्य के अन्दर बी. जे. पी की सरकार के होते रहती है, ऐसे कामों में अगर कोई पैसा खर्च किया जाता है, मैं क्षमा चाहूंगा, इस बात का साथ हम आपको नहीं दे पायेंगे। इसलिये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हो सकता हो आपके पास साधन की कमी हो। आपने कहा कि राजस्थान राज्य के पास चिकित्सा, शिक्षा, पेयजल, बिजली आदि के लिये पैसे नहीं है तो राज्य क्या करें ? श्रीमान्, एक तरफ केन्द्र को सबक सिखाया जाता है कि किसी से कर्जा नहीं लें, किसी के दबाव में नहीं आये, दूसरी तरफ क्या राज्य सरकार को भी हम कह सकते हैं कि अपने साधन बढ़ाने के लिये हमको भी प्रयास करना चाहिये। केन्द्र की सरकार कांग्रेस की सरकार ने कुछ आर्थिक कदम उठाये हैं जो निश्चित रूप से कड़वे हैं, जिनके बारे में कुछ लोगों की धारणा अच्छी नहीं है लेकिन सब मानते हैं कि केन्द्र ने जो टैक्स लगाये हैं नये, उससे गरीबों का भला होगा। विदेशी मुद्रा का भण्डार बढ़ा है, सोने को वापस लाया गया है, बेरोजगारी मिटाने की ओर कदम बढ़ाये जा रहे हैं, साम्प्रदायिक सद्भाव की बात की जा रही है। आज देश की इज्जत जो विदेशों में कुछ कम हो गयी थी, उसको धीरे-धीरे

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

उसी पटल पर लाकर रख दिया है। हमारे प्रधान मंत्रीजी जहां भी जाते हैं, पूर्व प्रधान मंत्री की तरह नहीं कि जिनका स्वागत-सत्कार नहीं होता, तहे दिल से उनका सत्कार होता है, उनको देश के प्रतिनिधि के साथ आंका जाता है, देखा जाता है, उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। हमें ऐसी आशा है इस तरह की इस देश के अन्दर एक नहीं अनेकों बने और हम सब उनके विचारों से, उनके कदमों पर चल कर उनके कदमों पर चल कर उनका साथ दे सकें तो यह मैं समझता हूं कि देश के लिये अच्छी बात होगी।

इसके बाद मैंने आपको निवेदन किया कि इस राजस्थान के पास साधन नहीं होने के बाद में बहुत सारी सहायता के तौर पर हमको केन्द्र से लेना पड़ता है और केन्द्र की सहायता लेने के लिये हमको कई बार पीछे हटना पड़ता है, कई बार आगे जाना पड़ता है। मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान केन्द्र से पैसा लेने में कहीं पीछे तो नहीं है, ऐसा तो लगता नहीं है क्योंकि जितना खर्च आप करते हैं और जितना आप पैसे लेते हो उसमें बड़ा भारी अन्तर है। जितना पैसा आप लेते हो उस सूची में आप 5वें नम्बर पर आ रहे हैं। राजस्थान पैसा लेने वालों में अनुपात के हिसाब से 5वें नम्बर है जबकि खर्चा करने वालों में 9वें नम्बर पर है। लेने वालों में 5वें नम्बर पर है, खर्च करने वालों में 9वें नम्बर पर है। इसलिये हमारी प्रार्थना है कि कुछ ऐसा समावेश करने की कोशिश कीजिये कि जिस नम्बर पर आप पैसा लेते हैं उसी नम्बर पर आप खर्च करने के हिसाब पर आ जाय और परकेपिटा इन्कम के हिसाब से और परकेपिटा एक्सपेंडीचर के हिसाब से भी आ जाय तो ज्यादा ठीक रहेगा। आपने बहुत सारे आंकड़े देकर हमको समझाने की कोशिश की है कि आप बहुत आगे बढ़े हैं, यह बात सही है कि....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कहीं लेप्स हो गया, इसका मतलब यह तो नहीं है ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : कई जगह लेप्स भी हो गया। अब लेप्स करने का मामला मैं बहुत विस्तार के साथ क्या बताऊं, हमारे कांग्रेस के साथी माननीय देवेन्द्रजी अभी आपके सामने, हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय जोशीजी ने एक पत्र पढ़ कर सुनाया था कि किस तरह से कुछ मद का पैसा उसमें डालना नहीं चाहते क्योंकि मैं उस वर्ग से आता हूं। खास तौर से शिड्यूल्ड कास्ट का पैसा लेप्स हो गया क्योंकि राज्य सरकार ने गारन्टी नहीं दी। अखबारों में छपा है। हमने भी पढ़ा है। हम सोच रहे थे कि राज्य की सरकार किसी और काम में फंस गयी होगी लेकिन इस मामले में इतना ही कहना है कि मेहरबानी करके आगे जहां और बातों में सतर्कता बरती है इन कामों में भी सतर्कता बरतें। लेने में सतर्कता बरते लेकिन खर्च करने में भी सतर्कता बरतिये कि किस तरह से पैसा लेप्स हो जाता है। यही नहीं है, जिस काम के लिये पैसा आता है और खर्च कहां हो जाता है, इस बात को भी बहुत गहराई के साथ, माननीय मुख्य मंत्री जी, आपको और आपके मंत्रियों को देखना पड़ेगा।

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

मैं और विस्तार में नहीं जाकर इतनी बात कह सकता हूं, उदाहरण के तौर पर शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लिये स्पेशल पैसा दिया जाता है और कहा जाता है कि हमको विशेष व्यवस्था की गयी है। बिजली के लिये, पानी के लिये, स्कूलों के और छात्रावास इत्यादि हो। हो सकता है छात्रावास का पैसा मिल जाता हो लेकिन एक बात कहना चाहता हूं जब इस आम बजट का हिस्सा शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स का रहेगा, तब तक वह एडीशनल कैसे हुआ ? जो पैसा बजट के अन्दर होता है उसका तो समावेश होता है। हां, उसके अलावा और एडीशनल मिलता हो क्योंकि श्रीमन्, कहीं सड़क बन रही है तो क्या शिड्यूल्ड कास्ट के लोग ही उस पर चलेंगे ? सड़क तो बनानी ही बनानी है। अगर कोई सिंचाई का बांध होता है तो क्या शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स उसका फायदा नहीं उठायेंगे ? वह तो होना ही है। तो विशेष क्या हुआ ? इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि जो आम योजनाओं पर खर्च हो रहा है, उसके साथ इंडिविजुअल बेनिफिशरीज का कोटा, जो भी रेशो कहिये, उसको बढ़ाना चाहिये। जब तक वह नहीं बढ़ेगा तब तक उस पैसे को लेकर दूसरे विभागों को दे दें। अब इसमें देख रहा था शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स कम्पोनेंट प्लान का, ट्राइब्ल एरिया डवलपमेण्ट का कहीं विस्तार के साथ जिक्र भी नहीं है। क्यों नहीं है ? पैसा लेकर विभिन्न विभागों को दे दिया जाता है, विभाग उसमें से खर्च करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बिजली बोर्ड का आपने कितना पैसा शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लिये, आदिवासी क्षेत्रों के लिये और उनके मोहल्लों में कितना पानी चला गया, कितने मौहल्लों में बिजली चली गयी ? बिजली बोर्ड से मंगवायेंगे। तो आपका जवाब मिलेगा। शायद मंगवा भी नहीं पाये। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि कोई मोनेटरिंग सैल, यह छोटे-मोटे मुद्दे नहीं हैं, श्रीमन्, आबादी के बहुत बड़े हिस्से को प्रभावित करता है। इसलिये, मुख्य मंत्रीजी, मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री कार्यालय में एक सैल हो। जब तक इस तरह की मोनेटरिंग नहीं होगी, पैसा आता रहेगा, पैसा जाता रहेगा लेकिन जिस काम के लिये, जिस उद्देश्य के लिये आता है, उस उद्देश्य पर जिस तरह खर्च होना चाहिये, किस अनुपात में होना चाहिये, किस अनुपात में होना चाहिये जितना होना चाहिये इतना नहीं कर पायेंगे। मुझे ऐसी आशा है कि इस बात की ओर आपका ध्यान जायेगा।

श्रीमन्, एक बात मुझे और कहनी है। राज्यों में योजना मद में वृद्धि हुई है। जैसा मैंने कहा, यह अनुपात तो बढ़ा है, वह आंकड़े इसमें दिये हुए हैं, मैं दोहराना नहीं चाहता लेकिन एक बात को नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है जब से केन्द्र सरकार का नया बजट आया है, हमारी आशा थी कि राजस्थान सरकार बहुत थोड़ा भी नकल नहीं करेगी तो उसके आधार पर अपना बजट बनायेगी। केन्द्र की सरकार के बजट में खर्चों में पांच प्रतिशत कटौती उन्होंने कर डाली। सरकारी खर्च में उन्होंने पांच प्रतिशत कटौती की है। मुद्रा-स्फीति 16 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत। किस कारण से आई ? और कारण भी थे। सरकारी सेवाओं में कटौती, खासकर

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

के जोइंट सेक्रेटरी के ऊपर की सेवाओं में उन्होंने सीलिंग कर दिया कि इससे आगे कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, इसके साथ यह हुआ कि कीमतें नहीं बढ़ें, इसके कारण बहुत सारे कड़वे कदम उठाये लेकिन राजस्थान के इस एप्रोप्रिएशन बिल में या बजट भाषण में हमको बचत की ऐसी योजना की कोई झलक नहीं मिलती है। इस तरह के बहुत सारे सुधार हो सकते हैं, वर्ग हो सकते हैं। हमारी प्रार्थना है कि ऐसे वर्गों पर कोई कटौती करना चाहें तो कटौती करें। जिनसे टैक्स लेने की बात आती है. टैक्स लेने की बात करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो टैक्स दे सकते हैं, नहीं देते हैं। आपने इस बात की ओर हमारा इशारा किया है कि वह आइटम बहुत कम हैं जिन पर राज्य सरकार टैक्स लगा सकती है। ठीक है आइटम बहुत कम हैं लेकिन केन्द्र की सरकार तो पीछे नहीं रहती है। जितना आता है उसके हिसाब से आपको देती रहती है और जैसे मैंने पहले कहा कि राजस्थान लेने वालों में बहुत पीछे नहीं है, काफी आगे हैं। हमें आशा है कि ऐसे क्षेत्र आप भी तलाश करेंगे। आपने सुझाव मांगे हैं हम उसको भी देने की कोशिश करेंगे जिससे कि राज्य की आय बढ़े।

मैंने कर्ज के बारे में आपसे इसलिए जिक्र किया था कि एक बहुत बड़ा उन्होंने किया अल्प बचत योजनाओं के जरिये। एक ही आइटम है जिस पर केन्द्र की सरकार ने थोड़ा-सा अंकुश लगाने की कोशिश की है जो आमदनी और तरह से नहीं आ रही थी वह मिल जाये, यह उसी को रोकने का एक तरीका अख्तियार किया है। इससे राज्य की आमदनी निश्चित रूप से घटेगी लेकिन वह तो कर्ज के रूप में थी माना 3/4 राज्यों को कर्ज के रूप में मिलता है। इसलिये हम भी स्वयं ऐसी कोशिश क्यों नहीं करें। हम भी बाकायदा ऐसी योजनाएं चलायें कि जिससे केन्द्र पर हम को निर्भर नहीं रहना पड़े। हमें ऐसी आशा है कि आप और आपके साथी सहयोगी, अफसरान इस प्रकार की कोशिश करेंगे। आप इस प्रकार की योजना तलाश करें जिससे कि इन पर हमारी निर्भरता कम हो।

श्रीमान्, हमारे साथी ने आपको जवाहर योजना के बारे में और दूसरी योजनाओं के बारे में चर्चा की, जिनमें केन्द्र की सरकार का अधिकांश हिस्सा आपको मिलता है, कुछ हिस्सा राज्य सरकार को देना पड़ता है और कुछ व्यक्तियों को या गांव को देना पड़ता है। तो यह मेरा तजुर्बा है और मैं इतना ही कह सकता हूं कि पब्लिक कण्ट्रीब्यूशन 30 प्रतिशत आप मानकर चलते हैं, वह कागजों पर तो पूरा हो जाता है लेकिन योजना इस तरह से बना दी जाती है कि जिससे 30 प्रतिशत उसमें पूरा हो जाता है। कहने को 30 प्रतिशत पब्लिक का कण्ट्रीब्यूशन हो जाता है लेकिन अब इसमें कई कठिनाइयां आ रही है क्योंकि पंचायतों के चुनाव नहीं हुए हैं। इसलिए जरूरी होगा कि जितना जल्दी सम्भव हो सके पंचायतों के चुनाव करा दें जिससे कि आये दिन जो गड़बड़ी हो रही हैं और काम रुके पड़े हैं, वह कम से कम नहीं रुकें और गरीब तबके

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

तक यह सब बातें पहुंचाने की कोशिश की जायेगी ।

मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, कुछ बातें और भी हैं, उनमें आपने पूछा कि बिजली की बढ़ोतरी हम कैसे करें । मैं देख रहा था कि बिजली की बढ़ोतरी में आपने बहुत कोशिश की है, प्रतिशत भी बढ़ाया है और पैसा भी बढ़ाया है लेकिन ऊर्जा के जो गैर-परम्परागत स्त्रोत हो सकते हैं, वह राजस्थान में सबसे अधिक हो सकते हैं, उनकी ओर जितना ध्यान जाना चाहिए था, वह नहीं गया है । हमारी आशा है कि इस ओर आपका ध्यान और जायगा । इसके साथ-साथ मिनी और माइक्रोस्कोपिक जो योजनाएं हैं, उनको तो शायद नजर-अंदाज ही कर रखा है । इन्दिरा गांधी जैसी नहरों के अन्दर, चम्बल के अन्दर और छोटी-मोटी बहुत सारी योजनाएं हो सकती हैं, वहां भी बन सकती है । थोड़ा-थोड़ा करके बहुत हो जाता है । इसलिए हमारा सुझाव है कि मेहरबानी करके हमारी जो मिनी और माइक्रोस्कोपिक जो बिजली की योजनाएं हैं, वह साथ के साथ लेने की कोशिश करें ।

मैंने और बातों के अलावा आपके लिए छोटी-छोटी बातें तलाश की हैं । एक बात जो मुझे बहुत चुभती है, आपको निवेदन करनी है । पिछले दिनों के अन्दर कांग्रेस की सरकार ने गरीब बच्चों के लिए एक जैसी पोशाक पहनकर आने की शायद कम्पलशन की तरह कोई योजना की थी या बनायी थी । उससे एकता की भावना डवलप होती थी । आपने आते ही ड्रेस का एम्पलसरी नहीं रख कर सबको छूट दे दी । मैं मानता हूं कि बहुत सारे गरीब व्यक्ति हैं जो अपने बच्चों को एक जैसी ड्रेस नहीं पहना सकते हैं । मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि इसको आप समाप्त मत करिये, बच्चों के मां-बाप पर बोझ नहीं डाले । यह बहुत बड़ा खर्चा नहीं होगा । अगर आप मुनासिब समझें तो इसको एग्जामिन करा लें, उनको सरकार की ओर से हम ड्रेस दे सकें तो उनके प्रति बहुत बड़ी बात होगी । इससे समानता की भावना बढ़ेगी । बच्चों में हीनता आ जाती है, उससे वह दूर होगी और सबके साथ बैठकर अपने को समान समझेगा और पढ़ाई-लिखाई भी अच्छी हो सकेगी । मेरी प्रार्थना है कि इस बात की ओर आपका ध्यान जाना चाहिये ।

इसके साथ-साथ एक बात मुझे वन विकास के बारे में कहनी है । कागजों में बहुत कुछ हो रहा है परन्तु चूंकि इस पर बहुत कुछ बहस हो चुकी है इसलिए ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं । एक ही बात कहना चाहता हूं कि वनों के विकास के लिए आप चिंतित हैं, केन्द्र की सरकार चिंतित है, देश की जनता भी चिंतित है । लेकिन ऐसा नहीं है कि एक तरफ तो केन्द्र सरकार से सहयोग मांगते हैं आप और दूसरी तरफ केन्द्र की सरकार की कई बातों को मानते भी नहीं हैं । केन्द्र की सरकार ने अलवर के अन्दर, सरिस्का वालों के लिए कोई नोटिफिकेशन निकाला । मैंने सुना है कि उसकी कोई चिन्ता राज्य सरकार नहीं कर रही है बल्कि धड़ाधड़ उसकी अवहेलना कर रही केन्द्र सरकार इस बारे में क्या करेगी मैं तो

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

इसके बारे में नहीं कहना चाहता, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हो सकता है कि वहां पर राज्य की आमदनी का हिस्सा शायद कम हो। मुझे तो बताया कि कम नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा क्योंकि बहुत सारी बात पर्यावरण की है। इसलिए इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि केन्द्र की सरकार कोई नोटिफिकेशन निकाले और राज्य सरकार उसको तरफ ध्यान ही नहीं दे और उसकी अवहेलना करे बल्कि सुना तो यह है कि हमारी तरफ से इस बात की कोशिश है कि लोगों को उकसाया जाय कि इसको मत मानो। कोई कोर्ट का फैसला आ गया तो स्टे हो गया। इसलिए मैं समझता हूं कि इस मामले को गम्भीरता से लेना चाहिये, जितना गम्भीर हो सके। यह जो इस तरह से अवैध तरीके से वन काटने की या वन काटने से बचाने के लिए जो कोशिश हो रही है उस ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। चाहे रेगिस्तान का इलाका हो चाहे पहाड़ का इलाका हो, चाहे कहीं और का इलाका हो परन्तु इसमें जब तक सबका सहयोग नहीं होगा तब तक अकेले केन्द्र की सरकार कितनी ही पावर ले लें, इम्प्लीमेण्ट तो राज्य सरकार को करनी है। राज्य सरकार के साथ-साथ, देश के नागरिकों के साथ-साथ, प्रदेश के नागरिकों को इस बात को समझना है कि जब तक वन नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारी सम्पदा बढ़ेगी नहीं क्योंकि वनों के ऊपर हमारी सारी बात निर्भर करती है। हमारी आशा है कि इस ओर आपका ध्यान जायेगा।

एक बात और निवेदन करनी है, वह यह है कि अलग-अलग क्षेत्र के लिए कई एक क्षेत्रीय विकास बोर्ड बने हुए हैं। जैसे मेवात विकास के लिए बोर्ड बना हुआ है। यह तो खुशी की बात है कि उसमें जो पचास लाख का प्रावधान था, उसको बढ़ा कर एक करोड़ किया है। उसमें फिर वही मुश्किल आ जाती है जैसे एस.सी., एस.टी. के लिए सब का प्रावधान है वह निकाल कर प्रतिशत बता देते हैं, इसी प्रकार मेवात बोर्ड के लिए भी पचास लाख के बजाय एक करोड़ का प्रावधान कर दिया पर खर्चा तो जैसे होना है वैसे ही होना है। इसलिए मैं समझता हूं कि इन योजनाओं पर, इस बोर्ड पर जो पैसा दिया वह सामान्य बजट से अलग हो। इन-एडीशन-टू हो तो कुछ बात समझ में आती है वरना तो विकास के काम होने हैं लेकिन वह मेवात के विकास का काम नहीं है। वहां मेवात विकास बोर्ड नहीं बना था तब भी, विकास हो रहा था और है अब भी हो रहा है लेकिन कुछ विशिष्टता नजर नहीं आ रही है। विशिष्टता तब नजर आयेगी जब विकास के लिए विशेष कुछ करेंगे और विशेष के लिए हमको इसमें सबसे पहले तो धन का प्रावधान करना पड़ेगा और अलग से एक ऐसी एजेंसी क्रियेट करनी पड़ेगी जिससे कि हम इसको ठीक तरह से इम्प्लीमेण्ट कर सकें।

एक बात और मुझे कहनी है और वह यह है कि एस. सी, एस. टी. के बहुत सारे कैसेज ऐसे हो रहे हैं जिसके तहत कई अखबारों में और लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि कोई एक्ट बन गया है जिसके तहत बहुत से लोगों को परेशानी होगी। मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, मैं खुद हरिजन हूं, मैंने एक बार नहीं, कई बार उसको पढ़ा है उस एक्ट की मंशा

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

हरगिज यह नहीं है कि नाहक किसी को, लोगों को, तंग किया जाय। मैं जानता हूं कि हमारे कुछ ऐसे लोग हैं पढ़ लिख गये हैं, जो जाग्रत हो गये हैं, समता का अधिकार चाहते हैं, लोगों के साथ बैठना चाहते हैं, उठना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं परन्तु हम कितना ही पढ़ लिख जाय हमारी मानसिकता बदली नहीं है। धीरे-धीरे बदल रही है, पहले के मुकाबले बहुत बदली है। इसलिये मैं एक तरफ तो अपने अनुसूचित जाति के भाइयों को, अनुसूचित जनजाति के भाइयों को सलाह देना चाहता हूं कि इस मामले में बहुत जल्दी नहीं करें, धीरे-धीरे करके हम काफी आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ेंगे इसके साथ-साथ मैं सवर्ण भाइयों को सलाह देना चाहूंगा कि समय बदल गया है। शिक्षा की प्रगति हुई है और उसके जाग्रति साथ आयी है। हम उसको कितना ही दबाने की कोशिश करें चाहे किसी वर्ग का हो, किसी जाति का हो किसी धर्म का हो, कहीं का रहने वाला हो, ज्यादा दिन तक हरिजन आदिवासी दब नहीं पायेगा। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिये कि केवल पुलिस के भरोसे छोड़कर इम्पलीमेंटेशन करायें यह बात ठीक नहीं है। मेरा ख्याल ऐसा है कि शायद आपको स्थानीय सम्पर्क समितियां बनानी पड़ेगी जो कि मौके पर आकर ऐसी वारदातों की घटनाओं की जांच तो कर सकें। मैं जानता हूं कि कई हमारे हरिजन भाईयों ने नाहक तौर पर किसी का नाम लिखा दिया, कास्ट एक्ट के तहत उसको फंसा दिया, वह जमानत नहीं कर सकते। मैं जानता हूं, मैं खुद कास्ट से आता हूं और मैं इस चीज को समझता हूं। लेकिन यह भी मैं जानता हूं, हजारों साल से चली आ रही परम्परायें हैं इनको एक दिन में समाप्त नहीं किया जा सकता और मैं उनको शिड्यूल्ड कास्ट के भाईयों को दोष नहीं देता हूं। जाग्रति आ रही है, प्रगति हुई है, शिक्षा की तरक्की हुई है, लोगों ने जमाना देखना शुरू किया है इसलिए वह अपना अधिकार मागेंगे। लेकिन अधिकार लेना है तो संयुक्त तरीके से हम लें, उनको मैं सलाह दे रहा हूं। साथ-साथ आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि केवल पुलिस के भरोसे उस कानून को इम्पलीमेंट करने के लिए नहीं छोड़ दें क्योंकि आखिर सब इन्सान हैं, पुलिस आखिर पुलिस है, इस बात को भूल नहीं जाना चाहिये। उस एक्ट की मन्शा कुछ और है। उस एक्ट की मन्शा यह नहीं है कि नाहक लोगों को परेशान किया जाये। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस मामले में भी कोई न कोई कमेटी बनानी चाहिये। कमेटी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इसका भी राजनीतिकरण न कर दें। हमने कई जगह राजनीतिकरण कर दिया है। मैंने सुना है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए कमेटियां बन गई, पार्टी के लोगों को रख दिया गया। ठीक है, कमेटियां तो बन गई, खाना पूर्ति भी हो गई, काम भी चलता ही होगा लेकिन क्यों नहीं हम इनको सद्भावना का केन्द्र बनाएं? यह कमेटियां सभाद्वनाओं का केन्द्र बन सकें, मैं समझता हूं ज्यादा मुनासिब होगा। इसलिए न केवल शैड्यूल्ड कास्ट के लिए बनने

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

वाली कमेटी, न केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए बनने वाली कमेटी, इस तरह की जितनी भी कमेटियां बनें इस का ध्यान हम रखकर चलें कि उनका इस तरह से राजनीतिकरण न हो जाये।

इस बात का भी हमको ध्यान करना पड़ेगा कि जो घोषणाएं हम कर देते हैं उनको कभी-कभी देख लिया भी करें, उनको पूरा भी कर दिया करें तो ज्यादा ठीक होगा। मुख्य मंत्रीजी ने पिछले महीने घोषणा की कि एक महीने के अन्दर शिडयूल्ट कास्ट के सारे ग्रेज्युट्स को नौकरी दे दी जायेगी....

श्री रमाकान्त शर्मा : तीन महीने में जो पद रिक्त हैं, भरे जानें है।

कई माननीय सदस्य : तीन महीने में..

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : तीन महीने में क्या? एक सही। मैं एक और तीन दोनों मिला कर रमाकांत जी आपको देता हूं, चार सही आपको मालूम है पिछले महीने एक सर्कुलर भेज कर तय कर दिया गया था कि कोई नौकरियां नहीं दी जायेंगी। मैं समझता हूं वह सर्कुलर शायद बिदड़ा हुआ है। मेरी आपसे इतनी प्रार्थना है कि एक रखो, चाहे तीन रखो या एक और तीन मिलाकर चार रखो लेकिन कम से कम लोगों को बहकावे में मत डालो। आपकी तो कोई मुश्किल होती नहीं है आजकल हम खाली बैठे रहते हैं लोग दरख्वास्तें लेकर चले आते हैं, किस-किस को नौकरी दें, कहां-कहां से नौकरी दें। इसलिए आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि जितनी घोषणाएं किया करें, मेहरबानी करके उसका कोई नोट बनाकर जेब में रखा करें और अफसरों को ताकीद करके उसको पालन की कोशिश कीजिये।

श्री चन्दनमल बैद : आपको मुश्किल में डालने के लिए ही घोषणा की गई है।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : एक बात मुझे यह भी कहनी है कि इसी तरह समाज कल्याण विभाग के तहत अन्तर्जातीय विवाहों को बढ़ावा देने की एक स्कीम चलती है, पांच हजार रुपये का प्रावधान किया गया है। मुझे यहां का मालूम नहीं हैं मैं बिहार का राज्यपाल था, एक नहीं, अनेक किस्से हमारे सामने आये थे कि इस तरह के इन्सेन्टिव्ज को लेने के लिए कई लोगों ने शादियां की। वहां तो जमीन भी दी जाती थी और कई लोगों ने आदिवासी लड़कियों से शादी करके जमीन अपने नाम करा ली और लड़की को दो दिन के अन्दर भगा दिया। इसलिए उसके लिए हमको ध्यान रखकर चलना पड़ेगा, कि कहीं ऐसा न हो जाये कि हमारे प्रावधान मजाक बन जाये। (व्यवधान) इसलिए मुझे आपसे निवेदन करना है कि इस तरह के अन्तर्जातीय विवाहों को हम बढ़ावा दें, धर्म के विवाहों को हम और ज्यादा बढ़ावा दें। केवल अर्न्जातीय विवाहों से काम नहीं चलेगा लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें कोई न कोई समय सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी। विवाह होते ही अगर होते ही अगर हमने पैसा दे दिया तो बात मुश्किल में पड़ जाने वाली है। इसलिए कोई ऐसा प्रावधान होना चाहिये कि जिससे वह पैसा उसके

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

नाम जमा हो जाये लेकिन बाद में मिले जब उनके बच्चे हो जायें जिससे कम से कम वह शादी चलती रहे वरना कई लोग विवाह करके उस पैसे को लेने की कोशिश बदनीयती से भी कर सकते हैं।

श्रीमान्, मुझे एक बात और निवेदन करनी है परिवार नियोजन के बारे में। देश की आबादी जिस तेज गति के साथ बढ़ती जा रही है उसके लिए आपने प्रावधान किये हैं, बहुत सारा काम चल रहा है लेकिन जिस तेज गति के साथ चलना चाहिये, नहीं चल रहा है। केवल सरकारी साधनों के जरिये हमने इस काम को छोड़ दिया है। इसलिए आपको हमारा यह सुझाव है कि इसके लिए नियम बनें, कानून बनें, वह ठीक है लेकिन सारी पार्टियों के लोग, सारे सामाजिक कार्यकर्ता, सारे धार्मिक कार्यकर्ता जब तक ऐसा वातावरण नहीं बनाएंगे, तब तक वह पार पड़ने वाली नहीं है। पहले से कुछ लोग समझने लगे हैं, गरीबी को लेकर बेरोजगारी को लेकर खुद परेशान हैं, इसलिए काम तो आगे बढ़ा है लेकिन इन्सेन्टिव के तौर पर आपको और आगे बढ़ाना होता तथा उसमें कोई स्थायी इन्टेन्सिव आपको देने पड़ेंगे जिससे लोग और ज्यादा इस बात को कारगुजर कर सकें।

एक निवेदन मुझे पेयजल के बारे में भी करना है। पेयजल के बारे में राजस्थान बहुत समस्याग्रस्त है। देश के अन्य प्रान्तों से हम इस मामले में काफी पिछड़े हैं। हम सब की कोशिश हो रही है चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे आपकी सरकार हो कि इस समस्या का समाधान शीघ्र हो। लेकिन इस बात को देखना पड़ेगा कि समस्याओं के समाधान में केवल कागजों की पूर्ति करके हम न छोड़ दें। आज हम देख रहे हैं कि जहां समस्या का समाधान मान लिया गया है वहां भी या तो पानी खारा आ गया है, या पानी नीचे से आ ही नहीं रहा है लेकिन इस तरह की बात, कौन विभाग इसका हो सकता है मैं नहीं जानता, स्थानीय निकायों को देनी पड़ेगी, पंचायतों को देनी पड़ेगी, इस योजना को बनाकर ताकि इसकी देख भाल कर सके। क्योंकि सरकारी अफसरों के बहाने से यह काम हो ही नहीं पायेगा। मुझे अब दो-तीन सुझाव आपको और देने हैं। आप जब मुख्य मंत्री नहीं थे, तीन-चार बातें आप बहुत जोरों कहते थे....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह क्यों याद दिलाते हो? नहीं तो मुझे आपकी बातें याद आ जायेगी।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मेरी याद आ जायेगी तो बहुत खुशी होगी। कम से कम किसी को तो मेरी याद आयेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और याद करें या नहीं करें, मैं आपको लगातार याद करता हूं।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : आप बड़े जोरों से अर्न्तराज्यीय विवादों की चर्चा करते थे, आप बहुत जोर से सीमा पर होने वाले अपराधों की भी चर्चा करते थे। बहुत जोर से कानून व्यवस्था की चर्चा करते थे। आप बहुत जोर से भ्रष्टाचार को मिटाने की भी चर्चा करते थे। मैं इन सब बातों में विस्तार के साथ जाना नहीं

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

चाहता। कई कामों में प्रगति हुई है जैसे आज ही हमको जानकारी मिली यमुना के पानी में राजस्थान को हिस्सा मिलेगा, लेकिन श्रीमान् एक बात मुझे कहनी है कि जितना पानी मिल रहा था वह मिलेगा, बढ़ोतरी क्या हुई उस बात की कोशिश हम सबको मिल कर करनी पड़ेगी। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। यमुना के अन्दर जिस तरह से हम भरोसा करके चल रहे हैं उतना पानी मेरे ख्याल से नहीं है। मैं यमुना के किनारे का रहने वाला हूं। इसलिए कोई स्कीम आपको बहुत बड़ी बनानी पड़ेगी जिसके तहत कोई बड़ा बन्ध बनाकर बाढ़ के पानी को इकट्ठा करे आप ला सकें, वरना जो पानी आ रहा है उसके भरोसे अगर आप रह गये तो हो सकता है भरतपुर क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय एक बहुत बड़ा नाम हो गया है, उसको तो आप पानी पहुंचा दें लेकिन जिस क्षेत्र से वह पानी गुजरेगा, लोग वहां से पानी पीना पीना चाहेंगे, पशु पानी चाहेंगे, पक्षी पानी चाहेंगे, लेकिन वह पानी आपको नहीं मिलेगा। मेरी प्रार्थना है कि केवल इस पानी से सन्तुष्ट नहीं हो जायें। गंगा का मामला हो, चाहे यमुना का मामला हो, इस सब को सोचकर कोई लम्बी योजना बनानी पड़ेगी। मैं मानता हूं कि एक दिन में, एक साल में यह संभव नहीं है लेकिन हम रहें या न रहें, देश चलेगा, प्रदेश चलेगा, प्रदेश के लोग भी रहेंगे आने वाले आयेंगे। इसलिए कोई ऐसी योजना बनानी चाहिये जिससे कहां पर फ्लड कन्ट्रोल करके, गंगा पर, यमुना पर पानी को रोक कर किस तरह ला सकते हैं इस बात पर हमें विचार करना पड़ेगा। हमारी ऐसी आशा है कि इन बातों की ओर भी हम कई प्रकार का ध्यान दिलायेंगे आपका साथ देंगे....

श्री यदुनाथसिंह : गुड़गांव केनाल भी बन्द कर दी, पानी बन्द कर दिया, आर्डर गये इनके।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : इसके साथ साथ, भ्रष्टाचार की चर्चा हो रही थी तो आपकी पार्टी के सदस्यों ने बड़े जोर के साथ कहा कि एक आई. ए. एस. आफिसर को पकड़ लिया। बहुत अच्छा किया। भ्रष्ट कोई भी हो, चाहे कास्ट का हो, चाहे ट्राइब का हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो, उसको पकड़ा जाना चाहिये, उसको सजा देनी चाहिये लेकिन सब अखबारों में समाचार छप रहे हैं कि एक नहीं अनेक अफसर ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हैं और उन अफसरों के बारे में आप ही वहां नहीं तो यहां बैठकर बहुत सारी बातें कह चुके हैं। आपको केवल मात्र याद दिला रहे हैं, अगर आपको भी ध्यान हो तो कम से कम अफसरों की, जिनकी चर्चा आप कर चुके हैं, मेहरबानी करके कोई न कोई इन्क्वायरी, कोई न कोई कदम उस मामले में उठाया जाना चाहिए। मैं किसी शिड्यूल्ड कास्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब के आफिसर की कोई हिमायत नहीं ले रहा, मैं उसका कोई पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से जब एक को सजा मिल जाय और दूसरे को सजा उसी तरह के अपराध में न मिले, आज कौन-सा ऐसा जिला है जहां ये सब गड़बड़ियां नहीं हो रही हैं, तो मन में एक भावना आती है। मैंने आज तक आपसे इस मामले में नहीं कहा। मैं भी

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

एक वर्ग से आता हूं। लोग रोज आकर मेरे पास बैठ जायं, बड़ी भ्रष्टाचार मिटाने की बातें हो रही हैं, आप कब तक चुप रहोगे ? मैं चुप्पी खोलने मात्र के लिए आपसे निवेदन नहीं कर रहा हूं, बहुत गम्भीरता के साथ, गहराई के साथ निवेदन कर रहा हूं कि समाज की ये कड़ियां हैं जिनको जोड़कर हमें रखना है। कहीं हम खाई को पाटने का काम नहीं करके उल्टा काम नहीं कर दें। एक अफसर भी प्रतीक बन जाता है। कई बार, कमजोरियां हैं हमारी, किसी वर्ग विशेष के बन जाते हैं हम लोग। अच्छे काम करने में नहीं बनते, लेकिन बुरे काम को देखकर लोग कह देते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि भ्रष्टाचार मिटाने की कोशिश आप जरूर करिये। वैसे तो यह एक चली हुई चीज है, एक दिन में कोई मिटा सके, यह सम्भव होता भी नहीं और होगा भी नहीं। कोशिश आप कर रहे हैं तो करें लेकिन कोशिश तो ऐसी करें जो एक समान हो, सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं इस कास्ट का आदमी पकड़ा गया तो उसको उठाकर सजा दे दो, एक आदमी पकड़ा गया आई. ए. एस. का उसको सजा दे दो। और वह प्रतीक बना दो, भ्रष्टाचार मिट गया, भ्रष्टाचार मिट गया। आज भ्रष्टाचार के बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनको उठाया जा सकता है। कभी व्यक्तिगत तौर पर ध्यान दिलाने की मेरी आदत नहीं क्योंकि इस तरह से ध्यान किस-किस चीज का दिलाएंगे। आप जितना हो सकता है कोशिश करते होंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखकर चलें कि किसी वर्ग विशेष के आदमी पर आपका अत्याचार मिटाने के तहत कोई गलत कदम न उठा लिया जाय।

मैं और बातों की ओर आपका ध्यान न दिलाकर दो-तीन सुझाव इस मामले में देना चाहूंगा। एक तो, शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब की जो सीटें रिजर्व होती हैं, निश्चत समय के बाद उनको खत्म कर दिया जाता है। इस पर विचार आपको करना पड़ेगा कि कैरीफारवर्ड वाली स्कीम जारी रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने 1-2 साल के बाद उनको खत्म कर दिया तो वे आ नहीं पाएंगे। दूसरा निवेदन है कि टैक्निकल पोस्टों पर शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब की बहुत सारी सीटें खाली पड़ी हुई हैं क्योंकि वे लोग आम तौर पर सामान्य शिक्षा ले लेते हैं, इंजीनियरिंग और डाक्टरी में भी जाने लगे हैं, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें जा नहीं पाते हैं। इसलिए उनमें ट्रेनिंग का इन्तजाम भी आपको करना पड़ेगा और विशेष व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। एक निवेदन यह भी है कि बहुत सारी सीट्स निकलती हैं लेकिन एक्सपीरिएंस के आधार पर उनको नहीं छांटा जाता है। अब तक हम किसी नौकरी में रहे नहीं, किसी काम को हमने किया ही नहीं तो एक्सपीरिएंस कहां से होगा। इसलिए एक्सपीरिएंस वाली बात को मेरे ख्याल से हटाना हमको पड़ेगा।

श्रीमान् आपको भी ताज्जुब होगा और हमको भी ताज्जुब है कि देश की आजादी के बाद राजस्थान से बहुत सारे आर. ए. एस. अफसर आई. ए. एस. में प्रमोट किये गये। मुझे बतलाया गया कि आज तक

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

कास्ट और ट्राइब का एक भी अफसर प्रमोट नहीं हुआ है आई ए. एस. के अन्दर जबकि काफी सीनियर आफिसर यहां पर हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेहरबानी करके इस बात को देखिएगा, क्योंकि एक भी अफसर अगर नहीं होता है प्रमोट तो अन्दाजा इस बात का लगता है कि जरूर कहीं न कहीं किसी के मन में खामी है। अगर व्यक्तियों में खामी है तो उसको दूर किया जा सकता है लेकिन अगर सरकार की मंशा ही नहीं है तो उसको कैसे दूर किया जाएगा? इसलिए सरकार की मंशा ठीक होनी चाहिए तभी यह बात बन पाएगी। वर्ना यह तो चली आयी चीज है, चलती रहेगी। मैं बहुत समय आपका लेना नहीं चाहता....

श्री उपाध्यक्ष: बहुत ले लिया, एक घण्टा हो गया। (व्यवधान) वह मैं नहीं कह रहा। मैंने कहा एक घण्टे तक बोल चुके हैं और चार बजे सरकार की ओर से उत्तर होगा। एक-दो व्यक्ति और भी हैं, इसलिए ध्यान दिलाना मेरा भी फर्ज है।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया: बहुत-बहुत धन्यवाद आपने याद दिलाया।

मुझे केवल एक निवेदन करना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्रीजी को प्रदेश में लाकर आपने कराया था। जिस तेज गति के साथ वह काम बढ़ना चाहिए था, खास तौर से प्रधान मंत्री द्वारा उद्घाटन के बाद, तेजगति के साथ बढ़ा नहीं है। हो सकता है आपकी भी कोई कठिनाइयां हों इस मामले के अन्दर। केन्द्र सरकार के सामने उस बात को ध्यान में आप भी लाते होंगे हम भी लाएंगे। लेकिन हमारी आपसे प्रार्थना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक ढंग से यहां पर हम क्रियान्वित करें जिससे आपकी भी बात अच्छी रहेगी और प्रधान मंत्री जैसे व्यक्ति को लाकर आपने उद्घाटन कराया, उनकी बात भी रह जाएगी। राजस्थान की जनता को जो बहुत सारी कमी महसूस हो रही है फेयर प्राइस शाप्स की कमी के कारण, उनको भी कुछ लाभ मिल सकेगा।

इसी तरह से अकाल में बहुत सारा पैसा जो आपको केन्द्र सरकार से मिला है वह लैप्स पड़ा है। उन आंकड़ों पर यहां बहस हो चुकी है, मैं बार-बार दोहराना नहीं चाहता। जिन क्षेत्रों के अन्दर अकाल पड़ा है उनके अन्दर एक तरमीम हमको शायद करनी पड़ेगी। विचारणीय विषय है कि हम केवल बाढ़ को, सूखे को, अति-वृष्टि को, अनावृष्टि को, ओले को ही मानते हैं। आज इस प्रदेश में इस हफ्ते के अन्दर बहुत सारी फसल ऐसी है जो छोटी-सी बरसात की वजह से गड़बड़ हो गयी है। किसान जो बहुत बड़ी उम्मीद करके चल रहा था उसकी फसल का आधा हिस्सा भी हाथ नहीं आएगा। हमको विचार करना पड़ेगा कि इस मामले में क्या करें, क्या इसे नैचुरल कैलेमिटी में नहीं मान सकते? ये मैंने आपको विचार करने के लिए मुद्दे रखे हैं, मेरी आशा है कि इस पर विचार करेंगे और आशा है कि आगे चलकर जब मैं ऐसा मौका आये, जो कि आएगा नहीं, तो राजनीतिक भाषण देकर

(श्री जगन्नाथ पहाड़िया)

ही नहीं, प्रदेश की जनता की भलाई और उसके आर्थिक विकास की बात भी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री कैलाश मेघवाल।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : पाइण्ट ऑफ इन्फार्मेशन। जवाब दे रहे हैं या विचार व्यक्त कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : जवाब नहीं दे रहे।

श्री कैलाश मेघवाल : बहस में इण्टरवीन कर रहा हूं।

श्री रमाकान्त शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम है कि नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : आपका है, लेकिन समयाभाव के कारण से....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : काट दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान दिवस भी है और चार बजे माननीय मुख्य मंत्रीजी बोलेंगे इसलिए....

श्री यदुनाथ सिंह : आपने जीवन में सबसे बड़ा काम पुण्य का जो किया है, पुण्य तो आपने किया नहीं, मेघवाल जी को अपना उत्तराधिकारी बना रहे हैं, यह ठीक कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने तो आपको भी बनाया था, आप + + + देकर चले गये उये उसका मैं क्या करूं।

श्रीमती सुमित्रासिंह : + + + नहीं देना था उनको तब तो अलग हो गये। + + + देते तो आपके साथ रहते और आपके साथ रहकर + + + देते।

श्री कैलाश मेघवाल (अकाल राहत मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक नम्बर-2 पर हमारे विरोध पक्ष के सबसे वरिष्ठ नेता, हिसाब-किताब के मामलों में दक्षता प्राप्त और आर्थिक ज्ञान का प्रतीक अपने आपको कहने वाले तारानगर से आने वाले माननीय विधायक ने बहस का प्रारम्भ किया। मैं उनके प्रति बड़ा आदर भी रखता हूं, लेकिन कई बार जो बड़े लोग होते हैं, इण्टलैक्चुअल, उनके साथ इण्टलैक्चुअल + + + भी जुड़ जाती है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि तारानगर से आने वाले माननीय विधायक ने जो विचार रखे उसमें वे राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठ नहीं सके। उनसे उम्मीद थी कि जिस तरह का बजट पेश हुआ, जिस तरह के आंकड़े पेश हुए, उन आंकड़ों की सही-सही ढंग से वे यहां व्यवस्था करते। वे चाहते थे कि सरकार को नीचा दिखा सकें। जैसे उन्होंने एक आंकड़ा दिया उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि पूरे राष्ट्र में महंगाई 12.8 प्रतिशत बढ़ी है।

श्री चन्दनमल बैद : एक प्रतिशत।

श्री कैलाश मेघवाल : 12.8 प्रतिशत। मैं हिन्दी में बोल रहा हूं, आठ प्रतिशत।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री चन्दनमल बैद : वन

श्री कैलाश मेघवाल : अच्छा, 12.1 प्रतिशत पूरे राष्ट्र में महंगाई माननीय चन्दन मल जी बैद के अनुसार बढ़ी है और राजस्थान में महंगाई 24.1 प्रतिशत बढ़ी है।

श्री चन्दनमल बैद : 24.17 प्रतिशत।

(8.00 म. प.)

श्री कैलाश मेघवाल : 24.17 और कारण बताया कि राज्य में प्रशासनिक शिथिलता के कारण यह महंगाई बढ़ी है। उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा होता तारानगर से आने वाले माननीय विधायक एक व्याख्या और कर देते। मैं आपके सामने सही ढंग से वह स्थिति रख सकूंगा या नहीं मुझे शंका है, मना नहीं करता। थोक भाव के सूचकांक और खुदरा भाव के सूचकांक निर्धारित करने का आधार क्या है और पैटर्न क्या है? अगर यह पैटर्न की स्थिति तारानगर से आने वाले माननीय विधायक ईमानदारी से यहां रखते तो शायद मैंने जो उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया है इण्टलैक्चुअल + + + का उन्होंने प्रमाण दिया है मैं नहीं कहता। इसका कारण है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि आधार वर्ष होता है। भारत सरकार के अखिल भारतीय आधार वर्ष को उन्होंने ले लिया 1981-82 का। और 1981-82 का अखिल भारतीय आधार वर्ष दिया था थोक भाव के सूचकांक का, उन्होंने कह दिया कि 12.1 पर्सेन्ट महंगाई बढ़ रही है। मैं तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि क्या राजस्थान का आधार वर्ष भी आपने यही लिया है? राजस्थान का आधार वर्ष लिया है 1952-53 का। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब आधार वर्ष आपने अलग-अलग लिया, अखिल भारतीय स्तर के थोक भाव के सूचकांक का जो आपने आधार वर्ष लिया है वह 1980-81 का लिया है और राजस्थान का आधार वर्ष 1951-52 का लिया है। इसके बाद तुलना करके यह साबित करना चाहते हैं कि महंगाई की दर राजस्थान में ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि यहां पर प्रशासनिक शिथिलता रही। यह तर्क किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, अखिल भारतीय स्तर का जो आधार वर्ष था माननीय श्री चन्दनमल जी बैद वही आधार वर्ष, 1980-81 का आधार वर्ष लेकर अगर यहां पर अपने आंकड़े रखते तो यह सदन भी लाभान्वित होता और मैं भी उनसे यह अपेक्षा करता कि उन्होंने अपने विचारों और ज्ञान से अवगत करा कर हमारे ज्ञान की वृद्धि की है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अखिल भारतीय थोक भाव सूचकांक जो तय होते हैं उनमें खाद्य वर्ग होता है, कच्चा माल अलग होता है, ईंधन शक्ति और प्रकाश अलग होता है, विभिन्न पदार्थ अलग होते हैं सबको लेकर वेटिंग डायग्राम भारत सरकार बनाती है। वैटिंग डायग्राम कीमत उसकी एक करके यह सूचकांक पेश करती है। इसका दूसरा तथ्य, माननीय उपाध्यक्ष

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री कैलाश मेघवाल)

महोदय, मैं इसलिए रखना चाहता हूं कि खुदरा भाव तय करने का आधार वर्ष तारा नगर से आने वाले माननीय विधायक ने थोक सूचकांक दिए हैं मैं स्वीकार करता हूं कि आंकड़े सही हैं। भारत सरकार का 1980-81 का और 1952-53 का राजस्थान सरकार का आंकड़ा, पैटर्न में भिन्नता, उसके आधार पर दे दिया उसकी तुलना नहीं की जा सकती है किसी भी रूप में तुलना करके गलत तयकर रखे थे। खुदरा भावों की स्थिति बताता हूं। खुदरा थोक का सूचकांक तैयार करने का आधार वर्ष है राजस्थान का 1960 और भारत वर्ष का भी 1960 है। अब भारत वर्ष का 1960 के आधार पर जो खुदरा भाव सूचकांक बनता है उसमें 1990 में जो भाव थे और 1990 से 1991 में जो भाव बढ़ गए, अखिल भारतीय स्तर पर खुदरा भावों में बढ़ोतरी हुई है 13.94 पर्सेन्ट। खुदरा भावों में और इसी तुलना में राजस्थान के दो केन्द्रों को आधार बनाया जाता है जयपुर केन्द्र और अजमेर केन्द्र। जयपुर केन्द्र पर 1990 की तुलना में 1991 में महंगाई में जो बढोतरी हुई है खुदरा भाव के सूचकांक में 14.63 पर्सेन्ट और अजमेर केन्द्र की हुई है 14.32 पर्सेन्ट।

माननीय सभापति महोदय, यह आंकडे मैं इसलिए रख रहा हूं

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह भी ज्यादा है।

श्री कैलाश मेघवाल : मान रहा हूं, कितना ज्यादा है? 0 फ्लैक्चुएशन है। वह स्वीकार कर रहा हूं। यह जो तारा नगर से आने वाले माननीय विधायक ने यहां पर जो आंकड़े रखे हैं महंगाई के बारे में मैंने एक स्थिति स्पष्ट की।

दूसरी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल हम यहां बहस के लिए बहस करें। इस बार, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तारानगर से आने वाले माननीय विधायक ने प्रतिशत को आधार बनाया। अब उनका क्या कहना था कि रूरल डवलपमेंट में यह सरकार कम खर्चा कर रही है। मैं दो आधार बताना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा लम्बा–चौड़ा इस बारे में जाना नहीं चाहता हूं। सैवंथ प्लान में, जबकि राजस्थान में कांग्रेस का शासन था और कांग्रेस के शासन में अन्तिम वर्ष था 1989-90। इसको मैं आधार इसलिए बनाना चाहता हूं कि तुलना हो जाएगी। मैं जो अपने आंकड़े रखना चाहता वह रखना चाहता हूं कि अगले साल की हमारी योजना क्या होगी और हमारी आठवीं योजना का ले आउट कितना है, टोटल।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उस समय हमारा बुढ़ापा था इस साल आपकी जवानी है।

श्री कैलाश मेघवाल : यह ठीक है स्वीकार कर लीजिए कि हम जवानी के हिसाब से काम कर रहे हैं और उस समय आप अपनी जवानी के हिसाब से काम कर रहे थे।

श्री चन्दनमल बैद : पर्सेन्टेज बताइए। मेरे पास किताब है।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वीकार करता हूं।

श्री चन्दनमल बैद : अपनी इन्टेलेक्चुअल आनएस्टि से बोलें, क्योंकि आपके नेता इन्टेलेक्चुअल + + + से बोल गए। अब आप आनेस्टि से बोल जायं।

श्री कैलाश मेघवाल : इन्टेलेक्चुअल आन्नेस्टि और + + + का निर्णय कौन करेगा यह तो आप पर ही मैं छोड़ता हूं। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप अपनी आनेस्टि का परिचय दो। उनको तो आपने कह दिया + + +

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं, नहीं। यह खुद महसूस करें यह कह रहा हूं मैं। खुद अनुभव करें कि हैं या नहीं ?

श्री रामेश्वर दयाल यादव : इन्टेलेक्चुअल + + + उनके साथ जुड़ी हुई है. आपने यह कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : यह विवाद का विषय क्यों बना रहे हैं आप ?

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कोई एतराज नहीं है कि माननीय श्री चन्दनमलजी बैद को पीढ़ियों की, हजारों साल से जो हेरेडिटी एन्वायरमेंट है, उसमें उनका व्यक्तित्व बना है, उसमें हिसाब-किताब रखने की दक्षता और आर्थिक नीतियों को समझने की उनकी दक्षता है उसका मैं कभी मुकाबला नहीं कर सकूंगा, यह स्वीकार करता हूं। लेकिन मेरी समझ में जो कुछ आया है उसको रख रहा हूं और मैं यदि गलत होउंगा और वह सही करेंगे तो मैं स्वीकार करूंगा, अपने आपको करेक्ट कर लूंगा। यह बहस के मुद्दे हैं. बहस में हो सकता है कि मुझे कोई बात गलत समझ में आ गई और गलत ढंग से प्रस्तुत करूं, वह सही करेंगे, तो मैं करेक्शन यहीं स्वीकार करूंगा, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। यह मेरी इन्टेलेक्चुअल आनेस्टि है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि रूरल डवलपमेंट में सेवंथ प्लान में कांग्रेस शासन का टोटल आउट ले था 145 करोड़ 57 लाख रुपया। यह तीन-चार मुद्दे इन्होंने छोड़े थे, उन चारों के बारे में ही मैं आपके सामने स्थिति रखना चाहता हूं। कांग्रेस शासन का सेवंथ प्लान में टोटल आउट ले था 145 करोड़ 57 लाख रुपये और उसमें से उन्होंने खर्च किया 209 करोड़ 42 लाख रुपये। यह इनके सेवंथ प्लान के आंकड़े हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं अब इस मुकाबले को देखिए कि आठवीं योजना में हमारा टोटल आउट ले, हमारे शासन का होगा 677.55 करोड़ रुपये का, जो टोटल बजट का 6.48 पर्सेन्ट है। सेवंथ योजना में आउट ले रखा था 4.85 और खर्चा उन्होंने 6.74 किया। आठवीं योजना में रूरल डवलपमेंट में 6.48 पर्सेन्ट हमारा होगा टोटल बजट का। आंकड़े में आपके सामने रख रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री कैलाश मेघवाल)

निवेदन करना चाहता हूं कि बजट का आकार बढ़ा है, योजना का आकार बढ़ा है....

श्री चन्दनमल बैंद : आपने लिखा है रूरल डवलपमेंट का 5.97 पर्सेन्ट। आपकी किताब में से दे रहा हूं जो आपने छापी है। मैंने नहीं छापी है।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं जो आंकड़े दे रहा हूं (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैंद : नहीं, या तो यह किताब गलत है या आप गलत है। दोनों में एक तो गलत है ही। या तो इस किताब की फाड़ू या इस किताब को गलत बताऊं।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं जो कह रहा हूं वह सत्य है....(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैंद : आप कह रहे हैं वह सत्य है और यह किताब जो कह रही है असत्य है ? यह किताब आपने छापी है, यह किताब आपने मुझे दी है। मैं कोई अपने घर से नहीं लाया इसको।–This book has been supplied to me by your Chief Minister.

श्री कैलाश मेघवाल : गुमराह करने का सवाल नहीं उठता है। इस किताब में किस परिपेक्ष्य में आंकड़े दिए गए हैं, कौनसे आंकड़े हैं, मैं अध्ययन करने के बाद गलत होऊंगा तो (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैंद : रूरल डवलपमेंट एडथ प्लान 1992-97-5.97....

एक माननीय सदस्य : पुरानी है।

श्री चन्दनमल बैंद : पुरानी नहीं है, नई है। यह रही। ड्राफ्ट एनुअल प्लान 1992–93 वाल्यूमवन–गवर्नमेंट आफ राजस्थान, प्लानिंग डिपार्टमेंट नवम्बर, 1991

श्री कैलाश मेघवाल : आप तो एक साल पुरानी किताब लेकर आ गए। एक पुरानी किताब है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं माननीय श्री बैंदजी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि मैं यह स्वीकार कर चुका हूं, आपको न तो प्रवोक होने की आवश्यकता है....

श्री चन्दनमल बैंद : आप यह स्वीकार कीजिए कि इन्टेलेक्चुअल + + + आप में है या मेरे में है। यह स्वीकार कीजिए आप।

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने महंगाई के आंकड़े आपको बताये हैं।

श्री चन्दनमल बैंद : नहीं, नहीं आपने मुझे इन्टेलेक्चुअल + + + कहा है। मैं आपसे कहता हूं कि अब आप यह कहिए कि इन्टेलेक्चुअल + + + मैं हूं या आप हैं?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महंगाई के आंकड़ों को जिस तरह से तारानगर से आने वाले माननीय

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री कैलाश मेघवाल)

विधायक ने रखा था मैंने उनको चुनौती दी है वह बता दें बेस ईयर एक है और पैटर्न एक है....

श्री चन्दनमल बैद : मैं आपको जवाब दूंगा । मैंने जिस परिप्रेक्ष्य में कहा है उसका जवाब दूंगा आपको ।

एक माननीय सदस्य : बुजुर्गों को तेज नहीं बोलना चाहिए ।

श्री कैलाश मेघवाल : अगर यह किताब आप मुझे रेफर कर दें तो मैं हाफ हैण्ड आपको जवाब दे सकता हूं । इनके जितना मैं ज्ञान नहीं रखता हूं । मैं मेरे आंकड़े दे रहा हूं....

श्री चन्दनमल बैद : सन्दर्भ चल रहा है मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेहरबानी करके आप उस सन्दर्भ में आएं । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । मेरा माननीय श्रीमती सुमित्रा सिंहजी से निवेदन है कि कृपया ।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप फैसला तो करें कि कौन गलत है। सदन को गुमराह कर रहे हैं। फैसला तो करिए आप। कौन सही, कौन गलत यह इस गवर्नमेंट की किताब है। इस गवर्नमेंट की दी हुई किताब है । इसका फैसला तो करो आप ।

श्री डूंगरराम पंवार (उप मंत्री) : सब के सब बोलो ताकि किसी का पल्ले ही नहीं पड़े । यह कोई तरीका है ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : किताब में लिखो कुछ और बोलते हैं कुछ । गुमराह आप कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये ।.... (व्यवधान)....

श्री चन्दनमल बैद : माननीय रमाकान्त जी अगर यह किताब गलत है तो फिर क्यों दी आपने मुझे....(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : किताब में कुछ लिखते हो और बोलते कुछ हो, गुमराह कर रहे हो ! राजस्थान सरकार की दी हुई किताब है यह । यह हमने नहीं दी । ऐसा क्यों करते हो....(व्यवधान)

श्री रमाकान्त शर्मा : यह आउट डेटेड है ।

श्री चन्दनमल बैद : यह आउट डेटेड है तो आपने मुझे क्यों दी....(व्यवधान).... यह 1991 की किताब आउट डेटेड है....

श्री फूलचन्द गुर्जर : पूरे राजस्थान को दी यह किताब आपने ।

श्री चन्दनमल बैद : सारे राजस्थान में बंटी है यह । आप कहना चाहते हैं श्री रमाकान्त जी गलत हैं....

श्री रमाकान्त शर्मा : हां, मैं कह रहा हूं गलत है....यह पुरानी है, इसके बाद बदल गई....(व्यवधान)....

श्री चन्दनमल बैद : आप गलत हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय मुख्य मंत्रीजी कह दें कि हमारे सारे आंकड़े गलत हैं। हमारी दी हुई सारी किताबों की कोई सेंक्टिटी नहीं है। यह मुख्य मंत्रीजी कह दें खड़े होकर....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुमित्रा सिंह जी, बिराजिये आप। बात हो गई काफी, आपने कह दिया ना....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के दिये हुए आंकड़े हैं, इतनी तो आप व्यवस्था दे दें कि हम इसे गलत मान लें या मंत्रीजी को गलत मान लें। आप यह तो फैसला करें....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इसका भी सन्तोषप्रद उत्तर आ जाएगा।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय मंत्री महोदय सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी बोलेंगे आपकी बात सुन ली है।

श्री चन्दनमल बैद : मुख्य मंत्रीजी क्या बोलेंगे ?....(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : या तो वह अपना आधार बताएं, उन्होंने तो अपना आधार बता दिया....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह अपना आधार बता रहे हैं ना, बिराजिये आप।

श्री रामनारायण वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.... (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बहस को कंटीन्यू हम जब होने देंगे जब आप यह व्यवस्था द कि गलत कौन है। माननीय मंत्रीजी गलत हैं या यह पुस्तक गलत है। उसके बाद ही हम उन्हें कंटीन्यू करने देंगे नहीं तो हम कंटीन्यू नहीं करने देंगे। आप फैसला दीजिए।....(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि आसन से यह कह दिया जाए कि कौन गलत है कौन गलत नहीं है....(व्यवधान)

श्री रामनारायण वर्मा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या व्यवस्था का प्रश्न है आपका ?....(व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या यह चेयर ही सैट करेगी ? Is it a Chair which will decide ? क्या यह चेयर डिसाइड करेगी कि कौन गलत कह रहा है ?—(व्यवधान)

श्री रामनारायण वर्मा : जो पुस्तक हमें दी गई है उसमें गलत आंकड़े दिये गये हैं और गलत आंकड़े सदस्यों को दिये जायं.... (व्यवधान)....या तो यह किताब गलत है.... इस तरह के गलत आंकड़े सदस्यों को देकर इस सदन को डिसीव किया है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था दीजिए पहले। इस मामले में यह बुकलैट सही है

(श्री रामनारायण वर्मा)

या माननीय मंत्रीजी का कहना सही है.... (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए, सुन लिया ना आपका। प्लीज वर्मा साहब बिराजिए आप....(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह सुझाव है कि सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित करके पहले आंकड़े देख लिए जायं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय की तत्काल क्या व्यवस्था चाहते हैं आप ?....(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : आप किताब को तो सही कहिये। अगर यह किताब सही नहीं है तो फिर ऐसी किताबें हमको क्यों दी जाती हैं ? अगर किताब गलत हैं तो फिर क्यों दी गई ?....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डिबेट का जवाब डिबेट से मिला करता है। बिराजिए आप....

श्री परसादीलाल मीणा : यह मर्जी आये जो आंकड़े बोल रहे हैं, आप व्यवस्था दीजिए....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, गुमराह किया जा रहा है। जवाब नहीं दिया जा रहा है—(व्यवधान)....

श्री कैलाश मेघवाल : मैं जवाब दे देता हूं, उपाध्यक्ष महोदय,—

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सचेतक जी से निवेदन करूंगा कि कृपया....(व्यवधान) डिबेट से उत्तर दिया जाने वाला है आसन से क्या व्यवस्था चाहते हैं आप ?.... (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दिए देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : वह जवाब दे रहे हैं सुनिये तो।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : पाइन्ट आफ आर्डर।....(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि जो प्रगति प्रतिवेदन हमको दिये जाते हैं यदि उनमें सब इन्फार्मेशन सही नहीं है तो बताइये हम किस तरह से.... (व्यवधान).... यह स्पष्ट किया जाना चाहिए....

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं। तारानगर से आने वाले माननीय विधायक ने जिस पुस्तक का हवाला दिया है वह ड्राफ्ट प्लान है और ड्राफ्ट प्लान का जो उन्होंने यहां जिक्र किया है वह गलत किया है। मैं फाइनल एप्रूव्ड प्लान के आंकड़े सदन के सामने रखना चाहता हूं। ड्राफ्ट प्लान के आधार पर.... (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : राज्य सरकार की ओर से जो पुस्तकें हमको दी जाती हैं वह किताबें गलत हैं....(व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या कह रहे हैं। फरमाइये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सिंचाई मंत्रीजी ने अपना भाषण प्रारम्भ करते हुए पहली बात तो इन्होंने यहां यह कहा कि अपने आपको विद्वता का परिचय देने, दूसरा इन्होंने यह कहा कि तारानगर से आने वाले विधायक महोदय ईमानदारी से अगर कहें और तीसरी बात आपने यह कही कि यह जो पुस्तक है इसमें आंकड़े गलत हैं और मेरे पास जो आंकड़े हैं वह सही हैं....

श्री कैलाश मेघवाल : वह ड्राफ्ट प्लान है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : आप सुनिये पहले। कोई यह थोड़े ही है कि आप में विद्वता है और बाकी सब यूं ही बैठे हैं यहां पर। सुनने की क्षमता रखिये आप। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो रिकार्ड तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने इंगित किया है वह रिकार्ड राजस्थान सरकार के विभाग द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा प्रसारित किया हुआ है और इस सदन के माननीय सदस्यों को वितरित किया गया है। उस रिकार्ड के आधार पर माननीय बैदजी कुछ कह रहे हैं। माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं कि वह रिकार्ड गलत है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या राज्य सरकार द्वारा जो प्रसारित रिकार्ड हर विभाग का है उसको हम गलत समझें या सही समझें? यह आसन की तरफ से पहले व्यवस्था होनी चाहिए और जब तक यह व्यवस्था नहीं हो चाहे पन्द्रह मिनट या आधा घण्टे के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करें यह सदन के सदस्यों में एक असमंजसता का विषय पैदा हो गया है कि राज्य सरकार द्वारा प्रसारित रिकार्ड सब गलत है। माननीय सिंचाई मंत्रीजी ने यह बात कही है, यह नहीं होनी चाहिए.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप बिराजिये, पहले इनका जवाब सुन लीजिए। ....(व्यवधान)... डिबेट का उत्तर डिबेट से दिया जाएगा।

श्री प्रद्युम्नसिंह : ....(व्यवधान)....आप व्यवस्था दे दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : मैं दे चुका हूं व्यवस्था। ....(व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह ड्राफ्ट प्लान है....

श्री कैलाश मेघवाल : ड्राफ्ट प्लान है।

श्री हीरालाल देवपुरा : सुनिये ना। Why are you hesitating? आप ही उत्तेज होते हो जिससे दूसरा उत्तेज होता है। गम्भीरता से आप बोलो तो कोई बात ही नहीं होती। आप अपनी बात को गम्भीरता में लेते ही नहीं मुश्किल तो यह हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, यह ड्राफ्ट प्लान है और draft plan was circulated by the Government in the month of November, 1991. लेटेस्ट है। ड्राफ्ट प्लान को यह कहकर इग्नोर नहीं किया जा सकता कि ड्राफ्ट प्लान है। या तो आप यह कहिये कि हमने इस ड्राफ्ट प्लान को चेन्ज कर दिया और दूसरा ड्राफ्ट प्लान हमने दे दिया है, आपने जो प्लान पेश किया है....

श्री चतुर्भुज वर्मा : यह जो ड्राफ्ट प्लान है वह....

श्री हीरालाल देवपुरा : आप क्यों इतना तेज हो रहे हैं, क्या हो गया इसमें तेजी की बात कहां आ गई । आप तो गम्भीर रहिये आप तो मंत्री हैं....

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप बता दीजिए ड्राफ्ट प्लान कहते किसको हैं बीच में चबड़-चबड़ करने लग गये, जानते हैं ही नहीं कि ड्राफ्ट प्लान कहते किसको हैं ।

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, ड्राफ्ट प्लान 10,450,72 करोड़, यह स्टेट गवर्नमेंट ने एड्थ ड्राफ्ट प्लान बनाकर के पेश किया Has ever been made any change in this draft plan ? नवम्बर, 1991 का ड्राफ्ट प्लान है और ड्राफ्ट प्लान कह कर के यह नहीं कहा जा सकता कि ड्राफ्ट प्लान है इसलिए हमेशा बदल सकता है after all it is a Government. It is not a particular house. और किसी व्यक्ति का घर नहीं है । ड्राफ्ट प्लान जब आया है तो इस ड्राफ्ट प्लान को आप कह रहे हैं, ड्राफ्ट प्लान में आप चेन्ज कर रहे हैं । यह कहां की बात हो गई । इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस बात को मन्जूर करें, सिंचाई मंत्रीजी इस सदन के सदस्य की हैसियत से बोल रहे हैं, सिंचाई मंत्री की हैसियत से नहीं । वह इस बात को मन्जूर करें कि ड्राफ्ट प्लान में जो बात कही गई है वह सही है और आप जो आंकड़े दे रहे हैं वह गलत आंकड़े हैं तब तो यह हाउस सहूलियत से चलेगा अन्यथा किस तरह की डिबेट होगी यहां पर । यह अपने आप में ही एक कण्ट्राडिक्शन है यह कैसे चलेगा । आखिर माननीय मुख्य मंत्रीजी बैठे हुए हैं, मुख्य मंत्रीजी स्पष्ट कर दें इसको ।....(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, इनको फाइनेन्स के बारे में जानकारी नहीं है । यह तो एम. एल. ए. के रूप में बोल रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनिये वह उत्तर दे रहे हैं ।....(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने कैसे कहा ? आप व्यवस्था दीजिए ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मंत्रीजी को जानकारी नहीं है ।....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, उत्तर सुनिये ।

श्री ईश्वरलाल सैनी : थानागाजी ने आने वाले माननीय सदस्य ने....(व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : यह ड्राफ्ट प्लान सही है या नहीं, यह तो सिंचाई मंत्रीजी इस बात को कह नहीं सकते यह तो माननीय मुख्य मंत्रीजी को ही बताना पड़ेगा कि ड्राफ्ट प्लान जो स्टेट गवर्नमेन्ट ने दिया है उस ड्राफ्ट प्लान की क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है । माननीय मुख्य मंत्रीजी यह कह दें कि ड्राफ्ट प्लान गलत है तो हम इसे स्वीकार कर लेंगे । वह कह तो दें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, ड्राफ्ट प्लान के आंकड़े आपने बताये एड्थ फाइव ईयर प्लान का ड्राफ्ट प्लान, कोई डाक्यूमेंट चाहे आप रेफर कर दें.... (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : मैंने अपनी स्पीच में, और आज भी मैंने यही कहा है कि एनुअल ड्राफ्ट प्लान 1992-93, इसी में एड्थ ड्राफ्ट प्लान के आपने फीगर्स दिये हैं। इन्हीं फीगर्स को जब बजट पर मैं बोला था तब बोला था। इन्हीं फीगर्स को जब मैंने यह कहा था कि 7 हजार 9 सौ कितने का ड्राफ्ट प्लान है आपने कहा कि नहीं हमने उसमें अमेण्ड करके 10 हजार का कर दिया, उसी बात को दुबारा जब मैं परसों बोला था तो मैंने 10 हजार के फीगर्स थे वह प्राप्त किये और प्राप्त करने के बाद उन्हीं के अनुसार मैं बोला हूं। मैंने ड्राफ्ट प्लान की ही बात कही है और अभी आपने जो पब्लिश किया है वह ड्राफ्ट प्लान ही किया है। अब आप क्या कहना चाहते हैं, बता दीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, ड्राफ्ट प्लान दो बार बना है, एक बार 1991 में बना वह पांच वर्ष के लिये था फिर दो वर्ष तक एनुअल प्लान बना और एनुअल प्लान बनने के बाद अब जो एड्थ फाइव ईयर प्लान बना है वह पांच वर्ष के लिये है, 1992 से 1997 तक। पहले वाला ड्राफ्ट प्लान शायद 7 हजार 9 सौ करोड़ का था उसको बढ़ाकर हमने 10 हजार करोड़ का किया है, तो नेचुरल है कि आंकड़ों में तो अन्तर आयेगा ही। ड्राफ्ट प्लान फाइनल हो और फाइनल स्टेज पर कोई प्लान आएगा उसके आंकड़े क्या होंगे और ड्राफ्ट प्लान के आंकड़े क्या होंगे, उनमें निश्चित रूप से अन्तर होगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। आप ड्राफ्ट प्लान के आधार पर बोल रहे हैं और यह एनुअल प्लान के आधार पर बता रहे हैं। अन्तर तो निश्चित रूप से आएगा।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय मुख्य मंत्रीजी यह बात नहीं है, जो आप फरमा रहे हैं यह बात नहीं है। यह एनुअल प्लान जो है, ड्राफ्ट एनुअल प्लान 1992-93, उसी को रेफर किया है और जिसका रेफरेंस अभी आप दे रहे हैं कि आपने अपना प्लान 10 हजार 450.72 करोड़ का किया है और वही ड्राफ्ट प्लान जो अभी आप रेफर कर रहे हैं उसके बाद कोई चेन्जेज हुआ नहीं है और उसी को बाइफरकेट करके एनुअल प्लान में आपने दिया है रूरल डवलपमेंट एड्थ प्लान 1992-97 623.55, एनुअल प्लान 1991 77.54 और अब जो प्रपोज्ड आउट-ले 1992-93, इसका मतलब यह है कि 1991-92 से आपने इसको प्रारम्भ किया है, 77.54 आपने इसको कम्पेयर किया और प्रपोज्ड आउट-ले आपने दिया है 104.23, यह पर्सेन्टेज आपने निकाले हैं, 5.97 प्रतिशत एड्थ प्लान कर दिया आपने टोटल आउट-ले का, 6.63 आपने दिया 1991-92 का और 6.39 आपने दिया है 1992-93 का तो यह जो दिया है जो एनुअल ड्राफ्ट प्लान वही है जिसको अभी आप रेफर कर रहे हैं उसमें कोई चेन्जेज की बात नहीं आई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन अच्छी तरह से जानता है कि ड्राफ्ट प्लान बनता है और ड्राफ्ट प्लान बनने के बाद फाइनल एप्रूवल उसका होता है वह चाहे एट्थ फाइव ईयर प्लान हो जो चाहे एट्थ फाइव ईयर प्लान कम्पोनेंट के रूप में एनुअल प्लान हो जो ड्राफ्ट बनाएंगे वह भारत सरकार प्लानिंग कमीशन के सामने जाएगा। प्लानिंग कमीशन जब उसको एप्रूव करेगा, वह एप्रूव जो कुछ भी प्लान है वह राजस्थान में लागू होगा। उसी के हिसाब से किस-किस मद में कितना-कितना रुपया खर्च किया जाता है इसका प्रावधान किया जाता है। आप ड्राफ्ट प्लान से बता रहे हैं, 1991-92 या 1992-93 का आप कह रहे हैं। मैं समझता हूं यह ड्राफ्ट प्लान हमने प्लानिंग कमीशन को दिया है उसके बाद में प्लानिंग कमीशन ने जो स्वीकृति दी है उसके आधार पर अलग-अलग मदों पर एलोकेशन किया है जिसके कारण यह जो कह रहे हैं उसमें अन्तर होना स्वाभाविक है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है।

श्री हीरालाल देवपुरा : मतलब यह हुआ कि सिंचाई मंत्रीजी जो कह रहे हैं वह एनुअल प्लान जो स्वीकार हुआ है उससे कह रहे हैं, इसके फीगर्स हमको नहीं दिये हैं फिर कम्पेयर करने की जरूरत क्या है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको नहीं दिये यह बात हो सकती है।

श्री हीरालाल देवपुरा : फिर कम्पेयर करने की कहां जरूरत है। इन्टेलेक्चुअल डिस आनेस्टी की बात और कम्पेयर करने की बात कहां आती है....(व्यवधान) जो फीगर्स तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने हाउस में दिये हैं वह फीगर्स दिये हैं आपके ड्राफ्ट प्लान से। उस वक्त तक आपका एनुअल प्लान क्या था आपने बताया नहीं किसी को वह फीगर्स इन्होंने दिये हैं। अब आपके सिंचाई मंत्रीजी जवाब देते वक्त यह कहे कि एनुअल प्लान यह है तो कम्पेयर करके इन्टेलेक्चुअल + + + का प्रश्न ही कहां उठता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं।

श्री हीरालाल देवपुरा : इन्टेलेक्चुअल + + + की बात करके किसी पर चार्ज करना चाहते हो....

श्री चन्दनमल बैद : आपके मंत्रिमण्डल के सदस्य....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता।

श्री हीरालाल देवपुरा : विवाद तो वह बन गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई विवाद नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : मुख्य मंत्रीजी आपके मंत्रिमण्डल के सदस्य मेरे ऊपर इन्टेलेक्चुअल + + + का चार्ज लगा रहे हैं। मैं आपके जो फीगर्स जो आपने दिये हैं, एट्थ फाइव ईयर प्लान के 1991-92, 1992-93 के फीगर्स मैंने वही कोट किये

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री चन्दनमल बैद)

हैं। किताब उठा कर दिखाई है मैंने, भाषण देते वक्त किताब उठा कर दिखाई है मैंने और यहीं फीगर्स कोट किये हैं। मुझे बताइये आप कि यह फीगर मैं कोट करूं फिर अगर इन्टेलेक्चुअल + + + है तो मैं हूं या आपका मंत्रिमण्डल है, वह बताइये आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बता देऊंगा। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रश्न पालिटिकल + + + का है मैं समझता हूं....

श्री चन्दनमल बैद : पालिटिकल नहीं इन्टेलेक्चुअल डिस आनेस्टी पालिटिकल + + + आप हैं, मैं नहीं हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इन्टेलेक्चुअल डिस आनेस्टी का सवाल है मैं समझता हूं कि यह आम बोलचाल की भाषा का शब्द है....(व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : बहुत सोच विचार करके....(व्यवधान) इस पाइन्ट पर शुरू किया है इन्होंने। अपनी पूरी की पूरी वार्ता + + + वाले पाइन्ट से इन्होंने शुरू की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन करूं कि पालिटिकल + + + के कारण से यदि आपको कोई वेदना हुई है तो यह तो मुझे भी वेदना है। इस चेप्टर को तो बन्द करो।

श्री नत्थी सिंह : वेदना तो इनको होनी चाहिए। He must feel it is and he must apologies.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आंकड़े दोनों के ही सही है। अब आप कहेंगे कि दोनों के आंकड़े कैसे सही हैं तो....

श्री चन्दनमल बैद : आप कह रहे हैं कि आंकड़े दोनों सही है। मैं जानना चाहता हूं क्या आपका एड्थ प्लान, 10 हजार या जितने भी करोड़ का आपने भेजा था वह क्या प्लानिंग कमीशन से तरमीम हो गया है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बात कर रहा हूं। यह सब बातें जो एड्थ फाइव ईयर प्लान जो भेजा है अभी राजस्थान सरकार और प्लानिंग कमीशन के बीच में उसके विषय पर चर्चा ही नहीं हुई। एप्रूव होने का तो सवाल ही नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद : यही मैं कहना चाहता हूं। मुख्य मंत्रीजी यह बात नहीं है। मैंने जो फीगर्स दिये हैं रूरल डवलपमेंट के वह 5.97 करोड़ के दिये हैं और अभी आप कह रहे हैं कि ड्राफ्ट प्लान मन्जूर नहीं हुआ है तो दूसरे फीगर्स कहां से आ गये ? कहां से आए यह फीगर्स ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सुनिये....(व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : यह इन्टेलेक्चुअल + + + कर रहे हैं हाउस में ठीक है।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किसी तरह से कोई + + + नहीं है। श्री चन्दनमल जी ने + + + की है और न श्री मेघवाल जी ने + + + की है....(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : श्री मेघवालजी ने गलत आरोप लगाया है....(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह ड्राफ्ट प्लान है और ड्राफ्ट प्लान के फीगर्स कोई ऐसा नहीं है कि जो हमने दिये वही एप्रूव हो गये और वही फीगर्स सही हों।

श्री चन्दनमल बैद : तो जब तक एप्रूव नहीं हो तब तक यह फीगर्स सही हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप एनुअल प्लान के आंकड़े दे रहे हैं....

श्री चन्दनमल बैद : एड्थ प्लान के आंकड़े दिये हैं मैंने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एड्थ प्लान के मामले में हमने अभी विचार ही नहीं किया है।

श्री चन्दनमल बैद : आपने जो फीगर्स दिये हैं उन्हीं का जिक्र किया है मैंने तो। माननीय मुख्य मंत्रीजी, आप एक मिनट बिराज जाइये। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा था कि सेवन्थ प्लान के बाद आपने जो एड्थ प्लान बनाया उस एड्थ प्लान बनाने में आपने पावर, इरिगेशन, रूरल डवलपमेन्ट, सामुदायिक और जो कम्युनिटी डवलपमेंट सर्विसेज है उसमें पैसा कम रखा कर भेजा है। यही मैंने कहा है, जब तक यह चेंज नहीं होता है, मेरा आंकड़ा बिलकुल सही है और मैंने बात सही कही है कि आपने पावर, इरिगेशन, कम्युनिटी व डवलपमेंट सर्विसेज में, रोड डवलपमेंट में कम पैसा रखा है। आपके दिशा निर्देश गलत हैं। यह मैंने कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक ड्राफ्ट प्लान बनाने का सवाल है, आपने ड्राफ्ट प्लान के जो आंकड़े दिये हैं वह कोई गलत नहीं बताता। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो एनुअल प्लान है। एनुअल प्लान का ड्राफ्ट प्लान हम बनाते हैं, ड्राफ्ट बनाकर प्लानिंग कमीशन के सामने हम ले जाते हैं। उस समय जो हम फीगर्स देते हैं, अगर उसी रूप में वह फीगर्स स्वीकार कर लिए जाएं तो ड्राफ्ट प्लान और एक्चुअल प्लान के फीगर्स में कोई अन्तर नहीं आता लेकिन अगर ड्राफ्ट प्लान में हमने जो योजनाएं ली हैं या जो धनराशि हमने निर्धारित की है। वह प्लानिंग कमीशन स्वीकार नहीं करता तो उसके आधार पर परिवर्तन होगा। अब अगर आप एनुअल प्लान के हिसाब से मुकाबला करना चाहे तो जो बजट में रिफ्लेक्शन है, जो बजट हमने इस बार में पेश किया है, इस बजट में इस बात का रिफ्लेक्शन है कि ड्राफ्ट में कितना अन्तर आया है, एनुअल प्लान में। जहां तक एड्थ फाइव ईयर प्लान का प्रश्न है, वह तो अभी प्लानिंग कमीशन के विचारार्थ ही नहीं गया। जो चार्ज विचारार्थ ही नहीं आई, जिस पर निर्णय नहीं हुआ, हमने वह ड्राफ्ट प्लान के आंकड़े दिये हैं, इसमें कोई

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

गलती नहीं है.... (व्यवधान) न मैं इस डाक्यूमेंट को गलत मानता, डाक्यूमेंट तैयार किया है। एक बार नहीं, यह डाक्यूमेंट तीन बार तैयार हुआ और तीनों बार के आंकड़ों में निश्चित रूप से अन्तर आयेगा। आज भी अन्तर है। जो हमने सैकण्ड ड्राफ्ट बनाया, उसमें अन्तर है, जो पहला ड्राफ्ट बनाया उसमें अन्तर है। जब हमने देखा कि एनुअल प्लान की साइज बढ़ती जा रही है तो बढ़ती हुई साइज का रिफ्लेक्शन एड्थ फाइन ईयर प्लान में हो, इस दृष्टि से प्लान साइज हमने बढ़ाई है। कोशिश कर रहे हैं कि हमारी प्लान साइज जो दो वर्षों की एनुअल प्लान साइज बढ़ी है, उसके अनुपात में बढ़ जाय और इसलिए उसमें + + + का कोई प्रश्न नहीं है, श्री चन्दनमल जी बैंद ने कहा है कि....

श्री हीरालाल देवपुरा : इसमें कोई विवाद नहीं है। इसका कोई विवाद नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ड्राफ्ट प्लान के हिसाब से सही है और वह यह आंकड़े दे रहे हैं, वह एक्चुअल जो कुछ हमको मिला, उसके हिसाब से दे रहे हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय मुख्य मंत्रीजी विवाद इस बात का नहीं है, विवाद इस बात का है कि जिस पाइंट को लेकर के इंटेलेक्चुअल + + + की बात की गई थी, विवाद इस बात का है। आप बता रहे हैं, वह तो हम भी जानते हैं कि जब तक प्लान पास नहीं होगा तब तक आंकड़े सही कैसे होंगे।

श्री कैलाश मेघवाल : आपको यह शब्द बुरा लगा तो मैं माफी चाहता हूं। चलिये, आगे बढ़ते हैं....(व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैंद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बुरा लगने की बात नहीं है। यह कहिये कि मैंने गलत कहा है उसके लिए माफी चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: अब उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह बुरा लगने की बात नहीं है। यह हमको चुभ गया है। हम मेहरबानी नहीं चाहते, हम किसी की दया नहीं चाहते किसी की। यह तो फैक्ट है। जो चीज मुख्य मंत्रीजी एग्री कर रहे हैं, वह आपको एग्री करने में कहां दिक्कत आती है, मुख्य मंत्रीजी यह कहें कि बुरा लगा आपको, बुरा लगने की क्या बात है। बुरा लगने की तो बात ही नहीं है।.... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी बात सुनिये, आप तो रोज अखबार पढ़ते हैं.... (व्यवधान) इसमें भी कोई एक लेखक दूसरे लेखक....

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि....

श्री चन्दनमल बैंद : इनकी अपोलोजी मंजूर है।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री यदुनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक आब्जेकशन है। ये माननीय सदस्य के रूप में बोल रहे हैं या माननीय मंत्री महोदय के रूप में बोल रहे हैं ? स्पष्ट कर दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : डिबेट कभी भी कोई भी इन्टरविन कर सकता है।

श्री यदुनाथ सिंह : इन्टरविन करने में हमें एतराज नहीं है। लेकिन ये माननीय सदस्य की हैसियत से बोल रहे हैं या मंत्री महोदय की हैसियत से बोल रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : विचार तो सदस्य की हैसियत से बोल रहे हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : सदस्य की हैसियत से बोल रहे हैं मेरा तो घोर एतराज है। आफिसर गैलेरी से इनको कम्युनिकेट किया जा रहा है। फिर हमें भी कोई इन्फोरमेशन गैलेरी से भेजी जाएगी····(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री कभी भी इन्टरविन कर सकते हैं। और मंत्री की कभी भी इन्टरवेंशन हो सकती है, उसके अधिकार का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार की परम्परा रही है। अलाउ करते रहे हैं। पहली बार कोई अलाउ नहीं किया है····(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके सामने इरिगेशन और फ्लड कन्ट्रोल के दूसरे आंकड़े रखना चाह रहा हूं और वह इसलिए रखना चाह रहा हूं····(व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : आंकड़े गलत हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इन आंकड़ों का आधार तो बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुन लीजिये पहले ····(व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह रनिंग कमेंट्री कब तक चलेगी ?····(व्यवधान)····यह तो लोगों की आदत पड़ गई है।

श्री उपाध्यक्ष : इनको अलाऊ किया है। ये बोलेंगे।····(व्यवधान)····आप बैठिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज तक जब भी विपक्ष बोलता है तो सत्ता पक्ष की ओर से इन्टरवेंशन नहीं होता। अगर आप यह चाहते हैं कि लगातार श्री कैलाश मेघवाल जी इन्टरविन करते रहे, मैं समझता हूं उचित परम्परा नहीं होगी और इसका आदान-प्रदान यदि होने लग गया तो इस सदन में और भी जो कुछ हम अच्छी परम्परा डालना चाहते हैं उसमें इसके कारण से रुकावट पैदा होगी। ये बोल रहे हैं। अगर गलत बोले तो आप प्रिविलेज मोशन ले आइये। क्या दिक्कत है इसमें। इन्होंने पोलिटिकल + + + का कह दिया, किस सेंस में कहा, बुरा लगा इन्होंने विदड्रा कर लिया, उसके लिए क्षमा मांगली। अब किस बात पर आप बात कर रहे हैं। बार-बार यह कहते हैं कि इरिगेशन के आंकड़ें नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकने ? आपको मौका मिलेगा। चैलेंज कर दर दीजिये, आज नहीं कम चैलेंज कर दीजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नेता महोदय, आप खामख्वाह में नाराज हो रहे हैं। मैंने कहा कि, इसका आधर तो बता दो इतना।

श्री उपाध्यक्ष : बहस तो चालू रहेगी। आप बिराजिए। (व्यवधान) हर बात में कहां बीच में आ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कैलाश मेघवाल : उपाध्यक्ष महोदय, ये हमेशा मुझे डिस्टर्ब करती हैं। इनसे निवेदन कर दिया जाए कि ये ऐसा नहीं करें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आधार तो बता दो अपना। इन आंकड़ों का आधार बता दो। मैं फिर पूछ रही हूं, मेरा अधिकार है कि इन आंकड़ों का आधार तो बता दें कि किस आधार पर बोल रहे हैं? आंकड़ों का आधार तो होगा। इसका आधार तो बता दें। आप अपना आधार तो बताइये। मेरा अधिकार है पूछने का मैं पूछूंगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप सुनिएं उसके बाद में आप एतराज उठाइये। (व्यवधान) आप बिराजिएं। आधार बता देंगे। माननीय श्री मेघवाल जी।

श्री प्रेमसिंह बाहिया : आप पहले आधार तो बता दीजिए।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आधार सरकारी रिकार्ड और सरकारी दस्तावेज है।

श्री उपाध्यक्ष : वह बात कम्प्लीट हो गई।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यह नहीं होता है, नियमों में नहीं आता है, जैसा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा, मेरे खिलाफ उसी तरह की कार्यवाही कर सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के आंकड़े में इसलिए देना चाहता हूं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, यह 7 प्रतिशत कम जा रहा है। कम इसलिए नहीं जा रहा है कि हमारी योजना का आकार बड़ा है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, फर्स्ट फाइव ईयर प्लान जो था, वह फर्स्ट फाइव ईयर प्लान तो कांग्रेस शासन में बना था और उस फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में सिंचाई पर 46·25 प्रतिशत खर्च हुआ था और वही कांग्रेस शासन में ही सेवन्थ प्लान में आते-आते 22·70 प्रतिशत रह गया तो किसी योजना का जब आकार बढ़ा तो शुरू-शुरू में तो वहां प्रतिशत ज्यादा था और हमने जो प्रस्तावित आठवी योजना तैयार की है, उसमें आते-जाते यह एनुअल प्लान, 1992-93 के आकड़े दे रहा हूं जिसमें 18·06 प्रतिशत सिंचाई का मामला है लेकिन टोटल आंकड़े जो बढ़े है, इसलिए बता देना चाहता हूं कि सेवन्थ प्लान में कांग्रेस शासन में 690·51 करोड़ रुपये खर्च हुए थे और हम केवल 1992-93 में 252·81 करोड़ रुपये खर्च करेंगे और आठवीं योजना में 1619·99 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, फीगर्स बढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन योजना के कुल आकार की दृष्टि से जब पर्सेन्टेज कम होता है और पर्सेन्टेज से पर्सेन्टेज में बाकी करते तो वह कम आता है। यह गणित का सवाल है।

(श्री कैलाश मेघवाल)

इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, पावर की बात है। पावर में भी सेवन्थ प्लान में कांग्रेस शासन में खर्च हुआ है वह 29·68 प्रतिशत खर्च हुआ है और हमारे शासन में 1992-93 में 26·27 प्रतिशत आउट ले है पावर का और टोटल का खर्चा होने वाला है वह है 3005·49 करोड़ रुपये, यह है एडथ प्लान के आंकड़े। इस तरह ये आंकड़े भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है।

इसी तरह सोशल एवं कम्युनिटी सर्विसेज के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सोशल एक कम्युनिटी सर्विसेज के बारे में कांग्रेस ने सेवन्थ प्लान में आउट ले 22·49 प्रतिशत और खर्च हुआ है 23·65 प्रतिशत। इस समय हमारी जो योजना है 1992–93 में वह है 22·88 प्रतिशत की है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, कुछ हमने प्राथमिकताएं बदली हैं। उन प्राथमिकताओं के बारे में मैं आपका भी ध्यान आकर्षित कर देना चाहता हूं कि कृषि और उससे जुड़ी हुई सेवाओं में सातवीं योजना में कांग्रेस ने केवल 161 90 करोड़ रुपये का खर्च किया है और हम केवल 1992-93 में 171·19 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। यह सातवीं योजना में केवल 161·90 करोड़ रुपये खर्च किये हैं, हम केवल 1992–93 में 171·19 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कृषि के क्षेत्र में टोटल जो पांचवीं योजना का आउट ले है वह 1116·92 करोड़ रुपये। आखिर हमने एक योजना बनाई है। इसी तरह से मैं निवेदन करूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसे मामले हैं जैसे साइन्टिफिक रिसर्च। साइन्टिफिक सर्विसेज एण्ड रिसर्च पर सातवीं योजना में पहले कोई खर्चा कोई नहीं हुआ। 6 योजनाएं बिना खर्च के निकल गई। सातवीं योजना में कांग्रेस ने जो किया है वह 3·95 करोड़ खर्च किया है और हम साइन्टिफिक सर्विसेज एण्ड रिसर्च पर 19·96 करोड़ रुपये खर्च करेंगे आठवीं पंचवर्षीय योजना में। एक आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर हैं, साइन्टिक रिसर्च हो रही है, साइन्टिफिक डवलपमेंट बढ़ रहे हैं उनको हम हारनेस करना चाहते हैं। इसी तरह से इकॉनोमिक सर्विसेज हैं। इकॉनोमिक सर्विसेज का मैं इसलिए बताना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां कई बार चर्चाएं हुई कई तरह के इकॉनोमिक डेटाज जो हमारे पास नहीं हैं उन इकॉनोमिक डेटाज के लिए हमको कई तरह के आर्गेनाइजेजसंस, सर्वे आर्गेनाइजेसेंस इवेल्युशन आर्गेनाइजेसेंस और दूसरे तरह के आर्गेनाइजेशन बढ़ाने पड़ते हैं। सातवीं योजना में कांग्रेस ने टोटल जो खर्चा किया है इकॉनोमिक सर्विसेज पर वो किया है 15 करोड़ रुपये का। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम आठवीं योजना में 486·72 करोड़ रुपये खर्च करेंगे और 1992-93 का आउट ले है वह इकॉनोमिक सर्विसेज के लिए 45·15 करोड़ रुपये हैं। ये आंकड़े मैंने आपके सामने इसलिए रखे हैं कि राजस्थान ने बड़े आकार की योजना बनाई है और उस बड़े आकार की योजना में प्राथमिकता के आधार पर राजस्थान को आगे बढ़ाना चाहते हैं।

(श्री कैलाश मेघवाल)

अब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। आखिर जिस राजस्थान के विकास की बात कर रहे हैं और जिस राजस्थान के विकास को लेकर यहां बहस होती है उस राजस्थान का देश के नक्शे पर कौनसा स्थान है, यह जान लेना बहुत आवश्यक है। देश में कुल क्षेत्रफल का 10.43 प्रतिशत क्षेत्रफल राजस्थान का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य-प्रदेश के बाद हम दूसरे स्थान पर हैं। आबादी की दृष्टि से 9वें स्थान पर हैं। कुल आबादी का 5.20 पर्सेन्ट राजस्थान में है। अब घनत्व के आंकड़े मैं नहीं जाना चाहता लेकिन साक्षरता का प्रतिशत बताना चाहता हूं। अभी हमारे 1981 के आंकड़े आएं लेकिन 1991 के आंकड़े प्राप्त हो चुके हैं। राजस्थान देश के 17 राज्यों में इस बात को ध्यान में रखा जाए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान की साक्षरता का प्रतिशत 38.81 है और देश के 17 राज्यों में साक्षरता में नीचे से दूसरे-तीसरे नम्बर पर हैं, 15 स्थान पर। हमारे बाद केवल दो स्टेट होंगे 16 वें और 17 वें। यह राजस्थान की साक्षरता का हमारा योगदान है, हमारी साक्षरता की स्थिति है। इसी तरह से औषत कृषि जोत....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : पाइन्ट ऑफ इन्फार्मेशन। उपाध्यक्ष महोदय, क्षमा करें। बात यह है कि आंकड़ों में आप बड़े माहिर लगे इसलिए मेरे बहुत दिनों से शंका थी, उसका निवारण कर दीजिए। आपने कहा कि 61 पर्सेन्ट हमने किया है जो कांग्रेस ने कभी नहीं किया। तो पहले हम रूरल पर

(3.44 म. प.)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)

कितना करते थे और आपने पूरे बजट का 61 पर्सेन्ट किया है तो आपने कितना खर्च किया है। एक पर्सेन्ट इधर से उधर होता है तो पौने सड़सठ करोड़ का फर्क आता है। आप मुझे यह बता दीजिए। बहुत दिनों से मैं कह रहा हूं बार-बार और मेरे यह शंका दूर नहीं हो रही है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय सभापति महोदय, फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने मुझे इधर-उधर करने की कोशिश की है लेकिन में निवेदन कर दूं जिस तरह का आंकड़ा उन्होंने मांगा है, क्या वह आंकड़ा मैं इस समय आफ हैण्ड दे सकता हूं, क्योंकि हर आंकड़ा

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : मीठालाल जी यही हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : उनसे भी पूछ लेंगे बात क्या है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आपने सार बताया है और मैं कभी-कभी बोलता हूं। मैं चार दफे यह प्रश्न पूछ चुका हूं, सारा सदन गवाह है और इसका उत्तर नहीं आ रहा है।

श्री सभापति : अब अपने भाषण में तो वह जो कहना चाहेंगे वो ही कहेंगे ना।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : ये आंकड़ों में माहिर लगे इसलिए मैंने प्रश्न पूछा है।

श्री सभापति : आपने पूछा है तो समय पर उत्तर आ जाएगा।....(व्यवधान).... कृपया बिराजे।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप इनको माहिर मत समझिए, माहिर तो मैं ही हूं।

श्री कैलाश मेघवाल : हां, माहिर तो ये ही हैं। माननीय सभापति महोदय, फलोदी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है, अच्छा होता वो सवाल ध्यानाकर्षण के माध्यम से या प्रश्न के माध्यम से होता। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें, शांति से सुनें।

श्री कैलाश मेघवाल : आप खुद इस सदन के अध्यक्ष रहे हैं। आपका बड़ा आदर है और बड़े प्रेक्टिकल अध्यक्ष रहे हैं। मैं उनसे पूछ लूं कि यदि वे अध्यक्ष की कुर्सी पर होते और कोई इस प्रकार का सवाल आफ हैण्ड पूछ लेता तो वे अलाट करते क्या ? वो ही स्थिति आज है।

श्री सभापति : आप जारी रखें, प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री कैलाश मेघवाल : आपको तत्काल आंकड़े नहीं दे सकता। सभापति महोदय, देश में औसत कृषि जोत में हम पहले नम्बर पर हैं। लेकिन क्या यह 4·34 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति जो हमारा रकबा है उसको एक्सप्लोर करने में पिछले 40 सालों में कुछ हुआ है ? इसलिए मैं कृषि के प्लान आउट ले की जब बात कर रहा था तो वह कृषि की बात मैं इसलिए ध्यान देकर और जोर देकर आपके सामने निवेदन कर रहा था कि हमारे पास जोत है। हो सकता है मरूस्थलीय जोत है। हो सकता है पहाड़ी इलाका हो लेकिन आज के इस वैज्ञानिक युग में हर तरह के अनुसंधान हो रहे हैं, रेगिस्तानी इलाके भी उपजाऊ किए जा रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्र में कई तरह की उपजाऊ पैदावार होने की स्थिति पैदा हो रही है। आज पहली बार जनता सरकार ने माननीय श्री भैरोंसिंह जी शेखावत के निर्देशन में इस कृषि जोत में राजस्थान सबसे ऊपर नम्बर पर है। उस जोत को एक्सप्लोर करने के लिए सबसे ज्यादा ध्यान कृषि के क्षेत्र में देना चालू किया है। मैंने आपको आंकड़े देकर बताया है कि हमारी आठवीं योजना में कितना प्रस्तावित प्लान है और इसके बाद भी इतनी जोत होने के बाद भी प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों का त्रिवार्षिक औसत उत्पादन हमारा आठवें नम्बर पर है, 155 है बोए गए क्षेत्रफल का। इस तरह के सारे आंकड़े आपके सामने रखूं, माननीय सभापति महोदय, मैं रखना नहीं चाहता। उसमें राजस्थान...

श्री रामकिशन : यह तो सारा आर्थिक समीक्षा में दे रखा है। आप इसमें क्यों उलझ रहे हैं ?

श्री सभापति : पंडितजी, व्यवधान न डालें। आपका नम्बर आ रहा है।

श्री कैलाश मेघवाल : उसमें राजस्थान की स्थिति अच्छी नहीं है। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं यहां एक बात

(श्री कैलाश मेघवाल)

अभी कही गई शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए यहां पर बहुत ही बहस का मुद्दा बनाया गया और विशेष तौर से बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात की ओर संकेत किया है। माननीय सभापति महोदय, एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान राज्य सहकारी अनुसूचित जाति विकास निगम का निर्माण हुआ और उसके निर्माण होने के बाद लगातार 8 साल तक कांग्रेस में उसका इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया गया। उसके लिए जिस तरह के एक्सपरटाइज चाहिए थे वे डवलप नहीं किए गए। केन्द्र सरकार जिस तरह की योजनाएं चाहती हैं, जिस तरह की क्रियान्विती चाहती है और जिस तरह के व्यक्तिगत लाभान्वितों की सूची चाहती है उस आधार पर कोई काम नहीं किया गया। माननीय सभापति महोदय, उसका नतीजा यह हुआ कि दो साल से यह सरकार इस बात की परेशानी में है कि आखिर यह पैसा कैसे खर्च किया जाय, क्योंकि 1980 से लगाकर केन्द्र से आने वाला पैसा धीरे-धीरे इकट्ठा होते-होते आज 20 करोड़ रुपया राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम का बिना उपयोग के पड़ा है और उसका इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने की हम तैयारी कर रहे हैं। केन्द्र सरकार के निर्देश के अनुसार एक्सपरटाइज डवलप करके और व्यक्तिगत लाभान्वितों की सूची तैयार करने की कोशिश राजस्थान सरकार तैयार कर रही है। इसी प्रसंग में एक और निवेदन कर दूं, माननीय सभापति महोदय....(व्यवधान)....

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : क्या किया शिड्यूल्ड कास्ट के बारे में ?

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालें। माननीय सदस्य बिराजें। जारी रखें।

श्री कैलाश मेघवाल : एक बात और कही गई। सातवीं योजना के बाद सिद्धान्त रूप से एक बात स्वीकार की गई इस देश में कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स, शिड्यूल्ड कास्टस की जितनी पोपुलेशन है बजट का उतना ही हिस्सा उन पर खर्च होना चाहिए लेकिन, माननीय सभापति महोदय, पिछले 10 साल में जबसे सिद्धान्त रूप से यह बात स्वीकार की गई, एक नया कम्पोनेंट प्लान लाया गया। अब कम्पोनेंट प्लान का जब माननीय श्री पहाड़िया जी बोल रहे थे, खुद ही कह रहे थे कि आप पूछा बिजली विभाग को कितना पैसा शिड्यूल्ड कास्ट का दिया और कितने लाभान्वित हुए। वह नहीं आ सकता। जो परम्परा कायम कर दी, जो कम्पोनेंट प्लान बना करके शिड्यूल्ड कास्ट के हक में 17 पर्सेन्ट पैसा खर्च होना चाहिए था और इनडिविजुअल लाभान्वितों की संख्या आनी चाहिए थी। आपने ऐसी, परम्परा, ऐसी योजनायें चालू कर दी जो कम्पोनेंट प्लान के नाम पर जनरल खर्च होता है और एक कुआ खोदा गया उससे सब पानी पीते हैं उसमें एस. सी., एस. टी. भी लाभान्वित हो गए। कोई काम कर दिया, बिजली लगा दी उस बिजली में एस. सी., एस. टी. का आदमी भी चलता है, वे भी लाभान्वितों की श्रेणी में आ गया। इस तरह के कुछ कांस्ट्रेंट्स पैदा हुए हैं। अब उन कांस्ट्रेंट्स

(श्री कैलाश मेघवाल)

को रिव्यू करके वर्तमान सरकार यह चाहती है, माननीय सभापति महोदय, कि शिड्यूल्ड कास्ट के हितों के लिए प्राप्त होने वाली राशि जो अभी प्राप्त हुई है, जो इकट्ठी हुई है और आगे हम यह कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा अच्छी योजनाएं बना करके शिड्यूल्ड कास्ट के रहन-सहन के स्तर को ऊपर लाने के लिए, शिड्यूल्ड ट्राइब्स की हालत को ठीक करने के लिए जैसा विस्तार से मैं पहले भी आपको निवेदन कर चुका हूं और इस मामले में मैं सब का सहयोग चाहूंगा। माननीय श्री पहाड़ियाजी, मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि आप तो बहुत गाइड कर सकते हैं, दिल्ली में भी गाइड कर सकते हैं। आप दिल्ली में बैठते हैं। दिल्ली में कल्याण मंत्रालय में सारी योजनाएं बनती हैं। वह योजनाएं आज इसलिए नहीं बन रहीं, हमारे अधिकारी जब वहां जाकर खड़े होते हैं, मंत्री स्तर तक बात होती है तो वह बताते हैं कि आप खर्च क्या करते हो, दस साल से आपको इतना पैसा दिया है, यह पड़ा है, आपने कोई योजनाएं नहीं बनाई! यह हमारे एक्सपटाइज हैं। आज यह हालत कर दी है, आज हम उन सारी गुत्थियों को वापस खोल रहे हैं। अनुसूचित जाति के कल्याण के ऊपर बजट का 17 प्रतिशत पैसा खर्च होकर उनके व्यक्तिगत लाभान्वितों की स्थिति आगे बढ़ानी चाहिए उस दृष्टि से भी हम कर रहे हैं। लेकिन जो परम्पराएं जिस ढंग से डाली गई हैं उन परम्पराओं से बहुत मुश्किल से हम बिछुड़ सकेंगे नई योजना बनाने में, उस बारे में भी हम कोशिश कर रहे हैं।

यहां पर फलौदी से आने वाले माननीय विधायक ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं और मैं उनके सुझाव से शत-प्रतिशत सहमत हूं कि यह सदन एक इच्छा शक्ति पैदा करे और उन्होंने ईमानदारी से एक बात कही है कि जो समाज का समृद्ध वर्ग है, समाज के जिस वर्ग के पास पैसा ज्यादा है, उससे टैक्स लेकर, कर लगा कर वसूल करके गरीबों के हित में और राजस्थान के विकास के हित में खर्च किया जाना चाहिए। वह कांग्रेस आई के राजस्थान के एक वरिष्ठ नेता हैं, इस बात को हम गम्भीरता से लेंगे। अगर यही भाषण, इसी तरह की भावना, विपक्ष के नेता का एक मत भी आ जाता तो अगली बार हम बजट लेकर आते, मिल-बैठ कर यह तय करते कि समाज का कौनसा वर्ग है जिसके ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है, मैं इस चुनाव का आदर करता हूं और, सभापतिजी, आपके द्वारा विश्वास दिलाता हूं कि उन्होंने जो एक उचित सुझाव दिया उस पर सरकार को उनसे भी राय मिलेगी, विपक्ष से सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। और अगला बजट जब हम लेकर आएंगे तो उस समय उनकी इस राय को उस बजट में प्रतिपादित करने का प्रयत्न करेंगे। यही उनके बारे में मुझे निवेदन करना है।

श्री सभापति : माननीय पण्डित रामकिशनजी। आपने समाप्त कर दिया?

श्री कैलाश मेघवाल : मैं अब समाप्त करता हूं माननीय सभापति महोदय।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : माननीय सभापतिजी, आज जिस विनियोग विधेयक

(श्री रामकिशन)

पर चर्चा हो रही है, मैं समझता हूं उसका सारा अच्छा पक्ष सत्तारूढ दल की तरफ से रख दिया गया है। इसलिए जब हम कोई सुझाव देते हैं, आलोचना करते हैं तो उसका मतलब यह कभी नहीं होता है कि हम उनके अच्छे पक्ष की बातों को स्वीकार नहीं करते। वह हमारी जानकारी में हैं, उस जानकारी के आधार पर उन चीजों को दोहराना सदन में उचित नहीं है। मैं केवल इतनी सी बात कह सकता हूं कि राजस्थान की जो स्थिति है उसमें निश्चित तौर पर हम मान कर चलते हैं कि हम पिछड़े हैं। केवल क्षेत्रफल ज्यादा होने और आबादी बढ़ने के बारे में हमारा राजस्थान अन्य कुछ राज्यों से आगे है, बाकी सब चीजों में पीछे है, बात सच है, लेकिन दूसरा सवाल यह है कि सारी स्थिति को दुरूस्त कैसे किया जाए। तो जितने हमारे साधन हैं, जिस तरह से हमारे देश का संविधान है, जिस तरह से केन्द्र से सहायता मिलती हैं, उस पर यह सदन चर्चा करता रहता है और उस चर्चा के आधार पर कभी यहां गर्मी पैदा हो जाती है, कभी उत्तेजना पैदा होती है और कभी समझ पैदा हो जाती है। मैं इस समय सरकार से केवल इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि बजट तो पारित हो गया, आपको खर्च का अधिकार मिल गया, अब तो बहस हो रही है एप्रोप्रियेशन पर, तो आपके कानून बनाने में जो कमियां रह रही हैं या इसके जो नतीजे आने वाले हैं उसके सम्बन्ध में थोड़ा सा आप से जिक्र करूंगा।

माननीय सभापतिजी, आपने अब की साल करों में छूट दी है। वैसे में पिछली साल भी बोला था और मुझे खुशी है कि जो बात में बोला, मुख्य मंत्रीजी ने, पिछली बार भी स्वीकार की। अबकी साल मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपने ड्रिप सिंचाई योजना में छूट दी है लेकिन आपने यह साफ नहीं किया है कि उसमें जो पाइप लगेगी उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। आप जानते हैं पाइप की बिक्री, जो मैंने जानकारी की है, खेती के लिए पाइप की बिक्री दस करोड़ के करीब की है। आपने इसमें साफ नहीं किया, इसका नतीजा यह होगा कि आपके आफिसर्स इसकी गलत व्याख्या करेंगे और गलत व्याख्या करके अनुचित और उचित लाभ पहुंचा सकते हैं। मैं तो हमेशा सच्चाई और ज्ञान की बात ही कहता रहता हूं। इसलिए मुख्य मंत्रीजी, एक बात तो आप इसे समझ लें कि इसका दुरुपयोग होगा, इसको आप दुरुस्त करने की चेष्टा करें।

दूसरी बात यह है कि सदन में अभी डिसआनेस्टी की चर्चा चली, इन्टेलेक्चुअल डिसआनेस्टी की। मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि बेकार उत्तेजना हो जाती है। अंग्रेजी का शब्द है, अर्थ कोई समझते नहीं, इस पर बहस कर रहे हैं। लेकिन उस पर मैं केवल इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि इस सदन को गुमराह करने में अन्य सदस्यों के मुकाबले आप माहिर हैं, यह मैं हमेशा कहता रहता हूं। अब की आपने एक चीज, जिस पर पहले से छूट दे रखी थी उसको इसमें गिना दिया। एक तरफ तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हमारे पहले से ही कर मुक्त हैं और उनमें से आपने

(श्री रामकिशन)

ड्रिप योजनाओं में काम आने वाले करों पर दोबारा से मुक्ति दे दी तो इसका मतलब है कि आप कोई दूसरा नोटिफिकेशन निकालने वाले हैं। इसी प्रकार आपने एक चारपाई पर छूट दी है। मूज-बाण से बनने वाली चारपाई पर। अब आपने इसमें रकम तो बताई नहीं। एक चारपाई होगी शीशम की, उसमें दामण डाल कर, शीशम की चारपाई को छूट मिलेगी या बांस में दो-चार जेवड़ी डाल देते हैं उसको छूट मिलेगी, इसको कौन साफ करेगा। अगर आपने यह साफ नहीं किया तो इसका भी दुरुपयोग होने की संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं के साथ आपने टैक्स के स्ट्रक्चर में जो कुछ छूट दी है उसका तो मैं थोड़ा-सा सुझाव के रूप में जिक्र कर देता हूं। इसके साथ-साथ हमारे उद्योग की हालत, खेती की हालत क्या है ?

माननीय श्री मेघवाल साहब खेती के विकास की बात कर रहे थे। अब उनको जो आंकड़े पकड़ा दिये वह तो पढ़ कर सुना दिये। इस खेल की हम बहुत समझते हैं इसलिए मेहरबानी करके आप इतना समझने की कोशिश करें, यह मुद्दा नहीं है, पिछली योजना से खेती का प्रावधान कितना बढ़ा है, 1970-71 में एक मूल्यांकन किया गया था खेती की पैदावार का और राजस्थान में मूल्यांकन यह किया गया था उस समय की कीमतों के आधार पर, कि हमारे राज्य में 60 हजार करोड़ खेती की पैदावार हो सकती है। अब 60 हजार करोड़ हो सकती है तो उसके बाद अब हमने उसे बढ़ाने की चेष्टा क्या की, और उसका नतीजा आया है कि अब की साल, यह सही है कि बरसात कम हुई है, बजट भाषण में मुख्य मंत्रीजी ने माना है, मैं उसे दोहराना उचित नहीं समझता, लेकिन अब की साल 1970-71 के मूल्यांकन के आधार पर 1980 की कीमतों को लेते हुए भी केवल 8 हजार करोड़ की खेती का उत्पादन हुआ है। तो इसका मतलब हमारी राज्य सरकारें, चाहे वह कांग्रेस की राज्य सरकार हो, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार हो, खेती के मामले की निरन्तर उपेक्षा कर रही हैं। यह आर्थिक गतिविधियां किसी दल से नहीं चलती है, यह तो निरन्तर चलने वाली गतिविधियां हैं और मैं यह मान कर चलता हूं कि अगर राजस्थान में खेती का विकास नहीं किया, सिंचाई योजनाओं को समय पर पूर्ण नहीं किया, इसके लिए पैसे का प्रावधान नहीं किया जाय तो हमारा राज्य, हम हर बजट में यही जिक्र करते रहेंगे हैं कि हम पिछड़े हैं, पिछड़े है, लेकिन इसका कोई समाधान होने वाला नहीं है। हमारी खेती पिछड़ी, हमारे कारखानों का हाल यह है कि वित्त निगम ने तीस हजार इकाइयों को कर्ज दिया है, आप जरा उसे देखें, उन तीस हजार इकाइयों में से उन्नीस हजार डिफाल्टर हैं, ग्यारह हजार इकाइयां सिक हो गई हैं और केवल चार हजार इकाइयां चल रही हैं। अब हमारी खेती खराब, हमारे उद्योग खराब, हमारे वित्त का प्रबन्धन खराब....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : टोटल फिगर्स दे रहे हैं न अब तक ?

श्री रामकिशन : नहीं-नहीं, वित्त निगम ने जो मदद दी है, उसकी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब तक की, जो दी है।

श्री रामकिशन : जी हां।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, वह ठीक है। विवाद नहीं है। मैं तो यह पूछ रहा हूं कि अब तक की सारी।

श्री रामकिशन : जी हां। तीस हजार इकाइयों को आपने ऋण दिया है, इनमें एक अरब 45 करोड़ रुपये आपने दे रखे हैं लेकिन इन इकाइयों की स्थिति यह है कि उनमें से 27 हजार इकाइयां डिफाल्टर हो गई हैं। आप समझिये जरा। एक तरफ अपने उद्योग को बढ़ाना चाहते हैं, एक तरफ खेती को सुधारना चाहते हैं और हमारी हम व्यवस्थाएं इस प्रकार की है कि न खेती सुधर रही है, न कारखाने सुधार रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री जी, आपसे पहले ओजस्वी मिनिस्टर बोल गये इस मामले में और उनको मैंने एक प्रश्न भेजा था इसलिये शायद उस बात को वह समझ गये हैं इसलिये बीच में दखल देने की उन्होंने कोशिश की है, मैं उनसे खास तौर पर निवेदन करना चाहता हूं कि अपने वित्त निगम की वर्किंग को देखिये। इसमें कितनी डिफाल्ट हैं। यह देखिये कि आपके एक्ट में यह लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जब कोई इकाई डिफाल्टर हो जाय तो सरकार उसे अधिग्रहण करने की कोशिश न करे। उसे पहले चलाने की कोशिश करे। अगर उसमें कोई खराबी हो तो उसे दुरुस्त करने की कोशिश करे। दोबारा उसके वित्त का प्रबन्ध करना हो तो दोबारा वित्त का प्रबन्ध करे और इसके बाद अगर रि-शिड्यूल करना हो तो रि-शिड्यूल करे लेकिन उन इकाइयों का अधिग्रहण नहीं करे। यह सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। लेकिन आपके आफिसर करते क्या हैं, मेहनत करते नहीं, जो इकाइयों की कठिनाइयां हैं उनको समझने की कोशिश नहीं करते, उनको सिक और डिफाल्टर करते जाते हैं और इस लेनदेन में जो गड़बड़ी होती है, मैं समझता हूं, उसकी जानकारी आपको है।

तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप खेती और कारखानों को सुधार कर ही राजस्थान का सुधार कर सकते हैं और खेती और कारखाने दोनों जो फ्रन्ट हैं इसमें हम काफी कमजोर स्थिति में जा रहे हैं और इस स्थिति को सुधारने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी मैं आपसे इतना-सा कहना चाहता हूं कि परम्पराओं से हटकर आपने कोई विशेष काम नहीं किया है। आपने कांग्रेस की जो धारा थी उसी धारा में कहीं दस हजार बढ़ा दिये, कहीं दो हजार घटा दिये, कहीं चार हजार कम कर दिये तो कहीं आठ हजार बढ़ा दिये—इससे ज्यादा आपकी धारा में कुछ नहीं हैं। असल में हमें विकसित और अविकसित राज्यों में यह फैसला करना पड़ेगा कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं? राजस्थान के मौजूदा हालात में हम खेती और खनिज से ही उन्नति कर सकते हैं और चीजों को हम छोड़ सकते हैं लेकिन अन्य राज्यों के हिसाब से नहीं चल सकते।

मेरा इस सम्बन्ध में एतराज यह है कि वित्त विभाग में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है इसलिए माननीय वित्त मंत्री जी मैं आप से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में आप

(श्री रामकिशन)

सोचने का कष्ट करें। इसके अलावा हमारी हालत हर मामले में काफी गिरी हुई है। आपने उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कई योजनायें चालू की हैं। बड़ा भारी प्रचार हुआ। मैंने पिछली बार भी कहा था कि मुख्य मंत्री जी हमारे कलकत्ता जाते हैं, बम्बई जाते हैं और उनके साथ इन्डस्ट्रीज मिनिस्टर भी चले जाते हैं और एक भाषण दे आते हैं उद्योगपतियों के लिए कि हम बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं। क्या प्रोत्साहन दे रहे हैं आप ? अगर आप प्रोत्साहन दे रहे हैं तो उद्योग बढ़ क्यों नहीं रहे हैं ? इसका कारण क्या है ? आप इसमें देखेंगे कि आपका दिमाग इस मामले में साफ नहीं है। आपने एक प्रोत्साहन स्कीम निकाली सन् 1983 में और इसके साथ-साथ आपने कुछ उद्योगों को उसमें शामिल किया और उसमें से तेल उद्योग को निकाल दिया और फिर उसको शामिल कर लिया और लोग जब हाइकोर्ट में गये तो हाइकोर्ट ने आदेश दे दिया कि आपके आर्डर को क्वेश कर दिया और आज नतीजा यह है कि जिन लोगों ने कारखानों में पैसा लगाया था वह कारखाने अधर में झूल रहे हैं। आप उसका कोई फैसला कर नहीं पाते हैं। आप आसाम जा रहे थे, कलकत्ता जा रहे थे और उद्योगपतियों को इनवाइट कर रहे थे कि आप राजस्थान में आओ। आपकी प्रोत्साहन स्कीम के भ्रम में आकर वह राजस्थान में आ गये और आने के बाद में आपने इस स्कीम को वापिस ले लिया। तो हाइकोर्ट ने जो आब्जर्वेशन दिये हैं मैं समझता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी उसे मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपकी जानकारी में है। उस आब्जर्वेशन के अनुसार आपको अपने सारे आचरण को दुरुस्त करना चाहिये। इसी प्रकार से सभापति महोदय आपकी एक मामले में कहीं कोई सफाई नहीं है, कोई क्लीयरिटी नहीं है। एक कन्सेप्ट होना चाहिये और वह कन्सेप्ट नहीं होने की वजह से यह सारी गड़बड़ियां आपके यहां हो रही हैं। मैं इस सम्बन्ध में एक बात आपसे और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे उद्योगों की स्थिति क्या है। अभी माननीय कैलाश जी प्रगति रिपोर्ट पढ़ रहे थे और इसमें आपने देखा होगा कि हमारी खेती में उत्पादन घटा है यह तो समझ में आता है, तिलहन का उत्पादन बढ़ा है और खेती का उत्पादन घटा है क्योंकि बरसातें नहीं हुई लेकिन आप उद्योगों वाली लिस्ट पढ़िये। आपके 27 उद्योगों में से 14 उद्योगों में वृद्धि हुई इस साल और 13 उद्योगों में गिरावट आई है और कौन-कौन से उद्योगों में वृद्धि हुई है तो आप देखें चीनी का उत्पादन बढ़ा है, सीमेंट का उत्पादन बढ़ा है और कई चीजों का उत्पादन बढ़ा है लेकिन वनस्पति घी का उत्पादन घट गया। कपड़े का उत्पादन घट गया, फाइबर का उत्पादन घट गया, नाइलोन का उत्पादन घट गया। तो आखिर हमारे राज्य की हम आर्थिक स्थिति का किस तरह से अन्दाजा लगायें ?

मैं इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपका दृष्टिकोण साफ हो तो इस सारी स्थिति को सुधारा जा सकता है। तो हमारे उद्योगों की हालत 27 उद्योगों में से 13 में इस साल गिरावट आई है और 14 में बढ़ोतरी हुई है।

(श्री रामकिशन)

बढ़ोतरी बहुत कम हुई है जबकि बढ़ोतरी उस सूरत में ज्यादा होनी चाहिये थी जबकि बिजली में कटौती नहीं हुई, श्रम के मोर्चे पर यहां शांति रही है और सबसे कम मैनडेज लास अब की साल में हुए हैं। फिर हमारे उद्योगों का विकास क्यों नहीं हुआ, विस्तार क्यों नहीं हुआ—इसका जवाब माननीय मंत्री जी और मुख्य मंत्रीजी को देना होगा। मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा विस्तार में नहीं जाकर केवल इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि आप खेती और कारखानों के मामलों में जरा नये ढंग से सोचने की कोशिश करें और इसके साथ-साथ आपने प्रोत्साहन स्कीम में अब की साल बड़े सीमेन्ट उद्योगों को शामिल कर लिया है अभी थोड़े दिनों में तेल मिलों को निकाल दिया है। बड़े सीमेन्ट उद्योगों को तो शामिल कर लिया लेकिन जो एक परिशिष्ट होता है आपने उसमें सूची दे रखी है उसमें यह लिख रखा है कि 2500 के. वी. से ज्यादा जो उद्योग बिजली खर्च करेंगे उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। अब बड़ा जो सीमेन्ट उद्योग होगा उसमें तो 2500 से ज्यादा बिजली खर्च होगी ही। तो ऐसे आपके हर मामले में विरोधाभास है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप सीमेंट उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो इस परिशिष्ट की 16वीं धारा है उसको हटा देना चाहिये जिस से प्रोत्साहन की स्कीम में वह स्कीम शामिल हो सके।

इसी के साथ-साथ सभापति महोदय, उद्योगों के साथ-साथ इस विभाग की कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में चर्चा करनी होगी और कार्यप्रणाली की चर्चा में मैं केवल इतना सा चाहता हूं कि आपके वित्त निगम में माननीय मुख्य मंत्री जी सम्भवतः एक क्लाज डाल रखा था। आप जरा देखिये। आप कहते हैं इन्जीनियरों का काम करो लेकिन इन्जीनियर्स के लिए क्या क्लाज डाल दिया था कि आप कभी पालिटिकल साहित्य प्रकाशित नहीं करेंगे। कोई आप दूसरा धन्धा नहीं करेंगे। यह तो हमारे भारतीय संविधान के खिलाफ था। यह सवाल मैंने उठाया तो मंत्री जी ने शायद यह जवाब दे दिया कि क्लाज हमने हटा दिया है। अब क्लाज तो आपने हटा दिया लेकिन इसके तहत जो पिछले हो गये हैं उनका क्या होगा? और उनमें जो रकम फंस गयी है उसका कौन जिम्मेदार होगा?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

श्री रामकिशन : वह तो अब आप जानें। जब कोर्ट में जाओगे तो आपको पता लगेगा।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : एक्शन हुआ है। यह पालियामेंट के अन्दर सवाल उठा था उसके बाद हमने अपने लेवल पर एग्जामिन किया और यह केवल प्रिन्टिंग के लिए था। प्रिन्टिंग प्रेस के लिये जो लोन देगा वह कोई पालिटिकल साहित्य नहीं छापेगा। इस प्रकार का आब्जर्वेशन रिजर्व बैंक से हमको मिला था और उसके आधार पर जब पालियामेन्ट में सवाल उठा तो हमने अपने लेवल पर एग्जामिन किया....।

श्री रामकिशन : कम से कम सच्चाई तो स्वीकार कर ली वही बहुत है। मेहरबानी करके जब मैंने इसका प्रश्न भेजा तो आपने दुरूस्त कर लिया

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कभी-कभी सच बोल दिया करो।

श्री रामकिशन : मैं तो हमेशा ही सच बोलता हूं। तो मेरा निवेदन करना यह था कि आपकी उद्योग के मामले में कोई सफाई नहीं है, आपकी खेती के मामले में कोई सफाई नहीं है।

एक तीसरी बात मैं आपको और कहना चाहता हूं। वित्त निगम के लिए एक निर्देशन दे रखा है यह $3\frac{1}{2}$ पर्सेन्ट से ज्यादा ब्याज नहीं करें। आप बैलेन्स शीट देखिये। मैं यहां लाया हूं वह बहुत लम्बी हो जायेगी। मेरे पास पूरे आडिटेड अकाउन्ट हैं लेकिन कहीं-कहीं कम्पाउन्ड और पीनल इन्टरेस्ट लगाकर 100 पर्सेन्ट तक का इन्टरेस्ट वसूल किया जा रहा है और इसके बाद भी आपकी यूनिट्स सिक होती चली जा रही हैं। आप जानते हैं मैं तो पूंजीपतियों का पक्षधर नहीं हूं, मैं कोई पूंजीपतियों की वकालात करने वाला भी नहीं हूं लेकिन मैं यह समझना चाहता हूं कि आपका दृष्टिकोण है क्या ? इस दृष्टिकोण के साथ-साथ आप इन चीजों को जब देखेंगे तो आपको कुछ नतीजे इस पर निकालने होंगे।

सभापति महोदय, जहां तक मिसएप्रोप्रियेशन का सवाल है जिसका माननीय मुख्य मंत्रीजी अकसर जिक्र किया करते थे मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यहां अभी महंगाई की जिक्र चली और उसमें मैं यह मानता हूं कि कैलाश जी का प्वाइन्ट तो सही था क्योंकि श्री चन्दनमल जी बैद के चेम्बर में मैं जाकर आज सुबह कह आया था कि मैं इसको थोड़ा करेक्ट करूंगा आप नाराज मत हो जाना। तो वह प्वाइन्ट तो सही था लेकिन आप इसमें दूसरी चीज नहीं देख रहे हैं। यह कीमतें घटीं किस चीज की हैं और बढ़ी किस चीज की हैं। इसमें आपने देखा होगा कि जब हम कीमतें तय करते हैं तो उसके चार पांच कम्पोनेन्ट्स हैं। तो सबसे ज्यादा कीमतों में कम बढ़ोतरी हुई है वह खेती की पैदावार में हुई है और पैदावार में मार्च और अप्रेल निरन्तर कीमतें घटी हैं।

अगर आपने स्टेस्टिक्स देखी हैं तो। जब देखी हैं तो इसका मतलब यह है कि हिन्दुस्तान के काश्तकार की लूट, राजस्थान के काश्तकार की लूट भावों के मार्फत बहुत भयंकर रूप से हो रही है। न कांग्रेस इसको दुरूस्त कर सकी और न भारतीय जनता पार्टी की सरकार दुरूस्त करने की कोई योजना रखती है। मेरा इस सम्बन्ध निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी मैं यह मानकर चलता हूं कि आप प्लानिंग कमिशन में भी जाते हैं। आपका दिल्ली में भी लोगों से सम्पर्क ठीक है। कम से कम इस देश में अब और चीजों की चर्चा बाद में हो जायेगी लेकिन कीमतों का फैसला इस देश में हो जाना बहुत जरूरी है। आज किसानों और उपभोक्ताओं की लूट जिस तरह से इस देश में हो रही है ऐसी लूट संसार के किसी देश में नहीं हुई है। फसल आने के टाइम किसानों के उत्पादन की कीमतें

(श्री रामकिशन)

घट जाती हैं और फसल निकलने के बाद कीमतें बढ़ जाती हैं। औद्योगिक उत्पादन की कीमतें निरन्तर बढ़ती रहती हैं। इससे उपभोक्ता भी लुटता है और किसान भी लुटता है तो अब हमारी सरकार को और कल्याणकारी कामों के साथ-साथ उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए और गरीबों की रक्षा के लिये कोई न कोई मूल्य नीति तय कर देनी चाहिये। इस पर जब तक आप चर्चा नहीं करेंगे हम समाज को किसी तरह से लाभ नहीं पहुंचा सकेंगे। इसी प्रकार से ...

श्री सभापति : कृपया समाप्त करने का प्रयास करें।

श्री रामकिशन : अभी तो शुरू ही कर रहा हूं।

श्री सभापति : 4 बजे का टाइम दिया हुआ था उत्तर का।

श्री रामकिशन : 4 इसीलिये खतम हो गया कि आपने झगड़ा डाल दिया....

श्री सभापति : किसी विशेष कारण से है 4 बजे का।

श्री रामकिशन : मैं समाप्त कर रहा हूं।

सभापति जी मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारे उद्योग हमारे राज्य में रोजगार देने का एक सबसे बड़ा साधन था विशेष रूप से हस्तकला में और खास तौर पर हाथ कर्घा उद्योग। आज उस हाथ कर्घा उद्योग की स्थिति क्या है। आज सन् 70 से इस उद्योग में 30 लाख लोग लगे हुए थे और आज केवल चार हजार कर्घे चल रहे हैं। तो राज्य के कुम्हारों की हालत गिरी है, बुनकरों की हालत गिरी है, जुलाहों की हालत गिरी है, रंगरेजों की हालत गिरी है और उनकी आमदनी केवल आज मैंने अभी निकाला है 3 रुपया रोज से भी कम पड़ रही है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने प्रयत्न किये और आप यह कह सकते हैं कि हमने बोर्ड बना दिया है और हम इस उद्योग को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं।

लेकिन आपने इस बोर्ड के कार्य-कलापों को देखा होगा। उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में बुनकरों के नाम पर एक सोसायटी बनी हुई है। मैं मुख्य मंत्रीजी से केवल इतना चाहता हूं कि आप उन सोसायटियों की जांच करवाइये। इन सोसायटियों के अधिकांश मेम्बर ऐसे हैं जो इन्कम टैक्स देते हैं। उसमें बुनकर नहीं हैं इन्कम टैक्स देने वाले लोग हैं और 20 प्रतिशत रिबेट जो मिलती है उसको यह मेम्बर हजम कर जाते हैं तो बुनकरों के नाम का भी शोषण किया जा रहा है। यह सारी स्थितियां मैंने हाथकर्घा उद्योग की भी देखी हैं आपके जितने सूती मिल के कारखाने थे, बंद पड़े हैं, तो इन सारे सवालों पर हम चाहेंगे, मुख्य मंत्रीजी, आप अपने दिमाग को काफी साफ करें और हमारे उद्योगों को सुधारें।

लघु उद्योगों को कैसे मौका देंगे ? अब तक एक सवाल यहां राजनीतिक तौर से बड़े जोर-शोर से उठाया जा रहा है। माननीय पहाड़ियाजी और माननीय चन्दन

(श्री रामकिशन)

मलजी ने एक बात उठाई कि केन्द्र को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। खैर, उसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग देंगे मुझे इससे कोई मतलब नहीं लेकिन एक बात आप ध्यान रखिये कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत केन्द्र की पक्षधर रही है। वैसे यह साल में 3 बार लाइन बदलते हैं इसलिये इनकी लाइन को कोट करना है बड़ा मुश्किल कि हम किस पर विश्वास करें लेकिन यह तो मजबूत केन्द्र के पक्षधर रहे हैं इसलिए केन्द्र को कमजोर नहीं करेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि राज्यों के पास विकास के साधन क्या हैं? हम चाहते हैं साधन बढ़ें, जिसका सुझाव मैंने पिछली भी दिया था और मुख्य मंत्रीजी और मुझ में इस बात पर वाक् युद्ध भी हुआ था तो आज मैं पूछना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार के पास संसाधन जुटाने के लिए सवा सौ करोड़ का प्रावधान है, सवा सौ करोड़ के प्रावधान केन्द्रीय सरकार के पास हैं लेकिन राज्य सरकारों के पास केवल 10 लाख एक हजार का वित्तीय प्रावधान है। तो जब तक वित्तीय साधनों का बटवारा नहीं होगा तब तक राज्य विकास कैसे कर पायेगा? इन्हें सड़क बनानी है, इन्हें शिक्षा का विस्तार करना है, इन्हें पढ़ाई-लिखाई का इन्तजाम करना है तो कांग्रेस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग मजबूत केन्द्र के हिमायती हो सकते हैं लेकिन आर्थिक सत्ता का जब तक विकेन्द्रीकरण नहीं होगा और राज्यों को वित्तीय साधन नहीं दिये जायेंगे तब तक राज्य विकास के मामले में आगे नहीं आ सकते। मैं इस दृष्टि से मुख्य मंत्री जी, जो आपने सुझाव दिया है कमीशन बनाने का, मैं उस पर सहमति प्रकट करता हूं, और मैं यह चाहता हूं कि दोबारा इन पर चर्चा होनी चाहिये कि केन्द्र और राज्य में संसाधनों का बंटवारा किस प्रकार से हो और अगर इसका बंटवारा होता है तो इससे केन्द्र कमजोर नहीं होगा। केन्द्र कमजोर इससे होगा कि ज्यादा केन्द्रीकरण हो गया तो रूस का जो हाल बना है वह हाल हमारा बन जायेगा। इस सम्बन्ध में मुझे आपसे इतनी-सी बात कहनी है। मैं आपकी इस बात का समर्थक हूं लेकिन साथ-साथ सभापति महोयय, यहां भ्रष्टाचार की चर्चा हुई।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अब मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार की चर्चा मत करो इससे गड़बड़ हो जाती है, तो हम तो खैर करने वाले हैं नहीं लेकिन मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। लम्बी-चौड़ी आप छोड़ दीजिये, आज से दो साल पहले सड़कों को चौड़ा करने के लिए एक अरब 45 करोड़ की रकम आपको केन्द्र की तरफ से मिली थी और उस रकम में से क्या हुआ, सभापति महोदय, कि बिना काम किये एक प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन कम्पनी है इसके लिए 18 करोड़ रुपये एडवांस में दे दिये गये। शायद हिन्दुस्तान में इससे बड़ा स्कण्डल मैंने कभी सुना ही नहीं है। काम धेले का अभी हुआ नहीं और 18 करोड़ रुपया एडवांस दे दिया। इसका जब ए जी. की आडिट की रिपोर्ट आई, इसकी जब शिकायत हुई तो उन अफ़सरों को बदल दिया गया और

(श्री रामकिशन)

आज तक उसका फैसला नहीं हो पाया है। अगर ऐसे मामलों में हम कुछ नहीं करेंगे तो फिर हमारे देश की स्थिति क्या होगी ? हमारी व्यवस्था की क्या हालत बनेगी ?

आज जालौर का मामला आपके सामने आया था, चूरू का मामला आया था, और यह दिग्विजय सिंहजी जो स्पेशल स्कीम के मिनिस्टर हैं इन्होंने तो शायद उसके सस्पेण्ड के लिये भी लिखा था। अब इनकी इतनी बात तो आप मान लेते कि इनकी मदद से चल रहे हैं, इनकी मदद से आपका राज चल रहा है और इनकी सिफारिश आपने स्वीकार नहीं की। इससे ज्यादा + + + बात और क्या हो सकती है। आपने खुद यह चाहा था कि भ्रष्टाचार के मामलों में किस-किस को मुअत्तिल किया जाय, इसकी जानकारी भेजिये और जानकारी के साथ इन्होंने 2 नाम जोड़े कि इस कलक्टर को भी मुअत्तिल करो और इस कलक्टर को भी मुअत्तिल करो तो आपने नोटिस देकर कि अब मामले को समाप्त कर दिया है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी इच्छा-शक्ति कमजोर क्यों हो गयी ? इस इच्छा-शक्ति के कमजोर होने का मुझे तो कोई कारण नहीं लगता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि लोगों को आपसे और बहुत-बड़ी आशा नहीं थी। हम आपको कोई समाजवाद का मसीहा मानने को तैयार नहीं थे, आप जमीन को बांट देंगे हम ऐसा स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, आप सम्पत्ति का बटवारा कर दोगे ऐसा भी हम नहीं मानते थे लेकिन एक आशा हमारी जरूर रही है कि आप भ्रष्टाचार के मामलों में सख्ती से पेश आयेंगे लेकिन अब कुछ ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार के मामलों में आप शिथिलता बरत रहे हैं। उसका नतीजा हुआ कि भ्रष्टाचार के मामलों में प्रशासन एक तरह से छलांग लगा रहा है। मैं यह दो-तीन मिसाल देकर आपको छोड़ देता हूं।

अब सुझाव के रूप में मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप बिक्री कर के सम्बन्ध में बहुत चर्चायें किया करते थे और अब आपकी 3 जगह सरकार है....

अनेक माननीय सदस्य : तीन नहीं, चार जगह।

श्री रामकिशन : उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल हम से दूर चला गया....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री रामकिशन : अभी खतम कर रहा हूं।

श्री सभापति : समय का ध्यान रखिये कृपया। आपके पास ज्ञान का भण्डार है। आप तो घण्टों बोल सकते हैं।

श्री रामकिशन : अभी खतम कर रहा हूं। तो मैं आप से निवेदन कर रहा था कि आप यह कहा करते थे कि राज्य सरकारों में जो टैक्स का स्ट्रेक्चर होना चाहिए वह

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामकिशन)

एक जैसा होना चाहिये। आज इन 3 राज्य सरकारों के टैक्स स्ट्रक्चर में इतना फर्क है कि हमारे जो सीमावर्ती जिले हैं वह इससे सबसे ज्यादा नुकसान उठा रहे हैं। तो मेरा आपको सुझाव है कि मेहरबानी कर के और राज्य सरकारें क्या करती हैं, इस पर तो आप छोड़ दें लेकिन तीनों राज्य सरकार एक साथ टैक्स का स्ट्रक्चर रखे बिक्री कर का तो हमारे सीमावर्ती राज्यों को लाभ हो सकता है।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि हम किसान की खेती को बढ़ाने के लिए यूरिया पर तो सब्सिडी देते हैं, दूसरी चीजों पर सब्सिडी देते हैं लेकिन जो किसान गरीब है और गोबर की खाद का, हरी खाद का इस्तेमाल करता है उस पर हम को सब्सिडी क्यों नहीं देनी चाहिये? यह बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां आने के बाद लोगों के दिमाग में यह सवाल बहुत तेजी से आ रहा है। हमारी जमीन खराब हो रही है। जमीन को जहर मिल रहा है। पुरानी खेती की जो प्रणाली थी खाद की उससे जमीन की रक्षा होती है। तो मेरा इस सम्बन्ध में एक सुझाव है कि आप यह नई शुरूआत जरूर करें कि गोबर और हरी खाद के लिये भी आप सब्सिडी का कोई प्रावधान करें।

सुझाव कई देना चाहता था लेकिन सभापति जी, आज आप इतने कंजूसी बरत रहे हैं कि जितना मैं मामला लाया था....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : कंजूसी नहीं बरत रहे, आप अगर भ्रष्टाचार और पूंजीपतियों का नाम लेंगे तो घण्टी बजेगी ही बजेगी।

श्री रामकिशन : तो मैं जितनी बातें निवेदन कर रहा था उन सारी चीजों को आज मैं इस सदन के सामने नहीं रख सकता। मैं आपसे आखिरी इतनी-सी बात और कहना चाहता हूं कि जो मैंने टैक्स के स्ट्रक्चर में 2–4 विरोधाभास बताये हैं उनको आप

(4·17 अपराह्न)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

साफ करें और इसके अलावा आपको मेरा इतना निवेदन है, कुछ मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा। जैसे पानी के बंटवारे पर हमें क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन इस मामले में हम आगे बढ़े हैं। इसके लिये मैं मुख्य मंत्री जी, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। खास तौर से जमुना के पानी के बंटवारे के बारे में। एक बात के लिये मैं आपको और धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले बजट में आपने भरतपुर में और बयाना में 2 कालेज खोले जब आपका पिछला राज्य था तब डीग में कालेज खुला और अब की बार आपका राज्य था, आपसे मतलब स्वयं की सरकार थी, तब बयाना में कालेज खुला। अब इस बात के लिए तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। कालेज शिक्षा होनी चाहिये। शिक्षा की प्रणाली क्या होनी चाहिये, इसके विवाद में नहीं जाऊंगा। लेकिन इस सम्बन्ध में कुछ इतना-सा सुझाव देना चाहूंगा कि बयाना के कालेज का नाम आप रमेश स्वामी के नाम पर रखें। हमारे देश की जो हालात है, त्याग और तपस्या के मूल्य बिल्कुल समाप्त होते चले जा रहे हैं। हमारे देश में, आज हमारे राज्य में हम

(श्री रामकिशन)

पुराने राजा-महाराजाओं के नामों पर या दूसरे लोगों के नामों पर बड़ी-बड़ी संस्थायें खड़ी कर रहे हैं लेकिन रमेश स्वामी ने जो बलिदान दिया था और जिससे हमारा देश आजाद हुआ है उसके नाम पर बयाना का कालेज हो। ऐसा आपको मेरा सुझाव है। अब इसमें कोई विसंगतियां नहीं हों, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो तो आप इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की कोशिश करें।

दूसरा मेरा निवेदन है कि राजस्थान में कोई भी महिलाओं का इंस्टिट्यूशन खुले तो उसका नाम निश्चित तौर से पन्नाधाय के नाम पर रखा करें। शायद संसार में यह पहली महिला है। संसार में पहली महिला। दो महिलाओं को मैंने समझा है। एक तो रूस की नहाली और एक पन्ना धाय जिसने जिस तरह का त्याग किया है इतिहास में ऐसा त्याग किसी को नहीं मिल सकता। इन नामों को हम उजागर करें। हम पुराने राजा-महाराजाओं के नाम लेते रहे हैं। उन्होंने युद्ध भी किया है, संसार में सब जगह बड़े योद्धा भी हुए हैं लेकिन पन्नाधाय जैसी त्यागी महिला शायद संसार में नहीं हुई है। तो मेरा आपसे सवाल है कि महिलाओं की शिक्षा के लिए जो-जो संस्था आप खोलने जा रहे हैं उसमें आप नामों का ध्यान रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समय के अभाव को देखते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं....(व्यवधान)....मैं समय के अभाव में ज्यादा बातें नहीं कहना चाहता। आखिर मैं आप से केवल इतनी-सी बात कहूंगा कि आज जो बातें मैंने कही हैं उन पर आप ध्यान रखेंगे और उसके लिए अब की दफा जो विकास का कार्यक्रम बनायेंगे उसमें खेती के विकास और लघु उद्योगों पर ध्यान देंगे क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सी और बहुराष्ट्रीय निगम जिस तरह हमारे देश पर हमला करने वाले हैं उसके बचाव के लिए हमें तैयारी कर लेनी चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय सदन के नेता द्वारा राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक पर भाषण देने व विधेयक के पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन का समय राजस्थान विनियोग विधेयक के पारित होने तक बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय माननीय नेता के भाषण व विनियोग विधेयक पास करने तक के लिये बढ़ाया जाता है।

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1992 पर विचार

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

माननीय सदस्यों को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि आज राजस्थान दिवस है और इस सदन के माध्यम से मैं पूरे राजस्थान की जनता के लिये अपनी शुभकामनाएं प्रेरित करता हूं।

श्री रामकिशन : इसमें एक और जोड़ सकें तो डा. राममनोहर लोहिया का नाम और जोड़ दें। एक आन्दोलन की शुरूआत की डा. मनोहर लोहिया ने। अगर कंजूसी नहीं बरतें तो थोड़ा सा उनको भी याद करलें आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कि स्वर्गीय सरदार पटेल ने राज्यों के एकीकरण के सम्बन्ध में जो कार्य किया है, यह राजस्थान उसी का परिणाम है और इसलिये ऐसी स्थिति में आज के दिन सरदार पटेल का स्मरण नहीं करना, मैं समझता हूं, देश के प्रति उनकी सेवाओं को भुलाने के बराबर होगा। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है....

श्री केदारनाथ शर्मा : मैं आपको इंट्रप्ट नहीं कर रहा मगर राजस्थान को एक बनाने के लिये प्रजा मंडल और प्रजा परिषद के लोग भी लड़े, जिन्होंने वहां शहादतें दीं, जेलें काटीं और बहुत ही जान माल का नुकसान हुआ, उन शहीदों को तो तो भूल ही गये बिल्कुल।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बोल ही रहा था....

श्री केदारनाथ शर्मा : बिल्कुल भूल गये।

श्री उपाध्यक्ष : आयेंगे आयेंगे, अभी। आप बिराजिये। सबको याद किया जायगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने अभी भाषण समाप्त नहीं किया है, मैं बोल ही रहा हूं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि देश की आजादी के लिये और प्रदेश के एकीकरण के लिये जिन व्यक्तियों ने कुर्बानियां दी हैं, जो शहीद हुए हैं उन सब के प्रति भी यह सदन निश्चित रूप से श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। पंडितजी ने यहां डा. राममनोहर लोहिया का नाम लिया, मैं ऐसा समझता हूं, उन्होंने जो देश के सामने एक वैचारिक क्रांति रखी है उसको हम कोई भूल नहीं सकते हैं। उनको भी श्रद्धांजलि मेरी ओर से और सदन की ओर से मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, 42 वर्ष से इस राजस्थान की विधान सभा में हम सब लोग किसी न किसी रूप में शामिल हो रहे हैं। पिछले 42 वर्षों में 40 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी का शासन रहा और चार वर्ष तक यह शासन भारतीय जनतापार्टी, जनता दल और जनता पार्टी के हाथों में रहा। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यहां जो यह बातें रखी गयीं, प्रयत्न यह किया गया कि राजस्थान की 42 वर्ष की जो बुराइयां हैं वह केवल चार वर्षों में हुई हैं। मैं ऐसा समझता हूं, न्याय यह होता कि 40 वर्षों में हमने क्या किया और उसकी तुलना में चार वर्ष में हमने क्या किया, उसका तुलनात्मक विवरण इस

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सदन के अन्दर रखा जाता तो अपने आप इस बात की जानकारी मिल जाती कि राजस्थान के विकास में जो मूलभूत कमियां रही हैं, जिसका उल्लेख पंडित रामकिशन जी ने किया, जिसका उल्लेख अन्य माननीय सदस्यों ने किया, मूलभूत समस्याएं रही हैं जिनका समाधान नहीं हो सका और जो मूलभूत अभाव रहे हैं उसके लिये कोई पार्टी जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार है केवल कांग्रेस पार्टी जिसके हाथों में 40 वर्ष तक यह शासन रहा। आज, उपाध्यक्ष महोदय, उस सारी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : राज कोई खोंस कर दिया था ? 40 साल तक राज किया, राज कोई खोंस कर दिया था या जनता ने दिया था ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, जनता ने दिया था और उसी जनता के साथ आपने जो कुछ किया वह जनता अच्छी तरह से जानती है। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि इंट्रप्ट नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। मैं इतना ही निवेदन कर रहा था ...

श्री चन्दनमल बैद : मैं भी इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आप असत्य भाषण नहीं करें, आप असत्य भाषण नहीं करें, सत्य-सत्य बात कहें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : केवल आपकी परम्परा पर चलूंगा।

श्री चन्दनमल बैद : तबतो सही बोलेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बस ठीक है तो फिर आप यही मान करके चलें।

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हम सारे परिप्रेक्ष्य में देखें कि 42 वर्षों में राजस्थान में किस प्रकार की कमियां रही हैं, राजस्थान किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है, राजस्थान में किस प्रकार के विकास हो सकते हैं, इन सब बातों पर यदि समन्वित दृष्टि से हमने विचार किया तो निश्चित रूप से कोई न कोई इस प्रकार का मार्ग हम ढूंढ सकते हैं जिससे राजस्थान पिछड़ेपन से मुक्त हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब से मुख्य मंत्री बना हूं, कई बार नेशनल डवलपमेंट कौंसिल में बोला हूं, कई बार चीफ मिनिस्टर्स की कान्फ्रेन्स में बोला हूं और कई बार मैंने प्लानिंग कमीशन के सामने भी आंकड़ों के आधार पर तथ्यों के आधार पर, तर्कों के आधार पर इस बात को प्रतिपादित किया है कि जो राज्य भारत सरकार की नीतियों के कारण से और स्वयं की भौगोलिक कठिनाइयों के कारण से, प्राकृतिक आपदाओं के कारण से पीछे रह गये, उन राज्यों को आल इण्डिया एवरेज पर लाने के लिये विशेष योजना बनायी जाय। आज राजस्थान कई क्षेत्रों में बहुत पीछे है। कई राज्य हमसे बहुत आगे चले गये। जो आगे चले गये उनकी हम बराबरी नहीं कर पा रहे। लेकिन जो आल इण्डिया एवरेज है उस एवरेज तक पहुंचना भी हमारे लिये कठिन हो रहा है। इसीलिये मैंने प्लानिंग कमीशन को

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

भी कहा, एन. डी. सी. में भी कहा कि भारत सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहियें जिस व्यवस्था के आधार पर पिछड़े राज्य भारत के औसत के नजदीक पहुंच जाय ताकि उनको दूसरे विकसित राज्य किसी प्रकार से शोषण नहीं कर सकें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, आज शोषण हो रहा है। मैं उदाहरण के रूप में दो चीजें रखना चाहूंगा। अब शायद इण्डस्ट्रीज के लिये लिबरेलाइजेशन आ गया लेकिन जब लिबरेलाइजेशन नहीं था उस समय जितने भी इण्डस्ट्रियलिस्ट्स थे वह ज्यादा से ज्यादा कंसेशन कौन राज्य देता है उसके आधार पर इण्डस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिये आगे आते थे। अब विकसित राज्यों के मुकाबले में राजस्थान उतनी सुविधाएं नहीं दे सकता, यह एक तथ्य है उसको स्वीकार करके मैं भी चलता हूं, मैं समझता हूं, बाकी के लोगों को भी चलना चाहिये। लेकिन अब जब यह तथ्य है तो हमने भारत सरकार से कहा कि पिछड़ेपन के कारण से अब हमारा शोषण होने लगा, कम से कम इस शोषण से हमको मुक्त कराया जाय। हमने कहा कि स्पेशल कैटेगिरी स्टेट्स, उन राज्यों को भी उनमें शामिल करलें जो राज्य आल इण्डिया एवरेज से विकास के मापदण्ड के आधार पर बहुत पीछे रहे। भारत सरकार ने कहा, यह नहीं हो सकता लेकिन कोई न कोई रास्ता हम ऐसा निकालेंगे जिस रास्ते से यह राज्य भी आल इण्डिया एवरेज पर पहुंच जायं। इसी संदर्भ में आज आवश्यकता है कि राजस्थान के पास ज्यादा से ज्यादा साधन हों। मैं ऐसा समझता हूं, माननीयसदस्यों ने इस सारे बजट अधिवेशन में, दो तीन माननीय सदस्यों के अतिरिक्त, किसी ने भी राज्य सरकार को यह सुझाव नहीं दिया कि किस प्रकार से साधन जुटाये जायं। सुझाव इस बात के जरूर आये कि आपने पहले खर्चा ज्यादा कर दिया, अब खर्चा कम कर रहे हैं। पिछली बार हमने ज्यादा किया था, आपने कम किया। यह कम और ज्यादा के कारण से राजस्थान का विकास नहीं होने वाला। राजस्थान का विकास होगा कि आपके पास साधन कितने उपलब्ध हैं और किस प्रकार से आप साधन जुटा सकते हैं। साधन जुटेंगे फिर दूसरा प्रश्न आयेगा कि इन साधनों का सदुपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। पहला प्रश्न आता है साधन जुटाने का। मैं आप लोगों से ही जानकारी करना चाहता हूं कि आज बिक्री कर से लगभग 800 करोड़ रुपये की हमारी आय है, एक्साइज से हम आय कर रहे हैं, और छोटे मोटे टैक्सेज हैं जिनके कारण आय हो रही है मुझे एक आइटम आइटम बता दें, मैं इस सदन का बहुत अनुगृहीत होऊंगा, यह सदन मुझे यह जानकारी दे दे कि अमुक प्रकार के रिसोर्सेज हैं जिनको राज्य सरकार को टेप करना चाहिये। आप साधनों के बारे में नहीं बोलें, कौनसे साधन जुटाये जायं इस बारे आप चिन्ता नहीं कर रहे। आप चिन्ता इस बात की करते हैं कि पिछले वर्ष इतना खर्चा हो गया और इस साल इतना कम हो रहा है। होगा, मैं इसको इंकार नहीं करता। यह सब चीजें हो सकती हैं लेकिन यह सब चीजें साधनों पर निर्भर करेंगी। अब

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

साधन जुटाने का जब मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि साधन जो भारत सरकार से लेऊं, साधन मैं जनता से लेऊं और दोनों ही यदि साधन नहीं जुटायें तो आप मुझे बता दीजिए क्या मैं भारत सरकार को कह भी नहीं सकता ? अब आज मुझे इस बात की खुशी है कि तीन मुख्य मंत्रियों ने जो ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन को शायद तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने तो यह कहा यह संगठित होकर भारत सरकार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ियाजी इस बात को स्वीकार किया कि इस ज्ञापन में जो बातें लिखी हुई हैं, वह सब सही हैं, यह उनका समर्थन करते हैं। आज मुझे पहाड़ियाजी आप बता दीजिए, आप बड़े विद्वान-हैं, आप दिल्ली भी बहुत रहे हैं....

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : सबके बारे में नहीं कहा। एक, दो आइटम के बारे में कहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक, दो आइटम मैं आपके मान लूंगा जो भी आप कहें लेकिन बाकी के आइटम, इस मामले में आपने कहा है कि मैं इसका समर्थन करता हूं। जिन आइटम्स का भी आप समर्थन करते हैं और जो आइटम्स मैं उचित समझता हूं, जो आइटम राजस्थान के हित में हैं, जिन आइटम्स से हमें संसाधन मिल सकते हैं, उन आइटम्स के लिए यदि मैं अकेला प्रभावी नहीं हो सकूं और मुख्य मंत्रियों का सहयोग ले लूं तो इसमें आपत्ति क्या है ? मैं समझता हूं कोई आपत्ति नहीं है। मैं यही कह रहा हूं, मैं इतना ही कह सकता हूं.....

श्री चन्दनमल बैद : यह राजीनितक धड़ेबंदी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस धड़ेबंदी में तीन मुख्यमंत्री शामिल हो गये, शायद आप कह सकते हैं बी. जे. पी के हैं। लेकिन हिन्दुस्तान का कौन मुख्य मंत्री है। जो मुख्य मंत्री यह नहीं कहता हो। चाहे बिहार का मुख्य मंत्री....

श्री चन्दनमल बैद : आप सबको संगठनों में शामिल करते तो मैं यह चार्ज आप पर नहीं लगता लेकिन बी. जे. पी. के तीनों मुख्यमंत्रियों को शामिल किया, यह एक राजनीतिक धड़ेबंदी थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं मानता हूं। मैं ऐसा समझता हूं मैंने जो इनमें पाइण्ट्स दिये हैं, क्या उड़ीसा की सरकार ने उसका समर्थन नहीं किया, क्या वैस्ट बंगाल की सरकार ने उसका समर्थन नहीं किया, क्या बिहार की सरकार ने उसका समर्थन नहीं किया, क्या तमिलनाडू की सरकार ने उसका समर्थन नहीं किया ? कोई राज्य ऐसा नहीं है जो राज्य अपने संसाधन जुटाने के लिए भारत सरकार से इस प्रकार का निवेदन नहीं कर रहा। चन्दनमल जी मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि इस बार जिन राज्यों ने अपने बजट रखे हैं, उस बजट भाषण में इसका कहीं न कहीं संकेत दिया है। उस संकेत के आधार पर यदि गुटबंदी आप मानते हैं तो मुझे यह भी स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी कि राजस्थान के हित संवर्द्धन का प्रश्न आता है और वह प्रश्न केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में है तो राज्यों

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

का संगठन करके भारत सरकार के ऊपर दबाव डालने में भी मुझे संकोच नहीं होगा कोई संकोच नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं····

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यों का संगठन करने में हमें कोई एतराज नहीं। मैंने और बैद जी ने जो कहा, वह राजनीतिक दृष्टि से, आप पार्टी बेसिस पर जो करते हैं, उस पर एतराज है। इसी तरह से और राज्य भी राजस्थान की श्रेणी में आते हैं। स्पेशल कैटेगरी वाले राज्य, उन सबके मुख्य मंत्रियों को आप इकट्ठा करें, हम आपका समर्थन करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बहुत बड़ी बात कही है आपने। मुझे कम से कम एक बात की खुशी है कि पहाड़िया जी में इस बात का साहस है कि मैं अभी तक पूरा संगठन नहीं बना पाया, मुझे सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों का संगठन बनाकर भारत सरकार के ऊपर दबाव डालना चाहिए, तो पहाड़िया जी मेरा साथ देंगे। मैं कोशिश करूंगा पहाड़िया जी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपको सफलता नहीं मिलेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : देखिये आप साथ रहेंगे तो नहीं मिलेगी और पहाड़िया-जी मेरे साथ हो जायें तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इसमें कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप पहाड़ियाजी को इतना कमजोर मानकर क्यों चलते हैं और अपने आपको भगवान जाने क्या समझते हैं। मैं केवल इसलिए कहना चाहता हूं संगठन किया है और संगठन करना भी है। यह संगठन राजस्थान के हित में है, भैरोंसिंह के हित में नहीं है। यह कोई बी. जे. पी. के हित में नहीं है। राजस्थान को अतिरिक्त संसाधन मिलें, तो राजस्थान जो पीछे रह गया, वह प्रयत्न करके अपने साधनों से भारत सरकार के साधनों से, दोनों के साधनों से मिलकर हम आल इंडिया एवरेज पर पहुंच जायें यह सारा इसका दृष्टिकोण है। मैं फिर आपको कहना चाहूंगा, उन बातों को मैं फिर दोहराना नहीं चाहता हूं। आज इस सदन का कोई माननीय सदस्य इस बात के पक्ष में नहीं होगा कि 1982 में संशोधन कर कंसाइनमैंट टैक्स के बारे में फैसला किया था। आज तक वह कंसाइनमैंट टैक्स राजस्थान को नहीं मिला किसी भी राज्य को नहीं मिला राजस्थान को लगभग 400 करोड़ रुपये की हानि हुई है। 40 और 50 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष की हानि है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के माननीय सदस्यों से कि क्या कंसाइटमैंट टैक्स भारत सरकार लागू करे, आप इसके पक्ष में हैं या विरोध में हैं और यदि पक्ष में हैं तो जो मैंने लिखा है कोई गलती नहीं की। आपको भी जोर शोर से भारत सरकार को कहना चाहिए कंसाइनमैंट टैक्स लागू किया जाये, जल्दी से जल्दी लागू किया जाये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेजर मिनरल्स के ऊपर, रायल्टी का प्रश्न खड़ा किया। तीन वर्ष से रायल्टी में इनक्रीमैंट होता है, इनक्रीज करते हैं।

श्री केदारनाथ शर्मा : जब चन्दनमल जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, आपने खुद ने कहा कि सेन्टर के पास इलास्टिक सोर्सेज हैं, इस दृष्टि से और राजस्थान को हिस्सा मिलना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या ?

श्री केदारनाथ शर्मा : जब वैद जी यहां फाइनेंस मिनिस्टर थे और जब वह बजट स्पीच की रिप्लाई दिया करते थे। यह कहते थे हमारे यहां सोर्सेज बहुत ही लिमिटेड हैं और सेण्टर के सोर्सेस बहुत इलास्टिक हैं और वह सारी बातें आप भी कहा करते थे इसलिए आज तक ऐसी बातें कभी नहीं हुई।

श्री चन्दनमल बैद : मैं यही कह रहा हूं कि संदर्भ बदल गया। आज देश को मजबूत करने की जरूरत है, उस संदर्भ में इस संदर्भ को मत मिलाइये आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल्कुल सही है। मतलब यह है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री चन्दनमल बैद : सन 72 और 92 में वहुत फर्क है प्रोफेसर साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है। रायल्टी का क्वेश्चन मैंने रेज किया कि हर चीज से रायल्टी में बढ़ोतरी होनी चाहिए। यदि भारत सरकार 5-5 वर्ष तक रायल्टी में बढ़ोतरी नहीं करे और उससे राजस्थान को हानि हो तो यदि मैंने भारत सरकार से मांग की कि तीन वर्ष से नहीं रायल्टी में दो वर्ष से बढ़ोतरी होनी चाहिए, यह बात मैं नहीं कहता। जिन माननीय सदस्यों ने सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है, उनको अच्छी तरह से मालूम है कि सरकारिया कमीशन ने कहा कि दो वर्ष के बाद में रिवीजन होना चाहिए। मैं समझता हूं कमीशन जो कह रहा है और हमारी जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता के आधार पर मैं भारत सरकार से मांग करता हूं, इसमें आपत्ति का कौनसा प्रश्न हो सकता है और जब आपत्ति का प्रश्न नहीं हो सकता तो हमें इस पर विचार करना पड़ेगा। पहाड़ियाजी ने कहा स्माल में सेविंग का, मुझे खुशी है कि आपने यह जिक्र किया। स्माल सेविंग में हमने लगभग 300 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। यह जनता की बचत, छोटी-छोटी, बचत, यह बचत यदि होती रहती है तो जनता को तो उससे लाभ मिलेगा ही जो बचत में मिलने वाली धनराशि है, उसका दुरुपयोग नहीं होगा, उसका ऐसे क्षेत्र में इनवेस्टमेंट होगा, जिस इनवेस्टमेंट का लाभ पूरे राजस्थान की जनता को मिलेगा अब उसमें आपने इनकम टैक्स एगजमप्शन दे रखा था, वह इनकम टैक्स एगजमप्शन आपने बजट में विदड्रा कर लिया। विदड्रा कर लिया तो उसमें कोई पैसा जमा करायेगा नहीं और उसके कारण लगभग 60 करोड़ रुपये, जो अल्पबचत में हमें मिलने वाले हैं, उसमें कमी आयेगी। अब मैं भारत सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि जो आपने एगजमप्शस बिदड्रा किये हैं, उनको लागू करो। जनता का भला होगा, राज्य सरकारों का भला होगा और चन्दनमल जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मांग मैंने अकेले

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ने नहीं की है, कई राज्य सरकारों ने इसी प्रकार की मांग की है। भारत सरकार को चिट्ठियां भी लिखी हैं और भारत सरकार से प्रतिनिधि मंडल के रूप में लोग मिले भी हैं। मैं ऐसा समझता हूं इसमें भी मुझे इस सदन का और आप सब लोगों का समर्थन मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक बात कही रेल्वे में 1366 करोड़ का इस वर्ष किराये में और माल भाड़े में वृद्धि की गई। 50 करोड़ रुपये के लगभग अभी कनसेशंस दे दिये। 1306 करोड़ रुपये नेट प्रोफिट अनुमानित, अब उस नेट प्रोफिट में भाड़ा जब बढ़ा है, तो राजस्थान की जो योजनाएं चालू हैं, या योजनाएं हम भविष्य में लेने वाले हैं, इस भाड़े के कारण से कोस्ट एसक्लेशन उनका तो हो गया। उस कोस्ट एसक्लेशन के अगेनस्ट में मैं भारत सरकार से निवेदन करूं कि आपने जितना रेल्वे भाड़ा बढ़ाया, उसमें हमेंभी हिस्सा दो, यह मामला चल रहा हैं दूसरे वित्त आयोग से। दूसरे वित्त आयोग से आते-आते नवें वित्त आयोग में, इसमें अमाउण्ट फिक्स अप कर दी और फिक्स अप कर दिया तो राजस्थान को लगभग 6 87 करोड़ रुपये इससे ज्यादा मिलने वाले नहीं हैं। 1366 करोड़ रुपये के तो कर बढ़ रहे हैं किराया बढ़ रहा है और राजस्थान को मिलेगा 6 करोड़ रुपया। तो क्या मैं राजस्थान सरकार की ओर से भारत सरकार से यह नहीं कह सकता कि इस सारे फार्मूले को रिवाइज किया जाये और रिवाइज करने के बाद में जो राजस्थान का हिस्सा बनता है, उस हिस्से के आधार पर राजस्थान को पैसा दिया जाये। मैं समझता हूं इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : इसमें आपत्ति किस की है, कोई आपत्ति नही की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपका समर्थन चाहता हूं।

श्री चन्दनमल बैद : समर्थन दे दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कह देंगे कि दे दिया। मैं उपाध्यक्ष महोदय, अब रेल्वे का प्रश्न आता है। मैं ऐसा समझता हूं कि 42 वर्षों में 38 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का राज रहा। कह दें विकास नहीं हुआ, भारत सरकार से कुछ लाये नहीं। ईमानदारी से हर आदमी अपनी छाती पर हाथ रख कर देखें।

एक माननीय सदस्य : छाती नहीं सीने पर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : छाती और सीना दोनों एक ही है। एक बार अपना हाथ सीने पर या छाती पर ईमानदारी से रख कर देखें कि पिछले दो वर्षों में राजस्थान में जितना रेल्वे का एक्पेंन्शन हुआ उतना 40 वर्षों में नहीं हुआ। अब इसको कोई मना कर सकते हैं ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया व्यवधान नहीं करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, 40 बर्षों से आप बैठे थे, केन्द्रीय सरकार आपके हाथ में थी,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आपकी सरकार यहां थी, दोनों मिल कर रेल्वे लाइन को मीटर गेज से ब्रोड गेज लाइन में बदलवा लेते। राजस्थान में ब्रोड गेज लाइन के काम से कितनी कठिनाई आ रही है विकास और उद्योगों में उसका समाधान कर पाते। लेकिन मेरे ख्याल से लगभग 1 हजार 44 किलोमीटर रेल्वे लाइन यदि पहली बार मन्जूर हुई है तो हमारे राज में मंजूर हुई पहले मन्जूर नहीं हुई।

श्री यदुनाथ सिंह : यह तो हमारे राज में हुई है।

डा. चन्द्रभान : हमारे राज में हुई है, साहब।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, आपके राज में हुई, चन्द्रभानजी के राज में भी हुई।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : आपके सहयोगियों ने 11 महीने राज किया है माननीय मुख्य मंत्रीजी। 11 महीने चौकस रहा है। 11 महीनों में कितनी योजनाएं मन्जूर हो गई, यह बता दीजिये....

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मेरा ख्याल है कि मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिये रेल्वे मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहिये, जो आज हैं, उन्होंने मन्जूर किया है। पहले नहीं हुई थी आपके राज में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको शायद यह भी वहम है। यह मन्जूर करके गये थे जार्ज फर्नांडिस ने, कांग्रेस के राज में मन्जूर नहीं हुई है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : पहले सर्वे करवाया था।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : काफी दिन से चल रहा था, सर्वे हो रहा था....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सर्वे कराया, आप यह कह दीजिये कि मैंने उस समय कागज लिखा था उसी पर 1 हजार 44 किलोमीटर रेल्वे लाइन मन्जूर हुई। उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कोई भी आदमी क्रेडिट ले सकता है। कल्ला साहब तो जरूर लेंगे, कि मैंने आज के दस वर्ष पहले लेटर लिखा था उसमें प्रोसेसिंग होते-होते गये साल तब जाकर वह योजना मन्जूर हुई इसलिये मुझे आपको क्रेडिट देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। आप क्रेडिट लेना चाहें ले लें। लेकिन इतना मान कर चलें, मैं पहाड़ियाजी से कहना चाहता हूं कि आज अभी आप धौलपुर का जिक्र कर रहे थे और धौलपुर का जिक्र करते करते कहने लगे कि आपने क्या किया, धौलपुर का आपने जिक्र क्यों नहीं किया। मैं आपकी जानकारी के लिये इतना ही बता दूं कि धौलपुर के संबंध में मैंने प्रधान मंत्रीजी को पत्र लिखा, एक धौलपुर के लिये ही नहीं पूरे राजस्थान की बिजली की समस्याओं को लेकर प्रधान मंत्रीजी को एक पत्र लिखा और मुझे इस बात की खुशी है कि प्रधान मंत्रीजी ने हर इश्यू के ऊपर पोजिटिव रिप्लाई दिया। धौलपुर के सन्दर्भ में उन्होंने जो कुछ लिखा है वह तीन लाइन मैं आपको पढ कर सुना देता हूं। यह लेटर लिखा हुआ

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है, सितम्बर 25, 1991 का उसमें लिखा है :–Please refer to your letter of 31st August, 1991 in which you have raised issues relating to the power sector in the State. I am grateful to you for bringing this to my notice. I have had these looked into with a view to have the outstanding issues sorted out expeditiously. The present status of the issues raised by you are given below. पहला इश्यू उन्होंने धौलपुर का रेफर किया है Environmental clearance for Dholpur Thermal Power Station: The Ministry of Environment & Forest have expressed concern regarding the adverse effect on the Taj, possible damage to the wild Life Sanctuary, and the problom or disposal of flying ash. I have asked the Ministry to propose suitable safeguards to meet these concerns so that a decision on the clearance of the present sito जो साइट हमने प्रोपोज करके दी है उसके लिये प्रधान मंत्री ने लिखा है कि आप प्रिकोशन्स बता दें ताकि can be taken within a month.

मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं, प्रधान मंत्रीजी आपके हैं....

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : सारे देश के हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और पहाड़िया जी आजकल आप रोज मिलते हैं।

एक माननीय सदस्य : कहां मिलते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी कांग्रेस के अध्यक्ष का मामला तय नहीं हुआ है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : देखिये, साहब आप इस तरह से वर्किंग कमेटी में जाते हैं पहाड़ियाजी। पहाड़ियाजी वर्किंग कमेटी के मेम्बर हैं। मुख्य मंत्रीजी आप कार्नर कर देंगे पहाड़ियाजी को तो। मेरा सख्त एतराज है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कार्नर नहीं कर रहा हूं। मैं तो यह चाहता हूं कि पहाड़ियाजी पी. सी. सी. के अध्यक्ष बन जायं और आप लोग चाहते हो कि नहीं बने। आप कह दो चाहते हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मेरे लिये इससे बड़ी खुशी को बात नहीं हो सकती है। मैं चाहता हूं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और मैं समझता हूं कि अगर सारी लेजिस्लेटिव पार्टी कह दें तो यह जिम्मेदारी मैं लेता हूं कि पी. सी. सी. के अध्यक्ष....

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपको कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बने इसकी कब से आपको चिन्ता होने लगी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चिन्ता इसलिये है कि आज यह शिड्यूल्ड कास्ट के हैं इसलिये नहीं बनाना चाहते हैं।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से हाथ जोड़ कर यह निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम डिस्टिंग्वीश्ड पर्सनस्न के लेटर का जवाव देना तो प्रधान मंत्रीजी से सीख लिया होता। एक पत्र का जवाब तो आपने श्री जोशीजी को दिया था, एक पत्र का जवाब माननीय प्रधान मंत्रीजी ने आपको दिया था। देखिये कितना फर्क है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फर्क है इसमें कोई सन्देह नहीं है मैं मानता हूं। कहीं आपके संगत में आकर प्रधान मंत्रीजी ऐसा पत्र नहीं लिखें इसका भी मुझे डर है। मैं इसलिये कहना चाहता हूं आप लोगों से, इसके बाद मैं भी मैंने पत्र लिखा, बाद में मैं कई बार मिला। भारत सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति और बनायी। पहले बनी थी उसने रिपोर्ट दी, दूसरी समिति बनी उसने रिपोर्ट दी। रिपोर्ट देने के बाद में एन्वायरनमेण्ट मिनिस्टरी में मामला पड़ा हुआ है। मैं चाहूंगा पहाड़ियाजी आपका सहयोग और बाकी के जो हमारे संसद के सदस्य हैं वह चाहे किसी भी पार्टी के हों मैं उनसे सहयोग चाहूंगा कि जितने भी इस प्रकार के मामले जिनका उल्लेख प्रधान मंत्रीजी ने इस लेटर में किया है उन मामलों का शीघातिशीघ्र निपटारा किया जाय। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और मुझे विश्वास है कि प्रधान मंत्रीजी इस मामले का जल्दी से जल्दी निपटारा करेंगे। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आप क्रेडिट मुझे मत दीजिये यह क्रेडिट कांग्रेस पार्टी ले लें और यह कह ले ले कि हमारे कारण से धौलपुर का कारखाना मन्जूर हुआ है तो मुझे खुशी होगी। क्रेडिट का भी बंटवारा कर लें इसमें कोई सन्देह करने की बात नहीं है। आपका भी काम अच्छा होगा और हमारा भी काम अच्छा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां इसी सन्दर्भ में मैं कहना चाहता हूं, एन्वायरनमेण्ट मिनिस्टरी, इसमें उनका हस्तक्षेप है, एक्च्युअली उनसे ही इसका क्लियरेंस मिलना है। यहां पहाड़ियाजी इसी सन्दर्भ में एक बात कह गये कि अलवर के संबंध में जो नोटीफिकेशन निकला है। आप यह समझते हैं क्या कि दो वर्ष में ही अलवर की तबाही हुई, दो वर्ष में ही राजस्थान के फोरेस्ट की तबाही हुई, दो वर्ष में ही राजस्थान में अवैध खनन हुआ है और पहले कोई अवैध खनन नहीं हुआ? इस सदन की प्रोसीडिंग्स उठा कर देख लें, सरकार ने स्वीकार किया है कि अवैध खनन हो रहा है, अलवर में हो रहा है, भीलवाडा में बिजोलिया क्षेत्र में हो रहा है। अवैध खनन हो रहा है। अब उस अवैध खनन को रोकने के लिये आप यह कहें कि हम लोगों ने अवैध खनन किया इस कारण से हमने नोटीफिकेशन इश्यू किया। उस नोटीफिकेशन का प्रभाव क्या होगा। आप कहीं बिजली की लाइन नहीं डाल सकते।....

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह बात सही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बोल लूं उसके बाद में आप जो बात कहेंगे वह सही है। मैं इतना निवेदन कर दूं, क्या आप बिजली का खम्भा नहीं लगा सकते, सड़क

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं बना सकते, आप यहां टेलीफोन के तार नहीं डाल सकते, स्कूल और दवाखाना नहीं खोल सकते। खोल सकते हैं लेकिन भारत सरकार से अनुमति लेकर। भारत सरकार से अनुमति लेकर यह सब कुछ किया जा सकता है। मैं जानना चाहता हूं विपक्ष के मित्रों से कि फोरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट बनाया भारत सरकार ने लेकिन उसका पालन कौन करता है? उसको एग्जीयूकूट करती है स्टेट गवर्नमेण्ट। उस स्टेट गवर्नमेण्ट के हाथ में तो कुछ नहीं और भारत सरकार के हाथ में तो सब कुछ है। मैं इसका विरोधी हूं। मैं चाहता हूं कि जो पावर्स राजस्थान सरकार के इस फोरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट के नाम से भारत सरकार ने इनफीच कर लिया और मैं जानबूझ कर करूंगा कि राज्य सरकार के अधिकारों के ऊपर जो एन्क्रोचमेण्ट किया है इस एन्क्रोचमेण्ट से युद्ध करना पड़ेगा और करूंगा। इसलिये आप कोई यह कहें, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, आपने दोनों नोटीफिकेशन्स देखे होंगे....

एक माननीय सदस्य : नहीं देखे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं देखे होंगे। ऐसे विद्वान हैं ऐसी बात नहीं है। देखे होंगे तो कम से कम मुझे बता दें कि आप इस नोटीफिकेशन्स का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। पहाड़ियाजी बता दें चाहे कोई भी बता दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं इसका समर्थन करता हूं और इसलिये करता हूं कि आपकी गलत नीतियों के कारण जो आपने डिस्क्रिमिनेट तरीके से अलाटमेण्ट किया जहां पर बैन लगा हुआ था जिन खानों का और आपके माइन्स डिपार्टमेण्ट ने जिस किस्म का अलाटमेण्ट किया उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में गये। सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला। भारत सरकार में गये। राज्य सरकार अपनी सफलता व विफलता को छुपाने के लिये, अपने कुकर्मों को छुपाने के लिये भारत सरकार के ऊपर गलत मिथ्या आरोप लगा रही है। मेरा इस बात का राज्य सरकार के ऊपर चार्ज है।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की क्या रिपोर्ट है, क्या फैसला हुआ, आपको ज्ञान है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूं। एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगायी गयी। अलवर में खानों में खनन बंद था। इन खानों के अन्दर खनन की कार्यवाही आरम्भ की जाय इस बाबत....

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय सदस्य ने वह रिपोर्ट पढ़ी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला विचाराधीन था....

श्री उपाध्यक्ष : विवाद का विषय नहीं है।

श्री जगमाल सिंह यादव : एम. एल. जैन ने एक रिपोर्ट दी है जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। मेरे पास उनकी रिपोर्ट मौजूद है अगर आपने नहीं पढ़ी है तो माननीय सदस्य को मैं दे दूं इसमें कोई बैन नहीं किया और न यह कहा कि अवैध खनन हो रहा है। जो फैसला आया है वह

(श्री जगमालसिंह यादव)

उसमें जो रिट में गये थे तरुण भारत संघ उसके खिलाफ आया है।

डा. चन्द्रभान : 6 अप्रेल को इस पर अलग से बहस है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अलग से बहस है या नहीं है लेकिन मुझे कहने का अधिकार है उससे तो वंचित नहीं किया जा सकता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना-सा निवेदन करना चाहता हूं कि यदि अवैध खनन के कारण यह नोटीफिकेशन हुआ अगर प्रद्युम्न सिंहजी की यह मान्यता है तो अवैध खनन तो वर्षों से हो रहा है। इस प्रकार के एनक्रोचमेण्ट को यदि कोई भी सरकार रोक नहीं सकती है, चाहे केन्द्रीय सरकार हो या कोई भी सरकार हो और इस एनक्रोचमेण्ट को यदि कोई भी राज्य सरकार स्वीकार करती है तो मैं समझता हूं कि जनता के साथ +++ करना है और उसके कारण से मैं विरोध कर रहा हूं और विरोध करूंगा और इस विरोध के कारण मैं तो कोशिश यह कर रहा हूं कि फोरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट जो पहले स्टेट लिस्ट में था और कॉन्करेण्ट लिस्ट में ले लिया गया। उसको कन्करेण्ट लिस्ट से वापस स्टेट लिस्ट में लिया जाय। मुझे इस बात की खुशी है कि आज प्रद्युम्न सिंह ने इस नोटीफिकेशन का समर्थन किया है और यह आपके व्यक्तिगत विचार मानकर चलता हूं और कांग्रेस पार्टी के तो ऐसे विचार नहीं होंगे, मैं ऐसा मानकर चलता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा समझता हूं कई मित्र पहले कह चुके हैं जितनी ज्यादा सत्ता केन्द्रित होगी उतना ही देश, प्रदेश और राज्य का विनाश होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, नीचे से चलें। सरपंच यदि चुनाव जीत गया तो सरपंच पूरे गांव की सत्ता अपने हाथ में केन्द्रित कर लेगा, पंचायत समिति में चला जाय तो सारे सरपंचों की सत्ता को केन्द्रित कर लेगा। पंचायत समिति से जिला परिषद् में पहुंचे तो हालांकि उनके पास ज्यादा सत्ता नहीं है लेकिन केन्द्रीयकरण की। उनकी नीति है उसके बाद राज्य सरकार के पास चलें तो केन्द्रीयकरण की नीति आज से नहीं वर्षा से चलती आ रही है। मुख्य मंत्री चाहता है मेरे हाथ में सारी सत्ता आ जाय। मंत्री चाहता है मेरे हाथ में आ जाय। कलक्टर चाहता है मेरे हाथ में सत्ता का केन्द्रीयकरण हो जाय। सारे अधिकारी भी चाहते हैं और सारे पोलिटिकल लीडर्स भी चाहते हैं कि सत्ता का केन्द्रीयकरण हो जाय और मैं ऐसा समझता हूं कि लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा यदि कोई खतरा है तो सत्ता का केन्द्रीयकरण है। यदि सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं होता है तो लोकतंत्र का विकास नहीं होगा। मैं आज फिर कहता हूं यह कांग्रेस में बैठे हैं मैं बी. जे. पी. में बैठा हूं। बाकी के लोग और किसी पार्टी में बैठे हैं लेकिन एक बात मानकर चलिए चालीस वर्षों में सत्ता के केन्द्रीयकरण के कारण देश का पोलिटिकल सिस्टम कोलेप्स होने की स्थिति में पहुंच गया है। आज क्रेडीबिलिटी खत्म हो गयी।

+++शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आज मैं मुख्य मंत्री हूं और आप विपक्ष के नेता हैं लेकिन जनता में किसी की कोई क्रेडीबिलिटी नहीं है। किसी की नहीं है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : कैसे नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पूनमचन्द जी, हम इलेक्शन जीत गये....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : क्रेडीबिलिटी अगर जनप्रतिनिधियों की नहीं है तो फिर किसी की नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं खुद कह रहा हूं। क्रेडिबिलिटी गिरी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है और इसको रोकना बहुत आवश्यक है और वह अकेली पार्टी नहीं रोक सकती है। सबको मिलकर इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जनता में चुने हुए लोगों की प्रतिष्ठा बने। प्रतिष्ठा बनेगी तब ही लोकतंत्र पनपेगा और उसको पनपाने के लिए सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना बहुत आवश्यक है।

श्री चन्दनमल बैद : इसके लिए सत्ता का केन्द्रीयकरण केन्द्र में करना बहुत जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष : बार-बार व्यवधान डालना जरूरी है क्या?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना निवेदन कर दूं कि कोई सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो या नहीं हो चन्दनमलजी स्वीकार कर गये कि इस लेबल तक केन्द्रीयकरण हुआ, उसका विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। अब आगे यदि केन्द्र से विकेन्द्रीकरण करना है....

श्री चन्दनमल बैद : मैंने कोई स्वीकार नहीं किया। मुझे आप पर दया आती है। आप सरपंच और केन्द्र सरकार का मुकाबला करते हैं। केन्द्र सरकार का सरपंच से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप दया के पात्र हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप दया कर रहे हैं मुझ पर बड़ी खुशी है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना है तो सत्ता का विकेन्द्रीकरण केन्द्र से शुरू होगा पंचायतों से शुरू नहीं होगा। अब आपकी और मेरी एप्रोच में अन्तर है। आप कहते हैं सत्ता का विकेन्द्रीकरण पंचायतें करें, मैं समझता हूं सत्ता का विकेन्द्रीकरण केन्द्र से किया जाय और केन्द्र से सत्ता का विकेन्द्रीकरण होगा तब ही राज्यों को पूर्ण स्वायत्तता मिलेगी और जब राज्यों को पूर्ण स्वायत्ता मिलेगी तब ही लोकल बॉडीज में पंचायतों को पूरी स्वायत्ता मिलेगी। यह असंतुलन है उसके लिए विकेन्द्रीकरण करना पड़ेगा।

श्री चन्दनमल बैद : रूस में मिल गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता दूं आपको आप + + + में नहीं रहें रूस में भी केन्द्रीयकरण बहुत ज्यादा था यह उसका परिणाम है।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री चन्दनमल बैद : अब रूस में परिणाम अच्छे आ रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक और कहता हूं चन्दनमलजी सुन लीजिए। मैंने दो बातें कही हैं एक पोलिटिकल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। चाहे बात बड़ी अप्रिय लगती है लेकिन यह बात सही है। इसलिए इस पोलिटिकल एक्सपीरियेन्सी में परिवर्तन यदि हम नहीं करेंगे और केवल सत्ता का केन्द्रीयकरण करेंगे तो दिल्ली वाले करके देख लें! सत्ता का केन्द्रीयकरण दिल्ली में होगा तो आप विश्वास रखकर चलिये, इसको जनता सहन करने वाली नहीं है। नहीं सहन करेगी और नहीं सहन करेगी। तो इस पर विचार करना पड़ेगा कि विकेन्द्रीकरण किस आधार पर किया जाय। आज हम छोटी-छोटी सी बात के लिए केन्द्र सरकार के सामने जायं। केन्द्र के सामने याचना करें। केन्द्र के सामने हम मांगें रखें। आवश्यकता क्या है? केन्द्र मजबूत होगा तो ही राज्य मजबूत होगा मैं इस थ्योरी में विश्वास नहीं करता हूं और यह भी कि राज्य मजबूत होगा तो केन्द्र कमजोर होगा। मेरी मान्यता है कि जितने राज्य मजबूत होंगे उतना केन्द्र मजबूत होगा। एक दूसरे के पूरक होंगे एक दूसरे के शोषक नहीं होंगे और इसके लिए जरूरी है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रशासन में भी देखा है और प्रशासन में भी अनुभव करने लगा हूं कि सत्ता कुछ ही हाथों में केन्द्रित हो गयी है। जो काम तहसीलदार कर सकता है उसके हाथ से अधिकार ले लिया गया है और लेकर एस. डी. ओ. को दे दिया गया है। जो काम एस. डी. ओ. कर सकता है वह कलक्टर के अधिकार में आ गया और जो काम कलक्टर कर सकता है वह कमिश्नर को अधिकार दे दिया। जो काम कमिश्नर कर सकता है वह यहां सचिवालय में आ गया और सचिवालय में जो सेक्रेटरी कर सकता है वह मंत्री के हाथ में आ गया और जो मंत्री कर सकता है वह अधिकार मुख्य मंत्री में आ गया। यह मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप यहीं से शुरू करें।

श्री उपाध्यक्ष : स्वीकार कर रहे हैं।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : सारे कुंठित हैं। लोग बहुत कुंठित हैं।

(5.00 सायं)

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप जरा सुन लो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं। मैं आज इस पक्ष में हूं और इसको लागू करने की चेष्टा कर रहा हूं। कल मैंने मंत्रिमण्डल के साथियों से बैठकर इस गम्भीर विषय पर चिन्तन भी किया और मंत्रिमण्डल के सदस्यों से निवेदन किया कि सारे पोलिटिकल सिस्टम को बरकरार रखना है तो मंत्रियों को नीतियों तक अपने आपको सीमित रखना चाहिये, नीति बनायें, उसको एक्जीक्यूट करिये, एक्जीक्यूशन हो रहा है या नहीं उसका मोनीटरिंग करें और उसके अन्दर यदि कोई गलतियां मालूम होती हैं एक्शन लेने का सुझाव दें, एक्शन लें और सारी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन कर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

दें। आमूलचूल परिवर्तन इसकी आज आवश्यकता है। आज आप मुझे कह दें हम तुम्हारी बात को स्वीकार नहीं करते हैं लेकिन मैं दिल से कहता हूं कि हिन्दुस्तान के लोकतंत्र को बचाना है और राज्यों के लोकतंत्र की व्यवस्था को सुरक्षित रखना है तो सत्ता का विकेन्द्रीकरण ऊपर से नीचे तक करना होगा और इसके लिए मैंने विचार किया है। प्रोसिजर के मामले हैं। प्रक्रियाओं के मामले हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया में लोग जकड़ गये हैं। आप उपाध्यक्ष महोदय, कानून जनता के लिये बने हैं, जनता कानून और नियमों के लिये नहीं है। हमारी कुछ धारणायें ऐसी बन गयीं कि सारे कानून और विधान और संविधान इनके लिए जनता बनी है। मेरी धारणा बिल्कुल विपरीत है। यह संविधान विधान, कानून, नियम, प्रक्रिया यह सब जनता के लिए बने हैं, लेकिन आज इन कानूनी प्रक्रियाओं को कोई देखने की कोशिश करे तो ऐसा लगता है कि जनता को हमने जेल में फंसा दिया है। कैद में हम ले आये जनता को, वह बाहर नहीं निकल सकती। मैं उदाहरण के रूप में एक बात कहना चाहूंगा।

मैंने कई दिनों से अलग-अलग विभागों का अध्ययन करना शुरू किया हैं। राजस्व सम्बन्धी मामले, जिनमें जमीन के कन्वर्शन का मामल है, ग्रामीण क्षेत्र में कोई आदमी मकान बनाना चाहे, कोई आदमी दुकान बनाना चाहे, कोई आदमी होटल बनाना चाहे, जमीन उसकी है, खेती उसकी है वह जमीन का खाते दार है, वहां पर कोई भी कन्स्ट्रक्शन का काम करना चाहे, कोई उद्योग लगाना चाहे, तो आज जब तक भूमि का कन्वर्शन नहीं होगा तब तक वह नहीं कर सकता। और यदि बिना कन्वर्शन के उसने कर दिया तो उसको सजा मिलेगी, डिमोलीशन होगा, कानूनी कार्यवाही होगी। आप ईमानदारी से विचार कर लें कितनी तहसीलों में कितने मामले भूमि कन्वर्शन के पैन्डिग पड़े हैं। बरसों से पैन्डिग पड़े हैं। अब हमने फैसला किया है कि कन्वर्शन के मामले 9 या 8 इस प्रकार के अलग-अलग नियम बने हुए थे, उन आठ या नौ नियमों को खत्म करके एक नियम बनाया है और उस एक नियम के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो कन्वर्शन की समस्या थी, जो लोग विकास का काम नहीं कर सकते थे, उनके लिए सीमायें तय कर दीं, उनके लिए कितना कन्वर्शन शुल्क होगा, वह एक साथ लागू करने के लिए तय कर दिया। जो पुराने मामले हैं उनका भी नये कानून के अन्तर्गत, नये नियमों के अन्तर्गत समाधान होगा, इस प्रकार की व्यवस्था कर दी। और उस व्यवस्था में लिख दिया कि तीस दिन के अन्दर-अन्दर तहसीलदार कन्वर्शन का आदेश निकालेगा और यदि तीस दिन में आदेश नहीं निकाला तो तहसीलदार को अधिकार नहीं होगा, वह अपने सुपीरियर को लिखकर भेजेगा। आज यह है अगर आप सारे राजस्थान का व्यापक रूप देखना चाहें, हजारों-लाखों मामले लोगों के पड़े हैं जिनका फैसला नहीं हो रहा है। रोज तारीखों पर जाते हैं, रोज नये-नये वकील करते हैं, इस प्रकार की स्थिति है। काश्तजारी कानून के सम्बन्ध में आपने कहा कि आज ही मैं घोषणा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करूं लेकिन मैंने एक वायदा किया था माननीय मदेरणा साहब से कि जो भी मैं काश्तकारी कानून में, नियम में परिवर्तन करना चाहता हूं मैं आपकी सलाह लेना चाहता हूं। सारी अलग-अलग पार्टियों के नेताओं की सलाह लेना चाहता हूं ताकि कहीं गलती नहीं हो जाये। हम काश्तकार का हित करना चाहते हैं। आज जैसलमेर जिले में 15 ए.ए.ए. के मामले को लेकर बीस वर्षों से राजस्थान की विधान सभा में चर्चा हो रही है। मैं तो दो वर्ष से हूं। 18 वर्ष तो कांग्रेस पार्टी का राज था। 18 वर्षों में जैसलमेर के, बीकानेर के और गंगानगर जिले के कुछ क्षेत्रों की जो समस्यायें 15 ए.ए.ए. के कारण से उत्पन्न हुई, इसमें संशोधन मैंने ही 1977 या 1978 में किया। उसके बाद में कोई संशोधन नहीं हुआ। काश्तकार तबाह हो गये हैं, जमीन उनकी है। उनको खातेदारी राइट मिलते नहीं। हमने इस 15 ए. ए. ए. का भी फैसला कर लिया और काश्तकारों को सुविधा मिले इस बात की भी व्यवस्था कर ली है। उपाध्यक्ष महोदय, 1955 में जब राजस्थान का टिनेन्सी एक्ट बना और 1959 में जब लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बना, उन दोनों विधान सभाओं में मैंने भी इन कानूनों को बनाने में सक्रिय योगदान दिया था। उस समय हमने यह कानून बनाया उसके बाद में फ्रेगमेन्टेशन एलाउ नहीं किए।

एक सिद्धान्त ठीक है। मैं उसमें आपत्ति नहीं करना चाहता। एग्रीकल्चर होल्डिंग यदि अनइकनामिक होती है, यह काश्तकार के हित में होगा। लेकिन जब परिवार का बंटवारा होता है, उस बंटवारे के कारण हम फ्रेगमेन्टेशन को रोक नहीं पाते हैं। फ्रेगमेन्टेशन का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन अगर नहीं होता है तो काश्तकार जो फ्रेगमेन्टेशन में अलग-अलग हिस्से में आ गया, उसका बैंक से कर्जा नहीं मिलता। बैंक से कर्जा नहीं मिलता है तो वह विकास नहीं कर पाता है। फ्रेगमेन्टेशन तो हो रहा है, लेकिन कानूनी जामा नहीं है. कानूनी अधिकार नहीं हैं, उसके कारण से जमीन के टुकड़े हो रहे हैं। जमीन के टुकड़ों का रिकगनीशन नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं और कारण काश्तकार तबाह हो रहे हैं। आप जानते हैं, प्रोफेसर केदार जी और हेतराम जी, गंगानगर जिले की तो यह प्रमुख समस्या बन गई है। हमारी सरकार ने नीति सम्बन्ध निर्णय ले लिया कि फ्रेगमेन्टेशन का रजिस्ट्रेशन करा दिया जाये और फ्रेगमेन्टेशन के आधार पर काश्तकारों को इससे बचाया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, अब तीसरा प्रश्न आता है, वह बहुत ही सेन्सेटिव प्रश्न है। जयपुर और जयपुर जैसे बड़े-बड़े शहरों में हरिजन की जमीन है, एस. सी. की और एस. टी. की कानून के अन्तर्गत वह सवर्ण को जमीन बेच नहीं सकता। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास में इस बात के आकड़े बहुत हैं जो गरीब एस. सी. और एस. टी. का आदमी है उसके पास जमीन नहीं है, या तो जो एस. सी. और एस. टी. में अमीर हैं उन्होंने उस जमीन को खरीद लिया या किसी न किसी तरीके से एन्क्रोचमेंट से या और किसी प्रकार से उस गरीब की जमीन पर सोसाइटी के माध्यम से या किसी प्रकार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

से कब्जा कर लिया है। अब सब सरकारें डर रही हैं। मैंने इसका अच्छी तरह से अध्ययन किया है। मैं समझता हूं कि अगर जमीन की कीमत बढ़ती है, जो आज से बीस वर्ष पहले एक रुपया गज थी और आज के दिन दो सौ रुपया गज हो गई, इसका लाभ कास हिन्दू तो उठा सकता है लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब का व्यक्ति नहीं उठा सकता, यह सबसे बड़ा अन्याय उसके साथ है। इसलिए हमने विचार किया है कि शहरों में अगर इस प्रकार की जमीन हो, जिस जमीन के भाव बढ़ गये वह जमीन अपनी मर्जी से वह जिसको चाहे बेचे और जितना चाहे रुपया ले, इसमें किसी प्रकार का कोई सन्देह करने की आवश्यकता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इन कुछ बातों से लोगों को निश्चित रूप से रिलीफ मिलेगी।

यहां पर चर्चा की गई ...

डा. चन्द्रभान : भूमिहीन हो जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : भूमिहीन तो आज भी हैं, खेती आज भी नहीं है, लोगों का कब्जा है, घुसने नहीं देते, सिटीज में हैं, और बाकी है नहीं....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : कुछ लोगों के कारण आप एस. सी. और एस. टी. के लोगों की जमीन साफ कर देंगे, पूरे राजस्थान में शिड्यूल्ड कास्ट लोगों के पास जमीन आप रहने ही नहीं देंगे।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : कुछ लोगों के कारण, पूरे राजस्थान के शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के साथ आप बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजो आप। अभी आपको और चांस मिलेगा।

एक माननीय सदस्य : शहरों के लिए ही कर रहे हैं न ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह गांवों के लिए नहीं है, यह शहरों के लिए है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के मैम्बर्स चाहें कि नहीं बनना चाहिये, तो मैं अभी घोषणा करता हूं कि इसको वापिस ले लूं।

कई माननीय सदस्य : होना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप मोडेलिटीज वर्क आउट कर लें, जो सिटी के पेरिफरी है वह आप देख लीजियेगा अन्यथा गांवों में यह लागू हो गया तो एस. सी. और एस. टी. की जमीनें बचेंगी नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको कह रहा हूं कि गांवों में यह व्यवस्था नहीं होगी, केवल शहरों में होगी। मैं इस बात के लिए भी खुला हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी के सदस्य इसका विरोध करें तो मैं इस कानून को वापिस लेने को भी तैयार हूं, इसको लागू नहीं करूंगा।

श्री नत्थीसिंह : कांग्रेस की मर्जी से नहीं, मैं यह कहता हूं कि शहरों में यह सुविधा शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को मिलनी ही चाहिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुख्य मंत्रीजी, हमने कांग्रेस का मन्तव्य साफ कर दिया कि गांवों में हम इस कानून को लगाये जाने के विरोध में हैं····(व्यवधान) आप मेरी बात सुन लीजिये, राज आपका है, राज करेंगे आप। राज आपका है आपके मन में आये जो कीजिये। आप म्यूनिसीपल लिमिट्स में इसको लागू कीजिये, हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन देहात के अन्दर इसका सख्त विरोध करते हैं···(व्यवधान) जो यह कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले विरोध कर रहे हैं, हमने अपनी स्थिति को साफ कर दिया है····

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : उपाध्यक्ष जी, मैं तो शहर के लिए भी इस बात का विरोध करता हूं कि जिन गरीब लोगों के पास मेन मौके पर जगह है वह सारी की सारी जमीनें पैसे और प्रभावशाली लोग खरीदेंगे, इस लिए मैं इस बात का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप। आपकी राय मांगी जायेगी।

श्री जगमालसिंह यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर यह सुविधा है तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से मांग करूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में हरिजनों को इस सुविधा से क्यों वंचित कर रहे हैं आप। पर राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में जो यह डिबार था, आपने शहरों के लिए हटाया और यह मान कर हटाया कि हरिजनों का शोषण हो रहा है। तो फिर मेरा यह मानना है कि गांवों में शोषण नहीं हो रहा है। एक हरिजन की जमीन 10 हजार रुपए बीघा जा रही है और एक सवर्ण की जमीन दो लाख रुपए बीघा जा रही है। अगर यह हरिजन के लिए सुविधा है तो मेरी मांग यह है कि इसे ग्रामीण एरिया में भी लागू किया जाय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह बाद में सोचा जाएगा। अब, हेतराम जी, इसे विवाद का विषय मत बनाइये। माननीय नेता महोदय के भाषण के समय व्यवधान करें, यह उचित भी नहीं है। आर्डर प्लीज।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात आपसे पूछनी थी, आपने जो भावना व्यक्त की जयपुर और बड़े शहरों के मामले में, मुझे बहुत तथ्यों से जानकारी है, माननीय मुख्य मंत्री जी, कुछ आपके मंत्रिमण्डल के सदस्यों ने इस सम्बन्ध में बाकायदा उस जगह पर बैठकर इन कई मामलों में सौदे हुए हैं। यह मुझे जानकारी है। करोड़ों के सौदे हुए; जिसमें 25 हजार रुपए आपकी पार्टी के लोगों ने इस जमीन के कन्वर्जन के लिये हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे यह भी जानकारी है कि कांग्रेस ने अपने शासन काल में गरीबों का शोषण करने के लिए इस प्रकार की जमीनों पर लोगों का कब्जा कराया है।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आप बता दीजिए।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : कब्जे हटाइये, हम आपको धन्यवाद देंगे। लेकिन कब्जे तो आप हटवाइये।

श्री उपाध्यक्ष : अपने स्तर से बात करें थोड़ा बहुत। क्या कह रहे हो?

श्री चन्दनमल बैद : एक्सटैम्पोर बहस मत कराइये, आप कानून ले आइये, पूरी बहस हो जाएगी। हम कंसीडर करके बात करेंगे और आप भी कंसीडर करके कीजिएगा। एक्सटैम्पोर बहस क्यों कराते हैं कि कांग्रेस पार्टी वाले बताएं? हमने तय ही नहीं किया, बात ही नहीं की है। हम पार्टी के लोग मिले ही नहीं हैं, हमने कोई विचार नहीं किया। आपको आफ हैण्ड क्या बात बताएं हम?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने तो केवल आप के सामने मेरी योजना रखी है। इस योजना का आप विरोध करें तो भी स्वागत है। इस योजना का आप समर्थन करे तो भी स्वागत है। मैं केवल जनार्दन सिंहजी से कहनाचाहता हूं कि जो चैप्टर उन्होंने चालू किया है, भगवान के लिये उस चैप्टर को चालू नहीं करें।

श्री ईश्वरलाल सैनी : हरिजनों के पास एक इन्च भी जमीन नहीं रहेगी अगर आपने यह कानून बना दिया तो।

श्री उपाध्यक्ष : सैनी साहब, बिराजो। बिल आएगा न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस एप्रोप्रिएशन बिल की डिबेट में पानी की समस्या के लिए कई बातें रखी गयीं। पानी की समस्या है, मैं मानता हूं। मैं यह भी मानता हूं कि पानी की समस्या का समाधान करने के लिए पिछले 40 वर्षों में कोई भी पार्टी की सरकार हो, लगातार प्रयत्न करती आ रही हैं। मैं यह नहीं कहता कि कांग्रेस पार्टी ने पीने के पानी की समस्या के समाधान हेतु कोई काम नहीं किया। मैं यह भी नहीं मानता कि हमारी सरकार ने भी कोई काम नहीं किया। लेकिन प्रकृति का संकट न कांग्रेस पार्टी रोक सकती है न मैं रोक सकता। राजस्थान में वर्षा का अभाव हो, लगातार वर्षों तक पानी का अभाव रहे, अभाव के कारण से चल स्तर बहुत नीचे चला जाय। हम ऊपर हैण्ड पम्प बनाएं, लेकिन पानी नीचे चला गया, तो नैचुरली हैण्ड पम्प सूखे हो गये। कई ऐसी योजनाएं भी हैं जिन योजनाओं के अन्तर्गत टेल एण्ड के ऊपर कभी पानी नहीं पहुंचता। कई हमने टांके बना दिये, उनको किसी स्कीम से जोड़ा नहीं जा सकता। अब यह जगह-जगह टांके बनाने का यदि आप हिसाब लगाकर देखें तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि करोड़ों रुपए हमने टांके बनाने में खर्च किये लेकिन इसकी चिन्ता नहीं की कि इस टांके में पानी कहां से आएगा। दूरदराज के क्षेत्रों में हमने बना दिये तो बन गये, परन्तु टांकों में पानी किस सोर्स से आएगा, इसकी चिन्ता नहीं की जैसे भगवान ऊपर से इस टांके में ही नाला डालेगा। अब हमने कोशिश की है कि जितने इस प्रकार के जी. एल. आर. के काम हैं उन कामों को किसी न किसी सोर्स से जोड़ा जाय। जब तक यह सोर्स से नहीं जुड़ेगा तब तक जो कुछ हमने जी. एल. आर. में इन्वेस्टमैन्ट कर दिया वह तो बेकार गया ही, जनता को भी किसी प्रकार का रिलीफ नहीं मिलेगा। इसके लिए हमने वित्तीय प्रावधान किया है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं साथ ही सदन में बताना चाहूंगा कि जो रीजनल पाइप लाइन स्कीम हैं उन स्कीम्स में कई गांव जो टेल एण्ड पर रह गये उन गांवों का योजनाओं में नाम लिखा हुआ है, आज से नहीं जब से योजना बनी है, बरसों से उनका नाम लिखा जा रहा है, कि इस योजना के अन्तर्गत पानी मिलेगा। लेकिन टेल एण्ड पर होने के कारण उनको पानी नहीं मिलता। इस बात को जानते तो सब हैं, आज से नहीं बरसों से जानते हैं। इसके समाधान की क्या कोशिश की? केवल यह कहते रहे कि सोर्स है, इन सोर्स को किसी न किसी रूप में लाकर हम टेल एण्ड पर पानी पहुंचाएंगे। हमारी सरकार ने फैसला किया है कि टेल एण्ड पर पड़ने वाले गांव जिनमें पानी नहीं मिलता, उनके लिए नयी योजना बनाकर उन गांवों को पानी दिया जाएगा। नयी योजना में टेल एण्ड के लोगों को प्राथमिकता मिलेगी। दूसरा हमने यह भी फैसला किया है कि पानी की कमी नहीं है, पर किसी कारण से पानी फ्लो नहीं हो रहा है तो बूस्टर लगाकर पानी को गांवों में भेजा जाय। फिर भी नहीं जाता, तो वहां ट्यूबवैल खुदवाकर उन गांवों को पानी उपलब्ध कराया जाय, इस सम्बन्ध की भी हमने व्यवस्था की है, और उसी प्रकार का प्रावधान हमने बजट में रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां बिजली की चर्चा हुई। बिजली की चर्चा में कई माननीय सदस्य कह गये कि गांवों का तो विद्युतीकरण हो गया। मैं एक बात बीच में पहले कह देना चाहता हूं कि 1977-78 में मैंने ट्रेडीशनल सोर्स स्कीम को एनकरेज करने की कोशिश की थी। मेरा आज भी मानना है, दस वर्ष पश्चात् मैं कह रहा हूं कि राजस्थान की यदि कोई पानी की समस्या का समाधान कर सकता है तो ट्रेडीशनल सोर्स कर सकता है, बाकी कोई समाधान नहीं कर सकता। अब इस ट्रेडीशनल सोर्स को किस प्रकार से बढ़ाया जाय? आज पंचायतें अपने बूते पर कर नहीं सकती। उन्होंने डीजल सैट लगाये, डीजल सैट खराब हुए। खराब हो गया उनका रीप्लेसमैण्ट नहीं हो सकता। राज्य सरकार ने इसके लिए विशेष प्रावधान रखकर इस बात की योजना बनायी है कि पारम्परिक स्रोतों से लोगों को पानी उपलब्ध कराने के लिए यदि पंचायतों के पास साधन नहीं हैं तो राज्य सरकार अपने पास से साधन लगाकर डीजल सैट लगाना हो तो डीजल सैट लगाये, और बिजली का कनेक्शन देकर खर्चा भोगने का सवाल हो तो खर्चा भोगे। अब मैं समझता हूं, गांवों की यह समस्या है।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह तो पहले ही था।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले स्कीम होगी। मैं नहीं कहता कि पहले....

श्री रामसिंह विश्नोई : उसमें सफलता नहीं मिली, वह अलग बात है, बाकी प्रावधान पहले किया हुआ है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 1988 के अन्दर, माननीय मुख्य मंत्री जी, जब कांग्रेस

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

हुकूमत थी, तब डीजल का खर्चा दिया जाएगा, यह तय हुआ था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेण्टिनेंस का तय नहीं हुआ था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर आप ऐसा समझती हैं कि मैंने इस सम्बन्ध में कोई नयी बात नहीं की तो मैं विथड्रा कर लेता हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने कहा इसलिए कर रही हूं मैं तो। आपने कहा, "हमने" किया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेण्टिनेंस का खर्चा पंचायतों को देना पड़ता है।

श्री चन्दनमल बैद : आप तो कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कंजूस नहीं हूं, मैं आप जैसा वित्त मंत्री नहीं हूं जो कंजूस होऊं, यह आप ध्यान रखकर चलिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपकी दिल फय्यादी के चर्चे हो रहे हैं हिन्दुस्तान में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ये जितनी भी आवश्यक चीजें थी उन आवश्यक चीजों के लिए धन का प्रावधान रखा जा रहा है। इससे आप अन्दाजा लगा लें। मैं इतना कहता हूं कि बिजली की कमी है। माननीय सदस्यों की यह शिकायत सही है कि लाखों की संख्या में एप्लीकैण्ट्स को बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता। यह भी सही है कि गांवों का विद्युतीकरण किन्हीं माननीय सदस्यों ने तीन हजार लगभग....

श्री चन्दनमल बैद : 3792.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 3792 गांव ऐसे बताये जिसमें बिजली का कनेक्शन तो हो गया ...

श्री चन्दनमल बैद : हुआ नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हुआ नहीं और कुछ ने यह बताया कि कनेक्शन हो गया लेकिन गांव में किसी प्रकार से बिजली मिली नहीं।

श्री चन्दनमल बैद : उन गांवों में इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया लेकिन कनेक्शन एक भी नहीं दिया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय बैद जी, आप यह जानते हैं कि यह बात वर्षों से चली आ रही है। वर्षों से चली आ रही है।

श्री चन्दमल बैद : हमारी लीक पर ही चलोगे क्या आप ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिलकुल। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं, मुझे आप यह कह देओ कि हमारी लीक से हटकर चलो।

श्री चन्दनमल बैद : जरूर। कुछ न कुछ नयी बातें करो। हमारी लाइन खींची हुई से बड़ी लाइन खींचो। केवल हमारी लाइन की चर्चा करोगे तो आप सफल नहीं होंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह बिलकुल सही है। आपने जो कुछ किया उसको आप गलत मानते हैं, इससे बड़ी मेरी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती।

श्री चन्दनमल बैद : आपकी आदत है। हमने जो लाइन खींची है विकास की उससे बड़ी लाइन खींचो तो जनता आपकी तारीफ करेगी। उससे बड़ी लाइन नहीं खींच सकोगे तो कितना ही आप यहां पर बोलते रहें, कोई फायदा नहीं होने वाला है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, हमने योजना बनाई है कि 1992-93 में 32 पंचायत समितियों में शत-प्रतिशत गांवों का, जो अभी तक इलक्ट्रोफाइड नहीं है उनका इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाय। 1993-94 में फिर 29 पंचायत समितियों को लेंगे और उसका परिणाम यह निकलेगा कि 1993 से 1994 तक राजस्थान की इन पंचायत समितियों में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण हो जायेगा।

अब प्रश्न आता है, उपाध्यक्ष महोदय, कुओं का। मैं मानता हूं कि बिजली की कमी है, इसमें कोई सदेह नहीं है। लेकिन इब कमी के साथ-साथ एक काश्तकार के साथ जो अन्याय हो रहा है, वह अन्याय यह हो रहा है कि जिसने आज अर्जी दे दी, उसको तो बिजली मिल नहीं रही है और आज के 6 महीने बाद जिसने बिजली के लिए एप्लिकेशन दे दी उसको बिजली मिल रही है। उसमें करप्शन भी होता होगा, उसमें लोगों के साथ पक्षपात भी होता होगा। इन सब चीजों को रोकने के लिए हमने व्यवस्था की है कि ज्यों ही किसी की एप्लिकेशन आये, एप्लिकेशन कम्पलीट इन आल सेंस हो, उसको पब्लिश करवा कर उसकी जानकारी पंचायत समिति में भेज दी जाय, उसकी जानकारी कलक्टर के पास भेज दी जाय। उसकी जानकारी पंचायत में भेज दी जाय। उसका उल्लंघन अगर कोई भी इंजीनियर या अधिकारी करेगा तो अपने आप दोषी सिद्ध होगा। लोगों को उनसे राहत मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आज मेरे सामने समस्या है। मैं अभी तक कुछ पूरी तरह से इस मामले पर अपना निर्णय ले सका हूं। सबसे बड़ी समस्या काश्तकार के सामने मीटर की आती है। मीटर खराब हो गया, मीटर का रिप्लेसमेंट नहीं होता है, नया कनेक्शन लेना चाहता है तो मीटर नहीं लगेगा, मीटर की मोनोपोली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने ले ली। वह मोनोपोली उनके हाथ में आ गई तो उनकी मरजी पर है जब चाहेगा मीटर मिलेगा, जब चाहेगा मीटर लगेगा, मीटर लग गया तो उसका रिप्लेसमेंट जब चाहेगा तब होगा। मैं अभी तो नहीं कह सकता लेकिन मैं इस बात का प्रयत्न कर रहा हूं कि आई. एस. आई. स्टेम्प लगी हुई, मार्क लगी हुई यदि कोई कम्पनियां मीटर्स बनाती हैं और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उनको एप्रूव करता है तो उन कम्पनियों से मीटर लेकर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि इससे काश्तकारों की बहुत बड़ी समस्या का समाधान होगा। अभी इस सम्बन्ध में सारे लोगों से राय ले रहा हूं, राय अभी तक तो इसी पक्ष की आई है। कल भी मेरे सामने इसी प्रकार का था कि मीटर्स यदि स्टेण्डर्ड के नहीं होंगे तो मीटर के कारण से काश्तकार को भी नुकसान

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

होगा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भी नुकसान होगा; इस प्रकार के मीटर्स नहीं होने चाहिये। सब की राय यह थी कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड जिस कम्पनी से मीटर खरीदता है, रिकग्नाइज्ड कम्पनियों से मीटर्स खरीदे जायं तो मैं समझता हूं कि किसी को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

श्री ईश्वरलाल सैनी : इस व्यवस्था में जितने भी बड़े-बड़े उद्योगपति हैं वह चला चला कर मीटर्स तोड़ देंगे और उनको आप मना नहीं कर सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये आप।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर 3 योजनाओं का जिक्र किया गया, 30 जिले और 30 काम, अपना काम, अपना गांव, भागीरथ योजना और गोपाल योजना। मैं इन योजनाओं का जिक्र करने से पहले सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि गम्भीरता से इस पर चिन्तन करें। हमने 40 वर्षों में विकास किया होगा लेकिन हमने अपनी नस्ल का विनाश किया है। हम जर्सी ओलनशीन यहां ले आये, हम आस्ट्रेलिया से मैरिनो वूल पैदा करने के लिए रेम्स ले आये, मेढ़े ले आये नतीजा क्या है? मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता कि पिछले 30 वर्षों में इन कामों पर कितना खर्च हुआ और कितने लोगों को फायदा हुआ। क्या नागौर की नस्ल का सुधार नहीं हो सकता, क्या जालौर की नस्ल का सुधार नहीं हो सकता, क्या थार पारकर में सुधार नहीं हो सकता, क्या राठी में सुधार नहीं हो सकता था? हमने उनमें सुधार करने की कोशिश नहीं की और विदेश से लाये। उसका नतीजा यह निकला कि हम अपनी नस्ल को भी सुधार नहीं पाये और विदेशी नस्ल में भी किसी प्रकार से कामयाब नहीं हुए। हम इस बात का विचार कर रहे हैं कि राजस्थान अपनी नस्ल को सुधारे। वह चाहे पशुओं की हो चाहे और किसी प्रकार की हो। (व्यवधान) मैं ऐसा समझता हूं....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : धौलपुर की नस्ल जरूर सुधरनी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं कि करौली में आपके जाने के पश्चात् कैसी नस्ल हुई होगी, भगवान ही जाने।

श्री केदारनाथ शर्मा : यह काम तो आप कैलाशजी को दे दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो दोनों को ही दे दूं, संभालो आप तो।

श्री चन्दनमल बैद : दोनों से ही सहानुभूति है, धौलपुर और करौली।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप दोनों अलग-अलग रह नहीं सकते। दोनों एक साथ रहो तो मैं घोषणा कर दूं आप जो चाहो सो करो, मुझे आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा था कि आज राजस्थान में जिस प्रकार का विकास हुआ है, उस लाइन से हटे हैं जिस लाइन से हम राजस्थान का विकास कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस दृष्टि से मैं यहां पर कहना चाहूंगा चार योजनाओं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

का जो नाम आया उन योजनाओं में गोपाल योजना, भागीरथ योजना, न तो मेरा नाम गोपाल है और न मेरा नाम भागीरथ है। न अपना नाम-अपना काम, 30 जिले 30 काम। यहां चर्चा यह की जाती है कि गोपाल योजना, भागीरथ योजना कहां आ गई। आज इन्दिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना, ये भगवान जाने कितनी योजनाएं बनी हैं। हमने तो उस समय आपत्ति नहीं की है। आज मैं भागीरथ का नाम लेता हूं तो आपको आपत्ति होती है। (व्यवधान)....आपको नहीं कह रहा हूं। गोपाल का नाम लेता हूं तो आपको आपत्ति है। अब इस प्रकार की योजनाओं में.... (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र सिंह : नाम से आपत्ति नहीं है। दोनों योजनायें बोगस हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको यह कहता हूं, श्री देवेन्द्रसिंह साहब, यह बोगस कहना तो बहुत आसान है, जरा मुझे सुन लीजिये। लेकिन हमने जो इस समय कृत्रिम गर्भाधान की योजना बनाकर गांवों में लागू की है। (व्यवधान) यह कृत्रिम गर्भाधान का काम आपका है?

श्री देवेन्द्र सिंह : यह तो पहले से ही लागू है। आपमें शक्ति ही नहीं है, आप क्या कृत्रिम गर्भाधान करायेंगे?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस काम में एक्सपर्ट होंगे। मैं आपको चुनौती नहीं देना चाहता हूं लेकिन हमने व्यवस्था की है। इस व्यवस्था के परिणाम निकले हैं, लाखों की संख्या में कृत्रिम गर्भाधान से हमें दुधारू जानवर पैदा हो, इस बात की कोशिश की है। इसको भी इन्कार करना चाहें तो मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन जो कुछ किया है वह ठीक किया है। आप अपना काम–अपना गांव योजना के बारे में भी बोल गये, आपने उसकी तरफ भी की। लेकिन मैं मानता हूं कि उसमें भी कुछ कमियां रह गई। कमियां यह रह गई.... (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र सिंह : योजना अच्छी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता रहा हूं कमियां रह गई हैं, उन कमियों को हम दुरूस्त कर रहे हैं। कमी यह रह गई कि हमने एक जगह 10 लाख रुपया खर्च करने का विचार किया और उस आधार पर सारा एस्टीमेट बनाया था 70 पर्सेन्ट सरकार का होगा और 30 पर्सेन्ट गांव का होगा और यह बात भी सही है कि गांवों में बड़ा उत्साह है। लोगों ने पैसे इकट्ठे कर लिए तो एक क्षेत्र में भी 10 लाख रुपये लग गये और 20 लाख रुपये इकट्ठे हो गये तो सरकार 20 लाख रुपये नहीं दे सकती। यह योजना के विपरीत जा रहा है।

श्री देवेन्द्र सिंह : 10 लाख की सीमा बांध रखी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सुनिये, हमने इसमें परिवर्तन करने का विचार किया है। अपना काम–अपना गांव योजना में जिले को यूनिट बनाया। जिले में जितना रुपया

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इकट्ठा होगा उस आधार पर जिन-जिन गांवों में रुपया इकट्ठा होगा उस आधार पर उनका वितरण किया जायेगा। इस समस्या का इस रूप में समाधान होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां एक प्रश्न और आया। (व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : नेता महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अपना गांव-अपना काम योजना है, इसमें आपने जो प्रोग्राम बनाया वह सराहनीय काम था और आपने जबसे इसमें चेंज किया है या ज्यादा सहयोग मांगा है तबसे इस प्रोग्राम को धक्का लगा है। आप चाहते हैं जिले का वह भी नहीं बैठेगा। जितने माननीय सदस्य हैं वे अपने क्षेत्र के अन्दर लोगों से सम्पर्क करके रुपया इकट्ठा करेंगे और यह प्रोग्राम बहुत बढ़िया चलेगा। आपके पास पैसा नहीं है वह एक अलग बात है, लेकिन जो अपना गांव-अपना काम योजना है वह श्रेष्ठ योजना है उसको वापस शुरू करायें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये हैं उस पर पहले विचार कर चुका हूं। आज समस्या ऐसी आ गई कि कुछ क्षेत्र में धनी-मानी लोग हैं। उन्होने पैसे इकट्ठे कर लिये और पैसे इकट्ठे करके यही इंतजाम किया कि हमारे गांव में इतना पैसा इकट्ठा हो गया और हमारे गांव में 70 प्रतिशत के हिसाब से सरकार दे। अब वह सत्तर प्रतिशत की राशि केवल कुछ ही क्षेत्रों में मैं सीमित कर देऊं तो पूरे राजस्थान का विकास हैपहेजर्ड हो जायेगा। और इस दृष्टि से आवश्यक था....

श्री रामसिंह विश्नोई : आपने एक गांव में एक ही तो काम लिया है। आपने एक गांव के अंदर एक लाख रुपये से ज्यादा काम नहीं लिया है। यह दस लाख का काम है वह पूरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जिसमें 100-200 गांव पड़ते हैं माननीय सदस्य के, उसके लिये हैं। और 200 गांवों में जो गांव के लोग चन्दा करते हैं वही तो काम जायेगा। एक गांव में थोड़े ही होगा। यह काम सारा ठीक काम है, अब आपके पास पैसे ही नहीं बचे हैं तो वह अलग बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसी प्रकार से तीस जिले तीस काम। चार पांच दिन पहले एक प्रश्न आया था कि तीस जिले और तीस काम के अन्दर रुपया पूरा खर्च नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद मैंने सारी पत्रावली को देखा और देखने के बाद इसका निर्धारण कि किस जिले में सड़कें बनेंगी, किस जिले में बिजली बनेगी, किस जिले में पीने के पानी का प्रबन्ध होगा, किस-किस जिले में क्या-क्या काम होगा इसके निर्धारण में ही बहुत विलम्ब होगा। अब यह निर्धारण सरकार नहीं कर सकती। हमने डी.आर.डी.ए. के थ्रू इसमें प्रपोजल लिये। उसमें एम. एल. एज्. मैम्बर हैं, मतैक्य नहीं हो सका, और उसके कारण से विलम्ब हुआ है। अब वह विलम्ब हुआ है, उसके कारण से पूरा खर्चा नहीं हुआ है,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं मानता हूं। लेकिन हमने व्यवस्था कर दी कि यह अपना पैसा लैप्स नहीं होगा, उसी जिले में जितना रुपया शेष रह गया तो आगे तो रुपया मिलेगा ही लेकिन यह शेष रही हुई राशि भी उनको मिलेगी यदि इस जिले के अन्दर खर्चा होगा। इसमें कोई बात नहीं होगी, उपाध्यक्ष महोदय।

कई बार जन प्रतिनिधि बड़े नाराज होते हैं और नाराज होकर यह कहते हैं कि सारे विकास के काम में हम तो निगरानी रखने वाले हैं। हम अपनी इच्छा से कोई काम नहीं करवा सकते। हम अपनी इच्छा से, गांव वालों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, कुछ कह नहीं सकते कि यहां पानी का प्रबन्ध होना चाहिए, यहां इस सड़क का टुकड़ा जुड़ना चाहिये, यहां स्कूल या दवाखाने का भवन बनना चाहिये। राज्य सरकार ने इस पर भी गम्भीरता से विचार किया है और विचार करने के बाद तीस जिले, तीस का वह निर्बन्ध योजना के अन्तर्गत दस लाख रुपये का काम विधायक अपनी मर्जी से करवा सकेगा अपने-अपने क्षेत्र में। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं कि विधायक अपने क्षेत्र में काम करना चाहे तो तीस जून के पहले पहले किस-किस गांव में क्या क्या काम करना है उसकी योजना कलक्टर को दे दे ताकि उसका तकनीकी एप्रूवल करवाकर उस योजना को लागू किया जा सके।

श्री राजेन्द्र गहलोत : शहरों के विषय में....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : शहर के लिए आपको पानी के लिए कितने रुपये दिये हैं और अब भी शहर शहर करो तो क्या दिक्कत है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह दस लाख रुपये का जो प्रावधान किया है इसके लिए तो आपको धन्यवाद और बधाई लेकिन क्या यह रुपया आप डी. आर. डी. ए. के अलावा देंगे? एक्सक्लूजिवली इसके लिए कोई बजट प्रावधान आपने अलग किया है या आपकी जो ओन गोइंग योजना है उसके अन्दर दस लाख रुपया दिया जायेगा, यह आप थोड़ा साफ कर दें। अन्यथा कलक्टर को इसकी बड़ी भ्रान्ति रहती है, जिलों के अन्दर आपके आदेश डी. ओ. तक नहीं पहुंच पाते हैं और उनकी क्रियान्विति भली प्रकार नहीं हो पाती।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपकी जानकारी के लिये, इस सम्बन्ध में जो हमने डिटेल्ड योजना बनाई है, वह मैं आपको दे दूंगा और उसके बाद में कोई कमी रहती है तो आप निश्चित रूप से बताएं, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, यहां शहर की बात की गई है, मैं यह नहीं चाहता कि गांवों के विधायक तो दस-दस लाख रुपये के काम करा दें और शहर के विधायक काम नहीं करा पाएं, यह व्यवस्था में शहर के लिए भी कर रहा हूं।

श्री नत्थी सिंह : जिस विधायक के शहर और गांव दोनों होंगे उसको डबल मिलेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब वह डिटेल में देख लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

करना है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना इस आधार पर चाहता हूं कि विकास के कामों में प्रत्यक्ष में हमारी भागीदारी बन जाये, प्रत्यक्ष में भागीदारी जब ही बनेगी जब व्यक्ति की च्वाइस को किसी प्रकार का कोई महत्व मिलेगा और उस च्वाइस को महत्व देने के लिए हमने इस प्रकार की सारी व्यवस्था की है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर शहर की समस्या है, जोधपुर की, अजमेर की और बीकानेर की भी है। बीकानेर शायद अल्सर एक्ट में नहीं आता है, (विराम) आता है, बीकानेर, कोटा सब आते हैं सिवाय उदयपुर के। पिछले वर्षों में जटिल समस्या खड़ी हो गई, ऐसी बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि पूर्व सरकार उसका समाधान नहीं कर पाई हालांकि समस्या उन्होंने पैदा की थी। जिस समय पैदा की थी उस समय पता नहीं था कि भूत की तरह से यह समस्या निकलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं कि पिछले दो वर्षों से लगातार मैं भी इस बात की कोशिश कर रहा था कि इस समस्या का समाधान हो जाये, समाधान करने की हमने कोशिश की है। काफी प्रतिशत हम उस समस्या का समाधान कर पाये हैं लेकिन जिस प्रकार का वातावरण देश में बन रहा है आप कोई भी निर्णय लेंगे उस निर्णय के पीछे उंगली उठाई जायेगी।

एक आदत पड़ गई है इस देश में। समस्या आज बेइमान को जिन्दा रहने की नहीं है। इस देश में सबसे बड़ी समस्या पैदा हो गई कि इमानदार किस प्रकार जिन्दा रहे और यह मैं समझता हूं कि देश का दुर्भाग्य है। मैं आज मानता हूं कि इस प्रकार के जितने भी काम्पलीकेटेड मैटर्स हैं, वे हैं तो हमारी सरकार के अधिकार में, लेकिन कोई उंगली नहीं उठाये, जनता में क्रेडिबिलिटी बनी रहे, जनता में यह विश्वास पैदा हो जाए कि इन्होंने अकेले निर्णय नहीं लिए, इस प्रकार की जितनी भी जटिल समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं एक समिति बनाऊंगा जिसमें कांग्रेस के भी सदस्य होंगे, विपक्ष के सदस्य भी होंगे और जो वह फैसला करेंगे राज्य सरकार को मन्जूर होगा। उपाध्यक्ष महोदय, आखिर समस्या है....

डा. चन्द्रभान : कांग्रेस रूलिंग पार्टी थोड़े ही है?

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप भी होंगे, सत्ता पक्ष भी होगा, मिली-जुली कमेटी होगी....

श्री उपाध्यक्ष : कहने का अर्थ सबका ही था।

डा. चन्द्रभान : आपने कहा है कांग्रेस और विपक्ष।

श्री उपाध्यक्ष : कभी-कभी भावना भी समझ जाया करो।

श्री भैरोंसिह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, अब इसमें कई समस्याएं और हैं कि किसी प्रकार से इन चीजों का समाधान हो।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यहां पर दो बातों का और उत्तर देना चाहूंगा। पहाडिया जी बोले, कुछ माननीय सदस्य और भी बोले कि नदी, पानी और बिजली के सम्बन्ध में जितने अन्तर्राष्ट्रीय विवाद हैं उन विवादों में कोई प्रगति नहीं हुई। बार-बार मेरे लिए यह कहा गया कि मैं विधानसभा में रोज बोलता था। यह सही है कि मैं विधान सभा में रोज बोलता था। जिस समय समझौते किए उस समय भी बोला, समझौते करने के पहले भी बोला, समझौते करने के बाद में भी बोला। मैं आज कह सकता हूं आपसे कि जो इस प्रकार के मैटर्स काम्पलीकेटेड हैं. गलती तो आप कर गए, आग तो आपने लगा दी, और मुझे कह रहे हैं कि आपने बुझाई नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने आग लगाई क्यों, अब आग लगाई तो आग लगाने की तो जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हम बुझा नहीं पा रहे हैं उसकी जिम्मेदारी लगा रहे हैं। आपने राजस्थान के हितों का बलिदान करने के लिए ऐसी अग्नि प्रजल्वित की है जिससे राजस्थान धू धू जल रहा है, आपकी आंखों के सामने जला। मैं आज गारण्टी से कह सकता हूं कि आज भारत सरकार किसी की भी हो, राजस्थान के हितों की अनदेखी नहीं करने देऊंगा और यदि अनदेखी की भारत सरकार यदि राजस्थान के हितों की अनदेखी करती, तो भारत सरकार के खिलाफ भी मोर्चा लेने में कोई संकोच नहीं होगा, मोर्चा लेऊंगा।

श्री चन्दनमल बैद : तलवार उठाऊंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तलवार तो जोशी जी ने उठा ली। मैं उठाना नहीं चाहता। जैसे दूल्हा तलवार उठाता है और पकड़ना भी नहीं जानता और चलाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि राजस्थान के हितों में हम आपस में सब मिलकर लड़ेंगे। कोई बी. जे. पी, जनता दल या जनता दल या जनता, कांग्रेस पार्टी का सवाल नहीं है। यहां पर बार-बार कहा गया है कि इसमें जनमत तैयार करना चाहिए। मैं आज आपको निवेदन करना चाहता हूं जनमत तैयार करने के लिए आप भी कोशिश करेंगे मैं भी कोशिश करूंगा। लेकिन मेरा विश्वास है कि माननीय नरसिंह राव जब तक प्रधान मंत्री हैं उस समय तक राजस्थान की समस्याओं का बिना संघर्ष के ही समाधान हो जाएगा। अब यह कांग्रेस पार्टी पर निर्भर करता है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, अब मुझे एक ही चिन्ता है। तिरूपति में कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हो रही है, अब वहां पर इकोनोमिक रिर्फाम्स को लेकर कांग्रेस उनकी कितनी खिचाई करेगी और उनको रहने देगी या नहीं रहने देगी इस प्रकार की यह घराबन्दी हो रही है कि जिस घराबन्दी हो रही है कि जिस घराबन्दी के के अन्दर लोग बड़ी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि किस तैयारी में इस प्रकार की व्यवस्था की जाए। मैं तो पहाड़िया जी से निवेदन करना चाहूंगा खास तौर से, बाकी के लोग इसे इतनी गम्भीरता से नहीं लेते और न उन लोगों का प्रभाव

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है। आप आल इण्डिया वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, यह तो बहुत कोशिश कर रहे हैं लैगन्पुलिंग करने की लेकिन लैगन्पुलिंग आपसे नहीं होगी, आप सक्षम हैं। ऐसी स्थिति में मैं आपको सारे कागज, जितने भी भारत सरकार और मेरे बीच में या पंजाब सरकार और मेरे बीच में चल रहे हैं, उन कागजों की प्रतियां देता और मुझे विश्वास है कि आप लोकसभा और विधान सभा में तो नही उठा सकेंगे लेकिन कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में राजस्थान के मामले को उठा कर यह कहेंगे कि राजस्थान के साथ अन्याय हो रहा है। राजस्थान को संरक्षण दिया जाये और राजस्थान को बचाया जाये। उस दिन, पहाड़ियाजी, जब अखबारों में,आपका नाम छपेगा कि जगन्नाथ पहाड़िया ने वहां युद्ध किया है, नरसिंहराव से युद्ध किया है, कांग्रेस पार्टी से युद्ध किया है, राजस्थान के हितों के लिये बिगुल बजा दिया, उस दिन आपके साथ चन्दनमल जी हों या नहीं हो, भैरोंसिंह आपके साथ होगा, आपको चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं। पूरा राजस्थान आपके साथ में होगा, कर लीजिए हिम्मत। आपको याद होगा आपने इसी सदन में एक बार यहां बैठे हुये कहा था कि नाथपा झाकड़ी के मामले में मैं राजस्थान में ईंट से ईंट बजा देऊंगा और यह भी आपने कहा था कि मामूली चट्टान मैं नहीं हूं, जो चट्टान टूट जाये बिखर जाये। मैं फौलादी हूं मैं फौलाद हूं मुझे न कोई झुका सकता है न मार सकता है। पहाड़ियाजी, मैं जानता हूं अगर आपने निश्चय कर लिया तो आप फौलाद के रूप में ही साबित होंगे और इस समस्या का समाधान कराने की कोशिश करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं यहां पंचायत के चुनावों के चुनावों के सम्बन्ध में चर्चा हुई। कई माननीय सदस्य ऐसा कह गये कि मैंने पंचायत को भंग करके लोकतन्त्र की हत्या कर दी (व्यवधान) आप वाली पंचायत को तो भंग करने का मुझे अधिकार है। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय सदन में मैंने उस दिन भी बात रखी थी कि हमने डीलिमिटेशन कराना आवश्यक क्यों समझा। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। डीलिमिटेशन आवश्यकता था और डीलिमिटेशन की व्यवस्था हमने की। मैंयह मानता हूं कि पंचायतों का आकार छोटा होना चाहिए। जब तक पंचायतों का आकार छोटा नहीं होगा ग्रामीण पूरा नहीं होगा मैं यह भी मानता हूं कि पंचायतों के अधिकार, जो केवल सरपंच और पंचायत में चले गये, अधिकार ग्राम सभा के रुप में जाने चाहिए। मैं यह भी मानता हूं कि पंचायत में जब इस प्रकार की व्यवस्था होगी तो उसके खर्चे की भी व्यवस्था करनी चाहिए। यह पहली सरकार है जिसने 50 हजार रुपये तक काम पंचायतें बनेगी उनको खर्च करने का स्वतन्त्र रूप से हमने अधिकार दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो जमीन के कन्वर्सन से आय आयेगी वह 50 प्रतिशत आय पंचायतों के खातों में जमा होगी, वह राज्य सरकार नहीं लेगी। आज उस बात को लेकर बार-बार यह कहना कि लोकतन्त्र की हत्या कर दी। जैसे हम तो केवल लोकतन्त्र की

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हत्या ही करना जानते हैं और केवल आप ही लोकतन्त्र को पनपाना जानते हैं। 13 वर्षों तक आपने पंचायतों के चुनाव नहीं कराये, क्या आपने लोकतन्त्र की हत्या की थी ? नगरपालिकाओं के 16-16 वर्षों तक आपने चुनाव नहीं कराये, क्या लोकतन्त्र की आपने हत्या की थी ? मैं समझता हूं यदि हत्या का आरोप लगायें तो मुझे उस आरोप को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं सत्ता जनता के ग्रामीण और गरीब क्षेत्र के हाथ में देना चाहता हूं। गरीब के हाथ में देना चाहता हूं और दो तीन महीने उसके लिये पंचायत नहीं बने उसकी चिन्ता नहीं करता मैं एक व्यवस्था भी कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उस समय सदन में कहा था कि यदि आप लोग चाहें तो कलक्टर की रिपोर्ट के ऊपर मैं चुनाव करवा दूं। उस समय कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि करवा दीजिए, लेकिन कुछ जिम्मेदार माननीय सदस्यों ने कहा कि नहीं, यह उचित नहीं होगा। मैंने विपक्ष को विश्वास में लिया और विश्वास में लेने के बाद इस नतीजे पर पहुचा, जो इस महीने पूरा हो गया। इस महीने तक आब्जेक्शन्स आ गये, उन आब्जेक्शन्स को लेकर अलग-अलग किस-प्रकार की व्यवस्था की जाये कि आब्जेक्शन्स का जल्दी से जल्दी निपटारा हो जाये। मैं कोशिश यह करूंगा, कोई मेरी जुबान पकड़ कर न बैठ जाये, लेकिन मैंने जो अपना प्रोग्राम बनाया है, उस प्रोग्राम के आधार पर यदि सब चीजें ठीक प्रकार से चलती रही, मेरे तो 15 जुलाई के पहले पंचायतों के चुनाव पूरे करवा दूंगा, पंचायत समिति के चुनाव करवा दूंगा और जिला परिषदों के चुनाव करवा दूंगा। लोकतन्त्र की हत्या नहीं होगी। लोकतन्त्र विकसित रूप में और मजबूत रूप में राजस्थान में आयेगा और राजस्थान के विकास की बात करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर कई प्रकार की चर्चायें की गई। पशुओं के बारे में भी चर्चा की गई। औषधालय, स्कूल और कालेजेज के बारे में भी चर्चा की गई। मेरे पास सब कुछ कहने को है, लेकिन मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। मैं सदन के प्रति एक आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह आभार इस बात का व्यक्त करना चाहता हूं कि पहली बार इस विधान सभा में, 40 वर्ष से मैं भी बैठा हूं, कई माननीय सदस्य 40 वर्ष से बैठे हैं, इस बार जितने 295 के नोटिस आये वह एक नया कीर्तिमान राजस्थान की विधान सभा में कायम हुआ। कितने काल अटेन्शन नाटिसेज के ऊपर इस हाउस में चर्चा हुई, है उसका भी एक नया रिकार्ड कायम हुआ है। जितना समय यहां पर सदन में चर्चा हुई है अलग-अलग विषयों पर विशेष समय आवंटन के आधार पर वह भी राजस्थान में एक रिकार्ड कायम हुआ है। इसके लिए मैं विपक्ष का भी आभारी हूं कि उन्होंने सदन की गरिमा को रख कर हिन्दुस्तान में राजस्थान की विधान सभा का एक रिकार्ड कायम किया है। उसके लिये मैं ज्यादा क्रेडिट विपक्ष को देना चाहता हूं जब कि अन्य स्थानों

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पर कहीं किस प्रकार की गड़बड़ हो रही है कहीं किस प्रकार की गड़बड़ हो रही है।

अन्त में एक बात कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा, और वह बात है भ्रष्टाचार की। बार-बार लोग कहते हैं कि भैरोंसिह ने यह घोषणा की थी कि भ्रष्टाचार को नाक में से निकाल देऊंगा, मुंह में से निकाल दूंगा, और पूनमचन्द जी विश्नोई तो यह कहते हैं कि आप यहां बैठे-बैठे आग लगाते हैं। वह बात सही है, आग नहीं लगाता, भ्रष्टाचार के मामले उजागर करता हूं। अब यहां पर माननीय सदस्यों ने जितने भी मामले उठाये हैं वह मामले मेरी सरकार के वक्त के नहीं हैं वह सब पुरानी सरकार के वक्त के हैं। अब उन मामलों में कानूनी कार्यवाही होगी। पहाड़ियाजी यहां तक कह गये कि मैंने एक आई. ए. एस. आफीसर की जो गिरफ्तारी की उसमें मेरे दिमाग में शिड्यूल्ड कास्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब के खिलाफ की भावना थी। मैं समझता हूं आपको कहने के पहले तीन बार सोचना चाहिए। इस प्रकार की भावना की अभिव्यक्ति से ही....

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैंने व्यक्तिगत आप पर किसी तरह का आरोप नहीं लगाया। मैंने भावना की अभिव्यक्ति की जो हम लोगों की थी।

श्री भैरोंसिह शेखावत : नुकसान होता है। आप क्या समझते हैं कि मैं इतना घटिया किस्म का आदमी हूं जो भ्रष्टाचार के मामले में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के आदमी को चुनता। अगर मैं इतना घटिया हूं तो मुख्य मंत्री बनने लायक नहीं हूं और मैं आपको इतना विश्वास से कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार के मामले में न जाति का प्रश्न आता है, न धर्म का प्रश्न आता है, न परिवार का प्रश्न आता है। कानून और प्रक्रिया बनी हुई है, उस कानून की प्रक्रिया से मैं बाहर निकलता हूं तो मुझे परेशानी होती है। हाई कोर्ट से स्टे आ जाता है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि 1991 में, मैं आंकड़े देकर आपका समय नहीं लेना चाहता लेकिन, एस. बी. आई ने जो एचीवमेंट किये हैं, पिछले कई वर्षों में वह एचीवमेंट नहीं हुये हैं। कई ट्रेप केसेज हुये, बड़े-बड़े अधिकारियों का चालान किया गया कई लोगों को सस्पेण्ड किया गया इन सब मामलों का एक रिकार्ड कायम हुआ।

अब आप बार-बार कहते हैं कि भ्रष्टाचार खतम नहीं हुआ। तो चालीस सालों में आपने भ्रष्टाचार फैलाया, मैं दो वर्ष में खतम कर देऊंगा कोई मेरे पास कारखाना है, जिस कारखाने के अन्दर किसी को दिया और सफाया होकर निकल गया। आखिर कानून की पाबन्दियां हैं, कानून की परिस्थितियां हैं। मैं इस सदन को इतना ही विश्वास दे सकता हूं कि कोई बड़े से बड़ा आफिसर, चाहे कोई आई. ए. एस. हो चाहे आई. पी. एस. हो, मुझे रत्तीभर संकोच नहीं होगा। लेकिन संकोच मुझे इस बात का हो रहा है कि बड़े सीनियर आफिसर्स आई. ए. एस. और आई. पी. एस. के खिलाफ एक्शन लेने के लिये भारत सरकार की अनुमति लेनी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

होती है। मैं कई बार यह कह चुका हूं। प्रधान मंत्रीजी को मैंने पत्र लिखा और पत्र लिख कर कहा कि देश में अगर आप करप्शन खतम करना चाहते हैं तो यह जो प्रक्रिया है कि करप्शन के मामले में साबित होने के बाद भी भारत सरकार की अनुमति ली जाये, इस प्रक्रिया को बन्द करिये। यह प्रक्रिया जब तक रहेगी, हिन्दुस्तान में करप्शन बन्द नहीं होगा। और इस आधार पर, पहाड़ियाजी, मैं आपसे और कांग्रेस पार्टी से सहयोग लेना चाहूंगा मैंने प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा है उसकी प्रति में आपको देऊंगा, आप भी एक डेपूटेशन लेकर प्रधान मंत्रीजी से मिलें और मिल कर कहें। अब मैं आज आई. ए. एस. आफिसर को छोड़ देऊं और एक पटवारी के और पंचायत समिति के एक क्लर्क के पीछे पड़ जाऊं या एक पुलिस के सिपाही के पीछे पड़ जाऊं या एक चपरासी के पीछे पड़ जाऊं. वह चपरासी जब मुंह पर कहता है बड़े-बड़े आफिसर्स के खिलाफ आप कार्यवाही नहीं कर सकते और चपरासी के पेट पर लात मारने आ गये, तो मैं भी इन्सान हूं। मैं कोशिश इस बात की कर रहा हूं कि जितने भी बड़े अधिकारियों के खिलाफ करप्शन के मामले आये उन मामलों का अनुसंधान हुआ, अनुसंधान के आधार पर मैं कार्यवाही कर सकूं, किसी के साथ कोई रिलक्सेशन नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है। बिना पैसा कुछ होता ही नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करनाचाहता हूं कि किसी माननीय सदस्य को मेरे से मिलने में कोई संकोच नहीं है। बिना समय किसी भी रूप में मिल सकते हैं। मिलने के बाद मुझे तो एक-दो सदस्यों ने कहा है। मैंने उसकी इन्क्वायरी कराई है, बाकी के मामले भी इंक्वायरी में चल रहे हैं। वहां तो कुछ कहते नहीं। मैं नहीं सुनता तो लोकायुक्त को कह सकते हैं, मैं नहीं सुनता तो आप एस. बी. आई. को जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। वहां तो आपकी तरफ से एक रिपोर्ट नहीं है और हाउस में यह कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मैं आज आपको निवेदन करना चाहता हूं, आप सबको चुनौती देकर कहना चाहता हूं कि आप 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में जितनी आप अवधि लें, जितना समय लें और भ्रष्टाचार के मामले जितने आपकी जानकारी में हैं, वो मुझे दें और मैं आपके साथ बैठकर उन भ्रष्ट-अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही इनिशियट करने की बात करूंगा। कृपा कर हम इस देश में ऐसा वातावरण नहीं बनायें जिससे समस्या पैदा हो।

मैं इन्ही शब्दों के साथ....

श्री चन्दनमल बैद : मुख्य मंत्रीजी, आप भ्रष्टाचार के बारे में बहुत जोरदार भाषण दे गये। बी. जे. पी. की एक रसीद जो एक लाख एक हजार रुपये की हमने पेश की थी, उस भ्रष्टाचार के लिए आपको प्रधान मंत्री जी से अनुमति लेनी पड़ेगी क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे कोई परमीशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

वो मामला पूर्णत: बेबुनियाद है, जान बूझकर फंसाने की कोशिश की गई है। अब यदि आप....

श्री चन्दनमल बैद : श्रीमती विद्या पाठक जी ने स्वीकार किया है कि उस पर बी. जे. पी. के अध्यक्ष के दस्तखत हैं। उनकी बेटी के दस्तखत हैं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चन्दनमल जी, मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की रसीद प्रकरण में नहीं जायं। (व्यवधान) आप सुन तो लो।

श्री चन्दनमल बैद : भ्रष्टाचार की शिकायत करें और स्वीकार करने वाली बात ही नहीं करें....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुन तो लो। जिन लोगों ने जिस प्रकार से जालसाजी करके रसीदें बनाई हैं, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। (व्यवधान) मेरी सुन लीजिये। अगर इस प्रकार की रसीदों के आधार पर आप एक्शन लेने की बात करेंगे तो बहुत लोग रसीदें बना सकते हैं। लेकिन फिर भी आपमें इतनी शंका है जितनी भी पत्रावली मेरे पास है, मैं पत्रावली आपको दिखा दूंगा, आप खुद कन्विन्स हो जायेंगे कि इसमें कुछ नहीं है। मैं कोई चीज छिपाना नहीं चाहता। मंत्री करे चाहे कोई अधिकारी करे, छिपाने की मेरी कोशिश नहीं होगी।

अंत में मैं तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस बार जिस प्रकार से विधान सभा चली है, हमने एक नया कीर्तिमान कायम किया है। मैं ऐसा समझता हूं कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों मिलकर राजस्थान की विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए एक उदाहरण पेश करें, यदि कोई समस्या आती है तो, जैसे चन्दनमल जी ने कहा था शुरू के बजट स्पीच में, कि यदि यह आपस में मिलकर कुछ व्यवस्था कर सकेंगे तो उस व्यवस्था का लाभ होगा। मैं हर क्षेत्र में, हर स्तर के ऊपर, आपस में कंसल्टेशन कर राजस्थान को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाय, राजस्थान में व्याप्त बुराइयों को किस प्रकार कम किया जाय, आप लोगों की सलाह के आधार पर काम करने को तैयार हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करते हुए निवेदन करना चाहता हूं विनियोग विधेयक को पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 1992 पारित किया गया। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : इन्होंने पास करने का प्रस्ताव ही नहीं किया और आप पास करा रहे हैं। पास करने का प्रस्ताव कहां किया उन्होंने ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव करना पड़ेगा।

श्री चन्दनमल बैद : प्रस्ताव ही नहीं आया, उसके पहले ही पास करा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय ? (व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ आर्डर। मेरा पाइंट ऑफ आर्डर यह है....

श्री हेतराम बेनीवाल : आपने जो यह कहा कि इस विधेयक को विचारार्थ लिया जाय। विचारार्थ तो हम ले चुके 26 तारीख को ही।

श्री उपाध्यक्ष : नां नां, वह तो विचारार्थ प्रस्तुत किया था। विचारार्थ तो अब लिया गया है। वो सुबह देख लिया था।

आप क्या कह रहे हैं ?

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि इस विधेयक को विचारार्थ पहले ही ले लिया गया। आपने दुबारा विचारार्थ लेने का काम किया है।

श्री उपाध्यक्ष : ना ना, प्रस्तुत किया गया है। ना ना, विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। विचारार्थ तो अब लिया गया है। ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप प्रोसीडिंग्स उठा कर देखिये। (व्यवधान) पहले ही विचारार्थ ले लिया था।

श्री उपाध्यक्ष : विचारार्थ लेने की अनुमति मांगी थी। वो देख लिया गया है। सुबह इस विषय में गम्भीरता से देख लिया गया है। देखने के बाद में ही ऐसा लाया गया है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष जी, इसके ऊपर तो विचार हो चुका। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं एक बार और पूछ लेता हूं। प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 1992 पारित किया गया। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : "Noes" have it. (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। मैं बार-बार एक त्रुटि की ओर आसन का ध्यान आकर्षित करता रहा हूं कि आप जब ये प्रश्न पूछते हैं उसमें मतदान के लिए, तो कृपया पहले एक दफा कहें कि "हां पक्ष जीता" या "ना पक्ष जीता"। फिर

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

ठहरिएगा। अगर हमारी तरफ से एतराज होता है, तो आपको डिवीजन, या जैसा हम मांग करें, वह करें। आप तो एक बार में ही "हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता" बोल जाते हो।

श्री भैरोंसिह शेखावत : जैसा वो कहें वैसा कर लो।

श्री उपाध्यक्ष : वैसा कर लेता हूं।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : यह हमेशा त्रुटि होती है।

श्री उपाध्यक्ष : ना ना, त्रुटि नहीं कर रहा हूं। मैं वापस पूछ लेता हूं।

श्री पूनम चन्द विश्नोई : सदैव ही यह त्रुटि होती है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या–2) विधेयक 1992 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

अनेक माननीय सदस्य : हां पक्ष जीता ना पक्ष जीता, ना पक्ष जीता। Noes have it. (व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : वोट करा दो।

(मत विभाजन घंटी)

(मत विभाजन की घण्टी के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या–2) विधेयक 1992 को पारित किया जाय ? (व्यवधान)

दुबारा कह देता हूं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय ? (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : इसको तो ऐसे ही मान लो।

श्री उपाध्यक्ष : मैं अनेक रिपीट करता हूं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 1992 पारित किया गया।

सदन की कार्यवाही कल, दिनांक 31 मार्च, 1992 की प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6.30 बजे मंगलवार दिनांक 31 मार्च, 1992 के म.पू. 11.00 बजे के लिए स्थगित की गयी)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 392 की सूची

वर्ष 1990–91 में नवीन स्वीकृत आयुर्वेद औषधालयों की जिलेवार सूची

क्र.सं. 1	नाम स्थान 2	पंचायत समिति/तहसील 3	जिला 4
1.	केकड़ी	केकड़ी	अजमेर
2.	अरावादुधावतान	बालोतरा	बाड़मेर
3.	घाटे की नाल	घाटोल	बांसवाडा
4.	सुवाला	बागीडोरा	बांसवाडा
5.	कैर	बयाना	भरतपुर
6.	कोचरिया	माण्डल	भीलवाड़ा
7.	कापरेन	केशोरायपाटन	बून्दी
8.	मेणासर	रतनगढ़	चूरू
9.	राश्मी	राश्मी	चित्तौडगढ़
10.	डब्ली	सीमलवाड़ा	डूंगरपुर
11.	दुबेपुरा	धौलपुर	धौलपुर
12.	बाकरारोड	जालौर	जालौर
13.	बडली	जोधपुर	जोधपुर
14.	चरडाना	अटरू	बांरा
15.	अयानी	इटावा	कोटा
16.	हरसौर	डेगाना	नागौर
17.	चाचोडी	रानी	पाली
18.	फाजिलावाद	हिण्डौन	सवाईमाधोपुर
19.	निवाई	निवाई	टौंक
20.	काया	गिरवा	उदयपुर

वर्ष 1990–91 में अनुपस्थित रहे अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण

विवरण	कुल				ग्रामीण				शहरी			
	कुल	चिकित्सक	नर्स/ कम्पाउण्डर	परिचारक	कुल	चिकित्सक	नर्स/ कम्पाउण्डर	परिचारक	कुल	चिकित्सक	नर्स/ कम्पाउण्डर	परि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
दण्डित किये गये	7	5	2	–	7	5	2	–	–	–	–	–
चेतावनी दी गई	8	7	1	–	5	5	–	–	3	2	1	–
दण्डित	15	12	3	–	12	10	2	–	3	2	1	–
कार्यवाही चल रही हैं												
प्राथमिक जांच	11	8	3	–	9	7	2	–	3	2	1	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
स्पष्टीकरण	66	44	21	1	58	38	19	1	8	6	2	–
लघु दण्ड हेतु नियम 17 में	7	6	1	–	6	5	1	–	–	–	–	–
वृहद दण्ड हेतु नियम 16 में	3	2	1	–	3	2	1	–	–	–	–	–
	87	60	26	1	76	52	23	1	12	8	3	–
कुल योग :	102	72	29	1	88	62	25	1	14	10	4	–

परिशिष्ट–2

अतारांकित प्रश्न संख्या 666 की सूची

प्रश्न के भाग (1) की सूची

क्र.सं.	नाम विद्यालय	स्वीकृत I	स्वीकृत II	स्वीकृत IIII	कार्यरत I	कार्यरत II	कार्यरत III	रिक्त I	रिक्त II	रिक्त III
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	रा.सी.उ.मा.वि., टोडाभीम	14	16	3	12	16	3	2	—	—
2.	,, ,, नावीती	8	6	5	8	6	5	—	—	—
3.	,, ,, नांगल पहाड़ी	13	3	7	5	9	7	8	—	—
4.	,, ,, गुडाचन्द्रजी	11	5	8	7	4	8	4	1	—
	योग :	46	36	23	32	35	23	14	1	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	रा.मा.वि., भूडिया	—	7	7	—	6	7	—	1	—
6.	,, बालघाट	—	6	4	—	6	4	—	—	—
7.	,, करीरी	—	7	1	—	7	—	—	—	1
8.	,, नांगल लाट	—	5	—	—	5	—	—	—	—
9.	,, महसवा	—	5	4	—	5	4	—	—	—
10.	,, मनकपुरा	—	6	6	—	6	6	—	—	—
11.	,, पदमपुरा	—	6	6	—	6	6	—	—	—
12.	,, मोरड़ा	—	5	7	—	5	7	—	—	—
13.	,, भोपुर बहादुरपुर	—	6	1	—	6	1	—	—	—
14.	,, कमालपुरा	—	6	2	—	6	2	—	—	—
15.	,, महमदपुरा	—	7	6	—	7	6	—	—	—
16.	,, रानौली	—	5	—	—	5	—	—	—	—
17.	,, लयावली	—	5	—	—	5	—	—	—	—
18.	,, शेखपुरा	—	5	—	—	5	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	रा.मा.वि., मोहनपुरा	—	5	—	—	5	—	—	—	—
20.	,, कैमला	—	5	4	—	5	4	—	—	—
21.	,, कैमरी	—	5	4	—	5	4	—	—	—
22.	,, बरदाला	—	5	—	—	5	—	—	—	—
23.	,, बामौर	—	6	—	—	6	—	—	—	—
24.	,, कुन्जैला	—	6	—	—	6	—	—	—	—
25.	बा.मा.वि., टोडाभीम	—	5	2	—	5	2	—	—	—
26.	,, नादोती	—	6	2	—	6	2	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	रा.उ.प्रा.वि., शहराखर	—	1	8	—	1	8	—	—	—
2.	,, माचड़ी	—	1	6	—	1	6	—	—	—
3.	,, गोरुढा	—	1	4	—	1	4	—	—	—
4.	,, कंजोली	—	1	8	—	1	8	—	—	—
5.	,, पाटोली	—	1	7	—	1	7	—	—	—
6.	,, पहाड़ी	—	1	4	—	1	4	—	—	—
7.	,, कोहरा	—	1	5	—	1	5	—	—	—
8.	,, मांम्रोज	—	1	5	—	1	5	—	—	—
9.	,, पाडला	—	2	8	—	2	8	—	—	—
10.	,, सांकरवाड़ा	—	1	6	—	1	6	—	—	—
11.	,, खेड़ी	—	1	7	—	1	7	—	—	—
12.	,, किरवाड़ा	—	1	5	—	1	5	—	—	—
13.	,, निसुरा	—	1	9	—	1	9	—	—	—
14.	,, मातासुला	—	1	3	—	1	3	—	—	—
15.	,, भैंसा	—	1	3	—	1	3	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	रा.उ.प्रा.वि., लुहारखेड़ा	—	1	3	—	1	3	—	—	—
17.	,, नं. 1 टोडाभीम	—	1	16	—	1	16	—	—	—
18.	,, नं. 2 टोडाभीम	—	1	15	—	1	15	—	—	—
19.	,, नं. 3 टोडाभीम	—	1	3	—	1	3	—	—	—
20.	,, आंधियाखेड़ा	—	1	5	—	1	5	—	—	—
21.	,, भीलापाडा	—	1	5	—	1	5	—	—	—
22.	,, चिरावडा	—	1	4	—	1	4	—	—	—
23.	,, दलपुरा	—	1	5	—	1	5	—	—	—
24.	,, डहरिया	—	1	8	—	1	8	—	—	—
25.	,, जीतकीपुरा	—	1	5	—	1	5	—	—	—
26.	,, केमा	—	1	7	—	1	7	—	—	—
27.	,, ल्हावदा	—	1	10	—	1	10	—	—	—
28.	,, मुहाना	—	1	7	—	1	7	—	—	—
29.	,, राजपुर	—	1	5	—	1	5	—	—	—
30.	,, राजाखेड़ा	—	1	6	—	1	6	—	—	—
31.	,, रायसना	—	1	4	—	1	4	—	—	—

198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	,, रोसी	—	1	5	—	1	5	—	—	—
33.	,, स्लावदा	—	1	6	—	1	6	—	—	—
34.	,, तेस्गांव	—	1	7	—	1	7	—	—	—
35.	,, सिमावा	—	1	10	—	1	10	—	—	—
36.	,, पाल	—	1	4	—	1	4	—	—	—
37.	,, मोपुर	—	1	3	—	1	3	—	—	—
38.	,, तालचिड़ा	—	1	6	—	1	6	—	—	—
39.	,, खिरखिडी	—	1	6	—	1	6	—	—	—
40.	,, भजेड़ा	—	1	10	—	1	10	—	—	—
41.	बा.उ.प्रा.वि., गुडाचन्द्रजी	—	1	8	—	1	8	—	—	—
42.	,, भाडीसा	—	1	3	—	1	3	—	—	—
43.	,, गुडली	—	1	3	—	1	2	—	—	—
44.	,, गढ़मोरा	—	1	4	—	1	3	—	—	—
	योग :—	—	45	260	—	45	259	—	—	—

परिशिष्ट-3

समयाभाव के कारण सदन में न लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड

668. **श्री शिवजीराम** (जहाजपुर) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बोर्ड का गठन पूर्ण रूप से नहीं होने एवं अध्यक्ष नहीं होने के कारण राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के नीतिगत निर्णय एवं महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय नहीं लिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो यह स्थिति कब से बनी हुई है ?

(2) क्या राज्य सरकार बोर्ड के गठन एवं अध्यक्ष की नियुक्ति का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि बोर्ड में अध्यक्ष का पद रिक्त होने के पश्चात् भी अध्यक्ष की कार का उपयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो वित्त वर्ष 1991-92 में 31-1-92 तक ईंधन एवं रख-रखाव पर कितनी राशि व्यय की जा चुकी है एवं किस-किस अधिकारी द्वारा इस कार से यात्रा की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के भूतपूर्व सचिव श्री बी. डी. पुरोहित द्वारा एक भोज का आयोजन रखा गया था ? यदि हां, तो यह भोज किस होटल में आयोजित हुआ इसमें कितने व्यक्ति शामिल हुए एवं कितनी राशि व्यय हुई ?

(5) क्या राज्य सरकार इस व्यय को अनुचित मानती है ? यदि हां, तो क्या सरकार सम्बन्धित अधिकारी से वसूली का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) खादी बोर्ड में कोई भी गैर सरकारी सदस्य 23-12-88 से तथा अध्यक्ष 30-3-90 से मनोनीत नहीं है। बोर्ड द्वारा विकास व रोजगार के कार्य सुचारू रूप से चलाये जा रहे हैं। विकास से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेने में कोई कठिनाई नहीं है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। वित्तीय वर्ष 1991-92 में 31-1-92 तक अध्यक्ष की कार के ईंधन पर रु. 19,664.17 तथा इसके रख-रखाव पर रु. 2,101.68 व्यय हुआ है। जिन अधिकारियों ने राज्य हित में राज्य कार्य से यात्रा की है उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। परिशिष्ट "ए"

(खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री)

(4) खादी बोर्ड द्वारा श्री पुरोहित के कार्यकाल में जो भोज दिये गये उनका विवरण परिशिष्ट "बी" पर संलग्न है।

(5) खादी बोर्ड द्वारा जो भोज दिये गये वे खादी ग्रामोद्योग के विकास से सम्बन्धित चर्चाओं में भाग लेने बाहर से आये हुए आगन्तुकों को दिये गये। ये शिष्ठता व कार्य की प्रक्रिया के अनुरूप है।

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

पंचायत समितियों में स्थापित ग्राम सेवकों के पद

669. श्री मनीराम सियाग (लूणकरणसर) : क्या पंचायत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) समस्त पंचायत समितियों में कुल कितने ग्राम सेवकों के पद स्थापित किये हुए हैं? क्या पंचायतों की संख्या के अनुरूप नियुक्तियां दी गई है?

(2) क्या जे. आर. वाई. योजना के अन्तर्गत लगाये गये ग्राम सेवकों को जे. आर. वाई. योजना के अन्तर्नत पद समाप्त कर देने से उनको पंचायत समितियों में पहले स्थापित पदों पर एडजस्ट जिला परिषदों द्वारा कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में समस्त पंचायत समितियों में 3945 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 4284 ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव कार्यरत हैं। पंचायतों की संख्या 7365 है। अतः अधिकांशतः दो या कहीं-कहीं पर दो से अधिक पंचायतों के लिए एक ही ग्राम सेवक पदस्थापित है।

(2) जी हां।

जैतारण (पाली) का लाइम स्टोन क्षेत्र

670. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले के जैतारण विधान सभा क्षेत्र के ग्राम डिगरणा, निम्बोल, सिणला, सेवरिया, बैंडकला के आस-पास लाइम स्टोन का कुल क्षेत्र कितना है?

(2) उक्त क्षेत्र में कुल कितने अनुज्ञाधारी हैं? उनके नाम एवं क्षेत्रफल सहित सूची कृपया सदन की मेज पर रखें।

(3) ऐसा कितना क्षेत्र अभी तक रिक्त पड़ा है, जो खनिज विभाग के अधीन है?

(4) इस रिक्त क्षेत्र के लिए किन-किन व्यक्तियों के नाम से कितनी-कितनी दरख्वास्तें विचाराधीन है और उनके द्वारा कुल कितने क्षेत्र की मांग की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले के जैतारण विधान सभा क्षेत्र ग्राम–डिगरना, निम्बोल, सिणला, सेवरिया, बैंडकला के आस-पास लाइम

(खनिज राज्य मंत्री)

स्टोन का कुल लगभग 106 वर्ग कि. मी. क्षेत्र है।

(2) उक्त क्षेत्र में केवल एक पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्रधारी (अनुज्ञाधारी) है, जो मैसर्स माहेश्वरी सीमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में खनिज लाइमस्टोन हेतु निकट ग्राम–सिनला में 261.035 हैक्टेयर क्षेत्र के लिये स्वीकृत है।

(3) उक्त क्षेत्र में करीब 75 वर्ग कि. मी. क्षेत्र खनिज लाइम स्टोन हेतु रिक्त है। विभाग के अधीन कोई क्षेत्र नहीं है, बल्कि क्षेत्र में उपलब्ध खनिजों पर विभाग का स्वामित्व है।

(4) तहसील जैतारण में कुल 71 आवेदन-पत्र अप्रधान खनिज के तथा 5 आवेदन-पत्र प्रधान खनिज के विचाराधीन है, सूची सलग्न है। जिसमें कुल 2599 हैक्टेयर्स की मांग की गयी है, सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

सरकारी मुकदमों की पैरवी हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लोक अभियोजक

671. **श्री हेतराम बेनीवाल** (संगरिया) : क्या विधि एवं न्याय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य की विभिन्न अदालतों में विभिन्न स्तरों पर सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए कितने वकील सरकार ने नियुक्त किये हुए हैं ?

(2) इन नियुक्तियों में सरकार क्या मानदण्ड अपनाती है ?

(3) क्या सरकार उपरोक्त नियुक्तियों में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों और पिछड़े वर्ग के वकीलों के लिए स्थान सुरक्षित रखती है ?

(4) राज्य में वर्ष 1990-91 के वर्षों में पैरवी करने के लिए नियुक्त किये गये वकीलों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के वकीलों की संख्या जिलेवार कितनी-कितनी है ?

(5) राज्य के विभिन्न जिलों में अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों पर होने वाले अत्याचारों को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार उपरोक्त नियुक्तियों में इस वर्ग के वकीलों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है।

उत्तर

(1) राजस्थान सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय दिल्ली, राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर खण्डपीठ व सैशन न्यायालय/अपर सैशन न्यायालय व विशिष्ठ न्यायालयों में कुल 135 सरकारी वकीलों की नियुक्ति हुई हैं। इसके अतिरिक्त राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर में 31 पैनल लॉयर्स नियुक्त किये हुए हैं।

(2) लोक अभियोजकों/अपर लोक अभियोजकों एवं राजकीय अभिभाषकों जो अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी करते हैं, की

(विधि एवं न्याय राज्य मंत्री)

नियुक्ति सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट से धारा 24 मा. द. सं. के अन्तर्गत पैनल प्राप्त कर की जाती है। उच्च न्यायालय में पैरवी करने हेतु राजकीय अभिभाषकगण की नियुक्ति उनकी योग्यता के आधार पर की जाती हैं। महाधिवक्ता के पद पर नियुक्ति भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार की जाती है।

(3) जी नहीं।

(4) सूची संलग्न हैं।

(5) सरकारी वकीलों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिए कोई आरक्षण नहीं हैं अगर इस वर्ग का कोई वकील नियुक्ति हेतु योग्य पाया जायेगा तो उसकी नियुक्ति की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

लाडनूं सुजानगढ़ मेन लाइन में टेप के कारण सुजानगढ़ शहर में पानी की किल्लत

672. **श्री भंवरलाल शर्मा** (सुजानगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि लाडनूं से सुजानगढ़ के बीच मेन राईजिंग मेन लाइन से गांव खानपुर व मियानी को पानी सप्लाई किया जाता आ रहा है।

(2) क्या यह सही है कि मेन राइजिंग लाइन में से टेप करने की वजह से प्रेसर कम हो रहा है जिससे सुजानगढ़ सब डिविजन के शहर सुजानगढ़ में पानी की किल्लत पैदा हो रही है ?

(3) क्या यह सही है कि सब डिवीजन सुजानगढ़ के नगर सुजानगढ़ के लिए बनी इस योजना में से जानबूझकर जिला नागौर के सब डिवीजन लाडनूं के अधिकारियों द्वारा दो गांवों को पानी मेन लाइन में से सप्लाई किया जा रहा है जिससे सुजानगढ़ की पानी की टंकी में पानी का दबाव कम रहने से पानी की समस्या बनी रहती है ?

(4) गांव खानपुर व मियानी को कब तक अलग कर पानी का मेन लाइन से सम्बन्ध विच्छेद कर खानपुर व मियानी को अलग स्कीम से जोड़ा जावेगा ?

उत्तर

(1) लाडनूं से सुजानगढ़ के मध्य मुख्य पाइप लाइन पर सन्दर्भित ग्रामों में एक-एक नल लगा हुआ है, जिससे ग्रामवासी पेयजल प्राप्त करते हैं।

(2) उपरोक्त दो नलों से प्राप्त जल की मात्रा, मुख्य पाइप लाइन में प्रवाहित जल की मात्रा की तुलना में अत्यन्त कम होने के कारण कम दबाव होने की तथा पानी की किल्लत होने की समस्या नहीं है।

(3) ग्रामवासियों के आग्रह पर नल लगाये गये थे।

(4) पृथक व्यवस्था धन उपलब्धतानुसार की जा सकेगी।

नये उद्योगों हेतु सम्बन्धित विभागों को एक कैम्पस में रखना

673. **श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार उद्योगों को एक छत के नीचे सब सुविधाएं देने की नीति के अन्तर्गत सहमत है ? यदि हां, तो उद्योगपतियों की, सुविधाओं के लिए प्रदेश में विद्युत, रीको, वित्त निगम, बैंक, उद्योग विभाग से सम्बन्धित कार्यालयों को एक क्षेत्र (कैम्पस) में स्थापित किया है ? यदि हां, तो कहां-कहां ? यदि नहीं, तो भविष्य की क्या योजना है ?

उत्तर

जी हां। उद्यमियों को एक छत के नीचे समस्त सुविधायें देने के उद्देश्य से राज्य के दौसा, बारां व राजसमंद जिलों को छोड़कर शेष 27 जिलों में जिला उद्योग केन्द्र कार्यरत हैं, जहां उद्योग विभाग, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं राजस्थान वित्त निगम के कार्यकारी प्रबन्धक एक ही कैम्पस में कार्यरत हैं। राज्य के निम्न 19 जिलों में जिला उद्योग केन्द्र परिसर में ही रीको के कार्यालय भी कार्यरत हैं।

1. टोंक
2. अलवर
3. धौलपुर
4. बीकानेर
5. चूरू
6. जालौर
7. सिरोही
8. जोधपुर
9. जैसलमेर
10. बांसवाड़ा
11. डूंगरपुर
12. पाली
13. अजमेर
14. भीलवाड़ा
15. चित्तौड़गढ़
16. झालावाड़
17. बून्दी
18. झुन्झुनू
19. बाड़मेर

पूर्व में बैंक के क्रेडिट मैनेजर भी जिला उद्योग केन्द्रों में पदस्थापित थे वर्तमान में इनके पद स्थापित नहीं हैं। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के किसी भी अधिकारी के जिला उद्योग केन्द्रों में पदस्थापन का प्रावधान नहीं है।

भीलवाड़ा-चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के विकास की योजना

674 **श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)** : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ जिले के पर्यटन स्थल मेनाल, हरणी महादेव तथा अधर शिला जैसे ऐतिहासिक स्थलों के विकास की क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री बंशीलाल पटवा)

(2) क्या सरकार उक्त स्थलों को विकसित करने का मानस रखती है ?

उत्तर

(1) मेनाल में 3.12 लाख रुपयों की लागत से एक केफेटेरिया का निर्माण करवाया गया है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर मेनाल का पोस्टर भी जारी किया गया है। शेष स्थानों के विकास की योजना का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(2) जी नहीं।

आयुर्वेद औषधालयों का औषध बजट

675. श्री कन्हैयालाल (बस्सी) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे आयुर्वेदिक औषधालयों का औषध बजट किस आधार पर आवंटित किया जाता है ? इस वर्ष (बजट सत्र) प्रत्येक औषधालय को कितना औषध बजट दिया गया है ? क्या इस वर्ष की आवंटित बजट की औषधियां प्रत्येक औषधालय में पूरी पहुंच गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या औषधालयों को बजट के अनुसार दी गई औषधियां चिकित्सा लेने वाले रोगियों के लिए पर्याप्त हैं ?

(3) ग्रामीण क्षेत्र के औषधालयों में औसतन औषधियों का बजट और औषधालय में नियुक्त वैद्य कम्पाउण्डर एवं परिचारक को वर्ष भर में वेतन भत्ते आदि पर व्यय की राशि कितनी-कितनी है ? क्या सरकार औषधियों पर अधिक व्यय और वेतन आदि पर कम व्यय करने पर विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) विभागीय औषधालयों को औषधियों की सप्लाई निम्न निर्धारित मापदण्ड के अनुसार अधिकतम सीमा तय कर की जाती है :—

बहिरंग विभाग : एक रुपया प्रति रोगी प्रतिदिन

अन्तरंग विभाग : तीन रुपये प्रति रोगी प्रतिदिन

सीमा तय करते समय औषधालय की गत वर्ष की उपलब्ध वार्षिक रोगी संख्या को दृष्टिगत रखा जाता है।

वित्तीय वर्ष 1991-92 में आवंटित व भेजी गई औषधियों की राशि का विवरण परिशिष्ट-I सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं। आर्थिक संकोच के कारण पर्याप्त औषधियां उपलब्ध कराना सम्भव नहीं हो पाता है।

(3) ग्रामीण क्षेत्र में संचालित विभागीय औषधालयों को औसतन 2000/- से 2500/- रुपये की औषधियां प्रतिवर्ष उपलब्ध करायी जा रही है जबकि एक औषधालय में पदस्थापित चिकित्सक, नर्स/कम्पाउण्डर व परिचारक को देय वेतन

(आयुर्वेद मंत्री)

भत्तों पर प्रति वर्ष औसतन 80,000/- से 90,000/- रूपये व्यय होता हैं।

विभाग का जन-कल्याण दायित्व को देखते हुए वेतन और औषधियों के व्यय में तालमेल बिठाने का प्रयास किया जायेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

तहसील खैरवाड़ा के माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के रिक्त पद

676. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि खैरवाड़ा तहलील क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के कई पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो किस-किस विद्यालय में कब-कब से रिक्त हैं और राज्य सरकार उन पदों को भरने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। खेरपाड़ा तहसील में निम्नांकित माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापकों के पद उनके नाम के आगे अंकित तिथि से रिक्त है:–

1.	रा. मा. वि.	जंवास	1-1-91 से
2.	,,	आडीवली	9-8-91 से
3.	,,	भागदा	31-7-91 से
4.	,,	पारियां	12-8-91 से
5.	,,	सारौली	26-10-91 से
6.	रा. मा. वि.	कोजावाड़ा	30-4-91 से
7.	,,	कनवई	30-8-91 से
8.	,,	बिलखा	31-12-91 से
9.	,,	भूधर	30-11-91 से

लोक सेवा आयोग से प्राप्त चयनित उम्मीदवारों की सूची में से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा समाप्त होने पर इन पदों को भरे जा सकेंगे।

जिला जालौर के न्यायालय में 110 सी. आर. पी. सी. के पंजीबद्ध अभियोग

677. श्री जोगेश्वर गर्ग (जांचौर) : क्या ग्रह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्ष 1991 में जालौर जिले में धारा 110 सी. आर. पी. सी. के अन्तर्गत कुल कितने मुकदमें न्यायालय में पेश किये गये ?

(2) इनमें से कितने लोगों के विरूद्ध विगत के लगभग तीन वर्ष 1988-1989 एवं 1990 में अपराध पंजीबद्ध हुए थे ?

(3) क्या यह सही है कि 1991 में जिनके विरूद्ध धारा 110 दण्ड प्रक्रिया संहिता में मुकदमा पेश किया गया उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनके विरूद्ध 1988-1989 तथा 1990 में एक भी अभियोग पंजीबद्ध नहीं हुआ था ? यदि हां, तो ऐसे लोगों की सूची सदन की मेज पर रखें तथा यह बतावे कि इनके विरूद्ध धारा 110 दं. प्र. सं. के तहत मुकदमा दर्ज करने का क्या आधार रहा ?

उत्तर

(1) वर्ष 1991 में जिला जालौर में धारा 110 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत 358 इस्तगासे अदालत में पेश किए गए।

(2) वर्ष 1991 के दौरान कुल 358 व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 110 जाप्ता फौजदारी के इस्तगासे पेश न्यायालय किए गए। इन 358 व्यक्तियों में 229 के विरुद्ध वर्ष 1988, 1989 एवं 1990 के दौरान विभिन्न थानों में अभियोग पंजीबद्ध हुए थे।

(3) वर्ष 1990 के दौरान 129 ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 110 दण्ड प्रक्रिया संहिता में इस्तगासे न्यायालय में पेश किए गए, जिनके विरूद्ध वर्ष 1988, 1989 एवं 1990 के दौरान कोई अभियोग दर्ज नहीं हुआ है। उक्त 129 व्यक्तियों के विरूद्ध 110 दण्ड प्रक्रिया संहिता के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार ही इस्तगासे न्यायालय में पेश किए गए हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला परिषद् नागौर द्वारा अध्यापकों के चयन में स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता

678. **श्री गुलाम मुस्तुफा खान** (नागौर) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्ष 1991 में जिला परिषद् नागौर द्वारा कितने अध्यापकों का चयन करने हेतु विज्ञापन दिया गया है, उनमें कितने पद महिलाओं लिये आरक्षित हैं तथा किस सिद्धान्त के आधार पर? सरकार के आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नागौर जिले के आवेदकों को प्राथमिकता दिया जाना आवश्यक है तथा आवेदक को नागौर जिले का मूल निवासी होना आवश्यक है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दिशा निर्देश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नागौर जिले के मूल निवासी होने के बारे में और कोई अलग से जांच नहीं की गई? क्या यह भी सही है कि प्रमाण-पत्र मात्र शपथपत्र के आधार पर दिये गये हैं? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में अलग से जांच नियुक्ति से पूर्व की जावेगी?

उत्तर

(1) वर्ष 1991 में जिला परिषद् नागौर द्वारा 1043 अध्यापकों के चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया। इनमें 565 पद महिलाओं के लिए श्यामपट्ट योजना के तहत आरक्षित किये गये हैं। श्यामपट्ट योजना के अन्तर्गत चयनित विद्यालय में दो अध्यापकों में से एक अध्यापक महिला होना अनिवार्य है, के आधार पर आरक्षित किये गये। इस संबंध में जारी पद स्वीकृति आदेश की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। ग्रामीण क्षेत्र के मूल निवासी होन के जिन प्रमाण पत्रों पर ग्राम सेवक जिनके पास सरपंच का चार्ज था, के हस्ताक्षर थे, उनके ग्रामीण क्षेत्र के मूल निवासी होने के प्रमाण पत्रों की जांच उपखण्ड अधिकारियों से कराई जा रही हैं।

भाग संख्या (1) की सूची

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

क्रमांक :- एफ, 39 (14-) ग्राविप/शिक्षा/91/521 जयपुर, दिनांक 24-4-91

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव,
जिला परिषद् ।

विषय:-श्यामपट्ट योजना के अन्तर्गत एकल अध्यापकीय विद्यालयों में अतिरिक्त अध्यापकों के पदों के आवंटन के क्रम में ।

उपरोक्त संदर्भ में आपके जिले की पंचायत समितियों में एकल अध्यापकीय विद्यालयों में संलग्न सूची के अनुसार अध्यापकों के पद सृजित किये जाते हैं । इन पदों का बजट आपको तभी दिया जायेगा जबकि आप इन पदों पर की गई नियुक्ति आदेश एवं कार्यग्रहण की तिथि (किसने किस दिनांक को कार्यग्रहण किया) की सूचना इस विभाग को एवं अपर निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, बीदासर हाऊस, बीकानेर व मुख्य लेखाधिकारी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को एकजाई जिलेवार भिजवायेंगे ।

यह पद उन्हीं विद्यालयों के लिए है जिनकी सूची आपने श्यामपट्ट योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत की थी । पूर्व में देखने में आया हैं कि एकल अध्यापकीय विद्यालयों के लिए आवंटित पद विकास अधिकारियों द्वारा अन्य विद्यालयों को आवंटित कर दिये गये । अतः इस बात का कडाई से पालन किये जावे कि ये पद अन्यत्र नहीं दिये जावे अन्यथा ये पद वापिस ले लिये जावेंगे ।

इन विद्यालयों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए नियुक्तियां शीघ्र से शीघ्र किये जावें । इस शर्त की भी पालना की जावे कि दो अध्यापकों में से एक अध्यापक अवश्य ही महिला अध्यापक हो ।

इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से इस विभाग को शीघ्र ही अवगत करावें ।

ह०:-

विशिष्ठ शासन सचिव एवं निदेशक
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
राजस्थान जयपुर ।

जिला भीलवाड़ा के खनन मार्गों हेतु सम्पर्क सड़कें

679. श्री देवेन्द्र सिंह (बनेड़ा) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) भीलवाड़ा जिले में खनिज विभाग के तहत कितनी सम्पर्क सड़कें निर्माणाधीन एवं स्वीकृत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) ऐसे कितने गांव हैं जहां पर खनिज का कार्य चलता है लेकिन सड़कों से जुड़े हुये नहीं हैं ?

(3) क्या ऐसे गांवों को सरकार खनिज विभाग के तहत सड़कों से जोड़ने का विचार रखती हैं ?

(4) यदि हां तो कब तक ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में खनिज विभाग द्वारा जो सड़के स्वीकृत हैं एवं निर्माणाधीन हैं, उनका विवरण निम्नानुसार है:–

1. कटार से ज्ञानगढ़
2. तीका से किडीमाल संशोधित नाम गोराणा से सड़क का बाढिया)
3. गोरख्या से चिताम्बा
4. भोपतपुरा से गरडा
5. बुधपुरा से नाला का माताजी
6. सदाराम जी का खेडा से मकरेडी
7. सलावटिया गुढा से गोपालपुरा
8. बून्दी-चित्तौड रोड पर उदयपुरिया से विक्रमपुरा

(2) ऐसे गांवों की संख्या 33 हैं ।

(3) जी, नहीं विभाग द्वारा केवल खनन-क्षेत्रों को खनिज उपागमन सड़कों को मुख्य सड़क से जोड़ने का कार्य मानदंडों के आधार पर किया जाता है. गांवों को सड़क से जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है ।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बीकानेर में उद्योगों को अनुदान

680. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बीकानेर-स्थित संयुक्त निदेशक उद्योग कार्यालय में उद्योगों हेतु दिये जाने वाले अनुदान से सम्बन्धित कितने-कितने मामले गत दो वर्षों में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत हुए, कितने मामले निपटाये गये एवं कितने लंबित है ? सरकार इन्हें कब तक निपटाये जाने का विचार रखती है ?

(2) क्या अनुदान देने में रिश्वत लेने या अनियमितता करने के सम्बन्ध में मा. उद्योग मंत्री एवं निदेशक उद्योग विभाग को संयुक्त निदेशक, उद्योग बीकानेर के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थीं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) संयुक्त निदेशक जिला उद्योग केन्द्र, बीकानेर के कार्यालय में वर्ष 1990-91 व 1991-92 में अनुदान सम्बन्धी प्राप्त निर्वातित एवं विचाराधीन प्रकरणों के विवरण की सूची "क" सदन के पटल पर रख दी गई है। विचाराधीन प्रकरणों में वांछित आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण कराकर शीघ्र ही निपटाये जाने हेतु निर्देश प्रसारित प्रसारित कर दिये गये हैं।

(2) जी हां। राजस्थान वूलन मिल्स एसोसियेशन- बीकानेर से शिकायत प्राप्त हुई है। वर्तमान महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बीकानेर को वहां से हटाये जाने व जांच किए जाने के आदेश दे दिये गये हैं।

(208)

सूची "क"

जिला उद्योग केन्द्र, बीकानेर में वर्ष 1990-91 व 1991-92 में निर्वातित एवं लम्बित अनुदान प्रकरणों का विवरण:

क्रम सं.	योजना का विवरण	1990–91 प्राप्त	1990–91 स्वीकृत	1990–91 अस्वीकृत	1990–91 विचाराधीन	1991–92 प्राप्त	1991–92 स्वीकृत	1991–92 अस्वीकृत	1991–92 विचाराधीन
1.	राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान	—	—	—	—	99	71	14	14
2.	घरेलू उद्योग योजना	1	1	–	—	1	1	–	–
3.	शिल्प कुटीर योजना	10	1	8	—	—	–	–	–
4.	जांच उपकरण अनुदान	1	2	–	—	1	–	–	–
5.	आई. एस. आई. पंजीयन अनुदान	—	—	—	—	3	1	–	1
6.	डी. जी. सैट अनुदान	—	—	—	—	10	5	1	2
7.	हाथ करघा योजना	—	—	—	—	1	1	–	4
	योग:	12	4	8	—	115	79	15	21

हथरोई बावड़ी (जयपुर) में शो-रूम्स की भूमि की नीलामी

681. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) एवं **श्री फूलचन्द** (नीमका थाना) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हथरोई, बावड़ी, अजमेर रोड, जयपुर के विकास हेतु शो-रूम्स की नीलामी कर लगभग 6 लाख रुपये प्राप्त किये थे ?

(2) इस योजना में क्या-क्या विकास कार्य हुये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) नीलाम किये गये शो-रूम भूखण्डों के पीछे की 10 फुट चौड़ी सड़क व उसमें ड्रेनेज व सीवरेज का कार्य अब तक न होने के क्या कारण हैं ? यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

उत्तर

(1) जी, हां। इस योजना में नीलामी द्वारा वर्ष 1975 में व्यवसायिक भूखण्ड बेचे गये थे, जिनसे 5.76 लाख अनुमानित राशि प्राप्त हुई थी।

(2) हथरोई, बावड़ी में सड़क, नाली, पानी, बिजली की सुविधा उपलब्ध करवा दी गयी है।

(3) नीलाम किये गये शो-रूम भूखण्डों के पीछे स्थित 10 फुट चौड़ी लेन में सीवरेज डिस्पोजल के लिये लाइन डालने की कोई योजना नहीं थी। जयपुर शहर में सीवर लाइन डालने की नीति निर्धारण विचाराधीन है। तय होने पर अग्रिम कार्यवाही तदानुसार की जा सकेगी। नालियां बनी हुई है।

चम्बल फर्टीलाइजर द्वारा स्थापित कारखाने हेतु भूमि का अधिग्रहण

682. **श्री हेमराज** (किशनगंज) एवं **श्री बृजराज मीणा** (दीगोद) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कोटा जिले में गडेपान गांव में चम्बल फर्टिलाइजर द्वारा स्थापित कारखाने के लिये किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई थी ? यदि हां, तो कितनी ? किसान का नाम, मय खसरा नं. आराजीयत रकबा के सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अधिग्रहण की गई भूमि का मुआवजा किसानों को बाजार भाव से दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार व चम्बल फर्टिलाइजर ने किसानों को भूमि अधिग्रहण करते समय परिवार के किसी एक सदस्य को कारखाने में रोजगार देने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो अब तक कितने किसानों को रोजगार पर लगाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या स्थानीय बेरोजगारों को कारखाने में रोजगार पर लगाया है ? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति को और किस-किस पद पर ?

(श्री हेमराज मीणा)

(5) क्या कारखाने में नियुक्ति देने से पूर्व नियोजन कार्यालय से नाम मांगे जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या इस कम्पनी द्वारा प्रदूषण रोकने हेतु आवश्यक उपाय किये हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या ? क्या पर्यावरण व प्रदूषण रोकने हेतु चम्बल फर्टिलाइजर में वृक्षारोपण किया गया है ? यदि हां, तो कितने क्षेत्र में और क्या वह पर्याप्त है ?

उत्तर

(1) जी, हां। मैसर्स चम्बल फर्टीलाइजर एवं कैमिकल लि. के खाद के कारखाने के लिए 972 बीघा 4 बिस्वा भूमि अवाप्त की गई है। किसानों की नामवार मय खसरा नम्बर आराजीयत रकबा की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) किसानों से अधिग्रहण की गई भूमि का मुआवजा भूमि अवाप्ति अधिकारी के अवार्ड के आधार पर तथा कम्पनी एवं किसानों के साथ हुए समझौते के आधार पर दिया गया है जो बाजार भाव की अपेक्षा अधिक है।

(3) राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटन आदेश में प्लांट में स्थानीय लोगों को उनकी योग्यतानुसार रोजगार देने में प्राथमिकता देने की शर्त रखी गई थी। इस शर्त के अनुसार इस प्लांट में अब तक 76 नियुक्त व्यक्तियों में से 65 व्यक्ति कोटा के हैं, 3 रावतभाटा के, 3 बूंदी के, 1 बांरा, 1 भरतपुर, 1 सवाई माधोपुर एवं 2 जयपुर के हैं।

(4) जी, हां। सूची "ख" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(5) जी, हां।

(6) कम्पनी द्वारा प्रदूषण रोकने एवं पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए किये गये उपायों की सूची "ग" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

जोधपुर जिले की प्राचीन छतरियां

683. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या कला, संस्कृति एवं पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर जिले में कितनी प्राचीन छतरियां बनी हुई हैं ? इनका क्या ऐतिहासिक महत्व है ? छतरियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त छतरियों के रख रखाव की वर्तमान में क्या व्यवस्था है एवं इनके संधारण आदि पर विगत पांच वर्षों में कितनी धन राशि व्यय की गई है ?

(3) वर्तमान में इन छतरियों का क्या उपयोग किया जा रहा है ?

(4) क्या सरकार भविष्य में छतरियों को संरक्षण हेतु कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है। छतरिया विभाग द्वारा संरक्षित हैं।

(2) राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा इनके रख रखाव की व्यवस्था की जाती है। विगत पांच वर्षों में इनके संधारण हेतु रुपये 68,321/– धन राशि खर्च की गई है।

(3) सभी संरक्षित स्थान दर्शनीय हैं। उपयोग नहीं लिया जाता।

(4) अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

जोधपुर जिले में संरक्षित छतरियों की सूची

1.	राव मालदेव की छतरी	मण्डोर
2.	मोटा राजा उदयसिंह की छतरी	,,
3.	सवाई राजा सूरसिंह की छतरी	,,
4.	राजा गजसिंह की छतरी	,,
5.	महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की छतरी	,,
6.	महाराजा अजीत सिंह की छतरी	,,
7.	पंच कुण्ड में छतरियां	,,

आयुर्वेद चिकित्सकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

684. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या आयुर्वेद चिकित्सकों की शिकायतों के सम्बन्ध में निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर के पत्र क्रमांक दिनांक 5/आ./जो./5761/91 दिनांक 11-3-1991 द्वारा जिला आयुर्वेद अधिकारी बांसवाड़ा को जांच हेतु लिखा गया था ?

(2) क्या शिकायतों की जांच जिला आयुर्वेद अधिकारी बांसवाड़ा द्वारा की गई थी ?

(3) क्या जांच रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई ? यदि हां, तो इसमें कौन दोषी पाया गया तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(4) यदि जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई, तो उसमें विलम्ब के क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। आयुर्वेद चिकित्सक श्री मोहन लाल तिवाड़ी व परिचारक श्री वीर चन्द्र कटारा कतिपय बिन्दुओं में दोषी पाये गये तथा इन्हें भविष्य के लिए चेतावनी दी गई है। शेष के विरुद्ध कोई आरोप प्रमाणित नहीं हुआ है। अतः इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(4) प्रश्न ही नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के विद्यालयों में रिक्त पद

686. **श्री शम्भू दयाल बड़गूजर** (केकड़ी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूलों में कौन-कौन से पद कहां-कहां पर रिक्त हैं एवं कब से ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन पदों को शीघ्र भरने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। प्रधानाध्यापक के पद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा समाप्त होने पर भरे जा सकेंगे। व्याख्याता के पद तदर्थ पदोन्नति अध्यापकों एवं अन्य पदों को भरने की प्रक्रिया जारी हैं।

प्रश्न के भाग (1) की सूची

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के उ. प्रा., एवं सी. उ. मा. वि. में रिक्त पदों की सूची

क्र.सं.	शाला का नाम	उप प्रधानाचार्य	प्रधानाध्यापक	व्याख्याता	वरिष्ठ अध्यापक	अध्यापक	शा. शिक्षक	व. लि.	क. लि.	प्रयोगशाला सेवक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	सी.उ.मा.वि.,	1(12/91)	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	,, सरवाड	1(9/91)	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	,, सांवर	—	—	1 भौ. 7/91	—	—	—	—	—	—
4.	रा.मा.वि., सांपला	—	—	1 इ. 7/92	—	—	—	—	—	—
5.	,, धन्यारी	—	1(11/91)	—	—	—	—	—	—	—
6.	,, प्रोण्हेडा	—	—	1 जी. 1/92	—	—	—	—	—	—
7.	,, धन्धरी	—	—	—	—	—	—	—	1 (7/91)	—
8.	,, देवगांव	—	—	—	—	—	—	1(2/92)	1(2/92)	—
9.	,, बोराडा	—	—	—	—	—	—	1 (7/91)	—	—

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	रा.मा.वि.,	बोगाला	—	—	—	—	—	—	—	—	1(11/89)
11.	,,	आलाली	—	—	—	—	—	—	—	—	1(11/89)
12.	,,	विसुन्दनी	—	—	—	—	—	—	—	—	1(8/89)
13.	,,	मेहरूकलां	—	—	—	—	—	—	—	—	1(8/88)
14.	,,	जूनिया	—	—	—	—	—	—	—	—	2
15.	,,	सवारा	—	—	—	—	—	—	—	—	1(5/90)
16.	,,	देवगांव	—	—	—	—	—	—	—	—	1(8/89)
17.	,,	घटियाली	—	—	—	—	—	—	—	—	1(12/89)
18.	,,	ख्वास	—	—	—	—	—	—	—	—	1(12/89)
19.	रा.बा.सी.उ.मा.,	केकड़ी	—	—	3 हि., इ. प्र. 11/89	—	—	1(11/91)	—	1(8/91)	—
20.	रा.बा.मा.वि.,	सांवरा	—	—	—	—	—	—	1(12/90)	1(10/91)	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	रा.उ.प्रा.वि., खोसला	—	—	—	—	1(9/91)	—	—	—	—
22.	,, तसवाडिया	—	—	—	—	1(9/91)	—	—	—	—
23.	,, पीपलाज	—	—	—	—	1(8/91)	—	—	—	—
24.	,, पारकिया	—	—	—	—	1(7/91)	—	—	—	—
25.	,, सलारी	—	—	—	—	1(10/91)	—	—	—	—
26.	,, साकरिया	—	—	—	—	1(11/91)	—	—	—	—
	महायोग :	2	1	6		6	1	4	4	10

नोट :—रा. उ. प्रा. वि. (1) करोज (2) कालेडा कृष्ण गोपाल (3) रांकावास (4) करथल (5) मवेदा कला (6) नाईखेड़ा में तृतीय वेतन श्रृंखला के एक-एक शिक्षक कुल 6 अविशेष हैं।

218

पाकिस्तानी घुसपैठियों की भारतीय सीमा में घुसपैठ

686. **श्री हरीश भामनानी** (अजमेर पश्चिम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में 1 अप्रेल, 1990 से 31 जनवरी, 1992 तक राज्य पुलिस ने अन्य सैनिक एवं अर्द्ध सैनिक संगठनों के सहयोग से पाकिस्तानी सीमा से घुसपैठ करने वाले कितने घुसपैठियों को मार गिराया कितनों को गिरफ्तार किया गया और कितने शस्त्र बरामद किये गये ?

(2) राज्य पुलिस ने राज्य में 1 अप्रेल, 1990 से 31 जनवरी, 1992 तक कुल कितने आतंकवादियों को गिरफ्तार किया एवं कितनों की मुठभेड़ में मृत्यु हुई ?

(3) राज्य सरकार ने पाकिस्तान की सीमा से लगे क्षेत्र में घुसपैठ को रोकने के लिये वर्ष 1991 में क्या विशेष कदम उठाये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में पाकिस्तानी सीमा की सुरक्षा व्यवस्था बी. एस. एफ. कर रही है इसलिए बी. एस. एफ. द्वारा पाकिस्तानी सीमा से घुसपैठ करने वाले 91 घुसपैठियों को मार गिराया एवं 1222 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया। बरामद किये गये शस्त्रों की सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) राज्य में 1 अप्रेल, 1990 से 31 जनवरी, 1992 तक 114 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया एवं 26 आतंकवादियों की मुठभेड़ों में मृत्यु हुई।

(3) राज्य सरकार ने पाकिस्तान की सीमा से लगे क्षेत्र में घुसपैठ को रोकने के लिये वर्ष 1991 में जो विशेष कदम उठाये हैं वह परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एवं जिला परिषद् का विलीनिकरण

687. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार का विचार है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एवं जिला परिषद् जो मिलाकर एक ही एजेन्सी जिला प्रमुख की अध्यक्षता में कर दी जायें ?

(2) यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

चित्तौड़गढ़ जिले में आवंटित खानें

688. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में पिछले 2 वर्षों में कितनी खानें किन-किन लोगों को आवंटित की गई ? सूची नामवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सभी आवंटन नियमानुसार किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में पिछले 2 वर्ष में जिन-जिन लोगों को खानें आवंटित की गई है उसकी सूची संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार है।

(2) जी हां।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

विधान सभा क्षेत्र बामनवास के हैण्ड पम्प्स

689. श्री हीरालाल (बामनवास) एवं **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बामनवास विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में कितने हैण्ड पम्प्स लगाये जा चुके हैं ? गांववार लगाये गये हैण्ड पम्पों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बामनवास में कितने हैण्ड पम्प खराब हैं। खराब हैण्ड पम्पों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) खराब हैण्ड पम्पों में से कितने हैण्ड पम्पों को ठीक किया जा सकता है तथा कितने हैण्ड पम्प बेकार हो गये हैं ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सम्बन्धित अधिकारी हैण्ड पम्पों को ठीक करने में निष्क्रियता बरतते हैं ? यदि हां, तो हैण्ड पंम्पों को ठीक क्यों नहीं किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) संदर्भित क्षेत्र में दिनांक 29-2-92 तक 1015 हैण्ड पम्प लगाये गये हैं जिनकी ग्रामवार सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) संदर्भित क्षेत्र में 137 हैण्ड पम्प परित्यक्त एवं 15 सूखे हैं। इनकी सूची परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अस्थाई रूप से खराब हैण्ड पम्पों की संख्या का आंकलन किया जा रहा है।

(3) अस्थाई रूप से खराब समस्त हैण्ड पम्पों को वर्तमान में प्रगतिरत अठारहवें हैण्ड पम्प मरम्मत अभियान में ठीक किया जा रहा है। स्थाई रूप से खराब हैण्ड पम्पों के स्थान पर नये हैण्ड पम्प धन उपलब्धतानुसार लगाये जा सकेंगे।

(4) वर्तमान में प्रगतिरत अठारहवें हैण्ड पम्प मरम्मत अभियान में समस्त मरम्मत योग्य हैण्ड पम्पों को विभाग द्वारा ठीक किया जा रहा हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

आर. एफ. सी. द्वारा दण्डनीय ब्याज की वसूली

690. श्री रामकिशन (भरतपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आर.एफ.सी. अनिवार्यतः हर अनुबन्ध में दण्डनीय ब्याज का प्रावधान समाहित करता है, जिससे उद्यमी पर मूल पर 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक ब्याज लगने लगता है ?

(2) क्या सही है कि आई.बी.डी.आई. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अपने निरीक्षण (इन्सपेक्शन) में दण्डनीय ब्याज लिया जाना गलत माना है ? इन्सपेक्शन रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

निगम प्रत्येक ऋण हेतु निष्पादित किये जाने वाले दस्तावेजों में दण्डनीय ब्याज का प्रावधान समाहित करता है। लेकिन उद्यमी द्वारा समय पर निगम की देय राशि नहीं चुकाने पर केवल 5.25 प्रतिशत वार्षिक दर से अतिरिक्त ब्याज ही लगाता है।

(2) जी नहीं। इन्सपेक्शन रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(रिपोर्ट की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय चौसला (नागौर) के उप वैद्य के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

691. श्री हरिशचन्द्र (नावां) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय चौसला जिला नागौर में वर्तमान में पदस्थापित उप वैद्य (कम्पाउण्डर) के विरुद्ध स्थानीय जनता द्वारा शिकायतें की गई थीं ? यदि हां, तो उक्त कम्पाउण्डर का यहां से कितनी बार स्थानान्तरण किया गया और वर्ष 1987 से 1991 तक कब-कब, कहां-कहां स्थानान्तरण किया जाकर पुनः ग्राम चौसला लगाया गया ? उक्त औषधालय में स्थानीय जनता के विरोध के बावजूद भी बार-बार लगाने का क्या औचित्य है ?

(2) सरकार ने प्राप्त शिकायतों की कब-कब जांच की और जांच के क्या परिणाम रहे ?

उत्तर

(1) जी हां। मार्च 1986 में एक शिकायत आयुर्वेद औषधालय चौसला में कार्यरत कम्पाउण्डर के विरुद्ध प्राप्त हुई थी। इस कम्पाउण्डर का वर्ष 1987 से 1991 तक का स्थानान्तरण का विवरण निम्न प्रकार हैं :—

1. पुन्दलू (नागौर) से चौसला (नागौर) दिनांक 21-12-87
2. चौसला (नागौर) से पलायता (कोटा) दिनांक 28-4-88

(आयुर्वेद मंत्री)

3. पलायता (कोट) से बड़गांव (कोटा) दिनांक 18-7-88

4. बड़गांव (कोटा) से चौसला (नागौर) दिनांक 31-8-91

ये सारे स्थानान्तरण राज्य सरकार के निर्देशों पर किये गये हैं।

(3) कम्पाउण्डर श्री लक्ष्मण प्रसाद के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच की जा रही है।

महाविद्यालयों में एम. एड. पाठ्यक्रम

692. **श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) एवं श्री महेन्द्र कुमार परमार (आसपुर)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण व सामान्य शिक्षक प्रशिक्षण में स्नातकोत्तर उपाधि (एम. एड.) पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के दृष्टिकोण से वर्ष 1988-89 में कुछ शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में निरीक्षण कराया था? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) निरीक्षण दलों ने किन-किन महाविद्यालयों में एम. एड. पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुशंसा की थी? क्या सरकार उन अनुशंसाओं के आधार पर कार्यवाही करने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। निजी क्षेत्र के निम्न शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में एम. एड. कक्षायें प्रारम्भ करने बाबत वर्ष 1988-89 में निरीक्षण कराया गया :—

1. भारतीय विद्या मंदिर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बांसवाड़ा।
2. आदर्श विद्या मंदिर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जयपुर।
3. राजस्थान शिक्षक प्रशिक्षण विद्यापीठ, जयपुर।

निरीक्षण दलों ने निम्न महाविद्यालयों में एम. एड. पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुशंसा की थी :—

1. भारतीय विद्या मंदिर, बांसवाड़ा।
2. आदर्श विद्या मंदिर, जयपुर।
3. राजस्थान शिक्षक प्रशिक्षण विद्यापीठ, जयपुर।

(2) उपरोक्त में से आदर्श विद्या मंदिर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, जयपुर को सत्र 1990-91 से एम. एड. की सीटें आवंटित की जा चुकी हैं। शेष महाविद्यालयों में निर्धारित मापदण्डों में कमियों के कारण एवं राज्य में एम. एड. की मांग एवं पूर्ति को देखते हुए वर्तमान में एम. एड. खोलने का विचार नहीं है।

हज यात्रियों हेतु कुर्रा

693. **श्री अमीन खां (शिव)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य हज कमेटी द्वारा हाजियों के लिए कुर्रा मुस्लिम आबादी को ध्यान में रखते हुए जिलेवार निकाला जाता

(श्री ग्रमीन खां)

है या पूरे राज्य का एक साथ निकाला जाता है।

(2) क्या सरकार हज यात्रियों के लिए प्रत्येक जिले की मुस्लिम ग्राबादी के प्रतिशत के ग्रनुसार जिलेवार कुर्रा निकालने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) इस साल राज्य में कितने हज यात्री समुद्री जहाज मार्ग के चयनित हुए हैं ? जिलेवार कितने ग्रावेदन हज यात्रियों के ग्राये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हज यात्रियों के चयन हेतु कुर्रा (ड्रा) मुस्लिम ग्राबादी के ग्राधार पर राज्य को ग्रावंटित कुल सीटों का जिलेवार निकाला जाता था परन्तु हज यात्रा वर्ष 1992 हेतु पानी के जहाज से जाने वाले हज यात्रियों के चयन हेतु कुर्रा (ड्रा) राजस्थान राज्य हज समिति के द्वारा लिए गये निर्णय के ग्रनुसार डिविजनवार निकाला गया है। हवाई जहाज हेतु कुर्रा जिलेवार ही निकाला गया है।

(2) सुझाव राजस्थान राज्य हज समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ बैठक में रख दिया जायेगा।

(3) इस वर्ष समुद्री जहाज से हज यात्रा हेतु कुल 104 यात्री बंक श्रेणी के तथा 51 प्रथम श्रेणी के कुल 155 यात्री चयनित हुए हैं। प्राप्त ग्रावेदनों की जिलेवार सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की सार्वजनिक भूमि के मुग्रावजे की राशि का प्रकरण

694. **श्री ग्रनंग कुमार जैन** (झालरापाटन) एवं **श्री बालचन्द ग्रार्यवीर** (डग) : क्या पंचायत राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत राणेर मय दामोलाई पंचायत समिति लूणकरणसर के प्रशासक माह जून, 1988 के पंचायत चुनाव में सरपंच चुन लिये गये थे ग्रौर बाद में वे पंचायत समिति लूणकरणसर के प्रधान चुन लिये गये थे ?

(2) क्या यह सही है कि पूर्व प्रधान पंचायत समिति लूणकरणसर ने ही पंचायत राणेर मय दामोलाई के प्रशासक की हैसियत से महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के सार्वजनिक भूमि के मुग्रावजे के पैसे उठा लिये थे ग्रौर इनका उपयोग खुद ने ही कर लिया है ?

(3) क्या इस प्रकरण में किसी प्रकार की जांच चल रही है ? यदि हां, तो ग्रब तक किन-किन के खिलाफ क्या-क्या तथ्य सामने ग्राये हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। जांच कराई गई जिसके ग्रनुसार मुग्रावजा राशि रुपये 56,50,888.30 पैसे का उपयोग स्वयं के लिए करने तथा वर्ष 1976 में फर्जी पट्टों का रिकार्ड तैयार करने, रिकार्ड में कांट-

(पंचायत राज राज्य मंत्री)

छांट करने ऊपरी लेखन करने, एवं फर्जी कच्चे-पक्के कार्य करवाने के तथ्य सामने आये हैं। जिसमें सहायता करने में दोषी पाये गये ग्रामीण बैंक अध्यक्ष, शाखा प्रबंधक, विकास अधिकारी, ग्राम सेवक व सहायक सचिव के विरुद्ध भी जिला कलक्टर द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज कराई जा चुकी है।

अजमेर जिले में खनन पट्टे

695. **श्री श्रीकिशन सोनगरा** (अजमेर पूर्व) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर जिले में बिल्डिंग स्टोन, पट्टी, फर्शी, मार्बल और ग्रेनाइट के कितने खनन पट्टे आवंटित किये गये हैं ? खनिजवार संख्या की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिले में चल रही अवैध माइन्स के सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाये गये ?

(3) क्या वन क्षेत्र में अभी भी कोई माइन्स या क्रेसर चल रहे हैं ? यदि हां, तो क्या विभाग ने उन्हें हटाने की कोई कार्यवाही की है ? विभाग ने नियम विरुद्ध वन क्षेत्र में चल रहे किन-किन अवैध खनन को रोकने के लिये क्या कार्यवाही गत वर्ष में की है ?

(4) किशनगढ़ ब्यावर बाईपास पर बड़ल्या चौराहे के नजदीक आदिनाथ स्टोन के नाम से वन भूमि पर खनन पट्टा आवंटित है ? इस पर क्रेसर भी चल रहा है विभाग ने इसे कब नोटिस दिया और यह अब तक क्यों नहीं हट पाया ?

उत्तर

(1) अजमेर जिले में खनिज चुनाई पत्थर, पटटी, फर्शी, मारबल, ग्रेनाइट के कुल 273 पट्टे राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत हैं। खनिजवार पट्टों की संख्या की सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) अवैध माइन्स की रोकथाम के लिए समय-समय पर अधिकारियों, तकनीकी कर्मचारियों एवं सतर्कता अधिकारियों द्वारा अचानक क्षेत्रों का दौरा किया जाता है तथा ऐसे प्रकरणों में दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ न्यायालयों में भी वाद दायर किये जाते हैं। एवं खनिज की कीमत वसूली की जाती है। ऐसे प्रकरणों में गत 3 वर्ष में की गई कार्यवाहियों की सूची परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

(3) अजमेर जिले में वन क्षेत्र में 9 खानें संलग्न सूची के अनुसार चल रही है जिनके सम्बन्ध में न्यायालय ने स्थगन आदेश दे रखा है। अतः इन्हें बन्द कराया जाना सम्भव नहीं है। वन क्षेत्र में क्रेशर नहीं चल रहा है।

(4) किशनगढ़-ब्यावर बाईपास पर बड़ल्या चौराहे के नजदीक आदिनाथ स्टोन के नाम से आवंटित खनन पट्टा वन भूमि में आवंटित नहीं है। आवंटी ने आवंटित क्षेत्र में एक क्रेशर लगा रखा है वह भी वन भूमि में नहीं है तदानुसार इन्हें हटाने की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

224

परिशिष्ट–4

अतारांकित प्रश्न संख्या 1065 का विवरण

झालावाड़ जिले की नगरपालिकाओं को वर्ष 90 से अब तक दिये गये अनुदान राशि (लाखों में) का विवरण

		वर्ष 1990-91 से 91-92 तक दिया गया अनुदान (लाखों में)					
क्र.सं.	न.पा. का नाम	सामान्य अनुदान	सड़क हेतु अनुदान	नाली सफाई व्यवस्था हेतु	अग्निशमन हेतु	बकाया वेतन हेतु अनुदान	कुल अनुदान
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	झालावाड़	2.93	0.40	—	0.50	—	3.83
2.	सुनेल	0.98	—	0.50	—	1.25	2.73
3.	पिडावा	0.83	0.40	—	—	2.47	3.70
4.	अकलेरा	1.05	—	—	—	1.00	2.05
5.	भवानीमण्डी	2.29	—	—	—	—	2.29
6.	झालरापाटन	1.74	—	—	—	—	1.74

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 1068 की सूची

Published in Rajasthan Gazette Dated 17-12-1964.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

No. F. 2 (2) LSG/60 Dated : 28-10-64.

NOTIFICATION

Government has been Pleased to Order that Parsnal of this Department Notification No. F. 2 (2) LSG/60 dated 22-11-63 Published in the Part (K) of the extra ordinary issue of Rajasthan Rajpatra dated 22-11-1963 be substitutcd as below :—

"That for the purpose of Carrying out Improvement of the Urban Area as Included in the Municipal Limits of Jodhpur City (Exclding Area Lying with in City Wall Except Area of Girdikot so Notified Under Section 32 of the Rajasthan Urban Improvement Act., 1959 (Act No. 35 of 1959) vide this department notification No. F. 3/b/41/LSG/61 dated 8-6-60 A Board of Trustees Califd the Improvement Trust, Jodhpur be Established."

By Order of the Governor

Sd/–

P. N. Seth

Dy. Secretary to Government.

प शिष्ट–1

कार्यालय नगर परिषद, जोधपुर

वर्ष 1981 से जोधपुर नगर परिषद परकोटे के बाहर विक्रय की गई नजूल भूमि का विवरण :—

क्र.सं.	नाम व पता	आवंटित भूमि दर ऐरिया	कुल राशि	क्षेत्र एवं विक्रय पत्र जारी दिनांक
1.	श्री डूगर सिंह/श्री रामकरण भगत सिंह मार्ग नागोरी गेट के बाहर, जोधपुर	284. स्क्वा	5680-00	6-10-83
2.	श्रीमति कंचन देवी/श्री भंवरलाल ओसवाल रसाला रोड़ रेल्वे क्रासिग के पास जौधपुर	25.27 व.ग.	3790.50	29-5-85 पावटा
3.	श्री एस.एल. सॉखला/श्री रामचन्द्र 425-राम भवन; 1 डी रोड सरदापुरा जोधपुर	08.88 व.ग.	9987.60	31-5-85 सरदारपुरा
4.	श्रीमति मंजू/श्री छगनीराम नागौरी गेट के बाहर जोधपुर	249.98 स्क्वा	5174.60	15-5-85 उदयमंदिर
5.	श्री रहमत उल्ला/श्री रमजान लोहार उदय मंदिर मेड़ता गेट के बाहर जोधपुर	15.07 व.ग.	2231.00	6-7-85
6.	श्री नान खां, अध्यक्ष मदरसा खान कर्मीनखानी इस्लामी समिति बंबा	261.11 स्क्वा	675.67	21-11-85
7.	श्री यासीन खां/श्री इसू खां गुलजारपुरा जोधपुर	399.5 स्क्वा	16539.30	22-11-85

1	2	3	4	5
8.	श्री हरी सिंह/श्री जोगीदास राम मोहल्ला, नागोरी गेट के बाहर जोधपुर	175 स्क्वा	1811.25	22-11-85
9.	श्री हसन मोहम्मद/अकबर कचहरी रोड जोधपुर	17.77 व. ग.	4797.90	22-11-85 उदयमंदिर
10.	श्रीमति भगवती देवी/श्री अनंतराम कच्छवाह सोजती गेट के बाहर नई सड़क जोधपुर	21.19 व. ग.	3178.50	28-11-85 सोजतिया
11.	श्रीमति जहूरन/श्री रमजान कचहरी रोड	185 स्क्वा	1915.00	16-12-85
12.	श्रीमति हमीदा/श्री मुनेखां खाडिया कोट, स्टेडियम शोपिंग सेंन्टर जोधपुर	361.66 स्क्वा	14972.75	25-1-85
13.	श्री भूराराम/मानाराम चोपासनी रोड	311.11 व. ग.	93333.00	पत्रा
14.	श्री रामदत/श्री देवीलाल सोजती गेट के बाहर	पत्रावली अतिरिक्त कलक्टर महोदय के यहां भेजी हुई है।		
15.	श्री बाबुलाल शिप हाऊस		लोकायुक्त में मामला है	
16.	मैसर्स मारवाड़ पट्रोल पम्प कचहरी रोड	224.66 व. ग.	66,559.02	1983 में
17.	विजेन्द्र सिंह, रावत मिष्टान भंडार स्टेशन रोड़	141.40 व. ग.	70,700.00	18-7-85

ह०
सहायक अभियन्ता
नगर परिषद, जोधपुर

ह०
आयुक्त
नगर परिषद जोधपुर

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 1070 की सूची

वर्ष 1990-91 में नगर पालिका वैर, बयाना व मुसावर को दी गई आर्थिक सहायता का विवरण

क्र.सं.	नाम नगरपालिका	सड़क, नाली निर्माण/ मरमम्त हेतु	सामान्य अनुदान	नेहरू रोजगार योजना
1.	वैर	50,000	1,21,780	183761
2.	बयाना	—	2,06,730	245990
3.	मुसावर	25,000	1,10,600	169661

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 1073 का विवरण

नगरपालिका, सागवाडा को वर्ष 1990-91 में सरकार द्वारा दी गई धनराशि एवं उसके व्यय का विवरण :–

क्र.सं.	मद	प्राप्त राशि	मद किस में व्यय की गई
1.	विशिष्ट सहायता एवं ऋण	550000.00	निर्बन्ध योजनान्तर्गत सडकों, नालियों एवं रपटों का निर्माण
2.	सस्ता सुलभ शौचालय कार्यक्रम	110000.00	579 सस्ता फलश शौचालयों का निर्माण कराया
3.	नेहरू रोजगार योजना	10000.00	नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 1074 का विवरण

नगरपालिका सागवाडा द्वारा स्वर्णों के मौहल्लों एवं वार्डों में किये गये विकास कार्य का विवरण

क्रमांक	नाम कार्य एवं मौहल्ला	लागत	वार्ड
1.	सिमेन्ट रोड मय नालि निर्माण सुथारवाडा	64429-00	5
2.	सिमेन्ट रोड मय नालि निर्माण नजमपुरा	117840-00	11.12
3.	सिमेन्ट रोड मय नालि बावडी गली	11566-00	11
4.	सिमेन्ट रोड मय नालि नई आबादी बोहरावाडी	125933-00	9
5.	सिमेन्ट रोड मय नालि गामठवाडा	148828-00	14
6.	सिमेन्ट रोड मय नालि नटवरलाल की गली	33036-00	13
7.	सिमेन्ट रोड मय नालि भोइवाडा मौहल्ला	32771-00	12
8.	नालि निर्माण मोहम्मदीपुरा टेम्बा	10133-00	16
9.	सिमेन्ट रोड मय नालि मेहता सेरी	3293-00	7
10.	सिमेन्ट रोड मय नालि लम्बोदर की गली	7972-00	7
11.	सिमेन्ट रोड मय नालि फोरेस्ट नर्सरी के पिछे	10293-00	6
12.	सिमेन्ट रोड मय नालि शक्लवाडा मौहल्ला	10138-00	6
13.	नालि निर्माण गामठवाडा	2775-00	16
14.	नालि निर्माण भूतियों की पोल	20588-00	7
	कुल रुपया :–	599595-00	

ह०
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका सागवाडा (राज.)

नगरपालिका सागवाड़ा द्वारा हरिजन तथा आदिवासी वार्डों में किये गये विकास कार्य का विवरण :—

क्रमांक	नाम कार्य एवं मोहल्ला	लागत	वार्ड
1.	पूलिया (रपटा) निर्माण पगलाजी रोड	94801-00	6
2.	पूलिया (रपटा) निर्माण हरियाला	74781-00	7
3.	सिमेन्ट रोड मय नालि कटारवाडा	137444-00	5
4.	सिमेन्ट रोड वडियो का डूंगरा	64865-00	2
5.	सिमेन्ट रोड मय नालि डेण्डोरवाडा	91586-00	6
6.	डामर रोड अहारीवाडा	71811-00	2
7.	सिमेन्ट रोड मय नालि जोगीवाडा	15023-00	7
8.	नालि निर्माण खटीकवाडा	14217-00	2
9.	डामर रोड बलाइवाडा	सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा	16.14
10.	डामर रोड कुडारवाडा	सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा	7
	कुल रुपया	564528-00	

ह०
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका सागवाडा (राज)

परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न संख्या 1076 की सूची

परिशिष्ट 'क'

बनास पाइप लाइन से शहरों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर जल उपलब्ध कराये जा रहे स्थानों की सूची

(1) ग्राम चौसला, सूरजपुरा, जगपुरा व प्रतापपुरा, नाइखेड़ा, भवरथला, दलवास में एवं ग्राम बोगला तथा खण्डिया के निकट एक-एक सार्वजनिक नल।

(2) ग्राम नेगडिया, अजगरा, गोयला, सराना, वीर चौराहा एवं गबरकलां में निजी जल सम्बन्ध।

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 1077 की सूची

परिशिष्ट "क"

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1991 में जारी मेन्यूअल के अनुसार जल-प्रदाय के मापदण्ड निम्न प्रकार निर्धारित किये गये हैं—

क.सं.	जन संख्या	आपूर्ति निर्धारित दर
(अ)	**20,000 की जन संख्या तक**	
	(1) सार्वजनिक नलों द्वारा	40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
	(2) घरेलू कनेक्शनों द्वारा	70 से 100 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
(ब)	**20,000 की जन संख्या से 1,00,000 लाख की जनसंख्या तक**	100 से 150 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन
(स)	**1,00,000 की जनसंख्या से अधिक**	150 से 200 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन

परिशिष्ट "क"

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 1078 का विवरण

वर्ष 1989–90 व 1990–91 में सिवाना में लगाये नल कनेक्शन/हैण्ड पम्प व डाली गई पाइप लाइन की सूची

क्र.सं	वर्ष	दिये गये नल कनेक्शन		लगाये गये हैण्डपम्प	डाली गई पाइप लाइन		स्थान जहां डाली गई
1	2	3		4	5		6
1.	1989–90	1. मोकलसर में	48	-	1. चारणों का बाडा	420 मीटर	जी. एल. आर. जोड़ने हेतु
		2. कुशीप में	4		2. गोरो का बाडा	1500 मीटर	जी. एल. आर. जोड़ने हेतु
		3. समदड़ी में	29		3. अजीत	300 मीटर	अनु. जाति/जन-जाति बस्ती में
		4. बामसीन में	18		4. राखी	250 मीटर	,,
					5. खण्डप	150 मीटर	,,
					6. कुशीप	150 मीटर	,,
		कुल	96		कुल	2770 मीटर	

1	2	3		4	5		6
2.	1990–91	1. मोकलसर में	68	1. कोठाडी 2 नग	1. कांखी	2500 मीटर	जी. एल. आर. जोड़ने हेतु
		2. कुशीप में	7				
		3. समदड़ी में	30	अनुसूचित जाति/ जनजाति बस्ती में	2. समदड़ी	750 मीटर	अनु. जाति/जन-जाति बस्ती में
		4. बामसीन में	12				
					3. कुण्डल	300 मीटर	अनु. जाति/जन-जाति बस्ती में।
			117		कुल	3500 मीटर	

233

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 1080 की सूची

क्षेत्रीय जल-प्रदाय योजना बिहाड़ा गंधेर के कार्यों का विवरण
सम्मिलित ग्रामों की सूची

1. बिहाड़ा
2. गन्धेर
3. टीटोड़ा
4. टीटोड़ी

न-वसृजित 5. जागोलाई

राजस्व-ग्राम 6. भगनपुरा

(क) कार्य जो पूर्ण किये गये जा चुके हैं :—

(1) भूतल जलाशय 6 ग्रामों में
(2) एक स्वच्छ जलाशय का निर्माण
(3) लगभग 7.5 कि.मी. पाइप लाइन डाली जा चुकी है।

(ख) कार्य जो शेष है अथवा प्रगतिरत है :—

(1) एक कुए का आंशिक कार्य पूर्ण हो चुका है।
(2) एक अन्य का निर्माण किया जाना शेष है।
(3) शेष पाइप लाइनों का कार्य किया जाना है।

परिशिष्ट–13

तारांकित प्रश्न संख्या 1082 का विवरण

परिशिष्ट "क"

भीनमाल विधान सभा क्षेत्र की जल-प्रदाय योजनाओं का विवरण जिनके स्त्रोतों में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित माप दण्डों से अधिक है।

क्र.सं.	योजना का नाम
1.	पनघट योजना जुन्जानी (वर्तमान में कम है)
2.	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना बागोड़ा-रंगाला
3.	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना बाटेरा राडता
4.	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना जैरन

परिशिष्ट "ख"

भीनमाल शहरी योजना में फ्लोराइड की मात्रा

क्र.सं.	वर्ष	फ्लोराइड की मात्रा
1.	1981–82	4.0 पी. पी. एम. से अधिक
2.	1982–83	1.0 पी. पी. एम.
3.	1983–84	2.0 ,,
4.	1984–85	1.1 ,,
5.	1985–86	1.6 ,,
6.	1986–87	1.9 ,,
7.	1987–88	1.8 ,,
8.	1988–89	2.2 ,,
9.	1989–90	2.4 ,,
10.	1990–91	1.2 ,,
11.	1991–92	1.6 ,,

236

परिशिष्ट–14

अतारांकित प्रश्न संख्या 1083 की सूचना

परिशिष्ट "क"

पंचायत समिति बेगूं/भैंसरोड़गढ़ में विकास अधिकारी से प्राप्त मेजर खराबी वाले हैण्ड पम्पों की सूची

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड नं.	बड़ी खराबी वाले हैण्ड पम्प		मेजर खराबी का विवरण
			खराब हैण्ड पम्प	मरम्मत कर चालू किये गये हैण्ड पम्प	
1	2	3	4	5	6
पंचायत समिति बेगूं					
1.	बागपुरा	194	1	—	बोर अवरुद्ध है।
2.	मनकेश्वर	181	1	—	,, ,,
3.	आवल हेड़ा	157	1	1	बोर गिरा हुआ है।
4.	पाछुन्दा	117	2	—	,, ,,
5.	श्योदर्शनपुरा	207	1	1	,, ,,

1	2	3	4	5	6
6.	रावरदा	163	1	—	बोर गिरा हुआ है।
7.	केरपुरा	34	1	—	बोर अवरुद्ध है।
8.	इटांवा	31	1	—	बोर गिरा हुआ है।
9.	चावण्डिया	14	1	—	बोर अवरुद्ध है।
10.	चोसला	7	1	1	बोर गिरा हुआ है।
11.	चावण्डिया	82	1	1	बोर गिरा हुआ है।
12.	भीचोर	61	1	1	बोर गिरा हुआ है।
13.	चौमू	11	1	1	बोर गिरा हुआ है।
पंचायत समिति मेंसरोड़गढ़					
1.	शम्भुनाथजी का खेड़ा	258	1	1	लोवरिंग फंसी हुई है।
2.	नाहरगढ़	260	1	1	,, ,,
3.	एकलिंगपुरा	383	3	1	,, ,,
4.	बरखेड़ा	457	1	—	लोवरिंग फंसी हुई है।

1	2	3	4	5	6
5.	पीपल्दा	456	1	—	लोवरिंग फंसी हुई है।
6.	खातीखेड़ा	381	3	—	,, ,,
7.	गिलोता	462	1	—	लोवरिंग फंसी हुई है।
8.	मोगढ़	464	1	—	,, ,,
9.	मोहनपुरा	380	1	—	,, ,,
10.	जावरा खुर्द	276	1	—	मेजर खराबी
11.	रतनपुरा	309	1	—	लोवरिंग फंसी हुई है।
12.	गुड खेड़ा	423	1	—	मेजर खराबी
13.	पतलोई	—	1	—	लोवरिंग फंसी हुई है।
			31		

परिशिष्ट "अ"

परिशिष्ट–15

अतारांकित प्रश्न संख्या 1090 का विवरण

जिला अजमेर में विगत तीन वर्षों में हत्यायें, आत्म हत्यायें, एक्सीडेन्ट व चोरियां एवं डकैतियां हुई जिनमें माल बरामद हुआ की सूची

क्र. सं.	वर्ष	शीर्षक	पंजीबद्ध अपराधों की संख्या	बन्दी बनाये गये अभियुक्त की संख्या	जैर तफ्तीश पुलिस	चालान मुकदमात संख्या	अभियुक्तगण सजा	माल चोरी गया	माल बरामद हुआ
1.	1989	हत्या	45	88	—	30	9	—	—
	1990	,,	43	76	—	31	—	—	—
	1991	,,	49	77	9	35	2	—	—
2.	1989	आत्महत्यां	20	—	—	—	—	—	—
	1990	,,	14	—	—	—	—	—	—
	1991	,,	7	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	1989	एक्सीडेन्ट	796	680	—	680	8	—	–
	1989	,,	802	714	—	714	11	—	–
	1990	,,	784	699	1–	699	3	—	–
4.	1989	चोरियां	823	366	—	215	69	6175571/--	3955610/--
	1990	,,	769	377	—	219	16	5180346/--	1320600/--
	1991	,,	794	400	—	239	6	9021425/--	5214637/--
5.	1989	डकैती	—	—	–	–	—	—	—
	1990	,,	4	5	—	3	—	88000/–	75000/–
	1991	,,	6	—	—		—	273295/--	11000/–

240

परिशिष्ट–16

अतारांकित प्रश्न संख्या 1097 का विवरण

प्रश्न के भाग (1) की सूची

प्रधानाध्यापिका राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय मालाखेड़ा (अलवर) के जुलाई 91 से दिसम्बर 91 के काल में अलवर में प्रतिनियुक्ति पर रहने की अवधियां:–

क्र. सं.	प्रतिनियुक्ति अवधि	प्रति. स्थान	प्रति. का कारण
1.	20-8-91 से 22-8-91	रा. बा. सी. उ. मा.वि देवी जी की गली (अल.)	जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता
2.	27-8-91 से 1-9-91	रा. बा. उ. प्रा. वि. स्कीम नं. 2 अलवर	जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में पर्यवेक्षक के रूप में।
3.	4-9-91 से	रा. बा. सी. उ. मा. वि. एस. एम. डी. अलवर	राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता
4.	20-9-91 से 23-9- 91	,, ,,	,,
5.	24-9-91 से 22-10-91	जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) अलवर	तृ. वे. श्रृ. अध्यापिका 91-92 में नियुक्ति हेतु बनाई गई चयन समिति में मनोनीत के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया।

प्रधानाध्यापिका ने अब तक उपरोक्त काल में 1215-71 यात्रा भत्ता की राशि प्राप्त की हैं।

परिशिष्ट–17

अतारांकित प्रश्न संख्या 1098 की सूची

मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रित को राज्य सेवा में नियुक्ति देने बाबत विभाग में पेन्डिग प्रकरणों की सूची

क्र. सं.	नाम मृतक कर्मचारी	मृतक के आश्रित का नाम/मृतक के संबंध एवं शैक्षणिक योग्यता	आवेदित पद एवं आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1. कनिष्ठ लिपिक				
(1)	श्री बन्नाराम मीणा	श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र, द्वितीय वर्ष कला (अध्ययनरत)	क. लिपिक 9-3-92	आवेदन के साथ वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने से जि. आ. अ. जयपुर (ग्रा.) को वांछित प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने हेतु पत्र सं. प. (स) (2) संस्था/आब/92/759 दिनांक 20-3-92 से लिखा गया है।
2. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी				
(1)	श्री शाहनुर खां	श्री मेहफूज हुसैन पुत्र, मिडील पास	च. श्रे. क. 20-12-90	पूर्व में वाहन चालक के पद हेतु आवेदन प्राप्त हुआ। वाहन चालक के पद की वांछित योग्यता नहीं

1 2	3	4	5
			च. श्रे. कर्म. रखने से चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति हेतु सहमति मांगी गई। सहमति प्राप्त हुई लेकिन वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने से इन्हें पुनः लिखा गया है।
(2) श्री हिम्मतसिंह	श्री मति रामप्यारी, पत्नि, अनपढ़	च. श्रे. क. 5-7-91	आवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने से जि. आ. अ.उदयपुर को प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करने हेतु पत्र सं. प. 1 (ए) (2) संस्था/आव/91/92 दिनांक 16-8-91 से लिखा गया। प्रमाण-पत्र अभी तक प्राप्त नहीं होने से पुनः स्मरण पत्र भेजा गया है।
श्री रामनाथ मीणा	श्री घनश्याम मीणा, पुत्र 8 वीं कक्षा पास	चतुर्थ श्रेणी 9-1-92	आवेदन पत्र के साथ आवश्यक प्रमाण--पत्र नहीं होने से जि. आ. अ. कोटा को लिखा गया कि वांछित प्रमाण-पत्र प्राप्त कर शीघ्र प्रस्तुत करें।
(V) श्री नरपतसिंह	श्री भवानीसिंह, पुत्र, 8 वीं कक्षा पास	चतुर्थ श्रेणी 17-2-92	आवेदन-पत्र के साथ आवश्यक प्रमाण--पत्र संख्या प. 1 (ए) (6) संस्था / आव/ 91/695 दिनांक 3-3-92 से आव-

1	2	3	4	5
				श्यक प्रमाण-पत्र शीघ्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया है।
(V)	श्री किशोर सिंह	श्री नाहरसिंह, दत्तक पुत्र साक्षर	चतुर्थ श्रेणी 7-3-92	आवेदन-पत्र के साथ मृतक की पत्नि श्रीमति भंवर कंवर का शपथ-पत्र नहीं होने से शपथ-पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया है।
(vI)	श्री गोविन्दसिंह	श्री प्रेमसिंह, पुत्र, 8 वीं कक्षा पास	चतुर्थ श्रेणी 16-3-92	आवेदन--पत्र के साथ आवश्यक प्रमाण-पत्र नहीं होने से पत्र संख्या प. 1 (ए) (3) संस्था/आब/92/756 दिनांक 20-3-92 से जि. आ. अ. नागौर को आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर शीघ्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया है।

परिशिष्ट–18

अतारांकित प्रश्न संख्या 1103 का विवरण

परिशिष्ट–(अ)

बन्द किये गये शिक्षा केन्द्रों की सूची:–

क्र. सं.	शिक्षा केन्द्र का नाम	पंचायत समिति
1.	वाहन	रेवदर
2.	रामपुरा	"
3.	लिलोरा	"
4.	सिरोडी (कन्या)	"
5.	हिम्मतपुरा	"
6.	बहादरपुरा	"
7.	पिपलिया	"
8.	वसीया	"
9.	कालीवास (मण्डार)	"
10.	ढिबरी	"
11.	बोकी डेरली	"
12.	असाव	"
13.	मोहब्तपुरा	"
14.	चौहानों की फली (गिरवर)	आबूरोड
15.	जलोइयों की फली सियावा	"

ह०

कलक्टर, सिरोही

परिशिष्ट–19

अतारांकित प्रश्न संख्या 1108 की सूची

क्र.सं.	आवेदन का नाम	खनिज	निकट ग्राम	आवेदन तिथि	एम.आर.एम.एल.
1	2	3	4	5	6
1.	श्री जयेश कुमार पुत्र श्री अम्बालाल पंचाल निवासी कालेजर रोड, बांसवाड़ा	मार्बल	जलदा	13-2-89	80/89
2.	श्री राजेश पुत्र श्री ज्योति प्रसाद राठी अम्बामाता रोड	मार्बल	जलदा	13-2-89	81/89
3.	श्री गोविन्द लाल पुत्र श्री मालाराम हाऊसिंग बोर्ड बांसवाड़ा	मार्बल	जलदा	13-2-89	82/89
4.	श्री दिलीपकुमार पुत्र श्री भगवतीलाल काठऊचा रातीलाई बांसवाड़ा	मार्बल	जलदा	13-2-89	83/89

1	2	3	4	5	6.
5.	श्री राजीव पुत्र श्री नटवर लाल सराफ हास्पीटल रोड, बांसवाड़ा	मार्बल	जलदा	13-2-89	84/89
6.	श्री राजेश कुमार पुत्र ज्योति प्रसाद अम्बामाता, रोड	मार्बल	जलदा	23-10-89	689/89
7.	श्री अन्जु चौधरी पत्नि श्री अनिल चौधरी हाऊसिंग बोर्ड, बांसवाड़ा	मार्बल	जलदा	23-10-89	690/89
8.	श्री नितिन पुत्र श्री भंवरलाल सुराना भोपालपुरा, उदयपुर	मार्बल	जलदा	23-10-89	691/89
9.	श्री जयेश पंचाल पुत्र श्री अम्बालाल पंचाल कालेरा रोड, बांसवाड़ा	मार्बल	जलदा	23-10-89	692/89
10.	श्री जयेश पंचाल पुत्र श्री अम्बालाल पंचाल कालेरा रोड, बांसवाड़ा	मार्बल	जलदा	23-10-89	693/89
11.	श्रीमती शशी पत्नि श्री अनिल राठी इण्डस्ट्रीज एरिया, बांसवाड़ा	मार्बल	जलदा	23-10-89	694/89
12.	श्री राजीव पुत्र श्री नटवर लाल सराफ हास्पिटल रोड, बांसवाड़ा	मार्बल	जलदा	28-10-89	721/89

247

1	2	3	4	5	6
13.	श्री गोविन्द लाल पुत्र श्री मालाराम वर्मा हाउसिंग बोर्ड, बांसवाड़ा	मार्बल	जलदा	14-12-89	789/89
14.	श्रीमती मनोरमा भटनागर पत्नि हरिहर नारायण, उदयपुर	मार्बल	जलदा	26-5-90	225/90
15.	श्रीमती मनोरमा भटनागर पत्नि श्री हरिहर नारायण, उदयपुर	मार्बल	जलदा	1-10-91	336/91
16.	श्री नितिन सुराना पुत्र श्री भंवर लाल सुराना उदयपुर	मार्बल	जलदा	29-1-92	36/92
17.	श्री अजय कुमार पुत्र श्री केशव देव लकोटिया	मार्बल	जलदा	29-1-92	37/89
18.	श्री योगपालसिंह पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह देलवाडा तहसील घाटोल, बांसवाड़ा	मार्बल	जलदा	30-1-92	38/92
19	श्री पृथ्वीराज पुत्र श्री ठाकरराम चौधरी नागदला (बांसवाड़ा)	मार्बल	जलदा	30-1-92	39/92

ह०/–
सहायक खनिज अभियन्ता
बांसवाड़ा (राज.)

शुद्धि पत्र

क्र.सं.	स्कम्भ सं.	पंक्ति सं.	अशुद्ध सं.	शुद्ध सं.
1.	202	फुटनोट	अंकित नहीं	अपलोपित
2.	382	2	अतारांकित	तारांकित
3.	407	3	686	685